उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर विधेयक, 2005

(विधेयक सं0.........वर्ष 2005)

उत्तरांचल राज्य में माल के क्रय और विक्रय पर मूल्य वर्धित कर, के उद्ग्रहण सम्बन्धी विधि का उपबन्ध करने और उसको समेकित करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नवत् यह अधिनियमित हो

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1: संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम,2005 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह 1 अक्टूबर 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2: परिभाषाएं:

इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) "निर्धारिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा इस अधिनियन के अधीन कर या कोई अन्य धनराशि देय है और इसमें वह प्रत्येक व्यक्ति भी है जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा देय कर के निर्धारण हेतु इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा रही है;

(2) "करनिर्धारक प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारक प्राधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिये राज्य सरकार या कमिश्नर द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(3) "कर निर्धारण वर्ष" से 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है;

(4) "अपील प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसको धारा 51 के अधीन अपील की जा सकेगी;

(5) "अपील अधिकरण" से इस अधिनियम की धारा 54 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(6) "कारबार" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है–

(क)कोई व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण; या

(ख) व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण की प्रकृति का कोई प्रोद्यम या समुत्थान; या

(ग)ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से सम्बन्धित, या इनसे प्रासंगिक या आनुषंगिक कोई संव्यवहार; या

(घ)ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान की प्रकृति का कोई

यदा कदा होने वाला संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार में परिमाण, आवृत्ति निरन्तरता या नियमितता है अथवा नहीं, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान अभिलाभ या लाभ पाने के उद्देश्य से किया जाय या नहीं और चाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से कोई अभिलाभ या लाभ प्रोद्भूत हो या नहीं; या

(ङ) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन या किसी प्रयोजन के लिये माल के उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो); और

(च)सयंत्र, मशीनरी, कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री, पैकिंग सामग्री, खाली डिब्बे, उपभोज्य स्टोर, अपशिष्ट पदार्थ या उपोत्पाद या इसी प्रकृति का कोई अन्य माल अथवा कोई अप्रयोज्य या अप्रयुज्यमान या व्यर्थ मशीनरी या उसका कोई पुर्जा या सहायक सामान या कोई अपशिष्ट पदार्थ या छीजन या उनमें से कोई भी वस्तु क्रय, विक्रय या संम्भरण करने का कोई संव्यवहार या किसी भी प्रकार का कोई अन्य संव्यवहार, वह कोई भी हो, जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान या संकर्म संविदा या पट्टे का आनुषंगिक हो या उससे सम्बद्ध हो या उसके परिमाण स्वरूप हो,किन्तु इसके अन्तर्गत केवल सेवा या वृत्ति की प्रकृति का कोई ऐसा कार्यकलाप नहीं है, जिसमें माल क्रय करना या विक्रय करना अन्तर्ग्रस्त न हो;

(7) "नैमित्तिक व्यौहारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसी अवधि जो एक समय में 60 दिन या ऐसी अन्य अवधि जैसा कि विहित किया जाये, से कम हो, में कर्ता, अभिकर्त्ता अथवा किसी अन्य हैसियत से माल का क्रय, विक्रय, संम्भरण अथवा वितरण का यदा कदा संव्यवहार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करता है, या उत्तरांचल राज्य में कोई प्रदर्शनी के साथ विक्रय का संचालन करता है, चाहे यह नकद, या आस्थगित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया गया हो;

(8) "पूंजीगत माल" से ऐसा सयंत्र, मशीनरी और उपस्कर (जिसमें पर्यावरण नियन्त्रक उपस्कर, गुणवत्ता नियन्त्रक उपस्कर या प्रयोगशाला उपस्कर सम्मिलित है) अभिप्रेत है जिनका उपयोग कराधेय माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में किया जाता है किन्तु इस अधिनियम की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल और ऐसा माल भी जब उसका उपयोग सिविल संरचना में, जैसा कि विहित किया जाये, किया जाता है, को छोड़कर;

(9) "कमिश्नर" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य कर कमिश्नर अभिप्रेत है और इसमें सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य कर के एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर श्रेणी-1, एडिशनल कमिश्नर श्रेणी-2, ज्वाइन्ट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर सम्मिलित हैं;

(10) "प्रारम्भ की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होगा;

(11) "व्यौहारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कारबार के प्रयोजनों के लिये या उसके सम्बन्ध में अथवा उससे प्रासंगिक अथवा उसके अनुक्रम में उत्तरांचल में (चाहे लाभ के उद्देश्य से या अन्यथा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, नियमित रूप से या अन्यथा)

नकद या आस्थगित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये माल का क्रय, विक्रय, संम्भरण या वितरण करने का कारबार करता है और इसके अन्तर्गत निम्न लिखित भी हैं:–

(क)केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई विभाग अथवा पंचायत, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, छावनी परिषद नामधारक स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई स्वायत्तशासी या कानूनी निकाय;

(ख) कोई औद्योगिक, वाणिज्यिक, बैंकिंग, बीमा या व्यापारिक उपक्रम, चाहे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का हो अथवा नहीं;

(ग)कोई कमीशन अभिकर्ता, मध्य वर्ग, दलाल, आढ़ती, परिशोधी अभिकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यक अभिकर्ता चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाये, और चाहे इसमें इसके पूर्व उल्लिखित वर्णन का हो या न हो, जो किसी प्रकट या अप्रकट कर्ता की ओर से माल का क्रय, विक्रय, संम्भरण या वितरण करने का कारबार करता है;

(घ)कोई व्यक्ति जो राज्य के भीतर किसी अनिवासी ब्यौहारी अर्थात राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी ब्यौहारी की ओर से अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और राज्य में माल का क्रय, विक्रय, संम्भरण या वितरण करता है या ऐसे ब्यौहारी की ओर से निम्न लिखित रूप से कृत्य करता है:

(i) माल विक्रय अधिनियम, 1930 में यथा परिभाषित वाणिज्यिक अभिकर्ता, या

(ii)माल या माल से सम्बन्धित हक के दस्तावेजों का प्रबन्ध करने के लिये अभिकर्ता, या

(iii)माल की विक्रय कीमत के संग्रह या भुगतान करने के लिये अभिकर्ता या ऐसे संग्रह या भुगतान के लिये प्रत्याभूतिदाता;

(ङ) कोई व्यक्ति, फर्म या कम्पनी या अन्य निगमित निकाय, क्लब, अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब अथवा संयुक्त कुटुम्ब की कोई अन्य पद्धति, व्यक्तियों का संगम, न्यास और सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य सोसाइटी, चाहे ऐसी सोसाइटी निगमित हो या गैर निगमित, और जो ऐसा कारबार करते हैं जिसमें अपने सदस्यों के लिये माल क्रय करना या उनको किसी कीमत, फीस या अभिदाय के लिये विक्रय करना सम्मिलित है, चाहे वह कारबार के अनुक्रम में की गयी हो या नहीं;

(च) कोई अनिवासी ब्यौहारी चाहे वह व्यक्ति हो या कोई फर्म या कम्पनी या व्यक्तियों का कोई संगम या कोई अन्य निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, जिनका मुख्य कार्यालय या मुख्यालय राज्य के बाहर हो और कोई शाखा या कार्यालय राज्य मे हो या नहीं हो, जो उत्तरांचल राज्य में ऐसी शाखा या कार्यालय के माध्यम से, सीधे या अपने अभिकर्ता के माध्यम से माल का क्रय या विक्रय, सम्भरण, या वितरण करता हो;

(छ) कोई नीलामकर्ता, जो किसी प्रकट या अप्रकट कर्ता के माल का विक्रय या नीलामी का कारबार करता हो; चाहे आशयित क्रेता का प्रस्ताव उसके द्वारा स्वीकार किया जाता हो या कर्ता के द्वारा या कर्ता के नामनिर्देशिती द्वारा;

(ज) कोई नैमित्तिक व्यौहारी;

(झ) कोई व्यक्ति जो किसी सेवा या उसके अंश के रूप में अथवा अन्य किसी रीति से, चाहे वह कोई भी हो, ऐसे माल जो भोज्य पदार्थ या मानव उपभोग के लिये अन्य खाद्य पदार्थ या कोई पेय (मादक हो या न हो) की आपूर्ति करता हो, जहाँ पर ऐसी आपूर्ति अथवा सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये हो;

(ञ) कोई व्यक्ति जो अपने कारबार के प्रयोजन हेतु अथवा इसके सम्बन्ध में अथवा इससे प्रासंगिक अथवा इसके अनुक्रम में ऐसे माल का विक्रय करता है जो अदावाकृत या समपहृत या अप्रयोज्य या छीजन, अधिशेष, पुराना, अप्रयुज्यमान या व्यर्थ माल या अपशिष्ट उत्पाद है;

(ट) कोई व्यक्ति जो किसी संविदा के अनुसरण के अन्यथा, किसी माल में सम्पत्ति के नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये अन्तरण के कारबार में लगा हो;

(ठ) कोई व्यक्ति जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण का कारबार करता है;

(ड) कोई व्यक्ति जो नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल को किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण का कारबार करता है;

(ढ) कोई व्यक्ति जो अवक्रय या किश्तों पर भुगतान की किसी अन्य पद्धति पर माल के परिदान के कारबार में लगा है:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसे कृषि या उद्यानकृषि उपज का, जिसे उसने स्वयं उगाया हो या किसी ऐसी भूमि में उगाया हो जिसमें उसका चाहे स्वामी, भोग बन्धकदार, किरायेदार या अन्य रूप में कोई हित हो, विक्रय करता है या जो अपने द्वारा पाले गये कुक्कुट या पशुओं से कुक्कुटादि या दुग्ध उत्पाद का विक्रय करता है, ऐसे माल के सम्बन्ध में व्यौहारी नहीं समझा जायेगा;

(12) "घोषित माल" से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व वाला घोषित माल अभिप्रेत है;

(13) "दस्तावेज" से हक–विलेख, लेख या अन्तर्लेख अभिप्रेत है जिसमें इलैक्ट्रौनिक आंकड़े, संगणक कार्यक्रम, संगणक टेप, संगणक डिस्क, संगणक फ्लौपी और ऐसे ही साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले लेख भी हैं;

(14) "माल" से प्रत्येक प्रकार या वर्ग की जंगम सम्पत्ति (समाचार पत्र, अनुयोज्य दावे, स्टाक, शेयर, प्रतिभूति और डाक विभाग द्वारा विक्रय की जाने वाली डाक लेखन सामग्री को छोड़ कर) अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है–

(क) पशुधन, उगती हुई फसलें, घास, वृक्ष और ऐसी वस्तुएं जो पृथ्वी से संलग्न हों या पृथ्वी से स्थायी रूप से संलग्न किसी वस्तु से जकड़ी हों, और जिन्हें विक्रय की संविदा के अधीन पृथक् करने का अनुबन्ध हो।

(ख) किसी संकर्म संविदा के निस्तारण में अन्तर्ग्रस्त सभी सामग्री, वस्तुएं और पदार्थ (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) जिसमें वे माल भी सम्मिलित हैं जो किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति की फिटिंग, अभिवृद्धि या मरम्मत में अथवा किसी पट्टे या अवक्रय में अन्तर्ग्रस्त हो;

(15) "सरकार" से उत्तरांचल राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(16) किसी माल के सम्बन्ध में, "आयातकर्ता" से ऐसा ब्यौहारी अभिप्रेत है जो राज्य में माल का आयात किये जाने के पश्चात प्रथम बार उसका विक्रय करे;

(17) "इनपुट टैक्स" : किसी पंजीकृत ब्यौहारी के सम्बन्ध में "इनपुट टैक्स "से इस अधिनियम के अधीन किसी ब्यौहारी द्वारा दूसरे पंजीकृत ब्यौहारी को कारबार के दौरान विशेष प्रवर्ग के माल को छोड कर किसी कराधेय माल जो पुनःविक्रय के लिये या विक्रय हेतु ऐसे कराधेय माल के विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण के लिये या ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग के लिये उपयोग किये पात्र या संवेष्टन सामग्री के लिये उपयोग किया जाय, के क्रय पर संदत्त या देय कर अभिप्रेत है;

(18) "पट्टा" से कोई करार या ठहराव अभिप्रेत है जिसके द्वारा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को किसी माल के उपयोग का अधिकार किसी भी अवधि के लिये (चाहे विनिर्दिष्ट हो या नहीं) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये बिना स्वामित्व के अन्तरण के अन्तरित किया जाता है, और जिसमें उप–पट्टा सम्मिलित है किन्तु अवक्रय या किस्तों द्वारा भुगतान की किसी प्रणाली द्वारा अन्तरण सम्मिलित नहीं है;

(19) "पट्टेदार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको पट्टा के अधीन किसी प्रयोजन के लिये किसी माल के उपयोग का अधिकार अन्तरित किया जाय;

(20) "पट्टाकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा पट्टा के अधीन किसी प्रयोजन के लिये किसी माल के उपयोग का अधिकार अन्तरित किया जाता है;

(21) "विनिर्माण" से ऐसे कार्यकलाप अभिप्रेत है जो किसी वस्तु में कोई परिवर्तन लाता है या जिसके परिणाम स्वरूप किसी नई और भिन्न वस्तु, जैसा कि व्यावसायिक भाषा में समझा जाता है, में रूपान्तरण हो जाता है, और इसमें किसी माल का उत्पादन करना, बनाना, खनन, संग्रहण, निष्कर्षण, परिवर्तन, अलंकरण, परिरूपण, संयोजन या अन्यथा प्रसंस्करण, शोधन या अनुकूलन भी सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत विनिर्माण की कोई ऐसी प्रक्रिया या पद्धति जो विहित की जाये सम्मिलित नहीं होगी;

(22) किसी माल के सम्बन्ध में, "विनिर्माता" से ऐसा ब्यौहारी अभिप्रेत है जो माल के विनिर्माण के पश्चात राज्य में प्रथम बार उसका विक्रय करे और इसमें ऐसा ब्यौहारी भी

सम्मिलित है जो किसी ऐसे अन्य व्यौहारी से क्रय करता है जो धारा 4 के अधीन छूट प्राप्त विक्रय से भिन्न, अपने विक्रय पर इस अधिनियम के अधीन कर का दायी नहीं है;

(23)"अनियासी ब्यौहारी" से ऐसा ब्यौहारी अभिप्रेत है जो उत्तरांचल में कारबार करता है किन्तु जिसका उत्तरांचल में कारबार या निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है;

(24)"राजपत्र" से उत्तरांचल सरकार का राजपत्र अभिप्रेत है;

(25)"किसी जॉच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी" के अन्तर्गत वाणिज्यकर अधिकारी श्रेणी–2 से अनिम्न पद का कोई ऐसा अधिकारी है जो ऐसी जॉच चौकी या नाका पर तैनात हो;

(26)किसी पंजीकृत व्यापारी के सम्बन्ध में "आउट पुट टैक्स" से किसी ब्यौहारी द्वारा कारबार के दौरान किसी कराधेय माल के विक्रय अथवा सम्भरण पर इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रभारित अथवा प्रभार्य कर अभिप्रेत है और इसमें किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा ऐसे ब्यौहारी की ओर से किये गये कराधेय माल के विक्रय की बाबत संदत्त कर सम्मिलित है;

(27)"व्यक्ति" में सम्मिलित है–

(क) कोई व्यक्ति,

(ख) संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब,

(ग) कम्पनी या निगम,

(घ) फर्म,

(ङ) व्यक्तियों का संगम अथवा व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं,

(च) केन्द्रीय सरकार या उत्तरांचल सरकार या भारत के किसी अन्य राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार,

(छ) स्थानीय प्राधिकरण, क्लब, सोसाइटी या न्यास;

(28) "कारबार का स्थान" से वह स्थान अभिप्रेत है जहाँ कोई ब्यौहारी अपना कारबार करता है, और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(क) कोई दुकान, भाण्डागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान जहाँ ब्यौहारी अपने माल का भण्डारण करता है;

(ख) कोई स्थान जहाँ कोई ब्यौहारी माल का उत्पादन या विनिर्माण करता है;

(ग) कोई स्थान जहाँ कोई ब्यौहारी अपनी लेखाबही रखता है;

(घ) कोई स्थान जहाँ कोई ब्यौहारी संकर्म संविदा निष्पादित करता है या माल के उपयोग के अधिकार का प्रयोग किया जाता है;

(ङ) किसी भी मामले में जहाँ कोई ब्यौहारी किसी अभिकर्ता (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) के माध्यम से कारबार करता है, ऐसे अभिकर्ता के कारबार का स्थान ;

(च) कोई स्थान जहाँ कोई ब्यौहारी या कोई व्यक्ति माल की बुकिंग या परिदान करता है और कोई यान या कोई अन्य वाहक जिसमें माल का भण्डारण किया जाता है या जिसका माल के परिवहन हेतु उपयोग किया जाता है।

(29)"विहित" से इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन विहित अभिप्रेत है;

(30)"क्रय" का उसके व्याकरणिक रूप–भेद और सजातीय पदों सहित, अर्थ शब्द "विक्रय" से लगाया जायेगा;

(31)"क्रय कीमत" से किसी माल के क्रय के लिये किसी व्यक्ति द्वारा, कारबार प्रथा के अनुसार नकद डिस्काउंट के रूप में विक्रेता द्वारा अनुज्ञात किसी रकम को घटा कर, संदत्त या देय मूल्यवान प्रतिफल की रकम अभिप्रेत है और इसमें उस माल के परिदान के समय या उसके पूर्व माल के सम्बन्ध में विक्रेता द्वारा की गई किसी बात के लिये प्रभारित कोई रकम, भाड़े या परिदान की लागत के या संस्थापन की लागत के लिये जब ऐसी लागत पृथकतः प्रभारित की गई हो, से भिन्न राशि सम्मिलित होगी;

(32)"प्राप्तकर्ता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये यथापरिभाषित माल प्राप्त करता है;

(33)"पंजीकृत व्यौहारी" से इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यौहारी अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यौहारी भी सम्मिलित है जिसने स्वैच्छिक रूप से पंजीयन प्राप्त किया है;

(34)"निरसित अधिनियम" से उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 अभिप्रेत है;

(35)"निरसित अध्यादेश" से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 अभिप्रेत है;

(36)"पुनःविक्रय" से क्रय किये गये माल का निम्नवत विक्रय अभिप्रेत है–

(क) जो उसी रूप में की गयी है जिसमें उन्हे क्रय किया गया था; या

(ख) किसी माल के विनिर्माण में उनका उपयोग किये बिना; या

(ग) उसमें कोई ऐसी बात किये बिना जो विनिर्माण के तुल्य है या जिसका परिणाम विनिर्माण है;

(37)"विवरणी" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित और/या प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित कोई विवरणी अभिप्रेत है;

(38)"विलोम कर" से माल के क्रय पर कर के उस अंश से अभिप्रेत है जिसका लाभ लिया जा चुका है लेकिन ऐसे माल का बाद में राज्य के भीतर कराधेय माल के पुनः विक्रय अथवा कराधेय माल के विनिर्माण अथवा संकर्म संविदा के निष्पादन अथवा डिब्बे या संवेष्टन सामग्री से भिन्न प्रयोजन से किया गया हो;

(39)"नियम" से इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम अभिप्रेत है;

(40)"विक्रय" से उसके व्याकरणिक रूप–भेद और सजातीय पदों सहित, ऐसे माल के स्वामित्व के (बन्धक,दृष्टिबन्धक,प्रभार या गिरवी से भिन्न रूप में) अन्तरण अभिप्रेत है जो व्यापार या कारबार के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया जाय, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है–

(क) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल के स्वामित्व का संविदा के अनुसरण से भिन्न रूप में अन्तरण;

(ख) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व का अन्तरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में);

(ग) अवक्रय या किश्तों में भुगतान की किसी पद्धति के आधार पर माल का परिदान;

(घ) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल का किसी प्रयोजनार्थ उपयोग करने के अधिकार (चाहे वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) का अन्तरण;

(ङ) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को माल का सम्भरण;

(च) सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रीति वह कोई भी क्यों न हो, से माल का, जो मानव उपभोग के लिये खाद्य, या कोई अन्य वस्तु या कोई पेय हो(चाहे मादक हो या नहीं), सम्भरण, जहाँ ऐसा सम्भरण या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये हो;

(छ) माल के स्वामित्व का अन्तरण उपधारा (11) के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट नीलामकर्ता द्वारा या किसी ब्यौहारी द्वारा बैंकिंग या बीमें की प्रकृति के किसी अन्य कार्यकलाप के दौरान माल का विक्रय जो अपने मुख्य क्रियाकलाप के साथ कब्जे मे आये या पुनः दावे में आये माल का विक्रय भी करते हैं;

और खण्ड (क) से खण्ड (छ) तक के अधीन किसी माल का ऐसा परिदान अन्तरण या सम्भरण उस व्यक्ति द्वारा उस माल का विक्रय समझा जायेगा जो माल का परिदान, अन्तरण या सम्भरण करता है और वह व्यक्ति इस माल का क्रेता होगा जिसे ऐसा परिदान, अन्तरण या सम्भरण किया गया है;

स्पष्टीकरण 1: कोई विक्रय या क्रय राज्य में हुआ नहीं समझा जायेगा यदि माल का विक्रय–

(क) अन्तर–राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में किया गया है; या

(ख) विक्रय से भिन्न अन्यथा उत्तरांचल राज्य के बाहर किया गया है; या

(ग) भारत के राज्य क्षेत्र अन्दर आयात अथवा क्षेत्र से बाहर निर्यात के क्रम में किया गया है;

स्पष्टीकरण 2: उपखण्ड (ख) के अधीन क्रय या विक्रय राज्य के भीतर किया गया समझा जायेगा इस बात के होते हुये भी कि संकर्म संविदा के लिये करार पूर्णतः या भागतः राज्य के बाहर किया गया हो, यदि संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति के अन्तरण के समय राज्य में हो;

स्पष्टीकरण 3: इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित दशाओं में दो स्वतंत्र विक्रय या क्रय हुआ समझा जायेगा–

(क) जब माल कर्ता से उसके बिक्रय अभिकर्ता को, और विक्रय अभिकर्ता से उसके क्रेता को अन्तरित किया जाय; या

(ख) जब माल विक्रेता से क्रय अभिकर्ता को, और क्रय अभिकर्ता से उसके कर्ता को अन्तरित किया जाय, यदि यह पाया जाय कि अभिकर्ता द्वारा उपर्युक्त मामलो में से किसी एक में–

(i) माल का विक्रय एक दर पर किया गया है और अपने कर्ता को बिक्रय आगम दूसरी दर पर आगे बढ़ाया गया है; या

(ii) माल का क्रय एक दर पर किया गया है और अपने कर्ता को दूसरी दर पर आगे बढ़ाया गया है; या

(iii) अपने कर्ता की ओर से किये गये विक्रय या क्रय में उसके द्वारा किये गये सम्पूर्ण संग्रहों या कटौतियों का लेखा अपने कर्ता को नही दिया गया है; या

(iv) किसी काल्पनिक या अविद्यमान कर्ता के लिये कार्य किया गया है;

(41)"बिक्रीबीजक" से एक ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें विक्रीत माल, उसकी कीमत, मात्रा, प्रभारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में विहित की जाये, का विवरण दिया गया हो;

(42)"विक्रय कीमत" से मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है जो ब्यौहारी द्वारा किसी माल के विक्रयके लिये प्राप्त की गई है या प्राप्य है और इसके अन्तर्गत ब्यौहारी द्वारा परिदान के समय या इसके पूर्व उस माल के सम्बन्ध में किसी कार्य के निमित्त प्रभारित कोई धनराशि, उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क या कोई अन्य शुल्क या कर भी होगा, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा–

(क) कोई धनराशि जो सामान्य व्यवसाय प्रथा के अनुसार माल के विक्रेता द्वारा नकद कटौती, कमीशन अथवा व्यापार कटौती के रूप में क्रेता को माल के विक्रयके समय अनुज्ञात की गई हो;

(ख) अग्रिम भाड़े अथवा परिदान लागत या संस्थापन व्यय, ऐसे मामलों में जहाँ ऐसी लागत अलग से प्रभारित की गई हो;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर की धनराशि, यदि ब्यौहारी द्वारा अलग से प्रभारित की गयी हो।

स्पष्टीकरणः इस उपधारा के प्रयोजन हेतु 'विक्रय कीमत' में निम्नलिखित शामिल है–

(क) अवक्रय अथवा किश्तों पर भुगतान की किसी प्रणाली के अन्तर्गत माल के परिदान के सम्बन्ध में, मूल्यवान प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि जिसमें माल के स्वामित्व का क्रय पूर्ण करने अथवा अर्जन करने के उद्देश्य से जमा धनराशि या अन्य प्रारम्भिक भुगतान सम्मिलित हैं और इसमें किराया प्रभार, ब्याज और अन्य प्रभार जो इस संव्यवहार के प्रासंगिक हो, सम्मिलित है किन्तु इसमें किसी करार के भंग के लिये अर्थदण्ड, क्षतिपूर्ति या नुकसानी के रूप में देय कोई धनराशि शामिल नहीं है;

(ख) किसी भी प्रयोजन हेतु माल के उपयोग करने के अधिकार (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) के अन्तरण के सम्बन्ध में मूल्यवान प्रतिफल या माल के उपयोग के अधिकार के ऐसे अन्तरण के लिये प्राप्त या

प्राप्य भाड़ा प्रभार, किन्तु इसमें किसी करार के भंग के लिये अर्थदण्ड, क्षतिपूर्ति अथवा नुकसानी के रूप में देय कोई धनराशि शामिल नहीं है;

(ग) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में अन्तरण के सम्बन्ध में ऐसी संकर्म संविदा के निष्पादन के लिये किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त या देय मूल्यवान प्रतिफल, जिसमें से श्रम और ऐसे अन्य प्रभारों को जो विहित किये जायें, दर्शाने वाली वास्तविक धनराशि को घटा कर, किन्तु इसमें किसी करार के भंग के लिये अर्थदण्ड, क्षतिपूर्ति अथवा नुकसानी के रूप में कोई धनराशि शामिल नहीं है;

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या सीमा शुल्क अधिनियम,1962 या उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910, जैसा कि उत्तरांचल में लागू है, के अन्तर्गत ऐसे माल की बन्धित भाण्डागार से निकासी के समय संदत्त या देय शुल्क, चाहे ऐसा शुल्क विक्रेता द्वारा या उनकी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदत्त या देय हो, की धनराशि;

(ङ) संवेष्टन सामग्री जिसमें विक्रीत माल पैक किया जाता है, की कीमत;

(43) "विशेष प्रवर्ग का माल" से इस अधिनियम की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट ऐसा माल अभिप्रेत है जिस पर आयातकर्ता या विनिर्माता के विन्दु पर कर देय है;

(44)"राज्य" से उत्तरांचल राज्य अभिप्रेत है;

(45)"राज्य सरकार" से उत्तरांचल राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(46)"कर"से इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथा उपबन्धित विक्रय धन पर देय वास्तविक कर की धनराशि के बदले एक मुश्त धनराशि (समाधान धनराशि) और विलोम इनपुट टैक्स जमा राशि भी सम्मिलित है;

(47) "कर अवधि" से एक कलैण्डर माह, एक वर्ष की एक तिमाही या एक वर्ष, या उसका भाग, जैसा कि विहित किया गया हो, अभिप्रेत है;

(48)"कराधेय आवर्त" से ऐसा आवर्त अभिप्रेत है जिस पर कोई व्यौहारी उसकी कुल आवर्त से ऐसी कटौतियों को और ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाये, घटाने के पश्चात् यथा अवधारित कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा;

(49)"परिवहनकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कारबार के प्रयोजन से अथवा इससे सम्बन्धित अथवा इससे प्रासंगिक अथवा इसके अनुक्रम में माल परिवहन करता है या परिवहन करवाता है अथवा किसी व्यक्ति के लिये परिवहन से पूर्व अथवा इसके पश्चात अपने संरक्षण में रखता है। इसमें रेलवे, पोत परिवहन कम्पनी, वायु सामान सेवा और कोरियर सेवा सम्मिलित है;

(50)"विक्रय आवर्त" से वह कुल धनराशि अभिप्रेत है, जिसके लिये किसी व्यौहारी द्वारा या तो स्वयं या दूसरे के द्वारा, अपने लेखे में या दूसरों के लेखे में, नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल का विक्रय, सम्भरण या वितरण किया जाय;

स्पष्टीकरण 1: इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु विक्रय आवर्त में कोई ऐसी रकम भी सम्मिलित होगी जिसे विक्रय या सम्भरण के समय या उसके परिदान के समय या

इससे पूर्व व्यौहारी द्वारा किये गये किसी काम के लिये प्रभारित किया जाये, किन्तु इसमें कृषि या उद्यान–कृषि उत्पाद की विक्रय कीमत सम्मिलित नहीं होगी जिस उपज को किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वामित्व वाली अथवा पट्टा, भोग बन्धक या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुज्ञात किसी अन्य हैसियत द्वारा धारित भूमि पर कृषि या उद्यान कृषि करके प्राप्त किया गया है, लेकिन कृषि या उद्यान कृषि की अभिव्यक्ति में ऐसा टिम्बर या खड़े वृक्ष, विनिर्मित चाय या कोई अन्य उपज जो कटाई के पश्चात् विनिर्माण या प्रसंस्करण के अध्यधीन हो, सम्मिलित नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 2: विक्रय आवर्त से–

(क) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में स्वामित्व के अन्तरण के सम्बन्ध में मूल्यवान प्रतिफल की रकम अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को ऐसे संकर्म संविदा के निष्पादन के लिये संदत्त या देय है;

(ख) अवक्रय या किश्तों में भुगतान की किसी अन्य प्रणाली के अन्तर्गत माल के परिदान के सम्बन्ध में, मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को ऐसे परिदान हेतु संदत्त या देय है;

(ग) किसी प्रयोजन के लिये माल के उपयोग करने के अधिकार (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) के अन्तरण के सम्बन्ध में, मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है जो ऐसे अन्तरण के लिये प्राप्त की गयी है अथवा प्राप्य है;

स्पष्टीकरण 3: ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों, यदि कोई हो, जो इस निमित्त विहित किये जायें, के अधीन रहते हुए–

(क) उस धनराशि में जिसके लिये माल विक्रय या क्रय किया जाता है, ऐसी पैकिंग सामग्री की कीमत जिसमें वह पैक किये जाये और ऐसी कोई रकमें भी सम्मिलित होंगी जिन्हें विक्रय हुये माल के सम्बन्ध में माल के परिदान के समय या पूर्व व्यौहारी द्वारा किये गये किसी काम के लिये लिया गया हो, सिवाय भाड़े या माल के परिदान की लागत के अथवा संस्थापन की लागत या माल के विक्रय या क्रय पर कर के रूप में वसूल की गयी धनराशि के, जबकि ऐसी लागत या धनराशि पृथक रूप से प्रभारित की गई हो;

(ख) किसी विक्रय के सम्बन्ध में कीमत पर अनुज्ञात कोई नकद या अन्य कटौती की रकम और ग्राहकों द्वारा लौटायी गयी वस्तुओं के सम्बन्ध में वापस की गयी कोई रकम विक्रय आवर्त में सम्मिलित नहीं होगी; और

(ग) यदि किसी विशेष ग्राहक की सुविधा के लिये कोई व्यौहारी किसी अन्य व्यौहारी से माल अभिप्राप्त करे और तुरन्त उस माल का बिना लाभ लिये उक्त ग्राहक के हाथ विक्रय कर दे, तो ऐसे माल से सम्बन्धित विक्रय केवल उपर्युक्त दूसरे व्यौहारी के ही विक्रय आवर्त में सम्मिलित किया जायेगा;

(51)"क्रयआवर्त" से उसके सजातीय पदों सहित किसी व्यौहारी द्वारा क्रय आवर्त के सम्बन्ध में संदत्त या देय क्रय कीमत की कुल धनराशि अभिप्रेत है जो उसके द्वारा स्वयं अथवा उसके माध्यम से किये गये क्रय की धनराशि है चाहे वह नकद या

आस्थगित भुगतान द्वारा की गयी है और इसमें से वह धनराशि, यदि कोई हो, घटा दी जायेगी जो ऐसी अवधि, जो विहित की जाये, के भीतर वापस किये गये माल के सम्बन्ध में व्यौहारी को विक्रेता व्यौहारी द्वारा वापस की गई है;

(52)"यान" से पहिये वाला प्रत्येक वाहन अभिप्रेत है जो एकमात्र या सवारियों के साथ माल के वहन के लिये प्रयोग किया जाता है और इसमें कोई , औटोवाहन, कोई साईकिल, कोई हस्तचालित या पशुचालित यान, बोझा ढोने वाला कोई पशु, कोई रिक्शा या माल ढोने वाला कोई व्यक्ति भी शामिल है;

(53)"माल की कीमत" से क्रय बीजक/ बिल के आधार पर यथा अभिनिश्चित कीमत अभिप्रेत है जिसमें बीमा प्रभार, उत्पाद शुल्क, काउण्टरवेलिंग शुल्क, विकयकर, परिवहन प्रभार, भाड़ा प्रभार और माल के सम्व्यहारों के आनुषंगिक अन्य सभी प्रभार भी सम्मिलित हैं:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ पर क्रय बीजक/ बिल प्रस्तुत नही किये गये हैं या जहाँ पर माल क्रय से भिन्न अन्यथा अर्जित या अभिप्राप्त किया गया है, वहाँ माल की कीमत वह कीमत होगी जिस पर इसी प्रकार और गुणवत्ता का माल खुले बाजार में विक्रय किया जाता है या विक्रय किये जाने लायक है;

(54)''जलयान'' में कोई जलपोत, नौका, नाव, बेड़ा, टिम्बर, बॉस या किसी भी रीति से नोदित तैरने वाली सामग्री सम्मिलित है;

(55)"संकर्म संविदा" में नकद, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के लिये, किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के सन्निर्माण, निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण, परिनिर्माण, लगाने, सज्जीकरण, सुधार, परिष्कार, मरम्मत या चालू करने के लिये कोई करार भी है;

(56)"वर्ष" से 1 अप्रैल को प्रारम्भ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(57)"प्रारम्भ का वर्ष" से वह कर निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख पड़ती है।

अध्याय –II

कर भार, कर आरोपण और कर की दरें

3: कर भार:

(1) किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत कर आरोपित एवं जायेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों के अर्न्तगत पंजीकृत है अथवा पंजीयन योग्य है एक कराधेय व्यक्ति होगा और अधिनियम में उपबन्धित रीति के अर्न्तगत कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(3) उपधारा (4) अथवा उपधारा (5) जैसा कि लागू हो, के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक व्यौहारी या व्यक्ति जिस तारीख से वह इस प्रकार दायी होता है, प्रत्येक करनिर्धारण वर्ष के लिये कर देयता की तारीख अथवा इसके बाद राज्य के अन्दर यथास्थिति अपने समस्त विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त, जो विहित रीति से अवधारित किया जायेगा, पर इस अधिनियम की धारा 4 के द्वारा अथवा उसके अधीन यथाउपबन्धित दरों पर कर का भुगतान करेगा।

(4) जहाँ कोई व्यौहारी अधोलिखित कोई कारबार करता है –

(क)किसी कराधेय माल का अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय, या

(ख)किसी कराधेय माल का भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय, या

(ग)किसी कराधेय माल को राज्य के बाहर किसी स्थान पर परिदान हेतु भेजना, या

(घ)राज्य के बाहर से क्रय किये गये या प्राप्त किसी कराधेय माल का विक्रय, या

(ड)उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 या इस अधिनियम के अधीन विहित किसी घोषणा या प्रमाणपत्र का प्रपत्र दे कर कराधेय माल का क्रय, या

(च)कराधेय माल का क्रय या विक्रय यदि ऐसा व्यौहारी उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948)अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पहले से पंजीकृत है और इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात ऐसे पंजीयन को चालू रखना चाहता है या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन प्रदान किये जाने हेतु आवेदन करता है, और

(i)यदि ऐसा व्यौहारी ठीक पूर्ववर्ती करनिर्धारण वर्ष में कारबार चला रहा था और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को जारी रखता है, तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर के भुगतान के लिये दायी होगा; और

(ii)यदि ऐसा व्यौहारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से अथवा इसके बाद कारबार प्रारम्भ करता है, तो वह उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा जब किसी कर निर्धारण वर्ष में ऊपर (क)से (च)में से कोई घटना प्रथमवार घटित हो।

(5) जहाँ किसी व्यौहारी ने माल का क्रय और /या विक्रय का कारबार केवल राज्य के अन्दर किया है और किसी क्रय या विक्रय के सम्बन्ध में इस अधिनियम या उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 या उनके अधीन बनाये गये नियमों या जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन विहित किसी घोषणा का प्रपत्र या प्रमाणपत्र न तो जारी किया गया है और न प्राप्त किया गया है, और कारबार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को चालू रहता है, और

(क) यदि ऐसे व्यौहारी ने ठीक पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में पूरे वर्ष अथवा वर्ष में अंशतः कारबार किया है और अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को कारबार चालू रहता है, और

(i)पूर्ववर्ती वर्ष में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अनुरूप उसके आवर्त का कुल योग पूरे वर्ष के मामले में उपधारा (7) में विहित धनराशि से अधिक अथवा वर्ष के भाग के मामले में आनुपातिक धनराशि से अधिक होता है, तो वह अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा; या

(ii) यदि इस अधिनियम के से प्रारम्भ होने वाली तारीख से वर्ष के प्रथम, दिन की तारीख तक उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अनुरूप उसके आवर्त का कुल योग उपधारा (7) में विहित धनराशि की आनुपातिक धनराशि से अधिक होता है, तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा; या

(iii) यदि ऐसा व्यौहारी ऊपर खण्ड (क) (i) और (ii) के अधीन अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से कर के लिये दायी नहीं हो तो वह उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा जिस तारीख से किसी करनिर्धारण वर्ष में उसका कुल आवर्त प्रथम बार करायेय मात्रा (Taxable Quantum) से अधिक हो जाता है; या

(iv) यदि ऐसा व्यौहारी उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 या केन्द्रीय विक्रयकर अधियनियम, 1956 के अन्तर्गत पहले ही पंजीकृत है और इसको स्वैच्छिक रूप से रखना चाहता है, तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से कर का भुगतान करने का दायी होगा;

(ख) यदि ऐसा ब्यौहारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के वर्ष में प्रथम तारीख या इसके बाद की किसी तारीख से, लेकिन अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व, कारबार प्रारम्भ करता है, और

(i) कारोबार प्रारम्भ करने की तारीख से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख तक उसके आवर्त का कुल योग कराधेय मात्रा की आनुपातिक धनराशि से अधिक हो जाता है, तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर का भुगतान करने का दायी होगा ;

(ii) यदि ऐसा ब्यौहारी ऊपर उपखण्ड (i) के अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी नहीं है, तो वह उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा जब कारबार प्रारम्भ करने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और कर निर्धारण वर्ष की अन्तिम तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में उसके आवर्त का कुल योग प्रथम बार कराधेय मात्रा की आनुपातिक धनराशि से अधिक होगा,

(ग) (i) यदि ऐसा ब्यौहारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को या इसके पश्चात् अधिनियम प्रारम्भ होने के वर्ष में अथवा पश्चात्वर्ती किसी करनिर्धारण वर्ष में अपना कारबार प्रारम्भ करता है, तो वह उस प्रथम करनिर्धारण वर्ष में उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा जब कारबार प्रारम्भ करने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और करनिर्धारण वर्ष की अन्तिम तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में उसके आवर्त का कुल योग प्रथम बार कराधेय मात्रा की आनुपातिक धनराशि से अधिक होगा।

(ii) यदि ऐसा ब्यौहारी ऊपर उपखण्ड (i) के अनुसार कारबार प्रारम्भ करने वाले वर्ष में कर का भुगतान करने के लिये दायी नहीं होगा, तो वह उस प्रथम कर निर्धारण वर्ष में कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा जिसमें उसके आवर्त का कुल योग कराधेय मात्रा से अधिक होगा और वह उस तारीख से कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा जब उसका आवर्त प्रथम बार अधिक होगा।

(6) जहाँ इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा यह पाया जाता है कि कोई ब्यौहारी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति इस प्रकार पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिये था और पंजीयन प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाता है, तो इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा व्यक्ति अपने पंजीयन के प्रारम्भ होने की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और ऐसे आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिये, कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा मानो वह एक ब्यौहारी था।

(7) कराधेय मात्राः (क) कोई ब्यौहारी, इस उपधारा के खण्ड (ड) के अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (3) के अधीन कर का दायी नहीं होगा, यदि कर निर्धारण वर्ष के दौरान उसके समस्त माल के आवर्त का, कुल योग, चाहे ऐसा विक्रय

व्यौहारी द्वारा सीधे या अपनी शाखा के माध्यम से, डिपो या राज्य के अन्दर अपने अभिकर्ता द्वारा, या अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान, या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान या राज्य के बाहर प्रेषण द्वारा किया गया है, इसमें आगे उल्लिखित धनराशि से कम है–

(i) विक्रय के लिये किसी माल के विनिर्माता या उत्पादक के मामले में	5लाख रूपये
(ii) संकर्म संविदा के निष्पादन के मामले में	5 लाख रूपये
(iii) माल के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के मामले में	5 लाख रूपये
(iv) किसी अन्य कारबार में लगे हुए व्यौहारियों के मामले में	5लाख रूपये

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित करके, किसी माल के सभी व्यौहारियों के सम्बन्ध में अथवा किसी विशेष वर्ग के व्यौहारियों के सम्बन्ध में अधिक धनराशि नियत कर सकेगी।

(ख)खण्ड (क) की कोई बात –

(i) व्यौहारी द्वारा उत्तरांचल के बाहर से आयात किये गये ऐसे माल का विक्रय जिसका आवर्त इस अधिनियम के अधीन कराधेय हो,

(ii) किसी व्यौहारी द्वारा –

(अ) केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन विक्रेता व्यौहारी को घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उसके द्वारा उत्तरांचल के बाहर से आयात किये गये माल;

(आ) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन विहित कोई घोषणा–पत्र या प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके, क्रय किये गये या आयात किये गये किसी माल;

(इ) ऊपर उपखण्ड (अ) या उपखण्ड (आ) में विनिर्दिष्ट माल का उपयोग करके उसके द्वारा विनिर्मित माल,के विक्रय, के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(ग) जब खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट या इसके अधीन अधिसूचित धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में परिवर्तित कर दी जाय, तब किसी व्यौहारी द्वारा इस धारा के अधीन देय कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी, अर्थात–

(i)ऐसे परिवर्तन के पूर्व की अवधि से सम्बन्धित आवर्त पर, मानो खण्ड (क) मे विनिर्दिष्ट या उसके अधीन अधिसूचित धनराशि परिवर्तित न की गई हो; और

(ii) शेष धनराशि पर, मानो परिवर्तित धनराशि सभी तात्विक तारीखों पर प्रवृत्त रही हो,

(घ) जब कमीशन अभिकर्ता द्वारा उसके कर्ता की ओर से किसी आवर्त पर कर देय हो और उसका भुगतान कर दिया गया हो, तो कर्ता ऐसे आवर्त के सम्बन्ध में कर का दायी नहीं होगा।

(ङ)(i) कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार प्रारम्भ करने वाला प्रत्येक व्यौहारी, उस वर्ष में उस तारीख जब कारबार प्रारम्भ करने की तारीख से उसके विक्रयधन का

कुल योग कराधेय मात्रा से प्रथमवार अधिक होगा, के ठीक आगामी दिन से कर भुगतान के लिये दायी होगा;

(ii) कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार बन्द करने वाला प्रत्येक ब्यौहारी उस तारीख तक कर भुगतान के लिये दायी होगा यदि कर निर्धारण वर्ष प्रारम्भ होने के प्रथम दिन से कारबार बन्द करने की तारीख तक की अवधि में उसके आवर्त का कुल योग कराधेय मात्रा की आनुपातिक धनराशि से अधिक होगा।

स्पष्टीकरण: किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संगम का विघटन अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन अथवा किसी ब्यौहारी द्वारा अपने कारबार का अंतरण इस उपधारा के अर्थ में कारबार का बन्द किया जाना माना जायेगा।

(8) इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के दायित्व का अवधारण करने के लिये सकल आवर्त की गणना के प्रयोजन हेतु–

(क)जैसा अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबन्धित हो उसके सिवाय, समस्त विक्रय (चाहे कराधेय हो, अथवा नही) का आवर्त और जैसी भी स्थिति हो, समस्त क्रय आवर्त जिस पर इस धारा की उपधारा (10) के उपबन्धों के अधीन कर देय है, को सम्मिलित किया जायेगा,

(ख)आवर्त में ब्यौहारी द्वारा अपने खाते में और अपने कर्ता (चाहे घोषित हो या न हो) के खाते में भी किया गया समस्त विक्रय और ऐसा क्रय सम्मिलित होगा।

(9)कराधेय आवर्त :

(क) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन कर भुगतान के लिये दायी ब्यौहारी पर देय कर उसके कराधेय आवर्त पर आरोपित किया जायेगा।

(ख) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन माल के विक्रय पर कर भुगतान के लिये दायी ब्यौहारी के सम्बन्ध में कराधेय आवर्त किसी अवधि में सकल आवर्त का वह भाग होगा जो उसमें से निम्नलिखित को घटाकर बाकी रहेगा–

(अ) अनुसूची–I में कर से छूट प्राप्त घोषित माल का विक्रय–

(आ)ऐसे माल का विक्रय जो,करनिर्धारक प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में,

(i) अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान, या

(ii)उत्तरांचल राज्य के बाहर विक्रय के रूप से अन्यथा; या

(iii) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान किया गया है

स्पष्टीकरण: यह अवधारित करने के लिये कि कोई विशिष्ट विक्रय या क्रय उपखण्ड (अ)(i) उपखण्ड (आ) (ii) और उपखण्ड (आ) (iii) में उपदर्शित रीति के अनुरूप हुआ अथवा नहीं, केन्द्रीय विकयकर अधिनियम , 1956 की धारा 3, धारा 4 और धारा 5 लागू होगी।

(ग)संकर्म संविदा के मामलें में विक्रय आवर्त में ऐसी धनराशियाँ जो विहित की जाये और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन जो अधिरोपित की जाये,

(घ) ऐसा अन्य विक्रय जो विहित किया जाय और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन जो अधिरोपित की जाये,

(10) कतिपय परिस्थितियों में क्रय पर कर :

प्रत्येक व्यौहारी जो अपने कारबार के दौरान माल का ऐसा क्रय करता है जो–

(क)एक पंजीकृत व्यौहारी से ऐसी परिस्थिति में किया गया है जिसमें उस पंजीकृत व्यौहारी द्वारा ऐसे माल के बिक्रय कीमत पर इस अधिनियम के अर्न्तगत कोई कर देय नहीं है; या

(ख)पंजीकृत व्यौहारी से भिन्न किसी व्यक्ति से की गई है और ऐसे माल के विक्रय पर कर बिक्रेता पर उदग्रहीत नहीं किया जा सकता है चाहे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध की दृष्टि में या बिक्रेता व्यौहारी ने, कर का दायी होने पर भी, पंजीयन प्राप्त नहीं किया है;

तो वह ऐसे माल की क्रय कीमत पर कर का दायी होगा, यदि–

(i) माल का विक्रय उत्तरांचल राज्य के भीतर या अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान नहीं किया गया है; या

(ii) माल का इस अधिनियम के अधीन कर मुक्त माल के विनिर्माण में उपभोग या उपयोग किया गया है; या

(iii)माल का उपभोग या उपयोग माल के विनिर्माण में किया गया है और ऐसे विनिर्मित माल का व्ययन उत्तरांचल राज्य के भीतर या अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न किया गया है; या

(iv)माल का अन्यथा उपयोग या उपभोग किया गया है,

और ऐसा कर उसी दर से आरोपित किया जायेगा जिस पर ऐसे माल की राज्य के अन्दर क्रय की तारीख पर इस अधिनियम के अधीन माल के विक्रय पर आरोपित किया गया होता:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि माल का क्रय किसी कमीशन अभिकर्ता के माध्यम से किया जाता है चाहे कर्ता राज्य में निवास करता हो या राज्य के बाहर, तो कमीशन अभिकर्ता कर के भुगतान के लिये दायी होगा और वह उसे कर्ता से वसूल कर सकेगा।

4: कर की दर:

(1)इस अधिनियम के अधीन किसी व्यौहारी द्वारा देय कर उसके कराधेय आवर्त पर उपधारा (2) के अधीन अनुसूचियों में विहित दर से आरोपित किया जायेगा, परन्तु

(क) घोषित माल के सम्बन्ध में केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 15 में तत्समय विनिर्दिष्ट अधिकतम दर, और

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में पचास प्रतिशत से अनधिक होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी माल के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के मामले में ऊपरोक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में कर की दर बीस प्रतिशत से अनधिक होगी।

(2) (क) अनुसूची– I में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय एवं क्रय पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर देय नहीं होगा;

(ख) धारा 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई व्यौहारी अपने कराधेय विक्रय आवर्त पर कर का भुगतान करने के लिये निम्न प्रकार दायी होगा–

(i) विक्रयके प्रत्येक विन्दु पर इसमें आगे उपबन्धित दर पर–

(अ) अनुसूची –II (क) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में	1प्रतिशत
(आ) अनुसूची– II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में	4 प्रतिशत
(इ) अनुसूची–II (ग) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में	उसमें विनिर्दिष्ट दर पर
(ई) किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में	12.5 प्रतिशत
(ii) अनुसूची –III में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल के सम्बन्ध में विनिर्माता या आयातकर्ता के द्वारा विक्रय के बिन्दु पर	उसमें विनिर्दिष्ट दर पर

(ग) अनुसूची–IV में विनिर्दिष्ट व्यौहारी या व्यक्ति को या उनके द्वारा किये गये माल का विक्रय, पूरे या आंशिक कर, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, से मुक्त होगा;

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान किया गया कोई विक्रय जैसा कि केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट है, जीरो–रेटेड होगी जिसका अर्थ है कि ऐसे संव्यवहार के आवर्त पर कोई कर देय नहीं होगा और निर्यातकर्त्ता इस प्रकार निर्यातित माल के क्रयपर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय का हकदार होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि विशेष आर्थिक जोन(स्पेशल इकोनोमिक जोन में स्थापित इकाइयां घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डोमेस्टिक टैरिफ एरिया) से किये गये अपने क्रयपर संदत्त कर के प्रतिदाय की हकदार होंगी;

(ड)अनुसूची–V में सूचीबद्ध कोई भी व्यक्ति या व्यौहारी या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अपने कराधेय माल के क्रय पर संदत्त कर के प्रतिदाय का हकदार होगा।

(च) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है, वह अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो व निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, किसी माल के विक्रय या क्रय पर देय कर की पूर्ण रकम तक रिबेट अनुज्ञात कर सकती है,जब ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर किसी अन्य राज्य अधिनियम के अधीन कर आरोपणीय है और यदि यह साबित हो जाता है कि किसी विक्रय और/या क्रय का आवर्त उस अधिनियम के अधीन कर आरोपित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के समक्ष घोषित कर दिया गया है।

(3) (क) जब माल डिब्बों में विक्रय या क्रय किया जाता है या उन्हे किसी पैंकिग सामग्री में, तो ऐसे डिब्बे या पैंकिंग सामग्री पर, जैसी भी स्थिति हो, लागू कर की दर चाहे डिब्बे या पैंकिंग सामग्री की कीमत अलग से प्रभारित की गई है अथवा नहीं, वही होगी जो डिब्बे और पैंकिंग सामग्री में पैक किये गये माल पर लागू है तथा डिब्बे और पैकिंग सामग्री का आवर्त ऐसे माल के आवर्त में सम्मिलित होगा।

(ख)जहाँ डिब्बे और पैंकिंग सामग्री में पैक किये गये माल का विक्रय करमुक्त है, तब ऐसे डिब्बे या पैंकिग सामग्री का विक्रय भी करमुक्त होगा।

(4) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भिन्न भिन्न माल के बाबत भिन्न भिन्न दरें घोषित कर सकेगी या इस अधिनियम में किसी अनुसूची को जोड़ या हटा सकेगी या किसी भी अनुसूची में परिवर्धन, संशोधन या परिवर्तन कर सकेगी।

(5) प्रत्येक व्यौहारी विहित रीति द्वारा अवधारित अपने शुद्ध आवर्त पर –

(क) किसी माल के किसी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो)उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के सम्बन्ध में 4 प्रतिशत की दर से; और

(ख) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में)में सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में ऐसी दर से जैसा कि ऊपर उपधारा (2) के अधीन उपबन्ध किया जाय, कर का भुगतान करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई माल संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त हो और ऐसे माल पर राज्य के अन्दर पूर्ववर्ती विक्रय या क्रय पर धारा 3 के उपबन्धों के अधीन धारा 4 की उपधारा (2) में विहित दर पर कर का भुगतान किया गया है, तो संकर्म संविदा के अन्तर्गत सकल आवर्त में से ऐसे माल की क्रय कीमत को घटा दिया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह और है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भिन्न–भिन्न माल या व्यौहारियों के भिन्न–भिन्न वर्गों के लिये भिन्न–भिन्न दरें घोषित कर सकती है जो ऊपर उपधारा(1) के अधीन सीमाओ से अनधिक हो।

(6) कतिपय क्रय या विक्रयों पर कर से रिबेट:

(क)सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना चाहे किसी माल के क्रय या विक्रय पर या उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के व्यौहारियों या व्यक्तियों को या उनके द्वारा किये गये किसी क्रय या विक्रय पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर को पूरा या आंशिक करमुक्त कर सकती है, और इस धारा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना किसी भी तारीख जो अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व नहीं होगी, से भूतलक्षी रूप से जारी की जा सकती है, और ऐसी छूट अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से या उसमें उल्लिखित किसी अन्य पूर्ववर्ती या बाद की तारीख,से प्रभावी होगी।

(ख) जहाँ किसी ब्यौहारी द्वारा या व्यक्ति द्वारा किसी माल का क्रय इस धारा के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के अधीन दिये गये किसी घोषणापत्र या प्रमाणपत्र को दे कर किया गया है, और–

(i) किसी भी शर्त जिसके अधीन रहते हुए ऐसी करमुक्ति प्रदान की गयी है, या

(ii)घोषणापत्र या प्रमाणपत्र के किसी भी निबन्धन या शर्त का अनुपालन, चाहे कुछ भी कारण हो, नहीं किया जाता है, तो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति ऐसे माल की विक्रय कीमत पर धारा 4 के अधीन अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा इस बात के होते हुए भी कि वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर भुगतान करने का दायी है या नहीं और तदनुसार ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति जो इस उपधारा के अधीन कर भुगतान करने का दायी हो गया है, विहित रीति के अनुसार विवरणी, ऐसे माल की बिक्रय कीमत को दर्शाते हुए दाखिल करेगा और कर का भुगतान भी करेगा। ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति पर शोध्य कर निर्धारित किया जायेगा एवं उसकी वसूली की जायेगी मानो यह व्यक्ति या ब्यौहारी एक ऐसा ब्यौहारी है जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये दायी है।

(ग) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति या ब्यौहारी उपधारा (2) के अधीन कर भुगतान करने के लिये दायी है, तो करनिर्धारक प्राधिकारी, उसको, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, इस प्रकार शोध्य कर की रकम का निर्धारण करेगा।

(7) कुछ विनिर्माताओं को विशेष राहतः

(क) धारा 3 और/या इस धारा में किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई कराधेय माल किसी ब्यौहारी द्वारा किसी अन्य ब्यौहारी को बेच दिया जाय और ऐसा अन्य ब्यौहारी विक्रेता ब्यौहारी को नियत प्रपत्र में और रीति से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके पास उसके सम्बन्ध में खण्ड(ख) के अधीन जारी किया गया मान्यता प्रमाणपत्र है, तो विक्रेता ब्यौहारी ऐसे माल के सम्बन्ध में विर्निदिष्ट की गई शर्तों और निर्बन्धनों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, के अधीन रहते हुऐ 4प्रतिशत की दर से कर का देनदार होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा माल कर से मुक्त या कर की ऐसी दर जो 4प्रतिशत से कम है, के अध्यधीन है, तो कर शून्य होगा या, जैसी भी दशा हो, गणना कम दर से की जायेगी।

स्पष्टीकरणः इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कर के सम्बन्ध में रियायती या कर से मुक्ति देने के लिये निर्दिष्ट की जा सकने वाली शर्तों और निर्बन्धनों के अन्तर्गत यह भी अपेक्षा हो सकती है कि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिसूचित माल उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4क के अधीन आच्छादित विनिर्माता इकाई में विनिर्मित किया जायेगा जिसमें ऐसी तारीख के पश्चात, जो तारीख इस उपधारा के अधीन सूचना की तारीख से पूर्व या

पश्चात हो सकती है, उत्पादन प्रारम्भ करता है, और ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाय, विनिर्मित हो।

(ख) यदि किसी व्यौहारी को उपधारा (क)में निर्दिष्ट कोई माल किसी माल का प्रदेश में विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिये या उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत ऐसे माल की पैकिंग मे प्रयोग के लिए अपेक्षित हो और उसका ऐसे माल को राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत से बाहर निर्यात करने के दौरान बेचने का अभिप्राय हो तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी को, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाय, इसकी बाबत मान्यता प्रमाणपत्र दिये जाने के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि आवेदक विलम्ब फीस जमा करने की अपेक्षा को सम्मिलित करते हुए सभी अपेक्षाओं और शर्तों को जो विहित की जाय पूरा करता हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे माल के सम्बन्ध में व्यौहारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो विहित की जाय, मान्यता प्रमाणपत्र देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक व्यौहारी जिसके पास उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4ख के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र था और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख तक उसको न तो करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है और न ऐसे व्यौहारी द्वारा कारबार बन्द कर दिया है, तो वह इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से उसे इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र धारक समझा जायेगा, और यदि ऐसा कोई व्यौहारी इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र धारक बने रहने का इच्छुक नहीं है, तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर इस आशय का आवेदन करनिर्धारक प्राधिकारी को देगा।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए विनिर्माण में प्रयोग के लिए अपेक्षित "माल" से पूंजीगत माल और कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री, उपभोज्य स्टोर, फालतू पुर्जे, सहायक सामान, संघटक उप–समुच्चय, ईंधन या स्नेहक और ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग में प्रयुक्त माल अभिप्रेत है, और

(ग)(i) जहाँ करनिर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यौहारी ने, जिसके पक्ष में किसी माल के सम्बन्ध में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र दिया गया था–

(कक) कारबार या अधिसूचित वस्तुओं जिनके सम्बन्ध में मान्यता प्रमाणपत्र दिया गया था, का विनिर्माण बन्द कर दिया गया है; या

(कख) मान्यता प्रमाणपत्र की किसी शर्त को भंग किया गया है; या

(कग) धारा 20 के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति नहीं दी है; या

(कघ) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर, अर्थदण्ड या अन्य देयों का भुगतान, ऐसे कर, अर्थदण्ड या अन्य देयों के देय होने की तारीख से तीन माह के भीतर नहीं किया गया है,

तो ऐसा प्राधिकारी मान्यता प्रमाणपत्र को या तो स्वतः अथवा व्यौहारी द्वारा आवेदन दिये जाने पर ऐसीतारीख से जो वह विनिर्दिष्ट करे, रद्द कर सकता है।

स्पष्टीकरण: किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संगम का विघटन या पुनर्गठन अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन अथवा किसी व्यौहारी द्वारा अपने कारबार का अंतरण इस उपधारा के अर्थ के अर्न्तगत कारबार का बन्द किया जाना माना जायेगा।

(ii) कर निर्धारक प्राधिकारी खण्ड (ख) के अधीन दिये गये मान्यता प्रमाणपत्र को या तो स्वतः या व्यौहारी द्वारा आवेदन दिये जाने पर उस दशा में जब व्यौहारी ने अपने कारबार के नाम या स्थान में परिर्वतन कर दिया हो अथवा किसी शाखा को बन्द कर दिया हो या कोई नयी शाखा खोल ली हो अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से, संशोधित कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा स्वतः मान्यता प्रमाणपत्र न तो रद्द किया जायेगा और न संशोधित किया जायेगा जब तक कि व्यौहारी को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाय।

(घ) यदि किसी व्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो, कर का भुगतान किये बिना माल क्रय किया हो, और ऐसे माल का प्रयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो, तो ऐसा व्यौहारी दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का, जो कर निर्धारक प्राधिकारी नियत करे, दायी होगा जो इस उपधारा के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर कर की धनराशि और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अन्तर से कम न होगी किन्तु ऐसे अन्तर की धनराशि के तीन गुने से अधिक न होगी।

(ड) यदि किसी व्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाण–पत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो, कर का भुगतान किये बिना माल खरीदा हो, और ऐसे कच्चे माल या प्रसंस्कृत सामग्री से निर्मित विशेष प्रवर्ग के माल या ऐसी संवेष्ठन सामग्री के साथ पैक किये जाने के पश्चात निर्मित माल राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है, तो ऐसा व्यापारी दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का देनदार होगा जो इस उपधारा के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर या खरीद पर कर की धनराशि और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धो के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अन्तर के बराबर हो।

(च) यह अवधारित करने के लिए कि कोई विक्रय या क्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, राज्य के भीतर या भारत से बाहर निर्यात के दौरान हुआ है या नही, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की क्रमशः धारा 3, धारा 4 और धारा 5 लागू होगी।

(छ) इस धारा के अधीन कोई अर्थदण्ड तब तक अधिरोपित नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(ज) उन्हीं तथ्यों के सम्बन्ध में जिनके आधार पर इस उपधारा के अधीन अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, धारा 58 के अधीन कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जायेगा।

(8)विनिर्दिष्ट माल जिस पर कर अधिकतम फुटकर कीमत(एम0आर0पी0) पर देय होगा:

(क)जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है, वह अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों व निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यौहारियों को ऐसे माल जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जायें, की बिक्री पर वास्तविक विक्रय कीमत के बदले में अधिकतम फुटकर कीमत(एम0आर0पी0) पर सुसंगत अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से कर के भुगतान के लिये निदेशित कर सकती है।

(ख)उक्त खण्ड(क)के अधीन एम0आर0पी0 पर कर का भुगतान करने वाला कोई व्यौहारी विक्रय बीजक में वास्तविक विक्रय कीमत का उल्लेख करने के अतिरिक्त एम0आर0पी0 जिस पर कर प्रभारित किया गया है, को भी अलग से उपदर्शित करेगा और बीजक पर सबसे ऊपर "एम0आर0पी0पर कर के लिये विक्रय बीजक" भी मुद्रित किया जायेगा

(ग)ऐसा माल जिस पर कर का भुगतान एम0आर0पी0 पर किया जा चुका है, की खरीद करने वाला कोई व्यौहारी न तो ऐसी खरीद पर इनपुट टैक्स के लाभ का हकदार होगा और न ऐसे माल की बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(घ)जहाँ सरकार की ऐसी राय हो कि उपरोक्त उपबन्धों के अधीन ऐसी कोई योजना अब आगे जारी रखना लोक हित में नहीं है, तो वह अधिसूचना द्वारा किसी भी समय ऐसी योजना वापस ले सकती है, और उसके बाद कर का भुगतान अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन देय होगा।

स्पष्टीकरण: शब्द प्रयोग "एम0आर0पी0 (अधिकतम फुटकर कीमत)" से माल के पैकेट या उसके लेबल पर मुद्रित कीमत या माल की विनियमित कीमत, यदि कोई हो, अभिप्रेत है

(9) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, जो कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त चलें, रखी जायेगी और जब तक कि कोई बाद की तारीख विहित न की जाये, गजट में प्रकाशित होने की तारीख से, ऐसे उपान्तरणो या वातिलीकरणों के अधीन रहते हुए, जो राज्य विधान सभा उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हो, प्रभावी होगी, किन्तु इस प्रकार का कोई उपान्तरण या वातिलीकरण सम्बद्ध अधिसूचना के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, सिवाय इस बात के कि कर या अर्थदण्ड का आरोपण, निर्धारण, लगाया जाना अथवा वसूल किया जाना उक्त उपान्तरण या वातिलीकरण के अधीन होगा।

(10) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 76 के उपबन्धों के अधीन औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत कर के भुगतान के लिये अधिस्थगन स्वीकृत कर सकती है।

5: देय शुद्ध कर :

(1) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी कर अवधि के लिये देय शुद्ध कर निम्न सूत्र द्वारा अवधारित किया जायेगा –

देय शुद्ध कर = (अ+आ)–इ

जहाँ 'अ' आउट पुट टैक्स है जो नीचे उपधारा (2) के अनुसार देयकर का योग है; और

"आ" धारा 3 की उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन उक्त कर अवधि के लिये क्रय पर कर है; और

"इ" इनपुट टैक्स है जो धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और नीचे उपधारा (3) के अनुसार देय कर का योग है।

(2) आउट पुट टैक्स : (क) किसी पंजीकृत ब्यौहारी के सम्बन्ध में आउटपुट टैक्स से ब्यौहारी द्वारा अपने कारबार के दौरान कराधेय माल के विक्रय या सम्भरण के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन प्रभारित अथवा प्रभार्य कर अभिप्रेत है और इसमें ऐसे ब्यौहारी की ओर से किये गये कराधेय माल के विक्रय पर किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा भुगतान किया गया कर भी सम्मिलित है।

(ख) धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ब्यौहारी इस अधिनियम के अन्तर्गत आउटपुट टैक्स के भुगतान का दायी होगा जो उसके कराधेय आवर्त पर ऐसी दर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि समय–समय पर विहित की जाय, देय है।

(3) इनपुट टैक्स : धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी पंजीकृत ब्यौहारी के सम्बन्ध में "इनपुट टैक्स "से इस अधिनियम के अधीन किसी ब्यौहारी द्वारा दूसरे पंजीकृत ब्यौहारी को कारबार के दौरान विशेष प्रवर्ग के माल को छोड़ कर किसी कराधेय माल जो पुनर्बिक्री के लिये या विक्रय हेतु ऐसे कराधेय माल के विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण के लिये या ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग के लिये उपयोग किये जाने लिये पात्र या संवेष्टन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाय, के क्रय पर भुगतान किये गये या देय कर अभिप्रेत है।

(4)किसी ब्यौहारी जो कर के भुगतान के लिये दायी है किन्तु इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं है, के द्वारा देय शुद्ध कर उस कर अवधि के लिये देय आउटपुट टैक्स और क्रय पर कर, यदि कोई हो, के बराबर होगा।

(5)प्रत्येक कराधेय व्यक्ति किसी कर अवधि के लिये उसके द्वारा देय कर का पूरा भुगतान उस समय करेगा जब उस व्यक्ति से धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसरण में विवरणी दाखिल करने अपेक्षा की गई है।

(6) यदि उपधारा (1) में आकलित धनराशि एक ऋणात्मक मात्रा है, तो उसको ब्यौहारी की करदेयता, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा या इस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (10), उपधारा (11), उपधारा (12) और उपधारा (13) के उपबन्धों के अनुसार वापस की जायेगी।

6 : इनपुट टैक्स का लाभ:

(1) इनपुट टैक्स का लाभ केवल एक पंजीकृत ब्यौहारी को ही अनुमन्य होगा, और किसी पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा पंजीकृत होने के पश्चात किसी कर अवधि के लिये देय कर की गणना करने के प्रयोजन से ऐसे पंजीकृत ब्यौहारी को अनुसूची III में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय या ऐसा विक्रय जैसा कि विहित किया जाये से भिन्न, ऐसे समस्त कराधेय विक्रय के बारे में जमा किये गये अथवा देय कर के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स का लाभ, जैसा कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अवधारित किया जायेगा, अनुमन्य होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कराधेय क्रय, जिस पर धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन कर दिया गया है या देय है, पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा;

प्रतिबन्ध यह और है कि उपधारा (1) या उसके परन्तुक में दी गई किसी बात के होते हुये भी, ऐसे क्रय जिस पर धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन कर दिया गया है या देय है, के सम्बन्ध में निम्न परिस्थितियों में इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा--

(क) ऐसे व्यक्ति से क्रय जो कृषि या उद्यानकृषि सम्बन्धी उपज जिसे उसने स्वयं उगाया हो या किसी ऐसी भूमि में उत्पन्न किया हो जिसमें उसका चाहे स्वामी, भोगबन्धक, किरायेदार या अन्य रूप में कोई हित हो, बिक्रय करता है या अपने द्वारा पाले गये कुक्कुट या पशुओं से कुक्कुटादि या दुग्ध उत्पाद का बिक्रय करता है, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे माल के बारे में इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (11) के उपबन्धों के अधीन ब्यौहारी नहीं समझा जाता है; या

(ख) ऐसी वस्तुओं का क्रय जिनको राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित किया जाय और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत ब्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है, किये गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा विक्रेता ब्यौहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी की विहित की जाये।

(3) इनपुट टैक्स का लाभ उत्तरांचल राज्य के किसी पंजीकृत ब्यौहारी जो धारा 15 या धारा 16 के अधीन विधिमान्य पंजीयन प्रमाणपत्र रखता है, से निम्न प्रयोजनों के लिये कय किये गये माल पर अनुमन्य होगा--

(क)उत्तरांचल में विकय; या

(ख)अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विकय; या

(ग)भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विकय; या

(घ)ऐसा माल (अनुसूची I और अनुसूची III में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न) जिसका राज्य के भीतर या अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय अथवा पुनःविकय किया जाय, के विनिर्माण या प्रसंस्करण में कच्चे माल और

ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग के लिये उपयोग किये गये डिब्बा या अन्य संवेष्टन सामग्री, के रूप में उपयोग किया जाय; या

(ङ)ऐसा माल, अनुसूची III में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न, जिसका भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय किया जाय, के विनिर्माण या प्रसंस्करण में कच्चे माल, और ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग के लिये उपयोग किये गये डिब्बा या अन्य संवेष्टन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि ऊपर खण्ड(घ) के प्रतिनिर्देश से यदि ऐसे परिरूपित उत्पाद को विक्रय से अन्यथा प्रान्त के बाहर प्रेषण किया जाय तो ऐसे परिरूपित उत्पाद के, विनिर्माण में सीधे उपयोग की गई कच्ची सामग्री के क्रय पर 4 प्रतिशत से अधिक भुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा;

प्रतिबन्ध यह और है कि कराधेय माल के उत्पादन या कैप्टिव पावर के ईंधन के रूप में उपयोग किये गये पैट्रोलियम उत्पाद (पैट्रोल, ऐविएशन टरबाईन फ्यूल, प्राकृतिक गैस और डीजल को छोड़कर) और अन्य ईंधन, के क्रयपर 4 प्रतिशत से अधिक भुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा, लेकिन इसमें मोटर यानों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त ईंधन सम्मिलित नहीं होगा।

(4) (क)यदि किसी कर अवधि में कोई पंजीकृत व्यक्ति माल (पूँजीगत माल को छोड कर) जिस पर इस धारा के उपबन्धों के अधीन इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य है, का क्रय करता है और ऐसे क्रय को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिये आंशिक रूप से उपयोग करता है, तो इनपुट टैक्स का लाभ उसी अनुपात में अनुमन्य होगा जिस सीमा तक विभिन्न प्रयोजनों हेतु उनका उपयोग किया गया है, और ऐसे विभिन्न प्रयोजनों में सम्मिलित है–

(i)विक्रय जिसमें कराधेय माल का विक्रय या करमुक्त माल का विक्रय शामिल है, या

(ii)राज्य के बाहर विक्रय जिसमें माल का विक्रय और अन्य राज्यों को प्रेषण या माल के अन्तरण के रूप में माल भेजना शामिल है, या

(iii)कारबार के दौरान उपयोग किये जा रहे इनपुट्स और अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जा रहे इनपुट्स;

(ख)किसी कर अवधि में किसी विशेष वस्तु के क्रय के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि, प्रत्येक प्रयोजन जिसके लिये वस्तु का उपयोग किया गया है, पर संगणित इनपुट टैक्स के लाभ का योग होगी। इनपुट टैक्स के लाभ की कुल धनराशि समस्त वस्तुओं पर इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि का योग होगी ।

(ग)किसी व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिये माल का उपयोग विक्रय या सम्भरण या माल के विनिर्माण में अथवा विक्रय या सम्भरण के आशय से या माल के विनिर्माण के आशय से किया जाता है, की सीमा को अवधारित करने के लिये जो तरीका अपनाया जाता है, वह बोधगम्य रूप में उन परिस्थितियो में उचित और युक्तियुक्त होना चाहिये।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार इनपुट टैक्स की गणना के लिए समय समय पर इस अधिनियम से संगत नियम बना सकती है और जब ऐसे नियमों की विरचना की जाती है तो किसी इनपुट टैक्स की गणना ऐसे नियमों के अनुसार ही की जायेगी।

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने अथवा किसी व्यक्ति के पंजीकृत होने, जैसे भी दशा हो, के पश्चात, प्रथम कर अवधि के लिये, देय शुद्ध कर की गणना करने के प्रयोजन हेतु, उस व्यक्ति द्वारा अधिनियम के लागू होने या, जैसी भी दशा हो, उसके पंजीकृत होने से पूर्व क्रय किये गये कराधेय माल (पूँजीगत माल को छोडकर) में से बचे हुए स्टाक पर दिये गये अथवा देयकर के सम्बन्ध में पंजीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, इनपुट टैक्स का लाभ, जैसा कि इस धारा के अधीन अवधारित किया जाय, अनुमन्य होगा–

(क)माल पंजीकृत व्यौहारी द्वारा अपने कारबार में उपयोग हेतु क्रय किया गया था,

(ख)माल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख या, जैसी भी दशा हो, पंजीयन की तारीख, से 1 वर्ष से अनधिक पहले क्रय किया गया था और ऐसी तारीख पर माल उसके पास हो,

(ग)माल यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व क्रय किया गया है, तो इस पर उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन कर लग चुका है और इस अधिनियम के अधीन भी कराधेय है,

(घ)इनपुट टैक्स का लाभ माल के क्रय पर दिये गये कर की वास्तविक दर या इस अधिनियम के अधीन लागू होने वाली दर, जो भी कम हो, होगा।

(6) किसी पंजीकृत व्यौहारी द्वारा इनपुट टैक्स के लाभ का दावा निम्न रीति से किया जायेगा:–

(क)इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख या व्यौहारी द्वारा पंजीयन स्वीकृति हेतु आवेदन करने की तारीख को उपलब्ध प्रारम्भिक माल (पूंजीगत माल को छोड़ कर) के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स के लाभ का दावा उस माह, जिसमें अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख हो या, जैसी भी दशा हो, पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख पड़ती है, के 3 माह के पश्चात शुरू होने वाली 6 माह की कर अवधि के विवरणी के साथ 6 समान किश्तों में किया जायेगा,

(ख) व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख तक क्रय किये गये ऐसे पूंजीगत माल के बारे में विनिर्माता इनपुट टैक्स का लाभ उस वर्ष जिसमें ऐसे कराधेय माल के प्रथम विक्रय की तारीख पड़ती है, के बाद दो समान वार्षिक किश्तों में दावा करने का पात्र होगा। व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख के बाद क्रय किये गये ऐसे पूंजीगत माल के बारे में किसी वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे इनपुट टैक्स की कुल धनराशि का अगले वित्तीय वर्ष से आरम्भ होकर दो समान वार्षिक किश्तों में दावा किया जायेगा। वार्षिक किश्तों का दावा प्रत्येक दो वर्षों में सितम्बर में समाप्त होने वाली अवधि के विवरणी में किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी माल की भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान किये गये विक्रय के मामले में व्यौहारी द्वारा इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि का दावा ऊपरोक्त दो किश्तों के बजाय एक वार्षिक किश्त में किया जायेगा।

(ग)अन्य मामलों में इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि का दावा उस अवधि की विवरणी में किया जायेगा जिसमें माल के क्रय, जिससे इनपुट टैक्स का लाभ सम्बन्धित है, की गई है।

(7)(क)पूंजीगत माल पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा जब–

(i) माल व्यौहारी के कारबार से सम्बद्ध नहीं है; या

(ii)माल किसी अपंजीकृत व्यौहारी या ऐसे व्यौहारी जिसका पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया गया है, से क्रय किया गया है; या

(iii) माल राज्य के बाहर से क्रय किया गया है; या

(iv)माल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व या इस अधिनियम के अधीन पंजीयन से पूर्व क्रय किया गया है या उसका भुगतान किया गया है; या

(v)माल कर मुक्त माल या अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या ऐसी सेवायें या व्यापारिक कार्यकलाप जो इस अधिनियम के अधीन कर के लिये दायी नहीं हैं, को उपलब्ध कराने में उपयोग किया गया है; या

(vi)माल, किसी माल के किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण करार के अधीन पट्टे पर उपयोग किया गया है; या

(vii)माल संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त संम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में उपयोग किया गया है; या

(viii)ऐसा माल जिस पर इस अधिनियम या उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन किसी पूर्ववर्ती विक्रय या क्रय पर देय कर का भुगतान नहीं किया गया है;या

(ix)माल शक्ति / ऊर्जा जिसमें कैप्टिव शक्ति भी सम्मिलित है, के उत्पादन में प्रयोग किया गया है;या

(x)माल जो भारत में किसी अन्य कारखाने या कार्यशाला में पहले ही उपयोग में लाया जा चुका हो, या उपयोग के लिये प्राप्त किया गया है।

स्पष्टीकरण: सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि किसी पूँजीगत माल को इस धारा के प्रयोजन हेतु ऊपर संयत्र, मशीनरी और उपस्कर में सम्मलित नहीं समझा जायेगा।

(ख) भूमि, सिविल संरचना या विनिर्माण, और मोटर कार, सहायक सामान या फालतू पुर्जे पर पूंजीगत या अन्य व्यय पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ग) उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व कारबार बन्द होने की दशा में आगे कोई इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा और यदि कोई इनपुट टैक्स का लाभ

आगे ले जाया गया है, तो वह जब्त कर लिया जायेगा।

(8) पूँजीगत माल से भिन्न माल के क्रय की निम्न दशाओं में इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा –

(क) माल व्यौहारी के कारबार से सम्बद्ध नहीं है; या

(ख)माल किसी अपंजीकृत व्यौहारी या ऐसे व्यौहारी जिसका पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया गया है से क्रय किया गया है; या

(ग) माल राज्य के बाहर से क्रय किया गया है; या

(घ) माल जिसका विक्रय इस अधिनियम के अधीन करमुक्त है या ऐसे माल के विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकिंग में उपयोग किया गया है;या

(ङ)माल जो व्यौहारी द्वारा कारबार बन्द किये जाने या उसका पंजीयन निरस्त कर दिये जाने या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसको कर मुक्त घोषित किये जाने के कारण कारबार बन्द करने के समय स्टाक में अविक्रीत बचा रहता है, चाहे माल उसी रूप में हो अथवा परिरूपित या अर्धपरिरूपित माल के संघटक भाग के रूप में हो; या

(च) माल जो विक्रय के रूप से अन्यथा राज्य के बाहर अंतरित होता है; या

(छ) कच्चा माल जो विक्रय के रूप से अन्यथा राज्य के बाहर प्रेषित किये जाने वाले परिरूपित माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण मे उपयोग किया गया है; या

(ज) माल जो किसी पंजीकृत व्यौहारी से क्रय किया गया है जिसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आवर्त पर किसी प्रतिशत से प्रकल्पिक कर या धारा7 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे माल के विक्रय और/या क्रय पर कर की धनराशि के बदले में एकमुश्त धनराशि के भुगतान का विकल्प दिया है; या

(झ) माल जो चोरी हो गया है, या खो गया है, या नष्ट हो गया है या कारबार के सामान्य अनुक्रम से भिन्न रीति से निस्तारित कर दिया गया है या निःशुल्क सेम्पल या उपहार के रूप में वितरित किया गया है; या

(ञ) माल, जो किसी माल का किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग के अधिकार के अन्तरण के करार के अन्तर्गत पटटे पर दिया गया है; या

(ट)माल जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप) में सम्पत्ति के अन्तरण के द्वारा विक्रय किया गया है; या

(ठ) माल जिस पर इस अधिनियम या उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन ऐसे माल के किसी पूर्ववर्ती विक्रय या क्रय पर देय कर का भुगतान नहीं किया गया है; या

(ड)अनुसूची III में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग का माल या ऐसे माल के विनिर्माण, प्रसंस्करण या पैकिंग में उपयोग किया गया है; या

(ढ)माल शक्ति/ऊर्जा जिसमें कैप्टिव शक्ति भी सम्मिलित है, के उत्पादन में प्रयोग किया गया है:

प्रतिबन्ध यह है कि मद (च) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहारों के सम्बन्ध में परिरूपित माल के विनिर्माण मे सीधे उपयोग किये गये कच्चे माल पर 4 प्रतिशत से

अधिक भुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स की आंशिक रकम अनुज्ञात की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह और है कि ऊपर मद (च) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्रय किये गये माल पर यदि इनपुट टैक्स के लाभ का दावा किसी व्यौहारी द्वारा किया गया है, तो वह विलोमित हो जायेगा।

(9)(क) किसी व्यौहारी द्वारा इनपुट टैक्स लाभ का दावा नहीं किया जायेगा यदि माल का विक्रय करने वाले पंजीकृत व्यौहारी से प्राप्त बिक्रीबीजक जिसमें इनपुट टैक्स के भुगतान का साक्ष्य है,

(i)व्यौहारी के पास मूलरूप में या धारा 60 के उपबन्धों के अनुसार द्वितीय प्रति, उपलब्ध नहीं है; या

(ii) कर निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि बिक्रेता व्यौहारी जिससे माल का क्रय किया जाना तात्पर्यित है, द्वारा मूल बिक्रीबीजक जारी नहीं किया गया है,

(ख) जहाँ किसी कराधेय व्यक्ति के पास इनपुट टैक्स के भुगतान का साक्ष्य दर्शाने वाला मूल बिक्रीबीजक या उसकी द्वितीय प्रतिलिपि नहीं है, कर निर्धारक प्राधिकारी, लिखित में कारण लिपिबद्ध करने के पश्चात, इनपुट टैक्स का लाभ उस कर अवधि में जिसमें कर लाभ उद्‌भूत है, अनुमन्य कर सकता है, जहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है; कि–

(i)कराधेय व्यक्ति द्वारा बिक्रीबीजक प्राप्त करने के लिये सभी युक्तियुक्त कदम उठाये गये है,

(ii)मूल बिक्रीबीजक प्राप्त करने में असफलता कराधेय व्यक्ति की किसी त्रुटि के कारण नहीं थी,

(iii)कराधेय व्यक्ति द्वारा दावाकृत इनपुट टैक्स की धनराशि सही है।

(10) यदि किसी कर अवधि में किसी पंजीकृत व्यौहारी का इनपुट टैक्स का लाभ उस कर अवधि की करदेयता की अपेक्षा अधिक होता है तो अधिक धनराशि केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 के अधीन उस कर अवधि की कर देयता, यदि कोई हो, के विरूद्ध समायोजित की जायेगी, और अवशेष धनराशि इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन बकाया कर, अर्थदण्ड या ब्याज के विरूद्ध समायोजित की जायेगी और केवल अवशेष धनराशि व्यौहारी द्वारा उत्तरवर्ती कर अवधियों में आगे ले जायी जायेगी और धनराशि उस अवधि के लिये इनपुट टैक्स का लाभ समझी जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई धनराशि किसी व्यौहारी को उसके द्वारा निर्यात किये गये माल के विक्रय के कारण वापसी योग्य है तो वह वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अन्त के बाद अधिक जमा धनराशि का इस अधिनियम की धारा 37 के उपबंधों के अनुसार वापसी का हकदार होगा।

(11) प्रत्येक व्यौहारी जो धारा 23 के अधीन विवरणी दाखिल करने के लिये दायी है कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद, उस करनिर्धारण वर्ष के लिये अपनी स्वीकृत कर

देयता और इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि में सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के दौरान विभिन्न कर अवधियों में किये गये समायोजन, यदि कोई हो, और अवशेष कर, अर्थदण्ड या ब्याज की बकाया के प्रति समायोजित धनराशि, यदि कोई हो, की गणना दर्शाते हुए 90 दिन की अवधि के भीतर एक विवरणी दाखिल करेगा।

(12) यदि किसी व्यौहारी द्वारा, ऊपरोक्त उपधारा (11) के अनुसार समायोजन करने के बाद धनराशि अधिक जमा होने का दावा किया जाता है, तो वह ऐसी अधिक जमा धनराशि को पश्चातवर्ती वर्ष में विभिन्न कर अवधियों की विवरणी में समायोजित कर सकता है।

(13) उपधारा (10), उपधारा (11) या उपधारा (12) में किसी बात के होते हुए भी, कर निर्धारक प्राधिकारी सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के लिये धारा 25 या 26 के अधीन अन्तिम कर निर्धारण करते समय व्यौहारी द्वारा अपनी कर देयता से अधिक जमा इनपुट टैक्स, यदि कोई हो, अवधारित करेगा और यदि कोई धनराशि वापसी योग्य पायी जाती है, तो वह धारा 36 के उपबन्धों के अधीन वापिस या समायोजित की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए कर निर्धारण संगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तो व्यौहारी करनिर्धारण के अवशेष रहते हुए अनन्तिम वापसी, यदि कोई हो, का हकदार होगा और देय धनराशि उसको वापस की जायेगी और ऐसी वापसी के सम्बन्ध में धारा 37 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगें।

(14) कर लाभ में समायोजन:

(क) किसी व्यक्ति द्वारा की गई कराधेय विक्रयके सम्बन्ध में समायोजन, जैसा कि इस धारा में उपबन्धित है, किया जायेगा, जबकि –

(i) उस विक्रय पर प्रभारित कर की दर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यथा लागू कर की दर से भिन्न है; या

(ii) विक्रय की धनराशि, चाहे सामान्य कारबार व्यवहार के अनुरूप दी गयी डिस्काउण्ट के प्रस्थापना के कारण या किसी अन्य कारण से, परिवर्तित की गई है; या

(iii) विक्रय किया गया माल या उसका कोई अंश विक्रय की तारीख से 6 माह के भीतर विक्रेता व्यौहारी को वापिस किया गया है;

और उक्त खण्ड (क) के उपखण्ड (i) से (iii)में वर्णित एक या अधिक दशाओं के घटित होने के परिणाम स्वरूप विक्रेता द्वारा–

(i) उस विक्रय के सम्बन्ध में बिक्रीबीजक जारी किया गया है और उसमें उस विक्रय पर दर्शाया गया प्रभारित कर उस विक्रय पर उचित रूप से प्रभार्य कर के सापेक्ष में गलत है, या

(ii) उस कर अवधि जिसमें विक्रय हुआ था, के लिये विवरणी दाखिल की गई है और उस विक्रय पर उचित रूप से प्रभार्य धनराशि के सापेक्ष में माल के विक्रय पर कर की गलत धनराशि लेखाबद्ध की गई है।

(ख) जहॉं किसी बिकेता द्वारा आउटपुट टैक्स की त्रुटिपूर्ण धनराशि, जैसा कि खण्ड(क) में विवक्षित है, लेखाबद्ध की गई है, वहाँ विक्रेता उस कर अवधि जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि आउटपुट टैक्स की धनराशि गलत है, से सम्बन्धित विवरणी में उसके द्वारा देय कर की गणना में इसका समायोजन करेगा, और यदि –

(i) उस विक्रय के सम्बन्ध में उचित रूप से प्रभार्य आउटपुट टैक्स व्यौहारी द्वारा वास्तविक रूप से लेखाबद्ध आउट पुट टैक्स से अधिक निकलता है, तो उस अधिक धनराशि को उस कर अवधि जिसमें समायोजन किया जाना है, से सम्बन्धित कराधेय विक्रयपर उस विक्रेता द्वारा प्रभारित कर समझा जायेगा और किसी अन्य पूर्ववर्ती कर अवधि से उपारोप्य नहीं होगा; या

(ii) उस विक्रय के सम्बन्ध में वास्तविक रूप से लेखाबद्ध आउटपुट टैक्स उचित रूप से प्रभार्य आउटपुट टैक्स से अधिक निकलता है तो बिक्रेता धारा 4 की शर्तों के अनुसार उक्त कर अवधि के लिये उपारोप्य आउटपुट टैक्स की धनराशि को उस अधिक धनराशि के समतुल्य घटा देगा।

(ग)ऊपर खण्ड (ख) के उपखण्ड (i)के अधीन अनुमन्य कर लाभ इनपुट टैक्स मे जमा माना जायेगा

(घ)ऊपर खण्ड (ख) के उपखण्ड(i) के अधीन कर लाभ अनुमन्य नहीं होगा, जहाँ

(i) अधिक कर माल के क्रेता द्वारा वहन किया गया है,

(ii) विक्रय ऐसे व्यक्ति को किया गया है जो एक पंजीकृत व्यक्ति नही है,

(iii)जब तक कि कराधेय व्यक्ति द्वारा कर की अधिक धनराशि उस व्यक्ति, जिससे अधिक कर संग्रहीत किया गया है, को चाहे नगद या जमा–पत्र द्वारा समायोजित करके वापिस न कर दी गई हो, और पंजीकृत व्यक्ति ऐसे भुगतान का, कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार साक्ष्य रखता है।

(15) जमा–पत्र और नाम–पत्र

(क) जहॉं बिकीबीजक जारी किया गया है और उस बिकीबीजक में प्रभारित कर के रूप में दर्शायी गई धनराशि उस विक्रय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर से अधिक निकलती है तो विक्रय करने वाला पंजीकृत व्यौहारी क्रेता को इस आशय का एक जमा–पत्र देगा।

(ख) जहॉं बिकीबीजक जारी किया गया है और उस विक्रय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय कर बिकीबीजक में प्रभारित कर की धनराशि से अधिक निकलता है, तो विक्रय करने वाला पंजीकृत व्यौहारी क्रेता को इस आशय का एक नाम–पत्र देगा।

(ग) क्रेता द्वारा माल वापिस करने अथवा अस्वीकृत करने के मामले में, बिक्रेता व्यौहारी द्वारा क्रेता को इस आशय का एक जमा–पत्र जारी किया जायेगा और क्रेता द्वारा बिक्रेता व्यौहारी को एक नाम–पत्र जारी किया जायेगा।

(16) विलोम कर लाभ:

यदि उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट उपयोग हेतु क्रय किया गया माल बाद में, पूर्णतः या आंशिक रूप से, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों में उपयोग किया जाता है तो उन पर इनपुट टैक्स के लाभ को विलोमित किया जायेगा और उस कर अवधि जिसमें उनका उपयोग अन्यथा किया गया है, के लिये इनपुट टैक्स के लाभ में से घटा दिया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्रय किया गया माल आंशिक रूप से अन्यथा उपयोग में लाया जाता है तो विलोम कर की धनराशि की गणना आनुपातिक रूप से की जायेगी।

(17) शुद्ध इनपुट टैक्स लाभ:

शुद्ध इनपुट टैक्स लाभ जिसके लिये कोई पंजीकृत ब्यौहारी हकदार होगा,निम्न सूत्र द्वारा अवधारित किया जायेगा:

शुद्ध इनपुट टैक्स का लाभ = अ+आ–इ

जहाँ अ = इनपुट टैक्स के लाभ की धनराशि जिसके लिये कोई ब्यौहारी इस धारा की उपधारा (2) के अधीन हकदार है।

आ = कर लाभ जैसा कि इस धारा की उपधारा(10)और उपधारा(14) के अधीन अवधारित किया गया हो

इ = विलोम कर लाभ जैसा कि इस धारा की उपधारा (16) के अधीन अवधारित किया गया हो।

7: समाधान स्कीमें :

(1) कतिपय पंजीकृत फुटकर ब्यौहारियों पर प्रकल्पित कर का आरोपण:

समस्त पंजीकृत ब्यौहारियों जिनका पूर्व वर्ष में राज्य के भीतर, अनुसूची–II(ग), अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट माल और अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट ऐसे माल जिस पर अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क(विशेष महत्व का माल)अधिनियम, 1957 के अधीन अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क उद्ग्रहणीय हो, के विक्रय को छोड़कर, सकल आवर्त पचास लाख रूपये से अधिक नहीं होगा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों जैसी कि विहित की जायें, के अधीन रहते हुए, वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर के बदले में ऐसे विक्रय के सम्पूर्ण आवर्त, उक्त विर्निदिष्ट माल के विक्रय को छोड कर, पर 1प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेंगे। ऐसे ब्यौहारी ऐसे विक्रय पर कोई कर प्रभारित करने या संग्रहीत करने के हकदार नहीं होगें और अपने क्रय पर किसी इनपुट टैक्स के लाभ के हकदार नहीं होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि यह उपधारा ऐसे पंजीकृत फुटकर ब्यौहारी पर लागू नहीं होगी जो एक आयातकर्ता या एक विनिर्माता है अथवा जो माल का भारत के राज्य क्षेत्र के अन्दर आयात अथवा क्षेत्र के बाहर निर्यात करता है,या संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व का अन्तरण(चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप

में) या किसी माल का किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग के अधिकार का अन्तरण करता है;

प्रतिबन्ध यह और है कि यदि कोई पंजीकृत फुटकर ब्यौहारी इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन कर भुगतान का विकल्प नहीं अपनाता है, तो वह इस अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार कर के भुगतान के लिये दायी होगा।

स्पष्टीकरणःजब किसी व्यौहारी द्वारा इस उपधारा के अधीन कर के भुगतान का विकल्प चुना जाता है, तो वर्ष के दौरान इसी प्रकार कर के भुगतान का दायी होगा चाहें उसका विक्रय आर्वत उक्त उल्लिखित धनराशि से बढ़ भी जाती है।

(2) कर के बदले एक मुश्त धनराशि का भुगतानः

(क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु राज्य सरकार के निदेशों के अधीन रहते हुए, कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे कर की धनराशि के बदले में जो किसी ब्यौहारी द्वारा, ऐसे माल या माल के वर्ग के सम्बन्ध में और ऐसी अवधि के लिये जिस पर करार हो जाय, देय हो, या तो एकमुश्त या उसके आवर्त पर सहमत दर से समाधान धनराशि स्वीकार करने के लिये करार कर सकता है। ऐसा ब्यौहारी किसी व्यक्ति से समाधान धनराशि के बदले में माल के विक्रय पर कर के रूप में इसे कोई भिन्न या छद्म नाम देकर कोई धनराशि नहीं वसूलेगा और उसके क्रय पर कोई इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यह धारा किसी पंजीकृत ब्यौहारी पर लागू नहीं होगी जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर माल आयात करता है, या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल निर्यात करता है।

(ख) जहाँ किसी एक वस्तु के सम्बन्ध में किसी अवधि के लिये समाधान धनराशि स्वीकार कर ली गई है तो कर की दर में किसी परिवर्तन का, जो ऐसे करार के तारीख के पश्चात प्रवृत्त हो, यह प्रभाव होगा कि कर निर्धारण की अवधि के उस भाग के सम्बन्ध में जिसमें परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, एक मुश्त धनराशि या करार हुई दर में आनुपातिक परिवर्तन हो जायेगा।

(ग) जहाँ राज्य सरकार की ऐसी राय हो कि कर दायित्व के समाधान की कोई योजना अब आगे जारी रखना लोक हित में नहीं है तो वह उस अवधि के दौरान किसी भी समय ऐसी योजना को वापस ले सकती है और उस स्थिति में यदि समाधान धनराशि की कोई एक मुश्त राशि निश्चित कर दी गयी है, तो अवधि के जिस भाग के दौरान वह योजना लागू रही है उसके अनुपात में ऐसी राशि का भाग ब्यौहारी द्वारा देय होगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन हेतु ब्यौहारी में सम्मिलित है-

(i)ब्यौहारी जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या अन्य किसी रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण के रूप में माल का विक्रय करता है; या

(ii)ब्यौहारी जो किसी भी माल का किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के रूप में माल का विक्रय करता है।

8: सांपत्तिक सम्मुत्थान का दायित्व :

(1)जहाँ किसी ब्यौहारी की मृत्यु हो जाती है वहाँ इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि ब्यौहारी माना जायेगा और उक्त पर उस मृत ब्यौहारी के कारबार के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होगें।

(2) यदि ब्यौहारी के द्वारा चलाया गया कारबार उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा प्रतिनिधि या व्यक्ति इस अधिनियम अथवा किसी पूर्ववर्ती विधि के अधीन ऐसे ब्यौहारी द्वारा देय कर जिसमें कोई अर्थदण्ड अथवा ब्याज सम्मिलित है, के भुगतान के लिये उसी रीति से और उसी सीमा तक जितना मृत ब्यौहारी था, दायी होगा चाहे ऐसा कर जिसमें अर्थदण्ड और ब्याज शामिल है, उसकी मृत्यु के पूर्व निर्धारित किया गया हो किन्तु भुगतान बाकी रह गया हो या जिसका निर्धारण उसकी मृत्यु के बाद हो।

(3) यदि ब्यौहारी द्वारा चलाया जा रहा कारबार चाहे उसकी मृत्यु के पूर्व अथवा बाद में बन्द हो जाता है तो उसका विधिक प्रतिनिधि ऐसे ब्यौहारी द्वारा इस अधिनियम अथवा किसी पूर्ववर्ती विधि के अन्तर्गत देय कर जिसमें अर्थदण्ड और ब्याज शामिल है, के उसी रीति से और उसी सीमा तक भुगतान के लिये दायी होगा जितना मृत ब्यौहारी होता, यदि उसकी मृत्यु न हो गयी होती।

(4) जहाँ ऐसा ब्यौहारी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिये दायी है, के कारबार में उपधारा (2) में वर्णित रीति से अन्य व्यक्ति उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा व्यक्ति उत्तरवर्ती होने की तारीख को अथवा इसके बाद उसके द्वारा विक्रय किये गये अथवा क्रय किये गये माल पर कर के भुगतान के लिये दायी होगा और वह (यदि वह पहले से ही पंजीयन प्रमाणपत्र धारक न हो)उसके 60 दिन के भीतर पंजीयन हेतु आवेदन करेगा।

(5)मृतक के किसी दायित्व के सम्बन्ध में उसका निष्पादक, प्रशासक अथवा अन्य प्रतिनिधि केवल उसी सीमा तक दायी होगा जिस सीमा तक मृतक की परिसम्पत्ति उसके हाथ में है।

(6) इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही जिसमें वसूली की कार्यवाही भी सम्मिलित है, उस स्तर से जारी की जा सकती है जिस पर वह ब्यौहारी की मृत्यु के समय लम्बित थी।

(7) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबन्ध उस ब्यौहारी पर जो कि भागीदारी फर्म है, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें जो कि भागीदार की मृत्यु के फलस्वरूप विघटित हो गयी हो।

9 : फर्म इत्यादि के मामले में दायित्वः

(1)भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में किसी बात के होते हुए अथवा किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, जहाँ कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन ऐसे कर जिसमें अर्थदण्ड और ब्याज सम्मिलित है, के भुगतान के लिये दायी है, तो वह फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार संयुक्त एवं पृथक रूप से, ऐसे कर जिसमें अर्थदण्ड और ब्याज सम्मिलित है, के भुगतान के लिये दायी होगा और तदनुसार इस अधिनियम के अधीन कोई नोटिस अथवा आदेश किसी ऐसे व्यक्ति, जो कि सुसंगत समय के दौरान

भागीदार था, पर तामील किया जा सकता है चाहे फर्म विघटित हो गयी हो या नहीं और इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे।

(2) जहाँ कोई ऐसा भागीदार फर्म से निवृत्त हो जाता है, वहाँ वह अपने निवृत्ति के समय पर शेष बचे कर, अर्थदण्ड और ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया हो, और ऐसी कोई धनराशि जो निवृत्ति की तारीख तक देय हो, यद्यपि उस तारीख को अनिर्धारित हो, के भुगतान के लिये दायी होगा।

(3) जहाँ ऐसा कोई भागीदार फर्म से निवृत्त होता है तो वह अपने निवृत्ति की तारीख की सूचना लिखित रूप से अपने कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा और वह अपने निवृत्ति की समय बचे कर जिसमें कोई अर्थदण्ड या ब्याज सम्मिलित है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है और ऐसी कोई धनराशि जो निवृत्ति की तारीख तक देय हो यद्यपि उस तारीख को अनिर्धारित हो, के भुगतान के लिये दायी होगा। तथापि, यदि निवृत्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाती है तो उस भागीदार की देयता उस तारीख तक जारी रहेगी जिस तारीख को कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होती है।

(4) जहाँ व्यौहारी एक फर्म या व्यक्तियों का संगम या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब है और ऐसी फर्म, संगम अथवा कुटुम्ब ने कारबार बन्द कर दिया है तो –

(क) ऐसी फर्म, संगम अथवा कुटुम्ब द्वारा ऐसा कारबार बन्द करने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन देय कर जिसमें अर्थदण्ड, यदि कोई हो, शामिल है, का निर्धारण और अवधारण किया जा सकता है मानो कि ऐसा कोई कारबार बन्द न हुआ हो; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो कि ऐसे कारबार बन्द होने के समय ऐसी फर्म का भागीदार अथवा ऐसे संगम या कुटुम्ब का सदस्य था तो ऐसा कारबार बन्द हो जाने के बावजूद वह उस कर जो निर्धारित किया गया है व अर्थदण्ड जो आरोपित किया गया है और ऐसी फर्म संगम अथवा कुटुम्ब द्वारा देय है, के भुगतान के लिये पृथक रूप से और संयुक्त रूप से दायी होगा चाहे कर का निर्धारण या अर्थदण्ड का आरोपण ऐसे कारबार बन्द होने से पहले या बाद मे किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुये इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होगें मानो कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति या भागीदार स्वयं एक व्यौहारी हो:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ यह पाया जाता है कि फर्म या संगम के गठन में कोई परिवर्तन हो गया है तो पुनर्गठित फर्म या संगम और पुनर्गठन से पूर्व के भागीदार या सदस्य पुनर्गठन से पूर्व की किसी अवधि के लिये ऐसी फर्म या संगम द्वारा देय कर जिसमें अर्थदण्ड, यदि कोई हो, सम्मिलित है, के भुगतान के लिये संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी होगें।

स्पष्टीकरण: किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम का विघटन या पुनर्गठन अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत कारबार का बन्द किया जाना माना जायेगा।

10: अप्राप्तवय और असमर्थ व्यक्तियों के मामलों में कर दायित्व :

(1)यदि किसी अप्राप्तवय या किसी असमर्थ व्यक्ति की ओर से और उसके लाभ के लिये कोई संरक्षक या न्यासी कारबार करता हो, तो ऐसे संरक्षक या न्यासी या अभिकर्तापर, जो भी हो, उसी प्रकार और उसी सीमा तक कर लगाया जायेगा और उससे वसूल किया जायेगा, जैसा कि ऐसे अप्राप्तवय या असमर्थ व्यक्ति पर निर्धारित किया जाता और उससे वसूल किया जाता, यदि वह वयस्क व स्वस्थ होता और यदि वह अपना कारबार स्वयं करता होता, और ऐसी दशा में इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमो के सभी उपबन्ध लागू होंगे।

(2) यदि संरक्षकता अथवा न्यास समाप्त हो जाता है तो प्रतिपाल्य या, जैसी भी दशा हो, हिताधिकारी ऐसे ब्यौहारी द्वारा संरक्षकता या न्यास की समाप्ति के समय तक देय कर जिसमें कोई अर्थदण्ड और ब्याज सम्मिलित है के भुगतान के लिये दायी होगाचाहे ऐसी धनराशि का निर्धारण संरक्षकता या न्यास की समाप्ति के पहले हुआ हो, किन्तु उसका भुगतान होने से रह गया हो अथवा निर्धारण उसके पश्चात किया जाये।

11:कोर्ट आफ वार्ड्स, अधिकरण आदि के मामलें में कर दायित्व : यदि किसी कारबार का स्वामी ऐसा व्यक्ति है, जिसकी सम्पत्ति या उसका कोई भाग कोर्ट आफ वार्ड्स, ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल, आफिशियल न्यासी या किसी रिसीवर या मैनेजर (जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे उसकी उपाधि कुछ भी हो जो ब्यौहारी की ओर से वास्तव में उसके कारबार का प्रबन्ध करता हो) जो ब्यौहारी द्वारा या किसी न्यायालय की आज्ञा से नियुक्त किया गया हो, के नियन्त्रण में है, तो ऐसे कोर्ट आफ वार्ड्स, ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल, रिसीवर या मैनेजर पर उसी प्रकार कर लगाया जायेगा जैसे कि उस ब्यौहारी पर लगाया जाता या वसूल किया जाता, यदि वह अपना कारबार स्वयं करता होता और उस दशा में, इस अधिनियम के सब उपबन्ध तदानुसार और उसके अधीन बनाये गये नियम उसी प्रकार लागू होंगे।

12: कम्पनी के मामले में कर दायित्व :

(1) समापन में गयी प्राईवेट कम्पनी के निर्देशकों का कर दायित्व :

कम्पनी अधिनियम, 1956 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात जब किसी प्राइवेट कम्पनी का परिसमापन होता है और कम्पनी पर इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अवधि के लिये चाहे उसके परिसमापन के पूर्व या उसके दौरान या बाद में, निर्धारित कर वसूल नहीं किया जा सकता है, तब प्रत्येक व्यक्ति जो कि उस अवधि जिसके लिये कर देय है, के दौरान किसी भी समय प्राइवेट कम्पनी का निदेशक था, ऐसे कर के भुगतान के लिये संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक दायी होगा, जब तक कि वह यह सावित न करे कि वसूली न हो सकने के लिये कम्पनी के मामलों के सम्बन्ध में उसकी ओर से कोई घोर उपेक्षा, अवैध कार्य या कर्त्तव्यों के उल्लंघन के लिये उपारोप्य नहीं किया जा सकता है।

(2) समापन में गयी कम्पनी के मामलों में कर दायित्व :

(क)प्रत्येक व्यक्ति –

(i) जो परिसमापन में जा रही कम्पनी, चाहे न्यायालय के आदेशों के अधीन अथवा अन्यथा, का समापक है; या

(ii) जो किसी कम्पनी की आस्तियों का रिसीवर नियुक्त किया गया है
(जिसे इसमें आगे "समापक" कहा गया है)

अपने ऐसे समापक बनने के 30 दिन के भीतर अपनी ऐसी नियुक्ति किये जाने का नोटिस कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा।

(ख) कर निर्धारक प्राधिकारी, ऐसी पूछताछ करके और ऐसी सूचना मंगाकर जिन्हें वह उचित समझे, वह समापक की नियुक्ति की नोटिस प्राप्ति के दिन के 3 माह के भीतर समापक को वह धनराशि सूचित करेगा जो कर निर्धारक प्रधिकारी की राय में कम्पनी द्वारा तब देय या उसके पश्चात सम्भाव्य कर (किसी अर्थदण्ड या ब्याज सहित) की धनराशि की भरपाई के लिये पर्याप्त होगी।

(ग) समापक कम्पनी की किसी भी परिसम्पत्ति या सम्पत्ति जो उसके पास है,को अलग नहीं करेगा जब तक कि उक्त खण्ड (ख) के अधीन कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सूचित न किया गया हो, और इस प्रकार सूचित किये जाने पर कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा सूचित धनराशि के समतुल्य धनराशि को अलग रखेगा और जब तक वह ऐसी धनराशि को अलग नहीं रखता है, वह कम्पनी की अपने पास रखी गई किसी भी आस्ति या सम्पत्ति को अलग नहीं करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड में अन्तर्विष्ट कोई बात समापक को किसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के अधीन कम्पनी द्वारा देय कोई कर या अर्थदण्ड, यदि कोई हो, के भुगतान के प्रयोजन हेतु, या समापन की तारीख के समय ऐसे लेनदार जिनके ऋण विधि के अधीन सरकार के ऋण के ऊपर भुगतान में प्राथमिकता के हकदार हैं, को सुरक्षित करने के लिये किसी भुगतान करने या कम्पनी के परिसमापन की ऐसी लागत एवं खर्च जो कि कर निर्धारक प्राधिकारी की राय में युक्तियुक्त है, के वहन करने के लिये ऐसी आस्तियों और सम्पत्तियों को अलग करने से वर्जित नहीं करेगी।

(घ) यदि समापक खण्ड (क) के अनुसार नोटिस नहीं देता है, या खण्ड (ग) द्वारा अपेक्षित धनराशि अलग नहीं रखता है या उस खण्ड के उपबन्धों के उल्लंघन में कम्पनी की किसी परिसम्पत्ति अथवा सम्पत्ति को अलग करता है, तो वह कर, अर्थदण्ड और ब्याज, यदि कोई है, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी भुगतान करने के लिये दायी होगी, के भुगतान के लिये व्यक्तिगत रूप से दायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कम्पनी के द्वारा देय कर, अर्थदण्ड और ब्याज की धनराशि खण्ड (ख) के अधीन सूचित कर दी जाती है तो इस उपखण्ड के अधीन समापक की व्यक्तिगत रूप से देयता ऐसी धनराशि की सीमा तक ही होगी।

(ङ) जहाँ एक से अधिक समापक हैं, इस धारा के अन्तर्गत समापक से जुड़ी बाध्यता एवं दायित्व सभी समापकों से संयुक्त एवं पृथक-पृथक जुड़ी रहेगी।

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस धारा के उपबन्ध प्रभावी रहेंगे।

(छ) इस धारा के प्रयोजन हेतु "कम्पनी" और "प्राईवेट कम्पनी" पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (i) और (ii) में उनके हैं।

(3) कम्पनियों का समामेलन :

(क) जब दो या अधिक कम्पनियों का समामेलन किसी न्यायालय या केन्द्रीय सरकार के आदेशों द्वारा किया जाता है और आदेश, आदेश की तारीख से पूर्व की तारीख से प्रभावी होता है, और ऐसी दो या अधिक कम्पनियों ने आदेश के प्रभावी होने की तारीख से प्रारम्भ और आदेश के समाप्त होने वाली अवधि में कोई माल एक दूसरे को विक्रय किया गया है या एक दूसरे से क्रय किया गया है, तो विक्रय एवं क्रय के ऐसे संव्यवहार सम्बन्धित कम्पनियों के विकय आवर्त या क्रय आवर्त में सम्मलित किये जायेंगे और तद्नुसार कर निर्धारित किया जायेगा।

(ख) उक्त आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों हेतु उक्त दो या अधिक कम्पनियाँ पृथक कम्पनियाँ समझी जायेंगी और उक्त आदेश की तारीख तक सभी अवधियों के लिये इसी भांति समझी जायेंगी और ऐसी कम्पनियों के पंजीयन प्रमाणपत्र जहाँ आवश्यक हो, उक्त आदेश की तारीख से निरस्त किये जायेंगे।

(ग) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इस धारा में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम,1956 में उनके हैं।

13: कतिपय अभिकर्ता, जो कर्ता की ओर से किये गये विक्रय पर कर के दायी है:

(1)यदि कोई व्यक्ति कमीशन अभिकर्ता के रूप में अपने कर्ता की ओर से किसी कराधेय माल का विक्रय या क्रय करता है तो ऐसा व्यक्ति और उसका कर्ता दोनों ऐसे विक्रय एवं क्रय के आवर्त पर देय कर के भुगतान के लिये संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक दायी होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि कर के भुगतान करने की प्रथम देयता कमीशन अभिकर्ता की होगी और वह उसे अपने कर्ता से वसूल कर सकता है;

प्रतिबन्ध यह और भी है यदि कर्ता कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार यह समाधान कर देता है कि ऐसे माल पर ऐसे कमीशन अभिकर्ता द्वारा कर का भुगतान कर दिया गया है, तब उसी संव्यवहार के सम्बन्ध में कर्ता पुनः कर के भुगतान के लिये दायी नहीं होगा।

(2) यदि किसी अनिवासी ब्यौहारी का कोई प्रबन्धक या कमीशन अभिकर्ता राज्य में अनिवासी ब्यौहारी की ओर से किसी माल का विक्रय या क्रय करता है, तो अनिवासी ब्यौहारी और राज्य मे निवास कर रहा प्रबन्धक या अभिकर्ता ऐसे विक्रय एवं क्रय के आवर्त पर देय कर के भुगतान के लिये संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक दायी होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि कर के भुगतान करने की प्रथम देयता प्रबन्धक या कमीशन अभिकर्ता की होगी और वह उसे अनिवासी ब्यौहारी से वसूल कर सकता है;

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि अनिवासी ब्यौहारी करनिर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार यह समाधान कर देता है कि ऐसे विक्रय एवं क्रय के आवर्त के सम्बन्ध में देयकर का भुगतान प्रबन्धक या अभिकर्ता द्वारा कर दिया गया है, तो उसी संव्यवहार के सम्बन्ध में अनिवासी ब्यौहारी कर का भुगतान करने के लिये दायी नहीं होगा।

14: कारबार के अंतरण के मामले में कर दायित्वः

(1) यदि कोई ब्यौहारी जो इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिये दायी है, अपने कारबार का विक्रय, भेंट, पट्टे, लाईसेन्स, भाड़ा या किसी अन्य रीति जैसी भी हो, द्वारा पूरा या आंशिक रूप से अंतरण करता है, तो अंतरक और अंतरिती ऐसे अंतरण के समय तक उक्त कारबार के सम्बन्ध में देय कर (किसी अर्थदण्ड और ब्याज सहित) के संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक देनदार होगें, चाहे ऐसे कर (किसी अर्थदण्ड और ब्याज सहित) का निर्धारण ऐसे अंतरण के पूर्व किया गया है लेकिन बिना भुगतान के रह गया है, या निर्धारण उसके पश्चात किया गया है।

(2) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित कारबार का कोई अंतरक या पट्टेदार ऐसे कारबार को चाहे अपने नाम में या किसी अन्य नाम में, चालू रखता है तो वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा किये गये माल के विक्रय पर कर के भुगतान का दायी होगा और यदि वह एक विद्यमान ब्यौहारी है, तो वह विहित समय के भीतर पंजीयन के संशोधन हेतु आवेदन करेगा।

(3) यदि अंतरिती से उपधारा (1) के अधीन अर्थदण्ड और ब्याज, यदि कोई हो, सहित कर वसूल किया जाता है तो ऐसा अंतरिती इस बात के लिये हकदार होगा कि वह इसको उस व्यक्ति, जो उस के भुगतान के लिये मूलतः दायी था, से वसूल कर ले।

(4) यदि कोई ब्यौहारी जो इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी है, अपने कारबार में किसी व्यक्ति द्वारा उत्तरवर्ती किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस तारीख को या इसके पश्चात किये गये माल के विक्रय या क्रय पर कर के भुगतान का दायी होगा।

अध्याय –III

पंजीयन, संशोधन और निरस्तीकरण

15: पंजीयन :

(1)कोई ब्यौहारी या व्यक्ति जो कारबार कर रहा है और इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी है, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित की जाय, अपने आपको पंजीकृत करायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ब्यौहारी, जो कर भुगतान के लिये दायी है, को अपना पंजीयन कराने के लिये, उस तारीख जब से वह प्रथम बार ऐसे कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा, से 30 दिन का समय अनुमन्य होगा।

(2) प्रत्येक ब्यौहारी –

(क)जो उत्तरांचल के बाहर से अपने द्वारा आयात किया हुआ कोई माल विक्रय करता है; या

(ख)जो राज्य के बाहर से आयात किये हुऐ माल का उपयोग करके अपने द्वारा विनिर्मित माल का विक्रय करता है; या

(ग)जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर का भुगतान करने के लिये दायी है; या

(घ)जो धारा 35 के उपबन्धों के अधीन स्त्रोत पर कर कटौती के अध्यधीन है;या

(ङ)जो कर के भुगतान का दायी होता (यदि इस अधिनियम के अधीन छूट स्वीकृत नहीं की गई होती) बशर्ते कर निर्धारण वर्ष के लिये उसका वास्तविक या अनुमानित आवर्त धारा 3 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट कराधेय मात्रा से कम नहीं है; या

(च)जो किसी कर निर्धारण वर्ष के दौरान कारबार प्रारम्भ करता है और शेष वर्ष के लिये उसका औसत मासिक अनुमानित आवर्त या जिसका पूर्वोक्त अवधि में किसी भी माह में उसका वास्तविक आवर्त धारा 3 की उपधारा (7) के अनुसार कराधेय मात्रा के बारहवें हिस्से (1/12) से कम नहीं है,

वह पंजीयन के लिये दायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे ब्यौहारी जो केवल उस माल जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर से मुक्त किये गये हैं, (उनको छोड़कर जिनको सशर्त कर मुक्त किया गया है) में कारबार करते हैं, के लिये इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(3) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, निम्न ब्यौहारी जो अन्यथा कर के भुगतान करने के दायी नहीं हो सकते हैं, इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्राप्त करने के लिये उस तारीख से दायी समझे जायेंगे जब ब्यौहारी प्रथम बार –

(क)राज्य के बाहर से कोई कराधेय माल प्राप्त करता है, या

(ख)भारत के राज्य क्षेत्र के अन्दर माल आयात करता है या क्षेत्र के बाहर माल निर्यात करता है, या

(ग)कोई कराधेय माल, विक्रय के अन्यथा, राज्य के बाहर प्रेषण करता है।

(4)इस धारा में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, निम्न वर्ग के व्यौहारी, उनके बिक्रय धन का विचार किये बिना, अपने कारबार के प्रारम्भ करने की तारीख से पंजीयन के दायी होगें–

(क)प्रत्येक नैमित्तिक व्यौहारी,

(ख)केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956, के अधीन राज्य के भीतर पंजीकृत प्रत्येक व्यौहारी,

(ग)राज्य के बाहर रहने वाला लेकिन राज्य के भीतर कारबार करने वाला प्रत्येक व्यौहारी,

(घ)शराब, बीयर सहित, का प्रत्येक व्यौहारी,

(ङ)प्रत्येक कमीशन एजेन्ट, दलाल, परिशोधी अभिकर्ता, नीलामकर्ता, या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, जो अपने कर्ता की ओर से माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण या वितरण करता है,

(5)ऊपर निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार पंजीयन प्राप्त करने के लिये अपेक्षित प्रत्येक व्यौहारी करनिर्धारक प्राधिकारी के समक्ष इस निमित्त एक आवेदन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा।

(6)प्रत्येक व्यौहारी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अधीन–

(क)पंजीयन प्रमाणपत्र रखता हो, या

(ख)अनन्तिम पंजीयन प्रमाणपत्र रखता हो,

और जिस पर इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) या उपधारा (5) लागू होती है और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख तक जिसका पंजीयन प्रमाणपत्र करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा न तो निरस्त किया गया और न ऐसे व्यौहारी द्वारा कारबार बन्द कर दिया गया है, वह धारा 17 के उपबन्धों के रहते हुये इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से इस अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत व्यौहारी समझा जायेगा, और यदि ऐसा कोई व्यौहारी इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यौहारी बने रहने का इच्छुक नहीं है तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर इस आशय का आवेदन कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा।

(7) प्रत्येक व्यौहारी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अधीन एक पंजीकृत व्यौहारी रहा है और धारा 3 की उपधारा (7) में उल्लिखित आवर्त सीमा को देखते हुये वह इस अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिये दायी नही है, लेकिन यदि वह पंजीयन रखे रखना चाहता है, तो ऐसी अवधि में और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाय, अपना आवेदन प्रस्तुत करने पर, उसको इस अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन स्वीकृत किया जा सकता है, और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से उसको इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत समझा जायेगा।

(8)प्रत्येक व्यौहारी जिसने उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के किसी उपबन्ध के अधीन पंजीयन प्रमाणपत्र हेतु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व आवेदन किया था और जिसका प्रमाणपत्र उस अधिनियम के अधीन करनिर्धारक प्राधिकारी के समक्ष निस्तारण हेतु लम्बित था, तो, यदि बाद में उस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाणपत्र स्वीकृत कर दिया जाता है और उसने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख तक कारबार बन्द नही किया है, को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पंजीकृत व्यौहारी समझा जायेगा।

(9)कोई व्यौहारी जो उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के किसी उपबन्ध के अनुसार पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये दायी था और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिये दायी है, लेकिन ऐसे व्यौहारी ने उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन पंजीयन प्रमाणपत्र दिये जाने के लिये आवेदन नही किया था, तो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि में और ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि विहित किया जाय, पंजीयन स्वीकृति हेतु पंजीयन आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(10)कोई व्यौहारी यदि अन्यथा धारा 3 की उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसार कर के भुगतान के लिये दायी नही है, तब तक पंजीकृत व्यौहारी नही समझा जायेगा जब तक कि वह स्वैच्छिक पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन ऐसी अवधि में और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत न करे।

16: स्वैच्छिक पंजीयनः

(1)कोई व्यौहारी जो –

(क)विक्रयहेतु किसी कराधेय माल का विनिर्माण करना चाहता है, या

(ख)कराधेय माल के बिक्रय या क्रय का कारबार करना चाहता है, या

(ग)माल के बिक्रय व क्रय का कारबार कर रहा है, लेकिन अन्यथा पंजीयन प्राप्त करने के लिये दायी नही है,

तो, यदि वह ऐसा चाहे, इस अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन की स्वीकृति हेतु आवेदन विहित रीति से प्रस्तुत कर सकता है, और ऐसा पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि स्वीकृत किया जाता है, आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(2)कोई व्यौहारी जिसको इस धारा के अधीन या धारा 15 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन प्रमाणपत्र स्वीकृत कर दिया जाता है, इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिये दायी होगा जब तक उसका पंजीयन प्रभावी रहता है।

(3)इस धारा के अधीन दिये गये आवेदन पर किसी व्यौहारी का पंजीयन, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निरस्त न कर दिया गया हो, बना रहेगा।

(4)इस धारा के अधीन दिये गये आवेदन पर पंजीकृत कोई व्यौहारी उक्त उपधारा(3) के उपबन्धों के रहते हुए ऐसे पंजीयन को निरस्त करने हेतु आवेदन कर निर्धारक प्राधिकारी को, विहित रीति से, प्रस्तुत कर सकता है और कर निर्धारक प्राधिकारी,

यदि ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान करने के लिये दायी न हो, ऐसा आवेदन दिये जाने की तारीख या किसी अन्य तारीख जैसा कि वह उचित समझे, से पंजीयन निरस्त कर सकता है।

(5)इस धारा के अधीन दिये गये आवेदन पर पंजीकृत किसी ब्यौहारी का आवर्त जब आनुक्रमिक अगले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में करायेय मात्रा से कम रहता है, तो कर भुगतान करने का उसका दायित्व समाप्त हो जायेगा।

(6)धारा 17, धारा 18 और धारा 19 के उपबन्ध इस धारा के अधीन स्वीकृत होने वाले पंजीयन प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि धारा 15 के अधीन पंजीयन पर लागू होते हैं।

17: पंजीयन के लिये प्रक्रिया:

(1) किसी ब्यौहारी ने उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्धों के अधीन पंजीयन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिये अपेक्षित फीस का भुगतान नहीं किया है, तो पंजीयन प्रमाणपत्र इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को विधि मान्य नहीं समझा जायेगा, लेकिन यदि ऐसा ब्यौहारी देय नवीकरण फीस 100/– विलम्ब फीस सहित इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख के 30 दिन के भीतर जमा कर देता है तो वह नवीनीकरण फीस जमा करने की तारीख से पंजीकृत ब्यौहारी समझा जायेगा।

(2)प्रत्येक ब्यौहारी जो धारा 15 या धारा 16 के अधीन पंजीकृत किये जाने के लिये अपेक्षित है, पंजीयन हेतु आवेदन ऐसे प्रारूप में ऐसी फीस सहित, ऐसी अवधि में और रीति के अनुसार जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा।

(3)करनिर्धारक प्राधिकारी, ऐसी जॉच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, और धारा 20 के उपबन्धों और ऐसी अन्य शर्तो के अधीन जो इस निमित्त विहित की जाय, आवेदन स्वीकार कर सकता है और ब्यौहारी को पंजीकृत कर सकता है, और विहित प्रारूप में पंजीयन प्रमाणपत्र जारी कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि पंजीयन स्वीकार करने हेतु ब्यौहारी से कोई प्रतिभूति मांगी जाती है, तो पंजीयन, ब्यौहारी द्वारा ऐसी प्रतिभूति करनिर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार जमा करने के पश्चात, स्वीकृत किया जायेगा।

(4) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये पंजीयन उस तारीख से प्रभावी होगा, जब ब्यौहारी पंजीयन के लिये दायी हो जाता है, यदि वह विहित अवधि के भीतर पंजीयन के लिये आवेदन करता है और किसी अन्य स्थिति में, उस दिन से जब वह पंजीयन के लिये आवेदन करता है।

(5)किसी ब्यौहारी को स्वीकार किया गया पंजीयन प्रमाणपत्र कारबार बन्द किये जाने तक प्रभावी रहेगा जब तक कि पंजीयन प्रमाणपत्र इससे पूर्व किसी समय भी इस अधिनियम की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन निरस्त न कर दिया गया हो।

(6)यदि पंजीयन के लिये आवेदन अशुद्ध या अपूर्ण है, या व्यवस्थित रुप में नहीं है या फीस या अर्थदण्ड का भुगतान नही किया गया है या मांगी गयी प्रतिभूति जमा नही की गयी है या करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य पर्याप्त कारणों को अभिलिखित

करने पर, वह, आवेदनकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, आवेदन एक लिखित आदेश द्वारा निरस्त कर सकता है।

(7)(क) यदि कोई व्यौहारी जिसको पंजीयन प्रमाणपत्र स्वीकार कर दिया गया है–

(i)इस अधिनियम के अधीन विवरणी विहित अवधि में दाखिल करने में असफल रहता है; या

(ii)विवरणी में जानते हुये अपूर्ण या अशुद्ध विशिष्टियां देता है; या

(iii)इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कोई कर (अर्थदण्ड या ब्याज सहित) विहित अवधि में जमा करने में असफल रहता है,

तो ऐसे व्यौहारी का पंजीयन प्रमाणपत्र करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, निलम्बित किया जा सकता है।

(ख) जहाँ धारा 18 के अधीन पंजीयन को निरस्त करने के लिये कोई कार्यवाही करनिर्धारक प्राधिकारी के समक्ष निस्तारण हेतु लम्बित है, ऐसे व्यौहारी का पंजीयन का प्रमाणपत्र उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस अवधि के लिये जब कि निरस्त करने की कार्यवाही लम्बित है, निलम्बित किया जा सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त खण्ड (क) के अधीन किसी व्यौहारी का पंजीयन प्रमाणपत्र निलम्बित नहीं किया जायेगा यदि उसने विवरणी को नोटिस में विहित तारीख के भीतर दाखिल कर दिया है और उसने इस अधिनियम के अधीन देय कर, अर्थदण्ड या ब्याज का भुगतान ऐसी तारीख, जो करनिर्धारक प्राधिकारी व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपर बढ़ा सकता है, तक कर दिया हो।

(8)निलम्बन की तारीख से 45 दिन के भीतर समस्त कर (अर्थदण्ड या ब्याज, यदि कोई हो, सहित) का भुगतान करने का साक्ष्य प्रस्तुत करने और समस्त अतिशोध्य विवरणी को प्रस्तुत करने पर, व्यौहारी के आवेदन देने पर उपधारा (7) के खण्ड (क) के अधीन पंजीयन के प्रमाणपत्र का निलम्बन वापस ले लिया जायेगा और पंजीयन प्रमाणपत्र बहाल कर दिया जायेगा।

(9)यदि कोई व्यौहारी जिसका पंजीयन का प्रमाणपत्र उपधारा (7) के खण्ड (क) के अधीन निलम्बित कर दिया गया है, उपधारा (8) के उपबन्धों के अनुपालन करने में असफल रहता है, तो करनिर्धारक प्राधिकारी उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, ऐसे व्यौहारी का पंजीयन का प्रमाणपत्र निरस्त कर सकता है।

(10)उपधारा (7) के खण्ड (ख) के अधीन पंजीयन के प्रमाणपत्र का निलम्बन, उसके निलम्बन के तारीख से भूतलक्षी रुप से वापस ले लिया जायेगा यदि पंजीयन के प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण नही किया जाता है।

(11)यदि कोई व्यौहारी जिस पर धारा 15 के उपबन्ध लागू होते है–

(क) अपने कारबार या उसके किसी अंश का अंतरण विक्रय, पट्टे, इजाजत, लायसैंस, भाड़ा या किसी अन्य रीति, जैसी भी है, द्वारा करता है या अन्यथा अपने कारबार या उसके किसी अंश का अन्यथा व्ययन करता है; या

(ख)किसी कारबार को, चाहे क्रय कर के या अन्यथा, प्राप्त करता है; या

(ग)अपने कारबार के स्वामित्व या गठन में कोई अन्य परिवर्तन करता है या ऐसा उसके संज्ञान में आता है; या

(घ)अपना कारबार बन्द करता है या अपने कारबार का स्थान या भांडागार को बदलता है या नया कारबार का स्थान या भांडागार खोलता है; या

(ङ)अपने कारबार के नाम, शैली या प्रकृति में परिवर्तन करता है अथवा ऐसे माल जिसमें वह कारबार करता है, के वर्ग या विवरण जैसा कि उसके पंजीयन प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है, में कोई परिवर्तन करता है; या

(च)अपने कारबार के सम्बन्ध में किसी भागीदारी या अन्य संगम में शामिल होता है; या

(छ)कोई नया कारबार प्रारम्भ करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ पृथक-पृथक या संयुक्त रुप से किसी कारबार में सम्मिलित होता है; या

(ज)किसी परिनियम के अधीन निगमित कम्पनी या कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई कम्पनी या प्राइवेट कम्पनी अपने निदेशक बोर्ड के गठन में कोई परिवर्तन करती है; या

(झ)धारा 15 या धारा 16 के अधीन पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वीकृति के लिये दिये गये आवेदन में दी गयी विशिष्टियों में कोई परिवर्तन करता है,

तो, उपरोक्त घटनाओं में से किसी के भी घटित होने के 30 दिन के भीतर करनिर्धारक प्राधिकारी को ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित किया जाय, सूचित करेगा।

(12) जहां किसी ब्यौहारी का पंजीयन हेतु दिया गया आवेदन इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अस्वीकार कर दिया जाता है और पंजीयन हेतु आवेदन पर विनिश्चय लम्बित रहते हुये, ब्यौहारी ने क्रेताओं से कर वसूल किया है, तो वह वसूल किये गये कर को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राजकीय कोष में जमा करने के लिए दायी होगा, और क्रेता इनपुट टैक्स के लाभ का हकदार होगा, मानो कि ब्यौहारी इस प्रयोजन हेतु, पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से आरम्भ होने और इस प्रकार के अस्वीकृति आदेश की ब्यौहारी पर तामीली की तारीख तक की अवधि में एक पंजीकृत ब्यौहारी था।

18: पंजीयन का निरस्तीकरण:

(1) किसी ब्यौहारी का धारा 15 या धारा 16 के अधीन स्वीकृत पंजीयन का प्रमाणपत्र करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा ब्यौहारी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से निरस्त किया जा सकता है, यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि –

(क)कोई कारबार जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन किसी ब्यौहारी को पंजीयन प्रमाण पत्र दिया गया है, बन्द कर दिया गया है; या

(ख)किसी ब्यौहारी द्वारा कारबार के अन्तरण के मामले में जहाँ अंतरिती के पास इस अधिनियम के अधीन पहले से पंजीयन है; या

(ग)कोई निगमित निकाय बन्द कर दिया जाता है या वह अन्यथा अस्तित्वहीन हो जाता है; या

(घ) किसी सांपत्तिक(प्रोपराइटरशिप) कारबार के स्वामी की मृत्यु हो जाती है और, कारबार चलाने के लिये कोई उत्तराधिकारी नही रह जाता है; या

(ङ)किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम के मामले में यदि उसका विघटन हो जाता है; या

(च)कोई ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिये दायित्वाधीन नहीं रह गया है या पंजीकरण के अध्यधीन नहीं रह गया है; या

(छ)कोई ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन देय कोई कर (कोई अर्थदण्ड या ब्याज सहित) देय तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर भुगतान करने में असफल रहा है; या

(ज)कोई ब्यौहारी माल के विक्रय के सन्दर्भ में किसी व्यक्ति को विक्रय बीजक जारी करके, ऐसे बीजक को जानबूझ कर अपनी लेखा पुस्तकों में लेखाकंन करने में असफल रहा है; या

(झ)कोई ब्यौहारी किसी घोषणापत्र जिसको वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वह झूठा है, को रखता है या स्वीकार करता है या प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करवाता है; या

(ञ)कोई ब्यौहारी जिससे धारा 20 के उपबन्धों के अधीन प्रतिभूति दिया जाना अपेक्षित है लेकिन ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहा है; या

(ट)कोई ब्यौहारी जिसको पंजीयन प्रमाणपत्र स्वीकृत किया गया था, ने इसका दुरूपयोग किया है; या

(ठ)कोई ब्यौहारी जिसको पंजीयन प्रमाणपत्र स्वीकृत किया गया था, ने अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति को कारबार को जारी रखने की अनुमति दी है;या

(ड)किसी ब्यौहारी द्वारा प्राप्त किये इस अधिनियम के अधीन विहित कोई घोषणा का प्रपत्र या प्रमाणपत्र को किसी अन्य व्यक्ति या ब्यौहारी को विधिपूर्ण प्रयोजन के सिवाय अंतरण किया गया है; या

(ण)कोई ब्यौहारी भूल से पंजीकृत किया गया है; या

(त)कोई ऐसा अन्य कारण है जिसके लिये कर निर्धारक प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही करना अपेक्षित है,

तो, करनिर्धारक प्राधिकारी उन कारणों को अभिलिखित करके और ब्यौहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, किसी भी समय किसी ब्यौहारी द्वारा धारित पंजीयन का प्रमाण पत्र ऐसी तारीख से जो इस निमित्त करनिर्धारक प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें, निरस्त कर सकता है।

(2)ऊपर उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, करनिर्धारक प्राधिकारी, कमिश्नर या इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति से, ऐसे ब्यौहारी जिसने पंजीयन निरस्त किये जाने के लिये आवेदन नहीं किया है, का पंजीयन निरस्त कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति धारा 15 या धारा 16 के अधीन पंजीयन या स्वैच्छिक पंजीयन का हकदार नहीं है।

(3)करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त नही किया जायेगा और पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त करने हेतु ब्यौहारी का आवेदन ब्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना निरस्त नहीं किया जायेगा।

(4)पंजीयन निरस्तीकरण करनिर्धारक प्राधिकारी के निरस्तीकरण के आदेश की तारीख से प्रभावी होगा जब तक कि वह करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा आदेशित किसी अन्य तारीख से प्रभावी न हो।

(5)प्रत्येक व्यक्ति जिसका पंजीयन इस धारा के अधीन निरस्त होता है, निरस्तीकरण की तारीख को स्टाक के रूप में या पूंजीगत माल के रूप में धारित प्रत्येक कराधेय माल के सम्बन्ध में–

(क)उस माल के सम्बन्ध में देय कर यदि माल की बिक्री उस तारीख में उचित बाजार कीमत पर की गई होती; या

(ख)ऐसे माल के सम्बन्ध में पूर्व में दावाकृत कुल इनपुट टैक्स का लाभ, जो भी अधिक हो, के समतुल्य धनराशि का भुगतान करेगा।

(6)यदि इस धारा के अधीन पारित निरस्तीकरण का कोई आदेश, अपील या इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाही के परिणाम स्वरूप समाप्त कर दिया जाता है तो व्यौहारी का पंजीयन का प्रमाणपत्र, धारा 15 व धारा 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, बहाल कर दिया जायेगा और वह कर का भुगतान करने के लिये उस प्रकार दायी होगा मानो कि उसका पंजीयन का प्रमाणपत्र कभी भी निरस्त नहीं किया गया था:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यौहारी ने अपनी अपील के निस्तारण या इस प्रकार की अन्य कार्यवाही के लम्बित रहते हुये क्रेताओं से कोई कर वसूल किया है तो वह वसूल किये गये कर को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राजकीय कोष में जमा करने के लिए दायी होगा।

(7)प्रत्येक व्यौहारी जो अपने पंजीयन को निरस्त किये जाने के लिये आवेदन करता है, अपने आवेदन के साथ उसको दिये गये पंजीयन का प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करेगा और प्रत्येक व्यौहारी जिसका पंजीयन, उसके आवेदन के अन्यथा, निरस्त किया जाता है, वह अपना पंजीयन का प्रमाणपत्र निरस्तीकरण के आदेश की संसूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर अभ्यर्पित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यौहारी पंजीयन प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण के आवेदनके साथ या, जैसी भी दशा हो, निरस्तीकरण आदेश की संसूचना की तारीख के 15 दिन के अन्दर, इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 के अधीन प्राप्त और उपयोग किये गये समस्त घोषणा पत्र या प्रमाणपत्र का विवरण, यदि पूर्व में पहले ही जमा न किया गया है, प्रस्तुत करेगा और बिना उपयोग किये गये घोषणापत्र और प्रमाणपत्र के अवशेष प्रपत्र अभ्यर्पित करेगा।

(8)किसी व्यक्ति द्वारा जबकि वह एक पंजीकृत व्यक्ति है, किसी बात के करने अथवा करने से चूक जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन उसकी बाध्यताएं और दायित्व (धारा 23 द्वारा अपेक्षित कर के भुगतान और विवरणी दाखिल करने सहित) पंजीयन प्रमाणपत्र के निरस्त हो जाने से प्रभावित नहीं होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि व्यौहारी के आवेदन पर अथवा अन्यथा पंजीयन के निरस्तीकरण के बाबजूद, व्यौहारी द्वारा किसी कर अवधि के लिये देय कर (अर्थदण्ड और ब्याज सहित) का भुगतान करने के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा चाहे ऐसा कर (किसी अर्थदण्ड और ब्याज सहित) का निर्धारण निरस्तीकरण की तारीख से पूर्व किया गया हो किन्तु भुगतान के लिये बकाया रह गया हो, या उसके बाद निर्धारित किया जाय।

19: पंजीयन प्रमाणपत्र का संशोधन:

(1)करनिर्धारक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत अथवा अन्यथा प्राप्त किसी सूचना पर विचार करके और ऐसी पूछताछ जिसे वह उचित समझे, करके, किसी पंजीयन प्रमाणपत्र को, समय–समय पर, संशोधित कर सकता है, और पंजीयन प्रमाणपत्र का ऐसा संशोधन निम्न प्रकार प्रभावी होगा –

(क)नाम, स्वामित्व या कारबार के स्थान में परिवर्तन या एक नया कारबार का स्थान खोलने के मामले में, घटना जिसके कारण संशोधन किये जाने के लिये आवश्यकता हुई हो, की तारीख से, चाहे उस निमित्त सूचना धारा 17 की उपधारा (11) में विहित समय के भीतर दी गई हो अथवा नहीं ;

(ख)पंजीयन प्रमाणपत्र में किसी माल के वर्णन में कोई परिवर्धन या परिवर्तन के मामले में, घटना जिसके कारण संशोधन किये जाने की आवश्यकता हुई है, की तारीख से यदि उस निमित्त सूचना धारा 17 की उपधारा (11) में विहित समय के भीतर दी गई है, और अन्य किसी मामलें में ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन के लिये प्रार्थना कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त होने की तारीख से;

(ग)किसी माल या माल के वर्ग को हटाने की दशा में, हटाने के आदेश की तारीख से:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी कारबार के स्वामित्व में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी व्यौहारी द्वारा कर के भुगतान करने का दायित्व समाप्त हो जाता है, पंजीयन प्रमाणपत्र का संशोधन उस तारीख जिसको धारा 17 की उपधारा (11) के अन्तर्गत ऐसे परिवर्तन की सूचना दी गयी है, से प्रभावी होगा;

प्रतिबन्ध यह और है कि कर निर्धारक प्राधिकारी किसी पंजीयन के आवेदन को स्वप्रेरणा से संशोधन करने से पूर्व ऐसे संशोधन से प्रभावित होने वाले व्यौहारी को सुनवाई का अवसर देगा।

(2)जहाँ कोई पंजीकृत व्यौहारी–

(क)अपने कारबार के नाम में परिवर्तन करता है; या

(ख)एक फर्म है और फर्म के गठन में, उसको विघटन किये बिना, परिवर्तन होता है; या

(ग)एक न्यास है और इसके न्यासियों में कोई परिवर्तन होता है; या

(घ)किसी प्रतिपाल्य का संरक्षक है और संरक्षता में कोई परिवर्तन होता है; या

(ङ)एक ''संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब'' है और ऐसे कुटुम्ब का कारबार एक भागीदारी कारबार जिसमें सभी या कोई सहदायिक इसके भागीदार हो, में परिवर्तित हो जाता है,

तब उपरोक्त परिस्थिति के किसी कारण मात्र से, ऐसे व्यौहारी या ऐसी फर्म के लिये नये पंजीयन प्रमाणपत्र के लिये आवेदन करना आवश्यक नहीं होगा और इस धारा के अधीन अपेक्षित रीति से सूचना प्रेषित किये जाने पर, पंजीयन प्रमाणपत्र संशोधित कर दिया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन पंजीयन प्रमाणपत्र का कोई संशोधन इस अधिनियम के अधीन किसी कर के दायित्व या किसी अपराध के लिये अधिरोपणीय अर्थदण्ड के उसके किसी दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, होगा।

20: राजस्व के हित में प्रतिभूतिः

(1) करनिर्धारक प्राधिकारी का

(क)इस अधिनियम के अधीन देय या भुगतान योग्य किसी कर, अर्थदण्ड या अन्य धनराशि की समुचित वसूली के लिये; या

(ख)इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित प्रपत्रों की समुचित अभिरक्षा या प्रयोग के लिये; या

(ग)पंजीयन प्रमाणपत्र स्वीकृत या, जैसी भी स्थिति हो, उसको प्रभावी बने रहने के लिये एक शर्त के रूप में,

जहाँ ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वीकृति या, जैसी भी स्थिति हो, किसी समय जब ऐसा प्रमाणपत्र प्रवृत्त हो, निर्देश दे सकता है कि ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति विहित रीति से और विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसी प्रतिभूति या, यदि ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति ने ऐसी प्रतिभूति पहले ही दे दी है, तो किसी प्रकार की ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देगा, जैसी उपर्युक्त सभी या किन्ही प्रयोजनो के लिये विनिर्दिष्ट की जाय।

(2)करनिर्धारक प्राधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा और उन समुचित कारणों से जो उसमें अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति (एक पंजीकृत ब्यौहारी के अन्यथा)जो उत्तरांचल राज्य के भीतर माल की कोई खेप आयात करता है, से यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई कर अपवंचन नहीं हो, युक्तियुक्त प्रतिभूति की मांग कर सकता है।

(3)करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा किसी ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति से इस धारा के अधीन कोई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति देने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी, जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो,

(4)ऐसी प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति जिसकी किसी ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति से देने की अपेक्षा की जायेगी, की धनराशि–

(क)ऐसे ब्यौहारी जो धारा 3 के उपबन्धों के अधीन कर का भुगतान करने का दायी है,जिसने धारा 15 या धारा 16 के अधीन पंजीयन प्रमाणपत्र दिये जाने के लिये आवेदन किया है, के मामले में वह धनराशि होगी जो इस अधिनियम के अधीन ब्यौहारी कर के भुगतान के लिये दायी है या हो जायेगा, जिसको करनिर्धारक प्राधिकारी, ऐसे ब्यौहारी के कारबार की प्रकृति व आकार पर विचार करते हुए अवधारित करेगा ।

(ख)किसी अन्य मामले में ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति के उस करनिर्धारण वर्ष जिसमें प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई है, के लिये आवर्त पर करनिर्धारक प्राधिकारी के प्राक्कलन के अनुसार देय कर से अधिक नहीं होगा।

(5)इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित माल के सम्बन्ध में कमिश्नर एक लिखित सामान्य आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता

है कि किसी ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति से, जिसे इस अधिनियम के अधीन विहित किसी प्रपत्र की अपेक्षा हो, उतनी धनराशि की नकद प्रतिभूति, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा की जायेगी।

(6)यदि प्रतिभूति–पत्र एक पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा निष्पादित किया गया है और ऐसे पंजीकृत ब्यौहारी का पंजीयन प्रमाणपत्र या तो निरस्त कर दिया गया है या उनके द्वारा अपना कारबार बन्द कर दिया गया है, तो ब्यौहारी ऐसी नई प्रतिभूति देगा जैसा कि निदेशित किया जाय या ऐसी रीति से जैसी कि उपधारा (7) में उल्लिखित है।

(7)यदि किसी ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन दी गयी प्रतिभूति बन्ध–पत्र के रूप में हो और किसी प्रतिभू की मृत्यु हो जाय या वह दिवालिया हो जाय, तो ब्यौहारी या सम्बद्ध व्यक्ति उपर्युक्त किसी घटना के होने के तीस दिन के भीतर उसकी सूचना करनिर्धारक प्राधिकारी को देगा, और ऐसी घटना होने के 60 दिन के भीतर बन्ध–पत्र की धनराशि के लिये नया बन्ध पत्र देगा अथवा विहित रीति से करनिर्धारक प्राधिकारी के संतोषानुसार बन्ध–पत्र की धनराशि की अन्य प्रतिभूति देगा।

(8)करनिर्धारक प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा और इसमें समुचित कारणों को अभिलिखित करके, किसी ब्यौहारी या किसी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दी गयी प्रतिभूति जिसमें अतिरिक्त प्रतिभूति भी सम्मिलित है, सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग को –

(क)कर या किसी अन्य देय धनराशि की वसूली; या

(ख)जैसा कि ऊपर उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है प्रपत्रों का उचित उपयोग न करने या कोरे या उपयोग में न लाये गये प्रपत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण राज्य सरकार को हुई किसी आर्थिक हानि की वसूली; या

(ग)विक्रय के झूठे बीजकों के जारी करने के फलस्वरूप हुई राजस्व की हानि की वसूली,

हेतु जब्त कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा।

(9)करनिर्धारक प्राधिकारी, किसी ऐसे ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति को –

(क)पंजीयन प्रमाणपत्र स्वीकृत करने से इनकार कर सकता है ;या

(ख)पहले से जारी किया गया ऐसा प्रमाणपत्र निलम्बित कर सकता है ;या

(ग)जैसा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, किसी भी प्रपत्र को जारी करने से इनकार कर सकता है,

जब तक कि ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति प्रतिभूति, या, जैसी भी दशा हो, अतिरिक्त प्रतिभूति देने सम्बन्धी आदेश का अनुपालन नहीं करता है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश संबंधित ब्यौहारी या व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायगा।

(10)जहाँ किसी ब्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिभूति पूर्णतः या भागतः जब्त कर ली जाती है या अपर्याप्त है, वहाँ अपेक्षित रकम की, यथा स्थिति, नई या

अतिरिक्त प्रतिभूति देकर कमी की पूर्ति ऐसी रीति के अनुसार और ऐसी अवधि के भीतर , जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है, करेगा।

(11)किसी व्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति जिसने अपेक्षानुसार प्रतिभूति दी है, के आवेदन देने पर, करनिर्धारक प्राधिकारी प्रतिभूति की कोई धनराशि या इसके भाग को विहित रीति द्वारा वापस कर सकता है यदि ऐसी प्रतिभूति उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये दी गई थी, अपेक्षित नहीं है।

(12)किसी ऐसे व्यौहारी से, जो धारा 4 के अधीन कर से छूट प्राप्त माल के अन्यथा कारबार करता है और इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय अधिनियम,1956, के अधीन विहित किसी प्रपत्रों का उपयोग न करता हो, इस धारा के अधीन प्रतिभूति देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(13)इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश के विरूद्ध धारा 51 के अधीन ऐसी रीति के अनुसार और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाय, अपील की जा सकती है।

(14)कोई व्यौहारी या व्यथित व्यक्ति, जो अपील प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध हो, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि विहित की जाय, धारा 53 के अधीन अपील दाखिल कर सकता है।

(15)इस धारा के उपबन्ध ऐसी प्रतिभूति के सम्बन्ध में, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश द्वारा देने की अपेक्षा की गयी है, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगें।

21: पंजीयन संख्या को उदधृत करना :

(1)प्रत्येक पंजीकृत व्यौहारी विक्रय या क्रय से सम्बन्धित प्रत्येक विक्री बीजक, चालान और ऐसे किसी दस्तावेज पर अपनी पंजीयन संख्या और उसके प्रभावी होने का तारीख छपवायेगा।

(2)प्रत्येक पंजीकृत व्यौहारी, यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई प्राधिकारी मांग करता है, तो वह अपना पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(3)प्रत्येक पंजीकृत व्यौहारी, यदि किसी माल का क्रेता ऐसी अपेक्षा करता है तो वह अपना पंजीयन प्रमाणपत्र दिखायेगा।

(4)प्रत्येक पंजीकृत व्यौहारी किसी माल का क्रय करते समय अपना नाम, पता, पंजीयन संख्या बिक्रेता व्यौहारी को देगा जो इनको ऐसे विक्रय या क्रय से सम्बन्धित विक्री बीजक या चालान या ऐसे किसी दस्तावेज में उसका उल्लेख करेगा।

(5)प्रत्येक पंजीकृत व्यौहारी अपने कारबार के प्रत्येक स्थान पर सूचना पट पर अपना नाम, पंजीयन संख्या और इसके प्रभावी होने की तारीख इस प्रकार पेन्ट करायेगा कि वह सड़क से आसानी से पढ़ने योग्य हो।

22: व्यौहारी द्वारा कर की वसूली :

(1)यदि इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यौहारी (जिसमें कमीशन अभिकर्ता या धारा 2 की उपधारा (11) के खण्ड (ग) में उल्लिखित कोई व्यक्ति भी है) द्वारा माल के विक्रय के किसी आवर्त पर कर देय है तो ऐसा व्यौहारी उस व्यक्ति से, जिसे उसने

चाहे अपनी ओर से या अपने कर्ता की ओर से माल बेचा हो, माल के विक्रय पर देय कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूल कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ब्यौहारी किसी व्यक्ति जिसको माल विक्रय किया गया है, से कर के रूप में कोई धनराशि या उसके बदले में कोई धनराशि, उसे कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर, वसूल नहीं करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा देय नहीं है या देय धनराशि से अधिक है;

प्रतिबन्ध यह और है कि ऐसा कोई ब्यौहारी जो धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन प्रकल्पित कर का भुगतान करने का करार करता है या जिससे कर निर्धारक प्राधिकारी उसके द्वारा देय कर की धनराशि के बदले धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन समाधान धनराशि स्वीकार करने के लिये सहमत हो जाता है, तो वह किसी व्यक्ति से माल के विक्रय पर कर के रूप में कोई धनराशि या उसके बदले में कोई धनराशि, उसे कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर, वसूल नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी नहीं है, अपने द्वारा या अपने माध्यम से किये गये किसी माल के विक्रय और क्रय के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से कोई धनराशि न माल के विक्रय या क्रय पर इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में, और न माल के विक्रय या क्रय पर कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर वसूल करेगा।

(3)इस अधिनियम के अधीन कोई पंजीकृत ब्यौहारी अपने द्वारा या अपने माध्यम से किये गये माल के विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति जिसे उसके द्वारा माल का विक्रय किया गया है, के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से न माल के विक्रय या क्रय पर कर के रूप में और न माल के विक्रय या क्रय पर कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर वसूल करेगा, और वह कर या कर के बदले में कोई धनराशि जो उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय नहीं है, वसूल नहीं करेगा।

(4)यदि कोई पंजीकृत ब्यौहारी माल के विक्रय पर क्रेता से कर वसूल करता है, तो विक्री बीजक विक्रय किये गये माल की कीमत और वसूल किये गये कर की धनराशि को अलग–अलग दर्शायेगा।

(5)यदि कोई ब्यौहारी जो किसी माल के विक्रय पर कर भुगतान का दायी है, ऐसे माल के क्रेता से अलग से कर प्रभारित नहीं करता है या कर की धनराशि प्रभारित करने के पश्चात ऐसी धनराशि को विक्री बीजक में अलग से नहीं दर्शाता है, तो बिकेता ब्यौहारी माल की पूरी कीमत पर कर भुगतान का दायी होगा।

(6) यदि किसी माल का विकेता ऊपर उपधारा(4) के उपबन्धों का अनुपालन नही करता है, तो कोई व्यक्ति ऐसे माल के क्रय पर कर के नाम में किसी रकम का भुगतान करने से इनकार कर सकता है।

(7)यदि कोई ब्यौहारी, किसी ऐसे पंजीकृत ब्यौहारी से, जो ऊपर उपधारा (4)के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करता है, कोई माल क्रय करता है तो वह ऐसे क्रय के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स लाभ का हकदार नही होगा।

(8)यदि किसी व्यौहारी जिससे इस अधिनियम की धारा 23 के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित है, द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की धनराशि से अधिक धनराशि गलत तरीके से वसूल की गयी है, तो वह अतिरिक्त धनराशि, सुसंगत विवरण सहित, तद्सम्बन्धित कर अवधि के लिये अपने विक्रय धन से सम्बन्धित विवरणी के साथ विहित रीति से जमा करेगा।

(9)यदि किसी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यौहारी नहीं है, द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की धनराशि से अधिक धनराशि गलत तरीके से वसूल की गयी है, तो वह अतिरिक्त धनराशि, सुसंगत विवरण सहित, अगले उत्तरवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व विहित रीति से जमा करेगा।

(7)कर निर्धारक प्राधिकारी अपने विवेकानुसार उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा विवरणी दाखिल करने की तारीख बढ़ा सकता है।

(8)यदि उपधारा (7) के अधीन विवरणी दाखिल करने की तारीख बढ़ा दिये जाने के परिणाम स्वरुप, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कर जमा करना आस्थगित हो जाता है, तो विवरणी दाखिल करने के लिये विहित अन्तिम तारीख के ठीक पश्चातवर्ती तारीख से ऐसी धनराशि को जमा करने की तारीख तक ऐसे जमा पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

(9)यदि किसी ब्यौहारी को अपने द्वारा प्रस्तुत विवरणी में कोई लोप या अन्य त्रुटि मालूम हो तो वह अगली विवरणी प्रस्तुत करने के लिये विहित समय के पूर्व किसी भी समय, पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है। यदि पुनरीक्षित विवरणी में देय कर की धनराशि मूल विवरणी में प्रदर्शित देयकर की धनराशि से अधिक दिखायी गयी है तो ब्यौहारी देय कर के अन्तर की धनराशि और देय ब्याज को भी अलग से जमा करेगा और यदि मूल विवरणी प्रस्तुत करने का समय ब्यौहारी के आवेदन पर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने के तारीख तक बढ़ा दिया गया हो, और यदि पुनरीक्षित विवरणी में देय कर की धनराशि मूल विवरणी में प्रदर्शित देय कर की धनराशि से कम दिखायी गई हो, तो ब्यौहारी देय कर से अधिक धनराशि को अनुवर्ती अवधियो के लिये देय कर के प्रति समायोजित कर सकता है।

(10)यदि किसी ब्यौहारी द्वारा विक्रय या क्रय किया गया माल विक्रय या क्रय की तारीख से 6 माह के भीतर लौटा दिया जाता है, और ऐसे विक्रय या क्रय से सम्बन्धित वर्ष का कर निर्धारण अभी किया जाना बाकी है, तो उस माह जिसमें ऐसा माल लौटाया जाय, की समाप्ति के 30 दिन के भीतर केवल उसी प्रयोजनार्थ उस अवधि जिसमें ऐसा विक्रय या क्रय किया गया था, के लिये एक पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है।

(11)कोई पंजीकृत ब्यौहारी जो कारबार जारी रखना बन्द कर देता है, बन्द होने की तारीख के 60 दिन के भीतर एक अन्तिम कर विवरणी दाखिल करेगा। उससे इस धारा के अधीन विवरणी दाखिल करने के सम्बन्ध में लागू होने वाले अन्य उपबन्धों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा।

(12)यदि करनिर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ब्यौहारी का विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त धारा 3 की उपधारा (7) में यथा विनिर्दिष्ट कराधेय सीमा से बढ़ना सम्भावित है या बढ़ गया है, तो वह विहित रीति से तामील की गई नोटिस द्वारा ऐसे ब्यौहारी द्वारा विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा कर सकता है मानो कि वह कर का भुगतान करने के लिये दायी एक ब्यौहारी है, लेकिन उसके द्वारा कर तभी देय होगा जब इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर देय होगा।

(13) प्रत्येक ब्यौहारी जो इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने का दायी है और जिसमें वह ब्यौहारी भी सम्मिलित है जिसने किसी कर निर्धारण वर्ष में आंशिक अवधि में कारबार किया है, कर अवधियों के लिये दाखिल की गई विवरणी के अतिरिक्त, कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष कर निर्धारण वर्ष के लिये वह क्रय एवं

विक्रय आवर्त की एक वार्षिक विवरणी विहित प्रारूप में, विहित रीति से और विहित अवधि के भीतर, ऐसे विवरण और दस्तावेजों सहित जो विहित किये जायें, दाखिल करेगा।

(14) किसी व्यक्ति, जो नियमों के अधीन प्राधिकृत नहीं हो, द्वारा हस्ताक्षरित कोई विवरणी, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु, इस प्रकार समझी जायेगी मानों कि कोई विवरणी दाखिल नहीं की गयी है।

24: अनन्तिम कर निर्धारण:

(1)किसी व्यौहारी द्वारा किसी भी कर–अवधि के लिये दाखिल की गई किसी विवरणी में संगणना की शुद्धता, कर और व्याज की सही दर के लगाने और इनपुट टैक्स पर दावाकृत लाभ और इस अवधि में व्यौहारी द्वारा देय कर व व्याज के सम्पूर्ण भुगतान के सत्यापन हेतु करनिर्धारक प्राधिकारी किसी भी विवरणी की जाँच कर सकता है।

(2)ऊपर उपधारा (1) के उपबन्ध के अनुसार की गई ऐसी जाँच के परिणाम स्वरूप यदि कोई त्रुटि पता लगती है तो करनिर्धारक प्राधिकारी धारा 58 में दी गई किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यौहारी को कर की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय व्याज सहित जमा करने के लिये एक नोटिस विहित रीति से तामील करेगा।

(3)यदि किसी पंजीकृत व्यौहारी या किसी व्यौहारी जो कर भुगतान करने के लिये दायी है या किसी व्यौहारी जिसको धारा 23 की उपधारा (12) के अधीन करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया है, और किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी कर–अवधि के सम्बन्ध में–

(क)विहित या करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर विवरणी दाखिल नहीं की गई है; या

(ख)विवरणी प्रस्तुत तो की गयी है लेकिन विहित प्रारूप में नहीं है; या

(ग)प्रस्तुत की गई विवरणी करनिर्धारक प्राधिकारी की राय में अशुद्ध या अपूर्ण हो या उसमें गलत विशिष्टियाँ दी गई हैं; या

(घ)विहित रीति से कर का भुगतान किये बिना विवरणी प्रस्तुत की गई है; या

(ङ)धारा 23 की उपधारा (11) के अधीन अपेक्षित विवरणी विहित समय में दाखिल नहीं की गई है,

तो करनिर्धारक प्राधिकारी, ऐसी पूछताछ करके जिन्हें वह आवश्यक समझे, विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त या दोनों, जैसी भी दशा हो, अनन्तिम रूप से अवधारित करेगा और उस पर देय कर विहित करेगा।

(4)यदि किसी एक या अधिक, जैसी भी दशा हो, कर अवधि के सम्बन्ध में –

(क)विवरणी में प्रदर्शित किया गया देय कर, करनिर्धारक प्राधिकारी को गलत प्रतीत होता है; या

(ख)विवरणी के साथ जमा किया गया कर इस अधिनियम के अधीन या विवरणी में प्रदर्शित की गई देय धनराशि से कम है; या

(ग)विवरण–पत्र में दावाकृत इनपुट टैक्स का लाभ धारा 23 की उपधारा (3) के अनुसार अपेक्षित सूचना से समर्थित नहीं है,

तो करनिर्धारक प्राधिकारी विवरणी में प्रदर्शित विक्रय आवर्त अथवा क्रय आवर्त या दोनों, जैसी भी दशा हों, पर अधिनियम के अधीन विहित दरों से कर अनन्तिम रूप से निर्धारित करेगा।

(5)इस धारा के अधीन अनन्तिम कर निर्धारण पिछली विवरणी या पिछले अभिलेख या करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया जायेगा, और करनिर्धारक प्राधिकारी निर्धारित कर की धनराशि को, ऐसी रीति और ऐसी तारीख तक जैसा कि विहित की जाय, जमा करने के लिये निर्देशित करेगा।

(6)इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात करनिर्धारक प्राधिकारी को धारा 25 या धारा 26 के अधीन पूरे वर्ष के लिये अन्तिम कर निर्धारण करने से नहीं रोकेगी, और अनन्तिम कर निर्धारण के विरूद्ध जमा किया गया कोई कर ऊपरोक्त निर्दिष्ट धाराओं के अधीन अन्तिम कर निर्धारण पर देय कर, ब्याज और अर्थदण्ड के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

(7)किसी ब्यौहारी के विरूद्ध अनन्तिम कर निर्धारण उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

25: पंजीकृत ब्यौहारी का कर निर्धारण वर्ष के लिये कर निर्धारण:

(1)ब्यौहारी के कराधेय विक्रय आवर्त, ऐसे आवर्त पर देय कर की धनराशि, कराधेय खरीद का आवर्त तथा इनपुट टैक्स के लाभ की अनुमन्य धनराशि का प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये, अथवा जहाँ ब्यौहारी ने अपना कारबार कर निर्धारण वर्ष के किसी भाग के लिये चलाया है, तो कर निर्धारण वर्ष के ऐसे भाग के लिये जिसमें ब्यौहारी ने कारबार चलाया है, कर निर्धारण किया जायेगा।

(2)प्रत्येक ब्यौहारी कर अवधियों के लिये दाखिल की गई विवरणी के अतिरिक्त कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष कर निर्धारण वर्ष के अपने आवर्त की एक वार्षिक विवरणी विहित प्रारूप में, ऐसी विशिष्टियों से युक्त और समर्थक दस्तावेजों सहित, दाखिल करेंगे, जिनमें निम्न सम्मिलित होगा–

(क)क्रयआवर्त, विक्रय आवर्त और अन्य संव्यवहारों की विशिष्टियाँ और प्रारम्भिक व अन्तिम स्टाक की कीमत;

(ख)ऐसे घोषणापत्र, प्रमाणपत्र और अन्य साक्ष्य जिन पर ऐसा ब्यौहारी अपनी विवरणी के समर्थन में भरोसा करता है;

(ग)ऐसी विवरणी के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ सहित उसके द्वारा देय कर की धनराशि के स्वनिर्धारण की संगणना;

(घ)अपनी स्वंय की गणना के आधार पर स्वीकार किया गया देय अतिरिक्त कर और देय ब्याज के भुगतान का प्रमाण; और

(ङ)ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, दस्तावेज और विवरण जो विहित किये जायें।

(3)ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी की प्राप्ति विहित रीति से सम्यक रूप से स्वीकार की जायेगी और जहाँ किसी करनिर्धारण वर्ष से सम्बन्धित सभी विवरणी प्रस्तुत की गई हैं और तात्विक विशिष्टताओं में पूर्ण है, ब्यौहारी, उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुऐ उस वर्ष के लिये स्वतः निर्धारित समझा जायेगा और वार्षिक विवरणी की प्राप्ति करनिर्धारण आदेश की प्रति समझी जायेगी,

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ विवरणी तात्विक विशिष्टताओं में पूर्ण न हों, ब्यौहारी को उन्हे पूरा करने का एक अवसर दिया जायेगा, और करनिर्धारण प्राधिकारी, वाँछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने और/या गणित सम्बन्धी गलती, यदि कोई हो के ठीक किये जाने और उसके फलस्वरूप देय कर, यदि कोई हो, का भुगतान किये जाने के पश्चात् इस मामले में आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरणः कोई विवरणी तात्विक विशिष्टताओं में पूर्ण है यदि इसमें प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना समाहित है, गणितीय रूप से सही है और इसके साथ कानूनी सूचियाँ, अभिलेख और देय कर के भुगतान का सबूत और ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में दावाकृत कटौतियाँ (जिसमें इनपुट टैक्स क्रैडिट के आधार पर कटौतियाँ भी सम्मिलित है), छूट और कोई अन्य रियायत या रिबेट के सम्बन्ध में इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 में अपेक्षित समर्थक घोषणा पत्र, प्रमाण पत्र या साक्ष्य हैं।

(4)उपरोक्त उपधारा (3) में किसी बात के रहते हुऐ भी, निम्नलिखित प्रवर्ग के मामले जाँच के पश्चात् नियमित करनिर्धारण के अध्यधीन होंगे–

(क)मामले जिनमें किसी वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रूपये से अधिक है;

(ख)मामले जिनमें किसी वर्ष में इनपुट टैक्स क्रैडिट का दावा तीन लाख रूपये से अधिक है;

(ग)मामले जिनमें किसी वर्ष में वापसी का दावा एक लाख रूपये से अधिक है;

(घ)मामले जिनमें सकल आवर्त में या कर के भुगतान में गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक की कमी है;

(ङ)मामले जिनमें क्रय व विक्रय के बीच, या इनपुट टैक्स व आउटपुट टैक्स के बीच या स्टॉक व विक्रय के बीच अनुपात कारबार या उद्योग में साधारण रूझान से अप्रसामान्य रूप से असंगत है;

(च) मामले जो कर अपवंचन के सम्बन्ध में निश्चित आसूचना पर आधारित हैं;

(छ)मामले जिनमें ब्यौहारी अवसर दिये जाने के बाद भी विवरणी में तात्विक विशिष्टताओं को पूर्ण करने में असफल रहता हैं;

(ज)मामले जिनमें माल का विक्रय, क्रय या परेषण या इनपुट टैक्स क्रैडिट के दावे संव्यवहार के दूसरे पक्ष के लेखों से मेल नहीं खाते हैं;

(झ)मामले जो उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन स्वतः करनिर्धारण के लिये आच्छादित मामलों में से किसी मानदण्ड या यादृच्छिक (रैण्डम) आधार पर अधिकतम 20प्रतिशत चयनित किये गये हैं:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा छानबीन के लिये मामलों के चयन के मानदण्ड में परिवर्तन कर सकती है।

(5) स्वतः करनिर्धारण के लिये उपधारा (3) और उपधारा (4) के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सिवाय, शेष मामलों में करनिर्धारक प्राधिकारी, इस तथ्य के होते हुऐ भी कि ब्यौहारी को धारा 24 के अधीन पहले ही अनन्तिम रूप से करनिर्धारित किया जा चुका है, ऐसे ब्यौहारी पर अपने समक्ष ऐसी तारीख और स्थान पर उपस्थित होने और

लेखाबहियों एवं समस्त साक्ष्य, बिक्रीबीजक सहित, जिन पर व्यौहारी अपनी विवरणी के समर्थन में विश्वास करे, प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाने के लिये या ऐसा साक्ष्य जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया गया है, को प्रस्तुत करने के लिये आदेशित करेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि व्यौहारी पर ऐसा नोटिस कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की विहित अन्तिम तारीख या वास्तविक तारीख जब विवरणी दाखिल की गई है, जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व तामील किया जायेगा, और नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् वाद का निस्तारण उस वर्ष जिससे कि कर निर्धारण सम्बन्धित है, की समाप्ति के तीन वर्ष के भीतर किया जा सकता है।

(6)करनिर्धारक प्राधिकारी विवरणी, लेखापुस्तकों और दस्तावेजों का परीक्षण और ऐसी कार्यवाही जिसमें उपधारा (3) के अधीन कर सम्परीक्षा कार्यवाही सम्मलित है, के दौरान पेश किये सभी साक्ष्य या उनके द्वारा अन्यथा एकत्रित किये गये साक्ष्य पर विचार करने और ऐसी पूछताछ, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात–

(क)यदि करनिर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि व्यौहारी द्वारा वार्षिक विवरणी में दर्शाया गया विक्रय आवर्त और/या क्रय आवर्त और देय कर की धनराशि सही और विश्वास करने के योग्य है, वह एक लिखित आदेश द्वारा व्यौहारी द्वारा स्वीकृत आवर्त पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, व्यौहारी पर कर निर्धारित करेगा; और

(ख)यदि उसकी यह राय है कि व्यौहारी अपने आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, या अपूर्ण या अशुद्ध विवरणी प्रस्तुत करता है और/या व्यौहारी द्वारा दर्शाया गया आवर्त और जमा की गयी कर की धनराशि सही प्रतीत नहीं होती है, तो करनिर्धारक प्राधिकारी व्यौहारी पर उसके द्वारा दर्शाये विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त या दोनों स्वीकार न किये जाने के कारण उल्लिखित करते हुये एक नोटिस तामील करवायेगा और उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा, और व्यौहारी द्वारा दिये गये उत्तर पर विचार करने के बाद करनिर्धारक प्राधिकारी–

(i) यदि उसका समाधान हो जाता है कि व्यौहारी द्वारा प्रकट किया गया आवर्त ठीक है, तो वह एक लिखित आदेश द्वारा व्यौहारी द्वारा स्वीकृत आवर्त पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कर निर्धारित करेगा; या

(ii) यदि उसका व्यौहारी द्वारा दिये गये उत्तर से समाधान नहीं होता है तो वह अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार उसका आवर्त और उस पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय कर का निर्धारण एक लिखित आदेश द्वारा करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यौहारी को बहियों, लेखे और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा चुका है लेकिन किसी कारण से उसने ऐसे अवसर का उपभोग नहीं किया है और जिसके परिणाम स्वरूप करनिर्धारक प्राधिकारी विवरणी में दर्शायी विशिष्टियों की शुद्धता और उनके औचित्य का परीक्षण नही कर सका है, तो

अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व ऐसे व्यौहारी को कारण बताओ नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा;

प्रतिबन्ध यह और है कि इस उपधारा के अधीन कोई कर निर्धारण आदेश उस वर्ष जिससे कर निर्धारण सम्बन्धित है, की समाप्ति के तीन वर्ष के पश्चात् पारित नहीं किया जायेगा

(7)किसी कर अवधि के लिये धारा 24 के अधीन अनन्तिम कर निर्धारण आदेश करनिर्धारक प्राधिकारी को अन्तिम कर निर्धारण करने से नहीं रोकेगा और अनन्तिम कर निर्धारण आदेश इस धारा के अधीन पारित अन्तिम कर निर्धारण आदेश में विलीन हो जायेगा।

(8)(क)करनिर्धारक प्राधिकारी या कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के प्रयोजन हेतु ऐसे व्यौहारी जिसको करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति जैसी कि उस प्रयोजन के लिये विहित की जाय, से चयनित किया जाय, के अभिलेख, व्यापार में स्टाक और सम्बन्धित दस्तावेजों की संपरीक्षा कर सकता है।

(ख)खण्ड (क) के अधीन कर–संपरीक्षा के प्रयोजन हेतु करनिर्धारक प्राधिकारी या कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी व्यौहारी द्वारा दाखिल की गई विवरणी और इनपुट टैक्स के लाभ सहित विभिन्न दावों की ग्राह्यता की परीक्षा करेंगे।

(ग)कर–सम्परीक्षा व्यौहारी के कार्यालय, कारबार परिसर या भाँडागार में किया जा सकता है। तथापि, करनिर्धारक प्राधिकारी, यदि वह आवश्यक समझे, किसी व्यौहारी को आदेश दे सकता है कि वे उनके कार्यालय या किसी अन्य स्थान पर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, उपस्थित हो और वहियों, लेखों, और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करें या प्रस्तुत करवायें।

(घ)व्यौहारी इस धारा के अधीन कारबार परिसर में कार्यवाही के संचालन हेतु करनिर्धारक प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को पूरा सहयोग और सहायता देगा।यदि इस धारा के अधीन कार्यवाही का संचालन व्यौहारी के कारबार परिसर में किया जाता है और यह पाया जाता कि व्यौहारी या उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि, युक्तियुक्त कारण के बिना, उपलब्ध नहीं है या ऐसे परिसर से कार्य नहीं कर रहा है, तो करनिर्धारक प्राधिकारी व्यौहारी के आवर्त की धनराशि और उस पर व्यौहारी द्वारा देय कर का इस धारा के अधीन निर्धारण या, जैसी भी दशा हो, इस अधिनियम की धारा 24 के अधीन अनन्तिम कर निर्धारण अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार करेगा।

(9)एक ही कर निर्धारण वर्ष के लिये निम्नलिखित व्यौहारियों या व्यौहारियों के वर्ग के मामलों में भिन्न भिन्न संव्यवहार के सम्बन्ध में एक से अधिक कर निर्धारण किये जा सकते है और इनको एक कर निर्धारण वर्ष का भाग माना जायेगा –

(क)ऐसे व्यौहारियों जिन्होंने राज्य से होकर माल के पारगमन हेतु एक से अधिक प्राधिकार प्राप्त किये है, पर राज्य से होकर पारगमन के लिये प्रत्येक प्राधिकार के सम्बन्ध में;

(ख)नैमित्तिक व्यौहारी जिन्होंने पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है और कारबार का कोई नियत स्थान नहीं है, पर विभिन्न कर निर्धारक प्राधिकारियों

द्वारा जिनकी अधिकारिता में उसने कारबार चलाया है;

(ग)अपंजीकृत व्यौहारी जो कराधेय माल आयात करता है, पर माल आयात करने के प्रत्येक अवसर पर;

(घ)अपंजीकृत व्यौहारी जो एक से अधिक करनिर्धारक प्राधिकारी की अधिकारिता में या तो संकर्म संविदा का निष्पादन या किसी प्रयोजन के लिये माल के उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण करता है, पर प्रत्येक करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा उनकी अधिकारिता में किये गये कारबार के सम्बन्ध में;

प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त के किसी एक ही संव्यवहार के सम्बन्ध में एक से अधिक कर निर्धारण नहीं किये जायेगें।

(10)यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के दौरान किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के विक्रय-धन पर कर की दरें परिवर्तित की जाती है या उसके सम्बन्ध में छूट स्वीकृत की जाती है या निरस्त की जाती है, तो, जहाँ तक इसका परिवर्तन छूट या निरस्तीकरण की तारीख से पश्चात् की अवधि के माल के ऐसे विक्रय-धन के भाग के सम्बन्ध में है, कर निर्धारण दरों में इस प्रकार हुये परिवर्तन या इस प्रकार दी गई छूट या निरस्त की गई छूट के आधार पर किया जायेगा।

(11)इस धारा के अधीन किया गया कोई कर निर्धारण इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी अर्थदण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

26; कर के लिये दायी अपंजीकृत व्यौहारी का कर निर्धारण;

यदि करनिर्धारक प्राधिकारी का उनके कब्जे में आई सूचना पर, यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यौहारी, जो किसी कर अवधि के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिये दायी है, अपने को पंजीकृत कराने में असफल रहा है, तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद तीन वर्षों के अवसान के पूर्व ऐसी अवधि और बाद की अवधियों के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर की धनराशि का अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार निर्धारण की कार्यवाही करेगा और उसको ऐसे कर निर्धारण के फलस्वरूप देय पायी गयी कर की धनराशि के बराबर धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने के लिये निर्देश देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कर निर्धारण व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन हेतु कोई व्यौहारी, यदि वह पंजीयन हेतु अपूर्ण आवेदन देता है या पंजीयन प्रार्थना पत्र देने के पश्चात् करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा उसको दिये गये किसी निर्देश का उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है, तो यह समझा जायेगा कि व्यौहारी पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र देने में असफल रहा है।

27: नैमित्तिक व्यौहारी के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध:

धारा 15 या धारा 25 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी-

(1) नैमित्तिक व्यौहारी राज्य में कारबार प्रारम्भ करने के कम से कम 7 दिन पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी को पंजीयन प्रार्थना-पत्र और अपने कारबार से सम्बन्धित ऐसा विवरण, ऐसे प्रारूप में एवं ऐसी रीति से जो विहित की जाय, प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसा नैमितिक ब्यौहारी नकद प्रतिभूति, जैसा कि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा नियत की जाय और जो एक माह या ऐसी कम अवधि जिसमें नैमित्तिक ब्यौहारी कारबार संचालित कर रहा हो, के लिए कर भुगतान की अनुमानित देयता से अधिक नहीं होगी, 7 दिन के भीतर लेकिन कारबार प्रारम्भ करने से पूर्व, जमा करेगा।

(3) कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे और मांगी गयी प्रतिभूति ब्यौहारी द्वारा जमा करने के पश्चात, प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर सकता है और ब्यौहारी को पंजीकृत कर सकता है और विहित प्रारूप में पंजीयन प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

(4) कर निर्धारक प्राधिकारी ब्यौहारी के पंजीकृत किये जाने के पश्चात, उसको राज्य के बाहर से माल लाने के लिये प्रपत्र, जैसा वह उचित समझे, जारी करेगा। ब्यौहारी प्राप्त व प्रयोग किये गये प्रपत्रों का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करेगा और प्रयोग में न लाये गये प्रपत्र ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाय, वापस करेगा।

(5) ऐसा नैमित्तिक ब्यौहारी ऐसे कालान्तरों पर, ऐसी कालावधि के भीतर एवं ऐसे रूप में और ऐसी रीति से अपने आवर्त का विवरण प्रस्तुत करेगा जो विहित किया जाय।

(6) ऐसा नैमित्तिक ब्यौहारी जब कारबार जारी रखना बन्द कर देता है, बन्द होने के 7 दिन के भीतर लेकिन स्थान छोड़ने से पूर्व, एक अन्तिम कर विवरणी ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जैसा कि विहित की जाय, दाखिल करेगा।

(7) नैमित्तिक ब्यौहारी से अन्तिम कर विवरणी प्राप्त होने के पश्चात कर निर्धारक प्राधिकारी विवरणी, लेखों और कारबार पुस्तकों की जांच करने और ऐसी पूछताछ जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात उस पर यथाशक्य शीघ्र कर निर्धारित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे नैमित्तिक ब्यौहारी के कारबार की अवधि एक वित्तीय वर्ष से अधिक फैलती है, तो कर निर्धारण आदेश अलग–अलग वित्तीय वर्षों में पड़ने वाली अवधि के लिये अलग–अलग पारित किये जायेंगे।

(8) कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे नैमित्तिक ब्यौहारी से देय किसी कर को समायोजित करने के पश्चात प्रतिभूति की अवशेष धनराशि उसको वापस करेगा।

(9) ऐसा नैमित्तिक ब्यौहारी कर के लिये दायी होगा यदि इस अवधि के लिये उसका विक्रय आर्वत धारा 3 की उपधारा(7) के खण्ड(क) के अनुसार करयोग्य मात्रा की आनुपातिक धनराशि से अधिक होगा और उसके खण्ड(ख) के उपबन्ध भी लागू होंगे।

(10) जब ऐसे नैमित्तिक ब्यौहारी के कारबार की अवधि एक वित्तीय वर्ष में 60 दिनों से अधिक हो जाती है और वह एक नैमित्तिक ब्यौहारी नहीं रह जाता है, तो वह धारा 15 के अधीन एक नियमित ब्यौहारी के रूप में पंजीयन के लिये आवेदन करेगा और उस पर धारा 25 या धारा 26 के उपबन्धों के अनुसार पूरे वर्ष के लिये एक नियमित ब्यौहारी के रूप में कर निर्धारित किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त उपधारा(9) के अनुसार करयोग्य मात्रा की गणना अलग–अलग अवधियों के योग के लिये की जायेगी;

प्रतिबन्ध यह और है कि इस धारा के अधीन किसी वित्तीय वर्ष में विभिन्न अवधियों के लिये निर्धारित आवर्त और कर अन्तिम कर निर्धारण आदेश में मिल जायेगा और नैमित्तिक ब्यौहारी के रूप में भुगतान किया गया कोई कर ऊपर निर्दिष्ट

धाराओं के अधीन अन्तिम कर निर्धारण में देय कर के विरूद्ध समायोजित कर दिया जायेगा।

28:विशेष परिस्थितियों में करनिर्धारण:

(1) कीमत परिवर्तन में कर निर्धारण:

यदि कोई ब्यौहारी किसी वर्ष में कोई धनराशि कीमत परिवर्तन के कारण प्राप्त करता है जो किसी पूर्व कर अवधि के आवर्त में होती यदि वह उसको उस अवधि के दौरान प्राप्त हो गई होती, तो वह उस कर अवधि का आवर्त समझा जायेगा जिसमें वह धनराशि प्राप्त हुई है और ब्यौहारी ऐसी धनराशि को उस कर अवधि जिस कर अवधि में ऐसी धनराशि प्राप्त हुई थी, के विवरणी में अलग से दर्शाते हुये सम्मिलित करेगा और करनिर्धारक प्राधिकारी इस धनराशि पर ब्यौहारी की उस कर अवधि जिसमें वह धनराशि प्राप्त हुई है, के आवर्त के समान देय कर का निर्धारण करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कर उसी दर से प्रभारित किया जायेगा, जिस पर यह प्रभारित किया गया होता यदि आवर्त पर उस कर निर्धारण वर्ष, जिससे यह आवर्त सम्बद्ध था, के लिये निर्धारित किया गया होता।

(2) संरक्षात्मक कर निर्धारण:

यदि करनिर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति कर के भुगतान का अपवंचन करने की दृष्टि से या इनपुट टैक्स का लाभ, जिसका वह अन्यथा हकदार नहीं है, का दावा करने के लिये, या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से या साहचर्य में, चाहे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः, चाहे एक अभिकर्ता, कर्मचारी, प्रबन्धक, भागीदार या मुखतारनामाधारक, प्रत्याभूतिदाता, नातेदार या सह–समुत्थान या किसी अन्य सामर्थ्य से कारबार कर रहा था, तो ऐसा व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके नाम में पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई है, लिया गया है, इस अधिनियम के अधीन देय कर, ब्याज या अर्थदण्ड या कोई अन्य देय धनराशि के भुगतान के लिये संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक दायी होगें जिसको सभी या किसी भी ऐसे व्यक्ति पर निर्धारित, आरोपित और उससे वसूल किया जा सकता है मानो कि ऐसा या ऐसे व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ब्यौहारी है। तथापि, इस धारा के अधीन कार्यवाही किये जाने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

29: कर निर्धारण से छूट गये आवर्त का निर्धारण:

(1) यदि किसी ब्यौहारी के किसी वर्ष या उसके भाग के लिये धारा 25 या धारा 26 के अधीन कर निर्धारण होने के पश्चात करनिर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कर अवधि के सम्बन्ध में ब्यौहारी का सम्पूर्ण आवर्त या उसका कोई भाग

(क)कर निर्धारण से छूट गया है; या

(ख)अवनिर्धारित रह गया है; या

(ग)विहित दर की अपेक्षा निम्न दर से निर्धारित हुआ है; या

(घ)उसमें से कोई करमुक्ति या छूट गलत अनुमन्य कर दी गई है; या

(ङ)उसमें कोई कर लाभ गलत स्वीकार कर दिया गया है,

तो करनिर्धारक प्राधिकारी कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात, ब्यौहारी पर एक नोटिस तामील करेगा और ब्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने और ऐसी जाँच करने, जिसे वह आवश्यक समझे, के पश्चात, वह ब्यौहारी के आवर्त का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा और विधि के अनुसार कर लगायेगा और तदनुसार इस अधिनियम के उपबन्ध यथासम्भव लागू होंगे;

प्रतिबन्ध यह है कि कर उसी दर से लगाया जायेगा जिससे वह लगाया जाता,यदि आवर्त निर्धारण, या पूर्ण निर्धारण निर्धारित,जैसी भी स्थिति हो किये जाने से छूट गया होता।

स्पष्टीकरण(1): इस उपधारा की कोई भी बात करनिर्धारक प्राधिकारी के लिये उसके विचार से सर्वोत्तम विवेक से करनिर्धारण करने में रुकावट पैदा करने वाली नहीं समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण (2): इस धारा और धारा 30 के प्रयोजनों के लिये "करनिर्धारक प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसने पूर्वतर कर निर्धारण आदेश, यदि कोई हो, पारित किया हो और उसके अन्तर्गत वह अधिकारी भी है, जिसे तत्समय ब्यौहारी पर कर निर्धारित करने की अधिकारिता हो।

स्पष्टीकरण (3): इस उपधारा के अधीन नोटिस जारी करने के बावजूद जहाँ कर निर्धारण या पुनर्करनिर्धारण का कोई आदेश ऐसी नोटिस जारी किये जाने के पूर्व से विद्यमान हो, वहाँ वह उसी प्रकार प्रभावी बना रहेगा, जब तक ऐसी नोटिस के अनुसरण में इस धारा के अधीन किये गये कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के किसी आदेश द्वारा उसमें परिवर्तन न कर दिया जाये।

(2)धारा 28 या इस धारा में यथा उपबन्धित किये जाने के सिवाय, कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश उपधारा (1) के अधीन उस वर्ष या उसके भाग जिसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण किया जाना है, के अन्त से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद पारित नहीं किया जायेगा।

(3)कर निर्धारण से छूट गये आवर्त के सम्बन्ध में कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण, उस कर निर्धारण वर्ष जिसके लिये कर निर्धारण किया जाना है, की समाप्ति के 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले तीन वर्ष और नौ माह की अवधि के भीतर किसी भी समय किया जा सकता है यदि इस धारा के अधीन नोटिस की तामीली उस करनिर्धारण वर्ष जिसके लिये कर निर्धारण किया जाना है, की समाप्ति के बाद 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली तीन वर्ष और छः माह की अवधि के भीतर कर दी गयी है।

(4)यदि कमिश्नर स्वयं या करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों के आधार पर सन्तुष्ट है कि ऐसा करना न्यायोचित और समीचीन है, करनिर्धारक प्राधिकारी को इस निमित्त प्राधिकृत कर सकता है और इस बात के होते हुये भी कि ऐसे कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण करने में मत परिवर्तन भी अन्तर्ग्रस्त हो, तो ऐसा कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण ऊपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी किया जा सकता है, किन्तु ऐसे कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात नही किया जा सकेगा।

30: भूल का सुधार:

(1)किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत पारित किसी आदेश में अभिलेख देखने मात्र से प्रत्यक्ष किसी बात को स्वप्रस्ताव से या व्यौहारी या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना–पत्र पर, उस आदेश के दिनांक जिसमें सुधार किया जाना हो, के तीन वर्ष के भीतर सुधार सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के अधीन प्रार्थना–पत्र ऐसी तीन वर्ष की अवधि के भीतर दिया गया है, तो उसका निस्तारण ऐसी अवधि के पश्चात भी किया जा सकता है;

प्रतिबन्ध यह और है कि ऐसा कोई सुधार, जिसके प्रभाव से निर्धारित कर, अर्थदण्ड, फीस या अन्य देयों में बृद्धि हो, तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यौहारी या अन्य व्यक्ति को, जिसके ऐसी बृद्धि से प्रभावित होने की सम्भावना हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2)उस दशा में जब ऐसी भूल सुधार का प्रभाव लगाये हुये कर के बढ़ने का होगा, सम्बन्धित करनिर्धारक प्राधिकारी विहित रूप से माँग की फिर से सूचना व्यौहारी को देगा और उसके बाद इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गये नियमों के सब उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि प्रथम बार सूचना देने पर लागू होते है।

31: कर निर्धारण के किसी आदेश को अपास्त करने की शक्ति:

(1)किसी मामले में जिसमें कर निर्धारण या पुनः करनिर्धारण या अर्थदण्ड के सम्बन्ध में एक पक्षीय आदेश पारित किया गया हो, व्यौहारी उक्त आदेश की तामीली के तीस दिन के भीतर करनिर्धारक प्राधिकारी को ऐसा आदेश अपास्त करने और उस मामले पर पुनः विचार करने के लिये प्रार्थना–पत्र दे सकता है, और यदि ऐसे अधिकारी का समाधान हो जाय कि प्रार्थी को नोटिस नहीं मिला था या वह पर्याप्त कारणों से नियत तारीख को उपस्थित न हो सका था, तो वह आदेश को अपास्त कर सकता है और मामले की सुनवाई पुनः प्रारम्भ कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण के एकपक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने के लिये कोई प्रार्थना–पत्र तब तक नहीं लिया जायेगा जब तक कि उसके साथ कर की धनराशि, जिसे व्यौहारी ने स्वीकार किया हो, के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण न हो।

(2)यदि धारा 24 के अधीन कोई कर निर्धारण आदेश एकपक्षीय दिया जाय, तो व्यौहारी आदेश तामील किये जाने के तीस दिन के भीतर करनिर्धारक प्राधिकारी को ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिये आवेदन कर सकता है और यदि ऐसे प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि व्यौहारी ने ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने के लिये विहित अन्तिम तारीख से तीस दिन के भीतर विवरणी प्रस्तुत कर दिया है और विवरणी के अनुसार देय कर का भुगतान कर दिया है, तो वह ऐसा आदेश और उसके अधीन मांग की सूचना भी, यदि कोई हो, परिष्कृत या अपास्त कर सकेगा।

(3)यदि किसी व्यौहारी को उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4–क के अधीन पात्रता प्रमाणपत्र, उस अवधि के लिये दिया गया है जिसके लिये पात्रता प्रमाण पत्र दिये जाने के पूर्व निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का आदेश या अपील में आदेश पारित किया गया है, तो

ऐसा आदेश उस करनिर्धारण या अपील प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता है, या तो स्वतः या व्यौहारी के आवेदन पर, ऐसा पात्रता प्रमाण पत्र देने वाले आदेश की प्रति को उसको प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर, अपास्त किया जा सकता है और विधि के अनुसार एक नया आदेश पारित किया जा सकता हैः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यौहारी द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन उपर्युक्त अवधि के भीतर किया गया हो, तो उसका निस्तारण ऐसी अवधि के बाद भी किया जा सकता है।

32: कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण के लिये परिसीमा कालः

(1)कर निर्धारण वर्ष की किसी कर अवधि के लिये धारा 24 के अधीन कोई कर निर्धारण आदेश व्यौहारी द्वारा ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिये वार्षिक विवरणी दाखिल करने के बाद पारित नहीं किया जायेगा और यदि व्यौहारी द्वारा विवरणी दाखिल नहीं किया गया है, तो ऐसी अवधि के लिये वार्षिक विवरणी दाखिल किये जाने के लिये विहित अवधि या, बढ़ाये गये स्वीकृत समय की समाप्ति के बाद कर निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(2)धारा 28 में अन्यथा दिये गये उपबन्धों के सिवाय किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश ऐसे कर निर्धारण वर्ष के अन्त से 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(3)धारा 29 के उपबन्धों के अधीन कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण आदेश उसमें विहित समय के भीतर पारित किया जा सकता है।

(4)यदि किसी कर निर्धारण का कोई आदेश अपास्त कर दिया जाय और मामले को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पुनः कर निर्धारण के लिये प्रतिप्रेषित किया जाय तो करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा मामले के प्रतिप्रेषण के आदेश की प्रति प्राप्त होने के तारीख से एक वर्ष के भीतर पुनः कर निर्धारण आदेश किया जा सकता है।

(5)यदि कर निर्धारण का कोई आदेश करनिर्धारक प्राधिकारी की अधिकारिता के अभाव के आधार पर या किसी नोटिस की अनुचित तामीली के आधार पर या अनुचित नोटिस की तामीली के आधार पर या किसी अन्य तत्समान आधार पर किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा अभिखण्डित कर दिया जाय, तो जिस करनिर्धारक प्राधिकारी का आदेश इस प्रकार अभिखण्डित किया गया है, अधिकारिता युक्त करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण का नया आदेश पारित किया जा सकता हैः

प्रतिबन्ध यह है कि जब पूर्व में किया गया कोई कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण आदेश उचित नोटिस के अभाव में या अधिकारिता के अभाव में या उचित नोटिस की तामीली के अभाव में अभिखण्डित कर दिया गया है तो करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा विहित समयावधि के भीतर कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का नया आदेश, व्यौहारी पर नोटिस उचित तौर पर तामील करने के बाद और व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद पारित किया जा सकता है।

(6)यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश धारा 31 के अधीन अपास्त कर दिया जाय, तो उस वर्ष के लिये कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का नया आदेश उस तारीख से, जब पूर्ववर्ती आदेश अपास्त किया गया था,एक वर्ष के भीतर किया जा सकता है।

(7)जहाँ किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये कर निर्धारण या पुनःकर निर्धारण की कार्यवाही किसी न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश के अधीन स्थगित हो, तो स्थगन आदेश की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और सम्बद्ध करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा स्थगन को निष्प्रभावी करने वाले आदेश की प्राप्ति की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को इस धारा में उपबन्धित परिसीमा अवधि की संगणना करने में निकाल दिया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी संगणना करने में परिसीमा की अवधि एक वर्ष से कम हो जाये, तो ऐसा कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण, करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा स्थगन को निष्प्रभावी करने वाले आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जा सकता है।

(8)करदाता के किसी अन्य कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण, या किसी अन्य किसी विषय के सम्बन्ध में कोई अपील या अन्य कार्यवाही, जिसमें विधि का ऐसा प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो जिसका प्रश्नगत कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण पर सीधा प्रभाव पड़ सकता हो, जिस अवधि के दौरान उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित रही हो, उस अवधि को इस धारा में उपबन्धित परिसीमा काल की संगणना करने में निकाल दिया जायेगा।

(9)यदि किसी करनिर्धारक प्राधिकारी ने किसी व्यौहारी के किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण में –

(क)किसी आवर्त को सम्मिलित कर लिया है और वरिष्ठ प्राधिकारी या न्यायालय ने अपने में विधिपूर्वक निहित शक्तियों का प्रयोग करके, ऐसे आवर्त को–

(i) किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिये उस व्यौहारी के, या

(ii) केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन उस व्यौहारी के; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम,1956 के अधीन किसी अन्य व्यौहारी के,

कर निर्धारण से सम्बन्धित ठहराया हो; या

(ख) किसी आवर्त को इस आधार पर सम्मिलित नहीं किया है कि उसका सम्बन्ध केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन कर निर्धारण से है और किसी वरिष्ठ प्राधिकारी या न्यायालय ने अपने में निहित विधिपूर्वक शक्तियों का प्रयोग करके, ऐसे आवर्त को इस अधिनियम के अधीन उस व्यौहारी के कर निर्धारण से सम्बन्धित ठहराया हो, चाहे वह ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिये हो या किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिये,

तो इस धारा की समय को सीमित करने वाली कोई बात, यथास्थिति, ऐसे कर निर्धारण वर्ष के या ऐसे अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिये, उस व्यौहारी के या ऐसे अन्य व्यौहारी

के, चाहे इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन, कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के सम्बन्ध में लागू न होगी।

(10)यदि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4–क के अधीन स्वीकृत पात्रता प्रमाणपत्र को कमिश्नर द्वारा इस अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (13) के अधीन संशोधित या निरस्त कर दिया जाता है, तो संगत वर्ष के लिए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण ऊपरोक्त प्रमाणपत्र के संशोधन या निरस्तीकरण आदेश की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जा सकता है।

(11)यदि किसी करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा किसी व्यौहारी के सम्बन्ध में किसी अवधि के लिये पारित कोई आदेश किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश जो अन्तिम हो गया है, के परिणाम स्वरूप या उसको ध्यान में रखते हुये त्रुटिपूर्ण या राजस्व के हित में हानिकर पाया जाता है, तो इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुये भी, करनिर्धारक प्राधिकारी, कमिश्नर या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिये अधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति से, ऐसे विनिश्चय या आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि में किसी भी समय, विनिश्चय या आदेश के अनुसार व्यौहारी द्वारा देय कर का निर्धारण करने के लिये कार्यवाही कर सकता है।

(12)इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुये भी, जहाँ राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य या उसके किसी भाग में तत्समय विद्यमान असाधारण परिस्थितियों के कारण, किसी मामले में या मामलो के वर्ग में इस धारा के अधीन निर्धारित समय के भीतर कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण पूरा करना कठिन होगा, तो वह राजपत्र में अधिसूचित करके, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग में कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के लिये इस अधिनियम के अधीन विहित समय सीमा को बढ़ा सकती है।

(13)जहाँ कोई व्यौहारी किसी ऐसी धनराशि जो उसने कर के रूप में जमा की है, या कोई धनराशि उससे कर के रूप में वसूल की गई है या उसके द्वारा धारा 35 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन कर की कटौती की गई है, की वापसी का दावा करता है और कोई करनिर्धारण इस धारा के अधीन विहित समय के भीतर नहीं किया गया है तो, इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुये भी, करनिर्धारक प्राधिकारी, कमिश्नर की लिखित पूर्व अनुमति से, जमा की गई, काटी गयी या वसूल की गयी धनराशि से सम्बन्धित कर देयता के प्रति आवर्त और कर का निर्धारण ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिये इस धारा में विहित समयावधि के बाद भी कर सकता है।

33: <u>आवर्त और कर आदि को पूर्णांकित करना</u> :

(1)विहित रीति से अवधारित आवर्त की धनराशि को, यदि ऐसी धनराशि दस रूपये के गुणांक में न हो, निकटतम दस रूपये के गुणांक में पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात दस रूपये के ऐसे भाग को जो पाँच रूपये से कम हो, छोड़ दिया जायेगा, और किसी अन्य भाग को दस रूपया गिना जायेगा। इस प्रकार पूर्णांकित की गयी धनराशि को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिये निर्धारिती का आवर्त समझा जायेगा।

(2)इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, फीस, ब्याज, अर्थदण्ड या किसी धनराशि को या वापस करने योग्य धनराशि को, अगर ऐसी धनराशि में एक रूपये का भाग हो, निकटतम रूपये के गुणांक में पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात एक रूपये के ऐसे भाग को जो पचास पैसे से कम हो, छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को एक रूपया गिना जायेगा।

34: कर का भुगतान और उसकी वसूली:

(1)स्वीकृत रूप से देय कर की धनराशि, सम्बन्धित कर अवधि की विवरणी के साथ विहित रीति से जमा की जायेगी। कर के रूप में निर्धारित धनराशि विनिर्दिष्ट रीति से और कर निर्धारण आदेश और मांगपत्र की तामीली के 30 दिन के भीतर जमा की जायेगी। अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित धनराशि विहित रीति से और ऐसी धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित करने वाले आदेश की तामीली के 30 दिन के भीतर जमा की जायेगी। स्वीकृत रूप से देय कर या निर्धारित कर और अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि के अन्यथा अन्य कोई धनराशि जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन भुगतान योग्य अवधारित की जायेगी, विहित रीति से और विहित समय के भीतर जमा की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसी समयावधि विहित नहीं की गई है, देय धनराशि को जमा करने की अवधि ऐसे आदेश जिसके द्वारा ऐसी धनराशि अवधारित की गई है, की तामीली के 30 दिन समझी जायेगी।

(2)धारा 23 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला पंजीकृत ब्यौहारी विवरणी से आच्छादित कर अवधि के लिये उसके द्वारा देय कर की धनराशि, उसके द्वारा देय अर्थदण्ड या ब्याज या दोनों की धनराशि सहित राजकीय कोषागार में ऐसी रीति और ऐसे अन्तराल से, जैसा कि विहित किया जाय, जमा की जायेगी और ऐसी धनराशि के भुगतान दर्शाती कोषागार की रसीद प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कोई पंजीकृत ब्यौहारी जो धारा 23 की उपधारा (9) या उपधारा (10) के अनुसार संशोधित विवरणी प्रस्तुत करता है जो यह दर्शाता है कि मूल विवरणी के अनुसार जमा किये या जमा किये जाने योग्य देय कर की अपेक्षा कर की अधिक धनराशि देय है, तो वह विवरणी के साथ अन्तर की धनराशि को उपधारा (2) में उपबन्धित रीति से जमा करने की रसीद प्रस्तुत करेगा।

(4)स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा। ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

स्पष्टीकरण:–1 इस उपधारा के प्रयोजनार्थ स्वीकृत रूप से देय कर से वह कर अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन विक्रयआवर्त या यथास्थिति, क्रयआवर्त या दोनों पर, जैसा कि ब्यौहारी द्वारा रखे गये लेखों में दिखाया गया हो या जो उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी विवरणी या कार्यवाही में स्वीकृत किया गया हो, इनमें से जो भी अधिक हो।

स्पष्टीकरणः–2 "माह" का अर्थ 30 दिन होगा और एक माह से कम की अवधि के सम्बन्ध में देय ब्याज आनुपातिक रूप से संगणित किया जायेगा।

(5)पहले ही जमा की जा चुकी कर की धनराशि से अधिक इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कर की धनराशि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय ब्याज सहित, कर निर्धारण ओर मॉग की नोटिस में निर्दिष्ट रीति से और उसे तामील किये जाने के तीस दिन के भीतर जमा की जायेगी।

(6)यदि स्वीकृत रूप से देय कर जिस पर उपधारा (2) लागू होती है से भिन्न कोई निर्धारित किया गया, पुनः निर्धारित किया गया या किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा बढ़ाया गया कर, कर निर्धारण आदेश और मॉग की नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के तीन माह बाद भी बकाया रह जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति की तारीख से संगणित बकाया धनराशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय और भुगतान योग्य होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर की धनराशि अपील, पुनरीक्षण पर या सक्षम न्यायालय के किसी आदेश द्वारा परिवर्तित की जाती है तो इस उपधारा के अधीन ब्याज की धनराशि की पुनः गणना की जायेगी।

(7)उपधारा (2), (3), (4) और (5) के अधीन देय ब्याज की धनराशि, किसी ऐसे अन्य दायित्व या अर्थदण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जो ब्यौहारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उठानी पड़े और उसे कर की धनराशि में जोड़ दिया जायेगा और सभी प्रयोजनों के लिये कर का भाग समझा जायेगा।

(8)जहॉ धारा 32 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश या धारा 32 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश किया जाता है और देय कर बढ़ाया जाता है, तो ब्यौहारी ऐसे बढ़ाये गये कर पर ब्याज का दायी होगा मानों कि यह प्रथम बार पारित कर निर्धारण आदेश में बढ़ाया गया था और इस प्रयोजन हेतु कर निर्धारण आदेश और मांग की नोटिस की तामीली की तारीख तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

(9)यदि किसी कर की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश से स्थगित रही हो और ऐसा स्थगन आदेश बाद में विखण्डित कर दिया गया हो, तो उपधारा (6) में निर्दिष्ट ब्याज ऐसी किसी अवधि के लिये भी देय होगा जिसमें ऐसा आदेश प्रभावी रहा हो।

(10)इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय कोई कर या अन्य धनराशियों या कोई धनराशि जिसे करनिर्धारक प्राधिकारी को देना किसी व्यक्ति से उपधारा (14) के अधीन अपेक्षित हो या जिससे कि वह उपधारा (17) के अधीन कर निर्धारक प्राधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी और राज्य सरकार के किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन रहते हुये मालगुजारी के बकाया के रूप में या करनिर्धारक प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विहित रीति से वसूल की जा

सकेगी और वसूली के प्रयोजनों के लिये ऐसे करनिर्धारक प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को–

(क)ऐसे सभी अधिकार होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को किसी डिक्री के अधीन देय धनराशि की वसूली के प्रयोजन के लिये है;

(ख)किसी अन्य क्षेत्र में, अधिकारिता वाले करनिर्धारक प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी से ऐसी वसूली करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, यदि बाकीदार या उसकी सम्पत्ति ऐसे अन्य करनिर्धारक प्राधिकारी या अधिकारी के क्षेत्र में है, और तदुपरान्त ऐसा अन्य करनिर्धारक प्राधिकारी या अधिकारी वसूली की कार्यवाही विहित रीति से करेगा।

(11)उपधारा (4) और (5) में दी गयी किसी बात के होते हुये और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, यदि करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा किसी व्यौहारी पर इस अधिनियम के अधीन किसी कर या अन्य देयों के सम्बन्ध में कर निर्धारण और माँग की कोई नोटिस तामील की जाय और ऐसे कर या देयों के सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की जाय तो–

(क)यदि किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के फलस्वरूप ऐसे कर या अन्य देयों की धनराशि बढ़ा दी जाय तो करनिर्धारक प्राधिकारी व्यौहारी पर केवल उतनी धनराशि के सम्बन्ध में, जितनी धनराशि की ऐसी कर या अन्य देयों में वृद्धि की जाय, एक नई नोटिस तामील करेगा, और ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के निस्तारण पूर्व उस पर पहले से ही तामील की गयी नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से सम्बन्धित कोई कार्यवाही उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जिस प्रक्रम पर वह ऐसे निस्तारण किये जाने के ठीक पूर्व रही हो;

(ख)यदि किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप ऐसे कर या अन्य देयों की धनराशि कम कर दी जाय तो–

(i)व्यौहारी पर नयी नोटिस तामील करना आवश्यक न होगा, किन्तु केवल कम की गयी धनराशि वसूल की जायेगी;

(ii) यदि वसूली की कोई कार्यवाही करनिर्धारक प्राधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लम्बित हो तो करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसी कमी किये जाने की सूचना ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को देगा;

(iii) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही का, जिसके अन्तर्गत वसूली की कोई कार्यवाही भी है, निस्तारण किये जाने के पूर्व व्यौहारी पर तामील की गई नोटिस या नोटिसों के आधार पर प्रारम्भ की गई कोई कार्यवाही इस प्रकार कम की गई धनराशि के सम्बन्ध में उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है जिस प्रक्रम पर वह ऐसे निस्तारण के ठीक पूर्व रही हो;

(ग)किसी ऐसे मामले में, जिसमें कर या अन्य देयों की धनराशि में ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई वृद्धि (कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित धनराशि के सन्दर्भ में) न हो, तो नये नोटिस की आवश्यकता न होगी।

(12)इस अधिनियम के अधीन मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल होने योग्य किसी धनराशि के सम्बन्ध में करनिर्धारक प्राधिकारी कर निर्धारण आदेश और माँग पत्र की तामीली के 90दिन के पश्चात्, अपने हस्ताक्षर से कलैक्टर को वसूली के लिये प्रमाणपत्र भेज सकता है जिसमें देय धनराशि विनिर्दिष्ट होगी। ऐसा प्रमाणपत्र दायित्व की विद्यमानता, उसकी धनराशि और दायी व्यक्ति के सम्बन्ध में निश्चायक साक्ष्य होगा, और प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर कलैक्टर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि को उस व्यक्ति से वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानो वह मालगुजारी की बकाया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा वसूली प्रमाणपत्र व्यक्ति/व्यौहारी को इस आशय का नोटिस दिये जाने से पूर्व जारी नहीं किया जायेगा;

प्रतिबन्ध यह और है कि है कि इस धारा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलैक्टर को प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट धनराशि वसूल करने के प्रयोजनों के लिये वे समस्त अधिकार भी प्राप्त होंगे जो–

(क)किसी कलैक्टर को राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अधीन प्राप्त है; और

(ख)किसी सिविल न्यायालय को किसी डिक्री के अधीन देय धनराशि की वसूली के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन प्राप्त हो।

स्पष्टीकरण: ''कलैक्टर'' पद के अन्तर्गत कोई एडीशनल कलैक्टर या कोई अन्य अधिकारी भी है, जो राज्य में मालगुजारी से सम्बन्धित तत्समय प्रचलित विधि के अधीन कलैक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हो।

(13)जहाँ कर या अर्थदण्ड की कोई धनराशि इस अधिनियम के अधीन किसी वाहन के स्वामी से वसूली योग्य है और वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है तो अधिकारी जो वसूली प्रमाणपत्र निष्पादित करने के लिये सक्षम है, ऐसे वाहन और उस स्वामी के अन्य वाहनों का पता लगाने में पुलिस और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की मदद ले सकता है। यदि वसूली अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अन्य अधिकारी या कर्मचारी ऐसे वाहन को निरूद्ध करने के लिये सशक्त होगें। जब कभी ऐसा कोई वाहन किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा निरूद्ध किया जाता है, तो वह निरुद्ध किये जाने के समय वाहन के प्रभारी व्यक्ति को वाहन निरुद्ध करने का कारण लिखित रूप मे देगा और तुरन्त वसूली प्रमाणपत्र को निष्पादित करने वाले अधिकारी को, सूचित करेगा। वसूली प्रमाणपत्र को निष्पादित करने वाला अधिकारी ऐसे वाहन के स्वामी के विरुद्ध बकाया की वसूली हेतु विधि के अनुसार कार्यवाही करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि वसूली योग्य धनराशि वाहन निरुद्ध किये जाने के बाद जमा कर दी जाती है तो वाहन मुक्त कर दिया जायेगा;

प्रतिबन्ध यह और है कि यदि निरुद्ध करते समय कुछ माल उस पर लदा हुआ है और ऐसे माल का स्वामी वाहन के स्वामी से भिन्न व्यक्ति है, तो माल के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, यदि वह ऐसा चाहे, वाहन से ऐसे माल को हटाने दिया जायेगा।

(14)किसी विधि या संविदा में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, कर निर्धारक प्राधिकारी किसी समय या समय–समय पर लिखित नोटिस द्वारा, जिसकी एक प्रति व्यौहारी के पास उसके अन्तिम पते पर, जो करनिर्धारक प्राधिकारी को ज्ञात हो, भेजी जायेगी, किसी व्यक्ति से–

(क)जिसके द्वारा व्यौहारी को कोई धनराशि देय हो या देय हो जाये, या

(ख)जिसके पास व्यौहारी के निमित्त या उसकी ओर से धन हो या बाद में हो जाये,

यह अपेक्षा कर सकता है कि वह करनिर्धारक प्राधिकारी को–

(क)धन देय होने पर या उसके पास होने पर तुरन्त, या

(ख)नोटिस में विनिर्दिष्ट समय, जो धन देय होने या उसके पास होने के पहले न होगा, पर या उसके भीतर

उस धनराशि में से ऐसी धनराशि अदा करे, जो व्यौहारी द्वारा देय कर के बकाया या इस अधिनियम के अधीन देय अन्य धनराशियों के भुगतान के निमित्त पर्याप्त हो या, जब वह उक्त धनराशि के बराबर हो या उससे कम हो तो, वह पूरी धनराशि अदा करे।

स्पष्टीकरणः इस उपधारा के प्रयोजन के लिये व्यौहारी को देय धनराशि या व्यौहारी के निमित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास की धनराशि का हिसाब उन दावों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात लगाया जायेगा जिनके भुगतान उक्त व्यौहारी द्वारा उस व्यक्ति को देय हो गये हों और उस समय विधितः अवस्थित हो।

(15)करनिर्धारक प्राधिकारी किसी भी समय या समय–समय पर किसी ऐसे नोटिस को संशोधित कर सकता है या वापस ले सकता है।

(16)उपधारा (14) के अधीन नोटिस के अनुपालन में भुगतान करने वाले व्यक्ति के विषय मे यह समझा जायेगा कि उसने व्यौहारी के प्राधिकार से भुगतान किया है और करनिर्धारक प्राधिकारी की रसीद उस व्यक्ति को व्यौहारी के प्रति दायित्व से, रसीद में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक विधिसंगत और पर्याप्त रूप से उन्मुक्त करेगी।

(17)जो व्यक्ति उपधारा (14) में निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति के पश्चात व्यौहारी के प्रति किसी दायित्व का उन्मोचन करता है, तो वह उन्मुक्त दायित्व की मात्रा तक या उस नोटिस में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक, जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से करनिर्धारक प्राधिकारी के प्रति दायी होगा।

(18)यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (14) के अधीन नोटिस भेजा जाता है, करनिर्धारक अधिकारी के समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दे कि माँगी गई धनराशि या उसका कोई भाग उसके द्वारा व्यौहारी को देय नहीं है, या व्यौहारी के निमित्त या उसकी ओर से कोई धनराशि उसके पास नहीं है, तो इस धारा में दी गई किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उसके कारण उस व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि माँगी गई धनराशि या उसके किसी भाग का, जैसी भी दशा हो, कर निर्धारक प्राधिकारी को भुगतान करे।

(19)तत्समय प्रवृत्त किसी कानून में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ब्याज व अर्थदण्ड सहित देय कोई कर भुगतान के लिये तुरन्त देय हो जायेगा जब वह देय हो जाता है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में उपबन्धित रीति से निर्धारित किया जाय, और ऐसी कोई धनराशि जो कर, अर्थदण्ड या व्याज के कारण किसी ब्यौहारी द्वारा देय हो या कोई धनराशि जिसका कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति की सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होगी।

(20)इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, यदि किसी करनिर्धारण वर्ष के लिये अन्तर्ग्रस्त धनराशि दस रूपये से कम हो, तो इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा कर, फीस, ब्याज या अर्थदण्ड न तो वसूल किया जायेगा और न ऐसी वापसी की अनुमति दी जायेगी।

(21)कर निर्धारण प्राधिकारी को यह शक्ति होगी कि–

(क) किसी व्यक्ति या किसी ब्यौहारी या किसी नैमित्तिक ब्यौहारी को इस अधिनियम के अधीन किसी प्रपत्र या प्रमाणपत्र का जारी किया जाना रोक सकता है,

(ख) किसी व्यक्ति या किसी ब्यौहारी या किसी नैमित्तिक ब्यौहारी द्वारा परिवहन किये जा रहे माल को अभिगृहीत किये जाने के आदेश दे सकता है,

जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई कर, अर्थदण्ड, ब्याज या कोई अन्य धनराशि देय है।

35: स्रोत पर कर कटौती द्वारा कर की वसूली:

(1)धारा 22 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, प्रत्येक व्यक्ति , जो किसी ब्यौहारी (जिसे इस धारा में आगे संविदाकार कहा गया है) को किसी ऐसी संकर्म संविदा के, जो ऐसे वर्ग या कीमत की भवन विनिर्माण संविदा न हो जिसे राज्य सरकार इस निमित्त लोक हित में अधिसूचित करे, के अनुसरण में किसी माल के (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) स्वामित्व के अन्तरण के लिये देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिये उत्तरदायी हो, संविदाकार को ऐसा भुगतान करते समय, चाहे नकद या किसी अन्य प्रकार से ऐसी संकर्म संविदा के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय सम्पूर्ण कर या, जैसी भी दशा हो, उसके किसी भाग की तुष्टि के लिये, उसे देय राशि के चार प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि करनिर्धारक प्राधिकारी यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, कारण अभिलिखित करके आदेश दे सकता है कि किसी मामले या, जैसी भी दशा हो, किसी वर्ग के मामलों में, कोई ऐसी कटौती नहीं की जायेगी या ऐसी कटौती कम दर पर की जायेगी;

प्रतिबन्ध यह और है कि उपधारा (3) के अनुसार जहाँ किसी संविदाकार द्वारा, अपने उप संविदाकार को किये गये भुगतान में से कोई कटौती की गई है, तो ऐसे भुगतान की धनराशि को, उस धनराशि में से घटा दिया जायेगा जिसमें से इस उपधारा के अधीन कटौती की जानी है।

(2)जब किसी माल के किसी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के किसी करार के अधीन, पट्टेदार जिसको किसी माल के उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण किया गया है—

(क)एक पंजीकृत ब्यौहारी है; या

(ख)केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार है; या

(ग)किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन गठित कोई स्थानीय प्राधिकारी, कोई निगम या उद्यम है; या

(घ)कोई सहकारी समिति या कोई अन्य सोसायटी, क्लब, फर्म या व्यक्तियों का कोई संगम या एक कम्पनी, चाहे निगमित हो अथवा नहीं,

तो ऐसा व्यक्ति जो पट्टाकर्ता को किसी माल के उपयोग के अधिकार को अन्तरित करता है, को ऐसे करार के अधीन दायित्व के निर्वहन के लिये भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है, माल के उपयोग के अन्तरण के कारण अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की आंशिक या, जैसी भी दशा है, सम्पूर्ण सन्तुष्टि के लिये पट्टाकर्ता को ऐसे भुगतान, चाहे नकद, उधार या किसी अन्य रीति से करते समय ऐसी धनराशि पर चार प्रतिशत की दर से कटौती करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि करनिर्धारक प्राधिकारी यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, कारण अभिलिखित करके, आदेश दे सकता है कि किसी मामले में, या जैसी भी दशा हो, किसी वर्ग के मामलों में कोई ऐसी कटौती नहीं की जायेगी या ऐसी कटौती कम दर पर की जायेगी;

प्रतिबन्ध यह और है कि उपधारा (3) के अनुसार जहाँ किसी संविदाकार द्वारा, अपने उप संविदाकार को किये गये भुगतान में से कोई कटौती की गई है, तो ऐसे भुगतान की धनराशि को, उस धनराशि में से घटा दिया जायेगा जिसमें से इस उपधारा के अधीन कटौती की जानी है।

(3)कोई संविदाकार, जो किसी उप–संविदाकर को, उसके साथ संविदाकार द्वारा किये संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के अन्तरण या किसी माल का किसी भी प्रयोजनार्थ उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण के लिये की गई किसी संविदा के पूर्ण या आंशिक अनुसरण में कोई भुगतान करने या किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिये उत्तरदायी हो, नकद या चैक या ड्राफ्ट, द्वारा या किसी अन्य रीति से ऐसा भुगतान या निर्वहन करते समय, उप संविदाकार द्वारा प्रस्तुत बिल या बीजक से, जो संविदाकार द्वारा देय हो, ऐसे अन्तरण पर इस अधिनियम के अधीन देय कर के आंशिक या पूर्ण भुगतान के रूप में, ऐसे भुगतान या निर्वहन के चार प्रतिशत के बराबर धनराशि की कटौती करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन उतनी धनराशि पर कोई कटौती नहीं की जाएगी, जितनी पर उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन पहले ही कटौती की जा चुकी हो।

(4)उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन काटी गयी धनराशि ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा उस माह, जिसमें कटौती की जाय, के आगामी माह की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।

(5)उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति, भुगतान या निर्वहन करते समय उस व्यक्ति को, जिसके बिल या बीजक से ऐसी कटौती की जाय, एक प्रमाणपत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाय, देगा।

(6)संविदाकार या उपसंविदाकार को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति ऐसे कालान्तरों पर, ऐसी कालावधि के भीतर, और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, ऐसे भुगतान की विवरणी प्रस्तुत करेगा किन्तु करनिर्धारक प्राधिकारी स्वविवेकानुसार, कारणों को अभिलिखित करके, ऐसे व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ा सकता है।

(7)किसी कटौती को, जो इस धारा के उपबन्धों के अनुसार की गयी हो और सरकारी कोषागार में जमा की गयी हो, उस व्यक्ति की ओर से, जिसके बिल या बीजक से ऐसी कटौती की गई है, कर का भुगतान माना जायेगा और उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के लिये किये गये कर निर्धारण में इस प्रकार काटी गयी धनराशि उस व्यक्ति की ओर से जमा धनराशि मानी जायेगी।

(8)यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उपधारा (4) की अपेक्षानुसार जमा करने में असफल रहता है, तो करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गई और यदि काटी गयी तो इस प्रकार सरकारी कोषागार में जमा न की गयी, धनराशि के दुगने से अनधिक धनराशि का भुगतान करेगा।

(9)उपधारा (8) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात इस प्रकार काटी गई धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो वह इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गयी ओर यदि काटी गयी तो इस प्रकार जमा न की गयी, धनराशि पर उस तारीख से जब ऐसी धनराशि कटौती योग्य थी, से उस तारीख तक जब ऐसी धनराशि वास्तव में जमा की गयी, 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का देनदार होगा।

(10)जहाँ कटौती करने के पश्चात धनराशि जमा न की गयी हो, वहाँ उपधारा (9) में निर्दिष्ट ब्याज सहित ऐसी धनराशि सम्बद्ध व्यक्ति की समस्त आस्तियों पर भार होगी।

(11)उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अनुसार कटौती के रूप में किये गये भुगतान का संविदाकार, या जैसी भी दशा हो, उपसंविदाकार से इस अधिनियम के अधीन देय कर की वसूली की किसी अन्य रीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरणः इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "करनिर्धारक प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसको उस स्थान पर अधिकारिता हो जहां व्यक्ति के कारबार का स्थान या निवास स्थित हो।

(12)इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात करनिर्धारक प्राधिकारी को व्यौहारी द्वारा इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर का निर्धारण करने से नहीं रोकेगी और, इस धारा में किसी बात के होते हुए भी व्यौहारी इस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबन्धों के अधीन कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

अध्याय –V
वापसी और समायोजन

36:वापसी:

(1)इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये, करनिर्धारक प्राधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा देय धनराशि से अधिक भुगतान किये गये किसी कर, अर्थदण्ड और ब्याज की धनराशि, यदि कोई हो, उसे वापस कर देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि वापस करने योग्य पायी गयी धनराशि प्रथमतः इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 या उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अधीन ब्यौहारी द्वारा देय कर या किसी अन्य धनराशि के प्रति समायोजित की जायगी और केवल शेष धनराशि, यदि कोई हो, वापस की जायेगी।

(2)जहाँ किसी कर अवधि के लिये प्रस्तुत किये गये विवरणी के अनुसार किसी ब्यौहारी को कोई धनराशि वापस करने योग्य है, तो ऐसी वापसी की धनराशि अनन्तिम रूप से धारा 6 की उपधारा (10), उपधारा (11) या उपधारा (12) के उपबन्धों के अधीन समायोजित की जा सकती है।

(3)यदि कोई धनराशि उपधारा (1) या उपधारा(2) के अनुसार वापस करने योग्य पाई जाती है, तो प्रतिदाय बाउचर करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश के साथ, या जैसी भी दशा हो, यदि ऐसा आदेश किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा पारित किया गया है तो एक माह के भीतर भेजा जायेगा। यदि प्रतिदाय बाउचर ऐसे आदेश की तारीख, या जैसी भी दशा हो, ऐसे आदेश के करनिर्धारक प्राधिकारी को प्राप्त होने की तारीख से 60दिन के भीतर नहीं भेजा जाता है तो ब्यौहारी ऐसी अवधि की समाप्ति से प्रतिदाय की तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का हकदार होगा।

(4)किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, किसी ब्यौहारी द्वारा दाखिल विवरणी में या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी भी स्तर पर स्वीकृत विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त या दोनों, जैसी भी दशा हो, इस अधिनियम के अधीन देय कोई कर या फीस की वापसी स्वीकृत नहीं की जायगी।

(5)इस धारा में दी गई किसी प्रतिकूल बात के रहते हुये भी, किसी ब्यौहारी जिसको कोई धनराशि वापस करने के लिये अनुमन्य की जाती है, वापस किये जाने की तारीख से पूर्व, करनिर्धारक प्राधिकारी को इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन अपनी भावी देयता के समायोजन हेतु वापसी की धनराशि को रोकने के लिये आवेदन दे सकता है। यदि ब्यौहारी द्वारा वापसी की धनराशि को रोकने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो करनिर्धारक प्राधिकारी वापसी की धनराशि को रोक लेगा। ऐसी दशा में ब्यौहारी ब्याज का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण (1): 'वापसी' पद के अन्तर्गत उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन कोई समायोजन भी है।

स्पष्टीकरण (2): धनराशि की वापसी की तारीख वह तारीख समझी जायेगी जब वापसी का वाउचर तैयार होने की सूचना व्यौहारी को विहित रीति से भेजी जाये।

37: निर्यातकों के मामले में अनन्तिम वापसी:

(1)यदि किसी पंजीकृत व्यौहारी ने इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यथा अपेक्षित विवरणी दाखिल किया है और विवरणी निर्यात के दौरान की गई विक्रयके कारण व्यौहारी को वापसी योग्य धनराशि दर्शाता है तो, व्यौहारी, कर निर्धारण के लम्बित रहते हुये, अनन्तिम वापसी, यदि कोई हो, स्वीकृत किये जाने हेतु प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद करनिर्धारक प्राधिकारी को विहित रीति से आवेदन कर सकता है।

(2)ऐसे व्यौहारी द्वारा अनन्तिम वापसी की धनराशि के समतुल्य धनराशि के लिये करनिर्धारक प्राधिकारी के संन्तोषानुसार बैंक गारन्टी या अन्य प्रतिभूति, प्रस्तुत की जायेगी। ऐसी गारन्टी या अन्य प्रतिभूति प्राप्त होने पर करनिर्धारक प्राधिकारी इस धारा एवं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुऐ 30 दिन के अन्दर वापसी योग्य धनराशि की अनन्तिम वापसी व्यौहारी को देगा। व्यौहारी अपने द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी या प्रतिभूति को अन्तिम कर निर्धारण के बाद अधिक वापसी योग्य धनराशि, यदि कोई हो, के भुगतान की तारीख तक वैध रखेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि वापसी योग्य पाई गई धनराशि यदि व्यौहारी को विहित अवधि के भीतर वापस नहीं की जायेगी तो व्यौहारी ऐसी धनराशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का हकदार होगा।

(3)ऐसे व्यौहारी का ऐसे वर्ष, जिसमें उक्त विवरणी से आच्छादित अवधि अन्तर्विष्ट है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण जहाँ तक व्यावहारिक हो यथाशीघ्र किया जायेगा और कर निर्धारण के फलस्वरूप देय कर के विरूद्ध अनन्तिम वापसी यदि कोई हो, समायोजित की जायेगी।

(4)यदि कर निर्धारण पर उपधारा (2) के अधीन दी गयी अनन्तिम वापसी अधिक पायी जाती है तो वापसी की अधिक धनराशि व्यौहारी से ब्याज सहित वसूल की जायेगी मानो कि यह इस अधिनियम के अधीन व्यौहारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय कर है।

(5)अनन्तिम वापसी किये जाने की तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा।

38: राजदूतावासों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों या विशेष आर्थिक जोन में स्थापित इकाइयों को किये गये विक्रय पर कर की वापसी:

(1) इस अधिनियम की अनुसूची V में सूचीबद्ध राजदूतावासो, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो या व्यक्ति या व्यौहारी, माल के क्रय पर उनके द्वारा भुगतान किये गये कर की वापसी का दावा करने के हकदार होंगे और धारा 36 में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, वापसी के लिये देय धनराशि वापसी का दावा प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर वापस कर दी जायेगी।

(2) विशेष आर्थिक जोन में स्थापित इकाई घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थापित किसी इकाई से किये गये क्रय पर भुगतान किये गये कर की वापसी का दावा करने का हकदार होगी और ऐसा व्यौहारी निर्यातकों के मामलों के समान ऐसी धनराशि की वापसी का पात्र होगा और ऐसे मामले में धारा37 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

39: कतिपय मामलों में वापसी को रोकने की शक्ति :

(1)जहाँ वापसी को घटित करने वाला कोई आदेश किसी अपील या आगे की कार्यवाही की बिषद–वस्तु है या जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य कार्यवाही लम्बित है, और करनिर्धारक प्राधिकारी इस राय का है कि ऐसी वापसी राजस्व को प्रतिकूलतया प्रभावित कर सकती है और बाद में धनराशि को वसूल करना सम्भव नहीं हो सकता है, तो करनिर्धारक प्राधिकारी, कमिश्नर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति से, वापसी को ऐसे समय तक, जैसा वह अवधारित करें, रोक सकता है।

(2)जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी वापसी को रोका जाता है और अपील या आगे की कार्यवाही या किसी अन्य कार्यवाही के फलस्वरूप व्यौहारी वापसी का हकदार बन जाता है, तो ऐसी वापसी योग्य धनराशि पर, जैसा कि धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन उपबन्धित है, ब्याज का हकदार होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस धारा के अधीन कोई वापसी रोकी गई है और वापसी योग्य धनराशि में से कोई धनराशि व्यौहारी की किसी कर देयता के प्रति समायोजित की जाती है, तो व्यौहारी इस प्रकार समायोजित की गई धनराशि पर सुसंगत अवधि के लिये ब्याज का हकदार नहीं होगा।

40:व्यौहारी द्वारा कर के रूप में गलत वसूल की गई धनराशि का वितरणः

(1)जहाँ धारा 22 के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी व्यौहारी द्वारा किसी व्यक्ति से माल के विक्रय या क्रय पर कर के रूप में तात्पर्यित कोई धनराशि वसूल की जाय, वहाँ ऐसा व्यौहारी इस प्रकार वसूल की गई सम्पूर्ण धनराशि ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जैसी वहां विहित की गयी है, जमा करेगा।

(2)उपधारा (1) के अधीन किसी व्यौहारी द्वारा जमा की गई कोई धनराशि उस मात्रा तक, जहाँ तक वह कर के रूप में देय न हो, राज्य सरकार द्वारा उस व्यक्ति की, जिससे व्यौहारी ने वसूल किया हो अथवा उस व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि की धरोहर के रूप में रखी जायेगी, और इस प्रकार जमा करने से ऐसा व्यौहारी जमा धनराशि की मात्रा तक तत्सम्बन्धी दायित्व से उन्मुक्त होगा।

(3)यदि उपधारा (1) के अधीन किसी व्यौहारी द्वारा कोई धनराशि जमा की जाय, तो ऐसी धनराशि या उसके किसी भाग के लिये तदर्थ दावा किये जाने पर उसे ऐसे व्यक्ति को, जिससे ऐसे व्यौहारी ने धनराशि या उसके भाग को वास्तव में वसूल किया हो, अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि को, और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, विहित रीति से वापस कर दी जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार का कोई दावा कर निर्धारण आदेश की तारीख से तीन वर्ष या इसके सम्बन्ध में अपील अथवा पुनरीक्षण यदि कोई हो, में अन्तिम कार्यवाही की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, की समाप्ति के पश्चात स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4)जहाँ किसी व्यौहारी द्वारा उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन कोई धनराशि जमा की गई है, तो व्यौहारी ऐसी धनराशि को माल के केता को वापस करने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरणः "अपील या पुनरीक्षण" पद में अन्तिम आदेश के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132,अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 136 या अनुच्छेद 137 के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा अथवा अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश भी है।

41: ब्याजः

(1) कोई व्यौहारी या व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन (धारा 24, धारा 25 या धारा 26 के अधीन कर निर्धारण सहित) किसी आदेश, या किसी न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में वापसी का हकदार है, तो वापसी के अतिरिक्त 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने का भी हकदार होगा, यदि प्रतिदाय वाउचर उसको धारा-36 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार नहीं भेजा जाता है।

(2) ब्याज की गणना वापसी की धनराशि में से इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन किसी कर, ब्याज, अर्थदण्ड या अन्य किसी देय धनराशियों को घटा कर की जायेगी।

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणाम स्वरूप ऐसी वापसी की धनराशि बढ़ या घट जाती है, तो ऐसा ब्याज तदनुसार बढ़ाया या घटाया जायेगा।

(4) जब कोई व्यौहारी स्वीकृत कर से अधिक धारा 24, धारा 25, या धारा 26 के अधीन निर्धारित कर की किसी धनराशि का भुगतान करने में चूक करता है या चूक करता समझा जाता है, तो वह ऐसी धनराशि पर ऐसे कर के भुगतान के लिये विहित समय के बाद ऐसी चूक की तारीख से ऐसे समय जब तक चूक जारी रहती है और भुगतान के लिये विहित समय के बाद तीन माह तक धनराशि बिना भुगतान शेष रहती है तो वह 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

(5) जहाँ किसी अन्तिम आदेश के परिणाम स्वरूप देय कर (अर्थदण्ड सहित) की धनराशि पूर्णतः घटा दी जाती है, तो भुगतान की गई ब्याज की धनराशि, यदि कोई हो, वापस की जायेगी, या, यदि ऐसी धनराशि परिवर्तित की जाती है तो देय ब्याज तदनुसार परिगणित और वापस किया जायगा।

(6) जहाँ ऐसे किसी आदेश द्वारा देय कर की धनराशि बढ़ाई जाती है तो कर की इस प्रकार बढ़ाई धनराशि पर ब्याज करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा जारी मांग की नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के बाद की अवधि के लिये देय होगा, यदि भुगतान के लिये विहित समय के तीन माह तक धनराशि का भुगतान न किया गया हो।

(7)जहाँ किसी धनराशि की वसूली किसी न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश के द्वारा स्थगित रहती है और ऐसा आदेश बाद में अपास्त हो जाता है, तो ब्याज ऐसी अवधि जिसके दौरान ऐसा आदेश प्रभावी रहा है के लिये भी देय होगा।

(8) कर का भुगतान न करने या विलम्ब से करने पर इस अधिनियम के अधीन आरोपणीय ब्याज कर की धनराशि जिस पर यह ब्याज प्रभारित किया गया है, से अधिक नहीं होगा।

(9)इस अधिनियम के अधीन देय ब्याज इस अधिनियम के अधीन देय कर समझा जायेगा।

अध्याय VI

लेखों का निरीक्षण, तलाशी एवं अभिग्रहण और जॉच चौकियों की स्थापना

42: लेखों को दिखाने की आज्ञा देने की शक्ति और प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्तिः

(1)कोई ऐसा अधिकारी जिसको राज्य सरकार ने इस निमित्त सशक्त किया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी ब्यौहारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जो स्वयं या दूसरे ब्यौहारी की ओर से माल का क्रय विक्रय या सम्भरण का कारबार करता है, से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसके सामने ऐसी बही, लेखे, दस्तावेज या हिसाब किताब उपस्थित करे जिसका सम्बन्ध उसके कारबार से हो या दूसरे ब्यौहारियों के कारबार से हो और उक्त अधिकारी उसका निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है और उसकी प्रतिलिपि ले सकता है और ब्यौहारी से उसके कारबार के सम्बन्ध में या दूसरे ब्यौहारियों के सम्बन्ध में ऐसी जाँच कर सकता है जो आवश्यक हो:

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण वर्ष से 5 वर्ष पूर्व से अधिक की बहियाँ, दस्तावेज और लेखे इस प्रकार अपेक्षित नहीं होंगे जब तक कि किसी विशेष स्थिति में जिसके लिये कारण अभिलिखित करने होंगे उक्त अधिकारी उनका तलब किया जाना आवश्यक न समझे।

(2)सभी बहियाँ, दस्तावेज और लेखे जिनको कोई ब्यौहारी या व्यक्ति अपने कारबार के सामान्य क्रम में रखता हो, माल जो उसके पास हो और उसके कारबार के स्थान या वाहन में हो, युक्तियुक्त समय पर ऐसे अधिकारियों जिनको इस सम्बन्ध में राज्य प्राधिकार दे, के द्वारा तलाशी लिये जाने और निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेंगे। इस धारा के प्रयोजन के लिये अधिकारी जो कि उसके अधीन प्राधिकृत है, किसी भी कारबार के स्थान अथवा वाहन अथवा कोई भवन अथवा स्थान जहाँ उसके पास यह विश्वास करने का कारण है, कि ब्यौहारी वहाँ अपने कारबार से सम्बन्धित कोई वहियां, रजिस्टर, दस्तावेज, लेखे अथवा माल रखता है अथवा फिलहाल रख रहा है, में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है और उसके कर्ता , कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति जो उस समय और स्थान पर किसी भी रूप में कारबार की देख भाल कर रहा है या कारबार में मदद कर रहा है, को आदेशित कर सकता है कि वह उसे –

(क)ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजों जिसको वह अपेक्षित समझे और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हो, का निरीक्षण करने के लिये आवश्यक सुविधा प्रदान करे,

(ख)नकदी, स्टाक या अन्य मूल्यवान वस्तु या सामान जो कि वहाँ पाया जाय की जांच या सत्यापन करने की आवश्यक सुविधा प्रदान करे, और

(ग)ऐसी सूचना जो वह किसी मामले में अपेक्षित समझे और जो इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के लिये उपयोगी या सुसंगत हो, प्रदान करे:

(3)इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी किसी कारबार परिसर या आवासीय स्थान में न तो प्रवेश किया जायेगा, न उसका निरीक्षण किया जायेगा और न उसकी

तलाशी ली जायेगी जब तक कि कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत ज्वाइंट कमिश्नर से अनिम्न पद के किसी अधिकारी द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत न किया जाये।

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजन के लिये ऐसे स्थान जहाँ पर वह व्यक्ति कारबार में संलग्न है में कोई अन्य स्थान भी शामिल होगा जहाँ पर कारबार में संलग्न व्यक्ति या उक्त कर्मचारी या अन्य व्यक्ति जो कारबार की देखभाल कर रहा है या उसमें मदद कर रहा है, कहता है कि वहाँ कारबार से सम्बन्धित कोई लेखावहियां या अन्य दस्तावेज या नकदी, स्टाक या अन्य मूल्यवान वस्तु या समान का कोई भाग रखा जाता है या रखा गया है।

(4)उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अपने द्वारा निरीक्षित लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों से उद्धरण या नकल बना सकता है या बनवा सकता है, अपने द्वारा जांच की गयी और सत्यापित किसी नकदी, स्टाक या अन्य मूल्यवान वस्तु या सामान की सूची बना सकता है और किसी भी व्यक्ति का बयान जो इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्यवाही के लिये उपयोगी या सुसंगत हो, दर्ज कर सकता है।

(5)यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का यथोचित कारण हो कि कोई ब्यौहारी इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य देय धनराशियों के दायित्व से बचने का प्रयत्न कर रहा है, और यह कि उसके दायित्व की जाँच के प्रयोजन के लिये आवश्यक कोई बात किसी लेखे, खाते या दस्तावेज में प्राप्त की जा सकती है, तो वह ऐसे लेखे, खाते या दस्तावेज, जैसा आवश्यक हो, का अभिग्रहण कर सकता है। उक्त लेखे, खाते या दस्तावेज को अभिगृहीत करने वाला अधिकारी उनके लिये तुरन्त रसीद देगा और वह उनसे ऐसी प्रतिलिपियाँ या उद्धरण लेने के बाद, जो आवश्यक समझे जायें, इस प्रकार अभिग्रहण करने की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर उन्हें उस ब्यौहारी या व्यक्ति को लौटा देने के लिये बाध्य होगा, जिसकी अभिरक्षा से लेकर उनका अभिग्रहण किया गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ब्यौहारी या उपर्युक्त व्यक्ति उस लेखे, खाते या दस्तावेज जो उसे लौटाये जायें, की लिखित रसीद देगा। अधिकारी लेखे, खाते या दस्तावेज लौटाने के पूर्व उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है और अपनी सरकारी मुहर लगा सकता है, और ऐसी दशा में ब्यौहारी या उपर्युक्त व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह अपनी दी गयी रसीद में उन स्थानों की संख्या का उल्लेख करे जहाँ पर ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर प्रत्येक लेखे, खाते या दस्तावेज में किये या लगाये गये हों।

स्पष्टीकरणः इस उपधारा में विनिर्दिष्ट समय की गणना करने में ऐसी अवधि जिसमें किसी न्यायालय या प्राधिकारी के आदेशों के अधीन इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही स्थगित रही हो, को निकाल दिया जायेगा।

(6)उपधारा (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस उपधारा के अधीन कोई लेखा, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, उन कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किये जायेंगें और कमिश्नर के पूर्वानुमोदन से, ऐसे लेखे,

रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को उनसे सम्बन्धित कर निर्धारण वर्षो के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियॉं पूरी होने की तारीख से तीस दिन से अधिक अवधि के लिये, जैसा वह आवश्यक समझे, रोक सकता है।

(7)उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कार्य करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी को–

(क) कारबार के स्थान या वाहन में पाये गये किसी सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र जिसमें यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई लेखे, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या माल रखे जाते हैं अथवा उसके अन्दर है, यदि ऐसे कारबार के स्थान या वाहन या सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र का स्वामी अथवा अध्यासी या प्रभारी व्यक्ति उस स्थान को छोड़ दे या वहॉं उपलब्ध न हो अथवा जब उससे खोलने को कहा जाये तो उसे न खोले अथवा खोलने से इन्कार करे, तो मुहर बन्द करने का अधिकार होगा;

(ख)यदि कार्यालय दुकान, गोदाम, या वाहन या कार्यालय दुकान, गोदाम, या वाहन में पाये गये सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र का स्वामी या अध्यासी दूसरा व्यक्ति उपस्थित है किन्तु उस स्थान से चला जाता है या उसको ऐसा करने के लिये मौका दिये जाने के बाद ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, वाहन या सन्दूक, आलमारी या अन्य पात्र को नहीं खोलता है, तो उसे तोड़कर खोल सकता है और उसमें पाये गये माल और दस्तावेजों की सूची तैयार कर सकता है।

(8)कोई भी व्यक्ति उपधारा (7) के अधीन लगाई गयी किसी मोहर से अन्तःक्षेप नहीं करेगा।

(9)उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन सशक्त कोई अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को–

(क)जो किसी व्यौहारी को या उसकी ओर से देने के निमित किसी माल का परिवहन करता है या उसकी अभिरक्षा में रखता है, यह आदेश दे सकता है कि वह उक्त माल के सम्बन्ध में ऐसी सूचना, जो उसके पास होने की सम्भावना हो, दे अथवा उसका निरीक्षण करने दे;

(ख)जो किसी व्यौहारी के कारबार के सम्बन्ध में कोई लेखा, बही या दस्तावेज रखता हो या उसे अपने अधिकार में रखा हो, यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे बही या दस्तावेज को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करें।

(10)यदि किसी व्यौहारी के कारबार के स्थान पर तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के पास से या उसके नियंत्रण में रखे कोई लेखा पुस्तकें, अन्य दस्तावेज, पैसा या माल पाया जाता है तो जब तक कि इसके विपरीत सावित न हो, यह अवधारणा की जायेगी कि ऐसी लेखापुस्तकें, अन्य दस्तावेज, पैसा या माल ऐसे व्यौहारी के हैं।

(11)वह अधिकारी जिसने किन्हीं लेखे, बहियों या दस्तावेजों का निरीक्षण, या जॉंच पड़ताल या तलाशी या अभिग्रहण किया है अथवा अधिकारी जिसने इस धारा के अधीन जांच पड़ताल की है, वहॉं पाये गये तथ्यों के आधार पर ऐसे निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण या जांच पड़ताल के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और जहॉं रिपोर्ट

तैयार करने वाला अधिकारी करनिर्धारक प्राधिकारी से भिन्न अधिकारी है, तो ऐसा अधिकारी ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति व्यौहारी के करनिर्धारक प्राधिकारी को भेजेगा।

(12)करनिर्धारक प्राधिकारी किसी व्यौहारी या व्योहारियों के किसी वर्ग को उन व्यक्तियों और व्योहारियों के सम्बन्ध में जिन्होने ऐसे व्यौहारी या व्योहारियों के वर्ग से किसी दी गयी अवधि के दौरान कोई माल क्रय किया है या उन्हें कोई माल बेचा है, उनके नाम, पते और ऐसे अन्य विवरण, जैसा कि वह आवश्यक समझे, की सूचना देने के लिये आदेशित कर सकता है।

(13)करनिर्धारक प्राधिकारी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के विभागों और बैंकिंग कम्पनियों सहित वित्तीय संस्थाओं से ऐसे ब्यौरे और विशिष्टियाँ मांग सकता है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सुसंगत एवं उपयोगी होगे।

(14)करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन लेखा पुस्तकों के निरीक्षण और किसी व्यौहारी (पंजीकृत या अपंजीकृत दोनो) के कारबार के स्थान में प्रवेश और तलाशी लेने की शक्तियों के रहते हुए भी, कमिश्नर, ऐसे व्यौहारी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिये दायी हैं, को चिन्हित करने की दृष्टि से समय–समय पर अपंजीकृत व्योहारियों का सर्वेक्षण करा सकता है।

(15)दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 और धारा 165 के उपबन्ध, यथाशक्य,इस धारा के अधीन प्रवेश करने या तलाशी लेने या निरीक्षण करने के सम्बन्ध में लागू होंगे जिस प्रकार कि उक्त संहिता के अधीन कोई निरीक्षण करने या तलाशी लेने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

43: माल का अभिग्रहण करने की शक्ति :

(1) धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी ऐसे माल का अभिग्रहण करने की शक्ति होगी–

(क)जो किसी व्यौहारी के कारबार स्थल पर या वाहन या किसी अन्य भवन में या स्थान पर पाया जाय; या

(ख)जिसके सम्बन्ध में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि माल व्यौहारी का है और जो उसके कारबार स्थल या वाहन अथवा भवन में या स्थान पर पाया जाये, किन्तु जिसका लेखा व्यौहारी द्वारा अपने कारबार के दौरान रखे गये लेखों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों में न रखा गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन अभिगृहीत सभी माल की सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जायगी और उस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि व्यौहारी को दी जायेगी।

(2)यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी वाहन, भवन या स्थान में पाया गया माल वास्तविक व्यौहारी का नहीं है अथवा यह संदेह हो कि ऐसे माल को किसी व्यौहारी ने अपने कारबार के दौरान रखे गये लेखों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों में उचित रूप से लेखबन्द नहीं किया है, तो ऐसे माल का अभिग्रहण करने की शक्ति होगी, और ऐसे अभिग्रहण के सम्बन्ध में इस धारा के शेष उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगें।

(3)उपधारा (1) के अधीन माल अभिग्रहण करने वाला अधिकारी उनकी निरापद अभिरक्षा के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा और अभिग्रहण से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों के साथ उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट सूची, सम्बन्धित करनिर्धारक प्राधिकारी को भेजगा।

(4)उक्त करनिर्धारक प्राधिकारी, व्यौहारी या यथास्थिति, अभिग्रहण किये जाने के समय माल के प्रभारी व्यक्ति, (जिसे आगे इस धारा में 'प्रभारी व्यक्ति' कहा गया है)पर एक लिखित नोटिस तामील करेगा, जिसमें कारण बताने को कहा जायेगा कि उस पर अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जाए।

(5)यदि ऐसे अधिकारी का, व्यौहारी या यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाये कि उक्त माल उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में जानबूझकर नहीं दिखाया गया है, तो वह ऐसे माल की कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक, जैसा वह उचित समझे, अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश पारित करेगा।

(6)उपधारा (5) के अधीन अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश की प्रति व्यौहारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति पर तामील की जायेगी।

(7)माल अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, व्यौहारी या यथास्थिति प्रभारी व्यक्ति पर आदेश तामील करेगा, जिसमें ऐसे अभिग्रहण का तथ्य उल्लिखित होगा और ऐसी धनराशि इंगित की जायेगी, जो उस धनराशि से अधिक नहीं होगी जो आरोपित किये जाने के लिये सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो, जिसके नकद जमा करने पर इस प्रकार अभिगृहीत माल को व्यौहारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा।

(8)उपधारा (7) में किसी बात के रहते हुये भी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर, या नकद से भिन्न रूप में, जैसा वह उचित समझे, प्रतिभूति देने पर माल छोड़ दिया जाये।

(9)अर्थदण्ड या उसका ऐसा भाग जो उपधारा (7) के अधीन जमा की गयी किसी धनराशि का समायोजन करने के पश्चात शेष रह जाय, अर्थदण्ड आरोपित किये जाने के आदेश की प्रतिलिपि तामील किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, विहित रीति से, जमा किया जायेगा। चूक करने पर करनिर्धारक प्राधिकारी माल का विक्रय ऐसी रीति से करायेगा जो विहित की जाय और उसका बिक्रय–आगम अर्थदण्ड के प्रति समायोजित करेगा और धारा 36 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, शेष धनराशि, यदि कोई हो, व्यौहारी या, जैसी भी दशा हो , प्रभारी व्यक्ति को वापस कर देगा।

(10)जहाँ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की, उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूची और अन्य दस्तावेज भेजने के पूर्व या तत्पश्चात करनिर्धारक प्राधिकारी की किसी समय यह राय हो कि माल शीघ्र और सहज रूप से नष्ट होने वाला है या जहाँ निर्धारित कर या, यथास्थिति, आरोपित अर्थदण्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जमा नहीं किया जाता है, वहाँ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी या, यथास्थिति,

करनिर्धारक प्राधिकारी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुसार की जा सके, विहित रीति से सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल को बिकवा सकता है। ऐसे माल के विक्रय–आगम का समायोजन ऐसे विक्रय के व्यय, निर्धारित, या आरोपित अर्थदण्ड के प्रति किया जायेगा। शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को उपधारा (9) के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी।

(11)यदि उपधारा (7) के अधीन जमा की गयी धनराशि उपधारा (5) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि से अधिक हो, तो इस प्रकार जमा की गयी अधिक धनराशि उस अधिकारी द्वारा जिसके पास वह जमा की गई हो, ब्यौहारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को धारा 36 के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी।

44: अवमूल्यन की दशा में माल को अभिगृहीत करने की शक्ति :

(1)जहाँ करनिर्धारक प्राधिकारी या धारा 42 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य में कोई माल लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने वाले ब्यौहारी ने कर के भुगतान के अपवंचन की दृष्टि से ऐसे माल को आयात करने के लिये घोषणा–पत्र में ऐसे माल की प्राक्कलित कीमत उसकी उचित कीमत से कम दर्शाई गयी है या ऐसे प्रपत्र में प्राक्कलित विक्रय कीमत नहीं दर्शाई है और ऐसे माल का उपधारित विक्रय कीमत ऐसे माल की उचित कीमत से कम है तो ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी ब्यौहारी को ऐसी प्राक्कलित विक्रय कीमत या, यथास्थिति, उपधारित विक्रय कीमत के 110 प्रतिशत का भुगतान करके ऐसे माल को अर्जित कर सकेगा।

(2)उपधारा (1) के अधीन शक्ति का तब तक प्रयोग नहीं किया जायेगा, जब तक कि ब्यौहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया जाये।

(3)घोषणाप्रपत्र पर छपे हुये नोटिस के उपधारा (2) के प्रयोजन के लिये नोटिस समझा जायेगा और ब्यौहारी को सुनवाई के लिये अलग से नोटिस दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(4)उपधारा (1) के अधीन अर्जित माल को ऐसी रीति से निस्तारित किया जायगा जैसी कमिश्नर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

स्पष्टीकरणः इस धारा के प्रयोजनों के लिये–

(क)"उचित कीमत" से ऐसी रीति से अवधारित कीमत अभिप्रेत है जैसी कमिश्नर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(ख) "उपधारित विक्रय कीमत" घोषणा–पत्र में दर्शाई गई क्रय कीमत के 110प्रतिशत के बराबर होगी।

45: सूचना प्राप्त करने और साक्षियों को बुलाने की शक्तिः

(1)इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी, जो कमिश्नर द्वारा नियुक्त एवं तैनात अधिकारी से नीचे स्तर का अधिकारी न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रशासन या प्रवर्तन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन हेतु नोटिस के द्वारा किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति को कोई सूचना या दस्तावेज जिसमें इलैक्ट्रोनिक अभिलेख सम्मिलित है, जो उसके

संज्ञान में है या उसके पास है, को उपलब्ध कराने के लिये आदेशित कर सकता है। जब कभी ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा व्यौहारी या व्यक्ति सही, सम्पूर्ण और सच्ची सूचना उपलब्ध करायेगा।

(2)इस अधिनियम के अधीन ऐसे सभी अधिकारियों को निम्नलिखित बिषयों के सम्बन्ध में किसी वाद पर विचार करते समय वही अधिकार होंगे जो किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रकिया सहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं, अर्थात–

(क)किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना,

(ख)दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना, और

(ग)साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना,

और किसी भी उपर्युक्त अधिकारी के समक्ष किसी भी कार्यवाही को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 और 228 के अन्तर्गत और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा।

(3)किसी अभिलेख की प्रस्तुति कराने या किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिये, आह्वान–पत्र विहित प्रपत्र में जारी किया जायेगा।

46: पुलिस आदि से सहायता लेने की शक्तिः

धारा 42, धारा 43 या धारा 48 के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी राज्य के किसी पुलिस या अन्य अधिकारी अथवा अधिकारियों की सहायता ले सकता है।

47: जॉच चौकियों और नाके की स्थापनाः

यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में माल आयात किये जाने के पश्चात राज्य के भीतर माल के विक्रय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन देय कर और अन्य देयों के अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, जॉच चौकियां और नाके स्थापित करने का निर्देश दे सकती है।

48: घोषणा–पत्र द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात करना :

(1)कोई व्यक्ति (जिसे आगे इस धारा में आयातकर्ता कहा गया है) जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर–मुक्त माल से भिन्न कोई माल ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक जैसा कि राज्य सरकार उस निमित्त अधिसूचित करे, लाना या आयात करना या अन्यथा प्राप्त करना चाहता है, तो वह अपने करनिर्धारक प्राधिकारी से घोषणा पत्र या प्रमाणपत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आयातकर्ता कारबार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजनों के लिये ऐसे माल को लाना, आयात करना या अन्यथा प्राप्त करना चाहता है, तो वह, अपने विकल्प पर, उसी प्रकार प्रमाणपत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है।

(2)यदि ऐसा माल सड़क द्वारा पारेषित किया जाना हो तो–

(क)आयातकर्ता पारेषक को सम्यक रूप से भरे गये और अपने द्वारा हस्ताक्षरित

घोषणा–पत्र को विहित प्रपत्र में, दो प्रतियों में देगा और कोई ऐसा माल ले जाने वाली यान का ड्राईवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति अपने साथ विहित रीति में पारेषक द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित ऐसे घोषणा पत्र की प्रतियाँ और ऐसे अन्य दस्तावेज जो विहित किये जायें, ले जायेगा और ऐसे घोषणा पत्र की एक प्रति–

(i)जहाँ ऐसे माल को ऐसी सड़क से लाया जाय जिस पर धारा 47 के अधीन कोई जाँच चौकी या नाका स्थापित हो, तो जाँच चौकी या नाके को पार करने से पहले ऐसी जाँच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को; और

(ii)जहाँ ऐसे माल को ऐसी सड़क से लाया जाय जिस पर कोई जाँच चौकी या नाका स्थापित न हो, तो राज्य के भीतर ऐसे माल को आगे ले जाने से पहले उक्त धारा के अधीन स्थापित निकटतम जाँच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को, देगा और माल सहित घोषणा पत्र की दूसरी प्रति और शेष दस्तावेज आयातकर्ता या उसके अभिकर्ता को देगा;

(ख)जाँच चौकी या नाके का प्रभारी अधिकारी उसे दिये गये घोषणा–पत्र कीप्रति के लिये एक रसीद देगा और यान के ड्राईवर या प्रभारी व्यक्ति को अन्य किसी जाँच चौकी या नाके पर, जिसे वह पार करे, घोषणा–पत्र की कोई प्रति देना आवश्यक न होगा, यदि वह ऐसी अन्य जाँच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को ऐसी रसीद दिखला दे;

(ग)आयातकर्ता खण्ड (क) के अधीन उसे या उसके अभिकर्ता को दिये गये घोषणा–पत्र की दूसरी प्रति और अन्य दस्तावेजों को ऐसी अवधि तक रखे रहेगा जैसी विहित की जाय और जब कभी ऐसी अवधि के भीतर करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा मांगा जाय, उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3)यदि ऐसा माल राज्य में व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया जाय, तो माल लाने वाला व्यक्ति अपने साथ विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से भरा हुआ और आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र रखेगा,और आयातकर्ता उसे अगले कार्य दिवस तक इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किये जाने के लिये प्रस्तुत करेगा।

(4)यदि कोई व्यक्ति कारबार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माल को राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य में लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक है और प्रमाणपत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त करता है तो उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें, मानो कि उसमें प्रयुक्त शब्द "घोषणापत्र" के स्थान पर शब्द "प्रमाणपत्र"रखा गया हो।

(5)पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई माल ले जाने वाली किसी यान का ड्राईवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति यान को प्रत्येक जाँच चौकी या नाके पर, या धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर, किसी भी अन्य स्थान पर रोकेगा, और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक

कि उस जाँच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी या, यथास्थिति, धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय, ओर यान की तलाशी लेने देगा और माल का और पूर्ववर्ती उपधाराओं मे निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा और यदि अपेक्षित हो, तो उसे अपना नाम और पता और यान के स्वामी और माल के पारेषक और पारेषिती का नाम और पता देगा।

(6)यदि इस धारा के अधीन तलाशी लेने या निरीक्षण करने वाले अधिकारी को यह पता चले कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे माल का परिवहन कर रहा है या परिवहन करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण कर रहा है जिस पर यह धारा लागू होती है, किन्तु उसे पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट उचित और वास्तविक दस्तावेजों में दिखाया नहीं गया है और यदि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसे माल को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने के प्रयास में परिवहन किया जा रहा था, तो वह ऐसे माल को रोकने का आदेश दे सकता है।

(7)माल को इस प्रकार रोकने के सम्बन्ध में धारा 43 की उपधारा (3), उपधारा (6) और उपधारा (10) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होगें जिस प्रकार कि उक्त धारा के अधीन अभिग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

49: रेल, नदी, वायुमार्ग या डाक द्वारा राज्य के भीतर माल का आयात:

(1)जहाँ ऐसी मात्रा, माप या कीमत जैसा कि धारा 48 की उपधारा (1) के सन्दर्भ में अधिसूचित की जाय, से अधिक कोई माल (इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर मुक्त माल को छोड़कर) रेल, नदी, वायुमार्ग या डाक द्वारा पारेषित किया जाय तो आयातकर्त्ता–

(क)तब तक उस माल को न तो छुड़ायेगा और न छुड़वायेगा जबतक कि वह ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में, सम्यक् रूप से भर कर और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र को, ऐसे अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन के लिये प्रस्तुत न कर दे या करवादे; और

(ख)छुड़ाने के पश्चात माल को, यथास्थिति, रेलवे स्टेशन,स्टीमर या बोट स्टेशन, एयरपोर्ट या डाकघर से तब तक न ले जायेगा और न ले जाने देगा जब तक कि माल के साथ ऐसे अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से पृष्ठांकित घोषणा –पत्र की एक प्रति न हो।

(2)धारा 48 की उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित रेल, नदी या डाक द्वारा पारेषित माल के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि उस धारा के अधीन सड़क द्वारा माल के आयात पर लागू होते हैं।

(3)इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का इस प्रकार अर्थ नहीं लिया जायेगा जिससे किसी रेल प्रशासन या रेलवे कर्मचारी या पोस्ट आफिस या पोस्ट आफिस के किसी अधिकारी पर कोई बाध्यता आती हो या जिससे किसी माल जब कि वह रेलवे, जैसा कि भारतीय रेल अधिनियन, 1890, या पोस्ट आफिस, जैसा कि भारतीय डाकघर

अधिनियम, 1898 में हो, की तलाशी, निरूद्ध करने या अभिग्रहण करने की शक्ति प्राप्त होती हो।

(4)धारा 43 की उपधारा (3), उपधारा (6) और उपधारा (9) के उपबन्ध ऐसे निरूद्ध करने पर यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होगें जैसा कि उस धारा के अधीन अभिग्रहण पर लागू होते हैं।

50: राज्य से होकर सड़क से माल का प्रेषण और माल के पारगमन के लिये प्राधिकार का जारी किया जानाः

(1) जब राज्य के बाहरकिसी स्थान से आने वाली और राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने वाली और धारा 48 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाली कोई यान राज्य से होकर गुजरे, तब ऐसी यान का ड्राईवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति राज्य में अपने प्रवेश करने के पश्चात पहली जाँच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन के लिये प्राधिकार विहित रीति से प्राप्त करेगा और उसे राज्य से अपने बहिर्गमन करने से पूर्व अन्तिम जाँच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को सौंप देगा और ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि उसके द्वारा ले जाया जाने वाला माल वाहन के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बेच दिया गया है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि वाहन से लाये गये माल का राज्य में प्रवेश करने के पश्चात किसी अन्य वाहन से परिवहन कर दिया जाय, तब यह सिद्ध करने का भार कि माल वास्तव में राज्य के बाहर चला गया है, वाहन के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति पर होगा।

(2)ऐसे मामले में वाहन स्वामी, ट्रान्सपोर्टर, प्रभारी व्यक्ति और वाहन को किराये पर लेने वाला माल के ऐसे विक्रय पर कर का भुगतान करने और इस अधिनियम के अधीन अर्थदण्ड जो आरोपित किया जाय, का भी भुगतान करने के लिये संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से दायी होगें।

(3) प्रत्येक ब्यक्ति, जिसके बारे में उपधारा (1) के अधीन यह उपधारणा विद्यमान है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर माल बेचा गया है, पर माल के पारगमन के लिये प्रत्येक प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले माल के लिये जाँच चौकी पर विहित रीति से पृथक रूप से कर निर्धारण किया जायेगा ।

(4) उपधारा (3) के उपबन्ध कर निर्धारण के सभी मामलों पर लागू होंगे चाहे वे इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व या पश्चात उत्पन्न हों।

(5) इस धारा के अधीन कर निर्धारण का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा तब तक कि, जैसी भी दशा हो, वाहन के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

स्पष्टीकरणः इस धारा के प्रयोजन के लिये वाहन को किराये पर लेने वाला व्यक्ति भी वाहन का स्वामी समझा जायेगा।

अध्याय VII
अपील और पुनरीक्षण

51: प्रथम अपील:

(1)धारा 56 या धारा 43 की उपधारा (7) और उपधारा (8)में उल्लिखित आदेशों को छोड़कर करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति आदेश की प्रति तामील किये जाने के तीस दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकता है जैसा कि विहित किया जाय और वह अपील के ज्ञापन की एक प्रति करनिर्धारक प्राधिकारी पर भी तामील करायेगा ।

(2) (क) उपधारा(1) में किसी बात के होते हुये भी जहाँ कर, फीस या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि एक हजार रूपये से अधिक न हो, वहाँ अपीलकर्ता, अपने विकल्प से, अपनी अपील के संक्षिप्त निस्तारण के लिये लिखित रूप से अपील प्राधिकारी से अनुरोध कर सकता है, जिस पर अपील प्राधिकारी तद्नुसार अपील का विनिश्चय कर सकता है ।

(ख)अपील के संक्षिप्त निस्तारण की रीति और प्रकिया ऐसी होगी जैसी की विहित की जाय।

(ग) अपील में पारित किसी आदेश जो कि संक्षिप्त निस्तारण से पारित किया गया है के विरूद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण दायर नहीं किया जायेगा।

(3)जहाँ किसी ब्यौहारी या किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के विरूद्ध इस धारा के अधीन अपील दायर की गयी है और जहाँ ऐसी अपील दायर होने के फलस्वरूप कमिश्नर करनिर्धारक प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेश को, आदेश की वैधता या औचित्य के विन्दु पर धारा 52 के अधीन पुनरीक्षित नही कर सकता है, तो कमिश्नर ऐसे आदेश की वैधता और औचित्य के ऐसे विन्दु या विन्दुओं पर जैसा कि आवेदन में उल्लिखित हो, परीक्षण करने के लिये अपील प्राधिकारी को आवेदन दे सकता है। ऐसे आवेदन की एक प्रति ब्यौहारी या, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे अन्य व्यक्ति पर तामील की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि–

(क)इस उपधारा के अधीन कोई भी प्रार्थना पत्र प्रश्नगत आदेश की तारीख की चार वर्ष की समाप्ति के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा;

(ख)इस उपधारा के अधीन वैधता और औचित्य का परीक्षण करने के लिये आवेदन ब्यौहारी या, जैसी भी स्थिति हो, दूसरे व्यक्ति द्वारा दायर अपील के निस्तारण के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा;

(ग)यदि कमिश्नर द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन दाखिल कर दिया गया है और ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति स्वयं के द्वारा दाखिल अपील या उपधारा(2) के अधीन अपील के संक्षिप्त निस्तारण हेतु दाखिल आवेदन वापस ले लेता है तो धारा 52 के प्रयोजन हेतु यह समझा जायेगा मानो कि कोई अपील दाखिल नही की गई है, और ऐसे मामले में कमिश्नर द्वारा आवेदन दाखिल किये जाने की तारीख से

प्रारम्भ होने वाली और व्यौहारी के आवेदन पर अपील प्राधिकारी के आदेश की तारीख तक की अवधि धारा 52 में उपबन्धित परिसीमा की अवधि की गणना के लिये निकाल दी जायेगी; और

(घ)यदि गणना के पश्चात परिसीमा की अवधि छः माह से कम आती है तो धारा 52 के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण अपील प्राधिकारी के सम्बन्धित आदेश की प्राप्ति की तारीख से छः माह के भीतर किया जा सकता है।

स्पष्टीकरणः इस उपधारा के प्रयोजन के लिये कमिश्नर में वह अधिकारी, जो कि इस अधिनियम की धारा 53 के अधीन अधिकरण के समक्ष कमिश्नर की ओर से अपील दाखिल करने के लिये अधिकृत है, शामिल होगा।

(4)इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत विवरणी या इस अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर स्वीकार किये गये,इसमें जो भी अधिक हो, यथास्थिति, विक्रय आवर्त या क्रय आवर्त पर इस अधिनियम के अधीन देय कर या फीस की धनराशि, का भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो।

(5)अपील विहित प्रारूप में होगी और विहित रीति से सत्यापित की जायेगी।

(6)अपील प्राधिकारीः–

(क)ऐसे मामले में जिसमें अपीलकर्त्ता उपधारा (2) के अधीन अनुरोध करता है; और

(ख)किसी भी अन्य मामले में अपीलकर्त्ता के आवेदन पर और कमिश्नर को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात,

अपीलकर्त्ता द्वारा देय कर, फीस या अर्थदण्ड की धनराशि की वसूली को अपील के निस्तारण किये जाने तक स्थगित कर सकता है।

(7)उपधारा (6) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आवेदन ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि वह उपधारा (1) के अधीन अपील के ज्ञापन के साथ दाखिल नहीं किया गया है और कोई स्थगन आदेश 45 दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा शेष धनराशि स्थगन आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अथवा करनिर्धारक प्राधिकारी के अपीलाधीन आदेश में दिये गये समय के भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, जमा न कर दी गयी हो और जब तक कि अपीलकर्ता ने उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उस धनराशि के भुगतान के लिये जिसकी वसूली स्थगित की गयी है, करनिर्धारक प्राधिकारी के संतोषानुसार प्रतिभूति न दे दी हो:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ स्थगित की गई धनराशि रूपये 25000/–से कम है, व्यौहारी से ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिभूति दाखिल करना अपेक्षित नहीं होगा;

प्रतिबन्ध यह और है कि जहाँ अपीलाधीन किसी आदेश में कर फीस या अर्थदण्ड का कोई विवाद अन्तर्ग्रस्त नहीं है, वहाँ अपील प्राधिकारी ऐसी शर्तो, जैसा कि वह ठीक समझे, के अधीन ऐसे आदेश के कियान्वयन को अपील के निस्तारित होने तक स्थगित कर सकता है।

स्पष्टीकरण: किसी प्राधिकारी द्वारा स्थगन के लिये उसी प्रकार के आवेदन को अधिकारिता के अभाव में अस्वीकार किये जाने मात्र से अपील प्राधिकारी ऐसे आवेदन को ग्रहण करने से प्रवारित नहीं होगा।

(8)अपील प्राधिकारी सुसंगत अभिलेख मंगवाने और उसकी जाँच करने के पश्चात और अपीलकर्ता और कमिश्नर को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात या, यथास्थिति उपधारा (2) के अधीन दी गयी रीति का अनुसरण करने के पश्चात–

(क)ऐसे आदेश की पुष्टि या उसका अधिशून्यन कर सकता है; या

(ख)कर निर्धारण या अर्थदण्ड की धनराशि को कम करके या, यथास्थिति, बढ़ाकर ऐसे आदेश में परिवर्तन कर सकता है, चाहे ऐसी कमी या बढ़ोत्तरी अपील के आधार में उठाये गये प्रश्न से या अन्य प्रकार से उद्भूत हो; या

(ग)आदेश को अपास्त कर सकता है और कर निर्धारक प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी जाँच करने के पश्चात जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, नया आदेश पारित करें; या

(घ)कर निर्धारक प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है कि ऐसी जाँच करे, जैसी निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाय, और ऐसे समय के भीतर जैसा निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जिसकी वह समय–समय पर अनुमति दे, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और ऐसे समय की समाप्ति पर, अपील प्राधिकारी चाहे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो या नहीं, पूर्ववर्ती उपखण्डों के उपबन्धों के अनुसार अपील पर विनिश्चय दे सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात अपील प्राधिकारी को किसी भी स्तर पर ऐसी टिप्पणी जैसा कि वह ठीक समझे, के साथ अपील खारिज करने से नहीं रोकगी यदि अपीलकर्त्ता अपील को वापस लेने के लिये आवेदन देता है और कमिश्नर के द्वारा कर निर्धारण या अर्थदण्ड में बढ़ोत्तरी की प्रार्थना नहीं की गई है;

प्रतिबन्ध यह और है कि बढ़ोत्तरी करने से पहले अपीलकर्त्ता को बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर सुनवाई का मौका दिया जायेगा;

प्रतिबन्ध यह भी है कि अपील का निस्तारण ऐसी अवधि, जैसी कि विहित की जाये, के भीतर किया जायेगा।

(9)इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

(10)यदि निर्धारित कर या लगाये गये फीस या अर्थदण्ड की धनराशि उपधारा (6) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा कम कर दी जाये, तो वह वसूल किये गये अधिक कर, फीस या अर्थदण्ड को लौटाने का आदेश देगा।

(11) इस धारा के अधीन अपीलों या अन्य प्रार्थना–पत्रों पर परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 लागू होगी ।

(12)अपील प्राधिकारी कमिश्नर के नियन्त्रण और अधीक्षण में रहेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियन्त्रण और अधीक्षण के अधिकार मे कमिश्नर द्वारा कोई ऐसे आदेश, अनुदेश या निर्देश नहीं दिये जायेंगे जो अपील प्राधिकारी के अपील कृत्यों के प्रयोग विषयक विवेक में हस्तक्षेप हो।

(13)किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में एक ही वाद हेतुक से उत्पन्न व्यौहारी द्वारा दायर अपील और कमिश्नर द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र की सुनवाई और निर्णय एक ही साथ किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसी किसी अपील या आवेदन की सुनवाई और उसका विनिश्चय पहले हो गया है और यदि शेष अपील या आवेदन की सुनवाई करने वाला अपील अधिकारी यह विचार करता है कि ऐसा विनिश्चय ऐसी शेष बची अपील या आवेदन में राहत देने में बाधा बन सकता है तो वह ऐसे पूर्ववर्ती निर्णय को पुनः विनिश्चय हेतु वापस ले सकता है और पुनः सुनवाई का अवसर देते हुये ऐसी अपील और आवेदन को एक साथ विनिश्चित करने के लिये आगे कार्यवाही कर सकता है।

52: कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण:

(1)कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर से अनिम्न पद का कोई अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पारित धारा 56 में उल्लिखित आदेश से भिन्न किसी आदेश से सम्बन्धित अभिलेख को, ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन हेतु, मंगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(2)उपधारा (1) के अधीन ऐसा कोई आदेश जिसका किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तब तक, नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3)धारा 51 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश–

(क)उस आदेश जो धारा 51 के अधीन अपील की विषय–वस्तु हो या रह चुका हो, या उक्त धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के पुनरीक्षण करने के लिये;

(ख)प्रश्नगत आदेश की तारीख से 60 दिन की समाप्ति के पूर्व,

(ग) प्रश्नगत आदेश की तारीख से चार वर्ष की समाप्ति के बाद,

पारित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : यदि किसी आदेश के विरूद्ध अपील वापस ले ली जाय या धारा 74 में विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान न करने या धारा 51 की उपधारा (1) का अनुपालन न करने के कारण खारिज कर दी जाय, तो यह नहीं समझा जायेगा कि वह आदेश धारा 51 के अधीन अपील की विषय–वस्तु रह चुका है।

(4)इस धारा के अधीन कोई व्यौहारी या कोई अन्य व्यक्ति आवेदन दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।

53:अपील अधिकरण के समक्ष अपील:

(1)धारा 51 के अधीन पारित किसी आदेश (उस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश को छोड़कर), धारा 52 या धारा 76 के अधीन पारित किसी आदेश, धारा 57 के अधीन किसी विनिश्चय, धारा 43 की उपधारा (8) के अधीन किसी निर्देश से व्यथित

कोई व्यक्ति ऐसे आदेश, विनिश्चय या, निर्देश की उसके ऊपर तामीली के 90 दिन के भीतर अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है ।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजन हेतु कमिश्नर से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में "कोई व्यक्ति" पद में कमिश्नर सम्मिलित है और कमिश्नर द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार सम्मिलित है।

(2)(क) उपधारा (1)में किसी बात के रहते हुये भी जहाँ कर, फीस या अर्थदण्ड की विवादित धनराशि दो हजार रूपये से अनधिक है और विधि का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, वहाँ अपीलकर्ता अपनी मर्जी से, अपनी अपील का संक्षिप्त निस्तारण करने के लिये अधिकरण से लिखित में प्रार्थना कर सकता है जिस पर अधिकरण अपील का निस्तारण तदनुसार कर सकता है ।

(ख)अपील के संक्षिप्त निस्तारण की रीति ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाय।

(ग)अपील में पारित किसी आदेश, जिसका निस्तारण संक्षिप्त निस्तारण के रूप से हुआ है, के विरूद्ध कोई पुनरीक्षण नही किया जायेगा।

(3)परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 इस धारा के अधीन अपील और अन्य प्रार्थनापत्रों पर लागू होगी।

(4)अधिकरण अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद किसी भी स्तर पर अपील खारिज कर सकता है।

(5)अधिकरण, यदि उसने उपधारा (4) के अधीन अपील पहले ही खारिज न कर दी हो, सुसंगत अभिलेख मँगाने और उनका परीक्षण करने के पश्चात और पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात या, यथास्थिति, उपधारा (2) के अधीन विहित रीति का अनुसरण करने के पश्चात–

(क)ऐसे आदेश की पुष्टि, उसको रद्द या परिवर्तित कर सकता है; या

(ख)आदेश को अपास्त कर सकता है और यथास्थिति, कर निर्धारण करने वाले, या अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी या कमिश्नर को निर्देश दे सकताहै कि वह ऐसी अग्रेतर जाँच, यदि कोई हो, जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, करने के पश्चात नया आदेश दे।

(6)यदि अधिकरण द्वारा उपधारा (5) के अधीन कर, फीस या अर्थदण्ड की कोई धनराशि कम की जाती है, तो वह आदेश करेगा कि कोई धनराशि जो देय धनराशि से अधिक वसूली गयी है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जाये।

स्पष्टीकरण: आदेश में परिवर्तन करने के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शक्ति के अन्तर्गत निर्धारित कर या अर्थदण्ड की धनराशि को कम करने या बढ़ाकर आदेश में परिवर्तन करने का अधिकार भी, सम्मिलित है। तथापि, कर या अन्य धनराशि बढ़ाने से पूर्व व्यौहारी को, देयता बढ़ाने के प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(7)यदि इस धारा के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो, तो ऐसी अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किये गये अपीलकर्ता के प्रार्थना–पत्र पर अधिकरण, पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गयी है, उसके अधीन देय किसी कर, फीस या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को

या देय धनराशि की वापसी को, पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही को या जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, उसके प्रवर्तन को अपील के निस्तारण होने तक स्थगित कर सकता है।

(8)कर, फीस या अर्थदण्ड की किसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली के स्थगन के लिये कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रार्थी ने धारा 51 की उपधारा (4) के अधीन जमा करने के लिये अपेक्षित धनराशि के अतिरिक्त, ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की कम से कम एक तिहाई धनराशि के भुगतान का संतोषजनक प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दिया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ विवादग्रस्त धनराशि रूपये 25000/– से कम है, व्यौहारी से ऐसी विवादित धनराशि की एक तिहाई धनराशि जमा करना अपेक्षित नहीं होगा;

प्रतिबन्ध यह और है कि अधिकरण विशेष और पर्याप्त कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की एक तिहाई धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में इस उपधारा की अपेक्षा का अधित्याग या शिथिल कर सकता है।

(9)जहाँ अधिकरण ने इस धारा के अधीन किसी कर, फीस या अर्थदण्ड की वसूली के स्थगन के लिये या उस आदेश के, जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन के स्थगन के लिये आदेश पारित किया है और अधिकरण के ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप किसी कर, फीस या अर्थदण्ड की वसूली स्थगित हो गई है, वहाँ अधिकरण का ऐसा स्थगन आदेश 45 दिन से अधिक के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा, जब तक कि अपीलकर्ता ने शेष धनराशि स्थगन आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर जमा न कर दी हो और बकाया धनराशि के भुगतान के लिये सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी हो;

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ स्थगित की गई धनराशि रूपये 25000/–से कम है, व्यौहारी से ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिभूति दाखिल करना अपेक्षित नहीं होगा।

(10)(क)धारा 51 के अधीन अपील अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण–

(i) दो सदस्यों की न्याय पीठ द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा आदेश एडिशनल कमिश्नर (अपील)द्वारा किया गया हो, अथवा विवादग्रस्त कर, फीस या अर्थदण्ड की धनराशि दो लाख रूपये से अधिक हो;

(ii)किसी अन्य मामले में एक सदस्य द्वारा किया जायेगा।

(ख)धारा 52 के अधीन दिये गये आदेश या धारा 43 की उपधारा (8) के अधीन दिये गये निर्देश के विरूद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण दो सदस्यों की न्याय पीठ द्वारा किया जायेगा;

(ग) धारा 76 की उपधारा (13) या उपधारा (16) के अधीन किसी आदेश या धारा 57 के अधीन दिये गये किसी विनिश्चय के विरूद्ध कोई अपील अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और उसकी सुनवाई और उसका निस्तारण तीन सदस्यों की न्याय पीठ द्वारा किया जायेगा।

(घ)अध्यक्ष, यदि उचित समझे,–

(i) किसी अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय वृहत्तर न्यायपीठ द्वारा किये जाने के निर्देश दे सकता है;

(ii) किसी अपील का अन्तरण एक सदस्य से दूसरे सदस्य को कर सकता है।

(ङ)दो या अधिक सदस्यों की किसी न्यायपीठ के समक्ष किसी मामले में, कोई ऐसा आदेश जो मामले का अन्तिम रूप से निस्तारण करने वाले आदेश से भिन्न हो, न्यायपीठ का गठन करने वाले सदस्यों में से किसी एक द्वारा पारित किया जा सकता है।

(11)कोई भी सदस्य जिसने अधिकरण के समक्ष आने वाले किसी मामले में किसी भी क्षमता में कार्यवाही की है या जो अधिकरण के समक्ष आने वाले किसी मामले में व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हो उस मामले की सुनवाई के लिये अर्हित नहीं होगा।

(12)किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में एक ही वाद हेतुक से उत्पन्न समस्त अपीलों की सुनवाई और उनका निस्तारण एक साथ किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसी अपीलों में से किसी एक या अधिक अपीलों की सुनवाई और विनिश्चय पहले ही किया जा चुका है, यदि अवशेष अपीलों की सुनवाई करने वाली न्यायपीठ यह विचार करती है कि ऐसे विनिश्चय से ऐसी अवशेष अपीलों में राहत देने में विधिक अड़चन हो सकती है, वहाँ वह, यदि पूर्वतर विनिश्चय–

(क)लघुतर न्यायपीठ या समसंख्यक न्यायपीठ द्वारा दिया गया हो, ऐसे पूर्वत्तर विनिश्चय को वापस मंगा सकती है और सभी अपीलों का विनिश्चय एक साथ करने की कार्यवाही कर सकती है;

(ख) वृहत्तर न्यायपीठ द्वारा दिया गया हो, ऐसी अवशेष अपीलों को ऐसी अधिकारिता वाले वृहद्त्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट कर सकती है और तत्पश्चात ऐसी वृहत्तर न्यायपीठ ऐसे पूर्वतर विनिश्चय को मंगा सकती है और सभी अपीलों का एक साथ विनिश्चय करने की कार्यवाही कर सकती है।

(13) किसी न्यायपीठ द्वारा सुने गये मामले का विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार होगा। यदि सदस्यों की राय बराबर विभाजित हो तो अधिकरण का अध्यक्ष–

(क) यदि वह ऐसी न्यायपीठ का सदस्य नहीं था, अपनी राय दे सकता है, या किसी अन्य सदस्यों की राय के लिये मामला निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसे मामले का विनिश्चय ऐसी राय के अनुसार किया जायेगा; या

(ख)वृहत्तर न्यायपीठ बना सकता है।

(14) जहाँ किसी मामले की सुनवाई द्विसदस्यीय पीठ द्वारा की जाती है और सदस्य किसी बिन्दु पर अपनी राय में विभाजित है और दूसरा सदस्य या अधिकरण के सदस्यगण उपधारा (10) के अधीन मामले को सुनने के लिये अर्हित नहीं हैं या फिलहाल अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुये केवल दो सदस्य हैं, तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति जो कि अधिकरण का सदस्य नियुक्त होने योग्य है, को अधिकरण के अतिरिक्त सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती है और वह बिन्दु अधिकरण के उन सदस्यों

जिन्होंने मामले की सुनवाई की है (उनको शामिल करते हुये जिन्होंने प्रथम बार इसकी सुनवाई की है) की बहुसंख्यक राय के अनुसार विनिश्चित किया जायेगा।

(15)अधिकरण अपीलकर्ता पर लिखित रूप से अपील निर्णय की नोटिस, निर्णय के कारणों का उल्लेख करते हुये तामील करेगा।

54:अपील अधिकरण का गठनः

(1)इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिकरण को सौंपे गये कार्यों का निस्पादन करने के लिये सरकार एक अधिकरण का गठन करेगी जिसके एक अध्यक्ष और ऐसे सदस्य होंगे जैसा कि वह ठीक समझे।

(2)अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से की जायेगी–

(क)उत्तरांचल उच्चतर न्यायिक सेवा के ऐसे व्यक्ति जो अपर जिला न्यायाधीश से निम्न पद पर न हों या न रहे हो; और

(ख)उत्तरांचल व्यापार कर सेवा के ऐसे व्यक्ति जो कि एडिशनल कमिश्नर से निम्न पद पर न हों या न रहे हों;

(3)राज्य सरकार अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये ऐसी अन्य अर्हताएं या शर्ते विहित कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे।

(4)राज्य सरकार द्वारा अधिकरण के लिये नियुक्तियाँ की जायेंगी –

(क)उन व्यक्तियों की स्थिति मे जो उत्तरांचल उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य रहे हैं या हैं, उच्च न्यायालय के परामर्श से; और

(ख) उत्तरांचल व्यापार कर सेवा के व्यक्तियों की स्थिति में उन व्यक्तियों में से जो एडिशनल कमिश्नर से निम्न पद पर न हों या न रहे हों, योग्यता के सिद्धान्त पर चयन द्वारा।

(5)उत्तर प्रदेश मूल नियम जैसा कि उत्तरांचल में लागू है, के नियन 56 के उपबन्ध अध्यक्ष सहित अधिकरण के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे जैसे कि वे किसी भी अन्य सरकारी सेवक पर लागू हैं।

(6)अधिकरण के अध्यक्ष का मुख्यालय देहरादून में रहेगा और वह उत्तरांचल में सभी न्यायपीठों के ऊपर समवर्ती अधिकारिता रखेगा।

(7)धारा 53 की उपधारा (10) के खण्ड (क)के उपखण्ड (ii)में निर्दिष्ट अन्य एकल सदस्यीय न्यायपीठों का मुख्यालय और अधिकारिता उस प्रकार रहेगी जैसा कि राज्य सरकार अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से समय–समय पर अधिसूचित करे।

(8)अध्यक्ष समय–समय पर दो या दो से अधिक सदस्यों की न्यायपीठों का गठन कर सकता है और, जैसा वह आवश्यक समझे, उनकी अधिकारिता और बैठने के स्थान को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(9)अधिकरण के सदस्य अध्यक्ष के प्रशासनिक नियत्रण और पर्यवेक्षण में रहेंगे।

(10)अपनी रीति को विनियमित करने और कार्य का निस्तारण करने के उद्देश्य से अधिकरण सरकार की पूर्व अनुमति से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से संगत विनियम बनायेगा।

(11)उपधारा (10) के अधीन बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

55: उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण:

(1)धारा 53 की उपधारा(4) या उपधारा (5) के अधीन दिये गये आदेश से, जो उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अपील का संक्षिप्त निस्तारण करने के आदेश से भिन्न हो, या अधिकरण द्वारा धारा 30 के अधीन दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तामीली की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उच्च न्यायालय में ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है।

(2)उच्च न्यायालय में विधि के बिन्दु पर या त्रुटिपूर्ण विनिश्चय या किसी विधिक प्रश्न पर अधिकरण द्वारा विनिश्चय न दिये जाने के बिन्दु पर पुनरीक्षण किया जा सकता है।

(3)उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण के आवेदनमें मामले से सम्बन्धित विधिक प्रश्न का ठीक–ठीक वर्णन होगा और विधिक प्रश्न के सूत्रकरण या किसी अन्य विधिक प्रश्न उठाये जाने की अनुमति देने के लिये उच्च न्यायालय सक्षम होगा।

(4)जहाँ किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अपील दाखिल की जाती है वहाँ उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में कमिश्नर को भी एक पक्षकार बनाया जायेगा।

(5)यदि इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना–पत्र विचाराधीन हो, तो उच्च न्यायालय उस निमित्त आवेदन दिये जाने पर पुनरीक्षण के लिये आशयित आदेश के अधीन देय कर, फीस, अर्थदण्ड की किसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को या किसी देय धनराशि की वापसी को स्थगित कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली के स्थगन के लिये कोई आदेश तीस दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा, जब तक कि आवेदक सम्बन्धित करनिर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति न दे दे।

(6)उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात अन्तर्ग्रस्त विधिक प्रश्न का विनिश्चय करेगा और यदि ऐसे विनिश्चय के परिणामस्वरूप कर, फीस या अर्थदण्ड की धनराशि को फिर अवधारित किया जाना अपेक्षित हो तो उच्च न्यायालय धनराशि को फिर से अवधारित करने के लिये विनिश्चय की एक प्रति, अधिकरण को भेज सकता है, और तदनुसार अधिकरण ऐसा आदेश देगा, जो उक्त विनिश्चय के अनुरूप मामले का निस्तारण करने के लिये आवश्यक हो।

(7)किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में उसी वाद हेतुक से उत्पन्न अपीलों में धारा 53 के अधीन पारित आदेशों के पुनरीक्षण के लिये सभी प्रार्थनापत्रों की एक साथ सुनवाई और विनिश्चय किया जायेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसे प्रार्थनापत्रों में से किसी एक या अधिक की सुनवाई और विनिश्चिय पहले कर दिया गया है, वहाँ यदि उच्च न्यायालय अवशेष प्रार्थनापत्रों की सुनवाई करते समय यह विचार करता है कि पूर्वतर विनिश्चिय से ऐसे अवशेष प्रार्थनापत्रों में राहत देने में विधिक अडचन हो सकती है, तो वह ऐसे पूर्वतर विनिश्चिय को मंगा सकेगा और तत्पश्चात सभी प्रार्थनापत्रों पर एक साथ सुनवाई और विनिश्चिय करने की कार्यवाही कर सकता है।

(8)परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबन्ध इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिये दिये गये प्रत्येक प्रार्थना–पत्र पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

स्पष्टीकरणः—इस धारा के प्रयोजनों के लिये "कोई व्यक्ति" पद के अन्तर्गत कमिश्नर और राज्य सरकार भी है ।

56:आदेश जिनके विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण दाखिल नहीं किया जायेगाः

अधोलिखित के विरूद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दाखिल नहीं होगा–

(क) कर निर्धारण या पुनःकरनिर्धारण के लिये जाँच प्रारम्भ करने हेतु धारा 24, धारा 25, धारा 26 और धारा 29 के अधीन कोई आदेश या नोटिस,

(ख)धारा 42 या धारा 43 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (4), उपधारा (7) और उपधारा (8) अथवा धारा 48 की उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश या कार्यवाही।

57: विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारणः

(1)यदि न्यायालय के समक्ष अथवा धारा 25, धारा 26 या धारा 29 के अधीन करनिर्धारक प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से अन्यथा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ –

(क)कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यौहारी है; या

(ख)किसी माल के प्रति किया गया कोई विशिष्ट कार्य स्वतः या परिणामतः माल का विनिर्माण उस शब्द के अर्थानुसार है; या

(ग)कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है, और यदि हाँ, तो उसकी विक्रय या यथास्थिति क्रय कीमत क्या है; या

(घ)किसी विशिष्ट व्यौहारी को पंजीयन कराना अपेक्षित; या

(ङ)किसी विशिष्ट विक्रय या विशिष्ट क्रय के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हाँ, तो उसकी दर क्या है,

तो सम्बन्धित व्यक्ति या व्यौहारी, धारा 74 में विनिर्दिष्ट फीस जमा करके, ऐसे दस्तावेजों सहित जो विहित किये जाये, कमिश्नर को आवेदन दे सकता है।

(2)कमिश्नर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, इस प्रकार उत्पन्न प्रश्न का, जैसा कि वह उचित समझे, विनिश्चय करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि विनिश्चय देने के पूर्व कमिश्नर स्वविवेकानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों से ऐसी जाँच करने के लिये कह सकता है, जिसे वह उस प्रश्न के विनिश्चय के लिये आवश्यक समझे।

(3) इस धारा के अधीन कमिश्नर के विनिश्चय में किसी करनिर्धारक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा पहले दिये गये किसी आदेश की विधि मान्यता या उसके प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4)कोई प्रश्न, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो, इस धारा के अधीन अवधारण के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(5)उपधारा (3) मे जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस धारा के अधीन कमिश्नर

द्वारा किया गया कोई विनिश्चय, धारा 53 और 55 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा और आवेदक, कर निर्धारक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी पर आबद्धकर होगा।

(6)इस धारा के अधीन दिये गये विनिश्चय की एक प्रति आवेदक और सम्बद्ध कर निर्धारक प्राधिकारी को भेजी जायेगी।

अध्याय –VIII
अपराध और अर्थदण्ड

58: अपराध एवं अर्थदण्ड:

(1)यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि व्यौहारी या अन्य व्यक्ति–

(i)इस अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिये उत्तरदायी होते हुये भी, पंजीयन प्राप्त करने के लिये उसके जिम्मेदार होने की तारीख के 30 दिन बाद भी धारा 15 या धारा 16 के उपबन्धों के अधीन और उनके अनुसार पंजीयन प्राप्त किये बिना या धारा 20 के अधीन मांगी गई जमानत जमा किये बिना एक व्यौहारी के रूप में अपना कारबार करता है या चालू रखता है; या

(ii)ऐसे समय जब वह माल का विक्रय या क्रय करता है, पंजीकृत व्यौहारी न होते हुये भी, मिथ्या दर्शाता है कि वह एक पंजीकृत व्यौहारी है या था; या

(iii)कर भुगतान करने के दायित्व से बचने या उसको टालने या दूसरे पर डालने की दृष्टि से जानबूझ कर झूठी पंजीयन संख्या जिसमें अन्य व्यक्ति की पंजीयन संख्या भी सम्मिलित है, का उपयोग करता है; या

(iv)ने युक्तियुक्त कारण के बिना, अपने आवर्त की विवरणी प्रस्तुत नहीं किया है या अनुमन्य समय के भीतर और विहित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है; या

(v)ने इस अध्यादेश के अधीन आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत किया है; या

(vi)ने अपने आवर्त की विशिष्टियाँ छिपाई है अथवा जानबूझ कर ऐसे आवर्त की त्रुटिपूर्ण विशिष्टियाँ प्रस्तुत की है; या

(vii)ने युक्तियुक्त कारण के बिना–

(क) अधिनियम के अधीन देय कर, विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व या उसके साथ जमा नहीं किया है; या

(ख) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है; या

(ग) अधिनियम के अधीन देय कर से अधिक कर के रूप में वसूली गई धनराशि या ऐसे कर के बदले में कोई भिन्न नाम या छद्म नाम देकर वसूली गई धनराशि विवरणी के साथ जमा नहीं किया है; या

(viii)ऐसी धनराशि जिसके सम्बन्ध में धारा 76 के उपबन्धों के अधीन अधिस्थगन स्वीकृत किया गया है, का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट अवधि में करने में असफल रहता है; या

(ix)किसी माल के विक्रय या क्रय पर कोई कर मांगे या वसूल करे जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय न हो; या

(x)धारा 22 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करके विक्रय या क्रय पर कर के रूप में कोई धनराशि या ऐसे कर के बदले कोई

भिन्न या छद्म नाम देकर कोई धनराशि वसूल करता है; या

(xi)इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है; या

(xii)इस अधिनियम के अधीन देय कर या फीस या अर्थदण्ड या किसी अन्य धनराशि के जमा करने का मिथ्या प्रमाण प्रस्तुत करता है; या

(xiii)विहित रीति से बहियाँ, लेखे, दस्तावेज नहीं रखता है; या

(xiv)ने मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा है अथवा प्रस्तुत किया है; या

(xv)कोई ऐसी सूचना, जो उसकी जानकारी में या उसके पास हो और जिसकी उससे इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी हो, प्रस्तुत करने से इनकार करता है अथवा उसमें उपेक्षा करता है, अथवा ऐसी सूचना प्रस्तुत करता है जो किन्हीं तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है; या

(xvi)धारा 62 के उपबन्धों के उल्लंघन में सम्परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; या

(xvii)किसी बही, दस्तावेज या लेखा बही या किसी कम्प्यूटर या कम्प्यूटर फ्लापी में रखी गयी सामग्री का निरीक्षण या परीक्षण करने देने से इनकार करता है या प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है या धारा 42 के उपबन्धों के अनुसार उनकी प्रतिलिपियाँ या प्रिन्ट आउट तैयार करने देने से इनकार करता है; या

(xviii)इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निरीक्षण को रोकने के उद्देश्य से अपना कारबार स्थल बन्द कर देता है अथवा छोड़ देता है; या

(xix)धारा 48 या धारा 49 के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी माल का आयात या परिवहन करता है या आयात या परिवहन करने का प्रयत्न करता है या आयात या परिवहन करने के लिये दुष्प्रेरित करता है; या

(xx)अपने वाहन को उस दशा में रोकता नहीं है या खड़ा नहीं रखता है अथवा रोकने या खड़ा रखने से इन्कार करता है, जब धारा 47 के अधीन स्थापित जाँच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी अथवा धारा 42 के अधीन सशक्त अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिये कहा जाय; या

(xxi)जैसा कि धारा 50 में विहित है उसके अनुसार माल के पारगमन के लिये प्राधिकार प्राप्त नहीं करता है अथवा उसे नहीं देता है; या

(xxii)एक परिवाहक या अग्रेषण अभिकर्त्ता होते हुये किसी वाहन जो राज्य के बाहर से माल को लाकर राज्य के बाहर ले जाने के लिये निर्वहन करता है, के वाहनचालक या प्रभारी व्यक्ति से कोई माल प्राप्त करता है लेकिन यह प्रमाणित करने में असफल रहता है कि माल राज्य के बाहर ले जाया गया है; या

(xxiii)एक परिवाहक या अवक्रेता या वाहन चालक या वाहन का प्रभारी व्यक्ति होने की दशा में यह दर्शाते हुये कि माल का गन्तव्य राज्य के बाहर किसी स्थान को है, दस्तावेज तैयार करता है लेकिन निकासी जाँच चौकी पर माल के

साथ माल के पारगमन के प्राधिकार की प्रतियाँ प्रस्तुत करने और/या यह प्रमाणित करने में असफल रहता है कि प्रवेश जाँच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन का अधिकार–पत्र प्राप्त करने के बाद माल राज्य के बाहर ले जाया गया है; या

(xxiv)धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन लगायी गयी किसी मुहर से अन्तःक्षेप करता है; या

(xxv)धारा 60 के उपबन्धों के अनुसार बिक्री बीजक जारी करने में असफल रहता है अथवा बिक्री बीजक अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण विशिष्टियों के साथ जारी करता है अथवा ऐसा बीजक जारी करने के पश्चात उसको अपनी लेखा बहियों में शुद्धतया लेखाबद्ध करने में असफल रहता है; या

(xxvi)झूठा बिक्रीबीजक, वाउचर या अन्य दस्तावेज जिनको वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वे झूठे हैं, जारी करता है; या

(xxvii)किसी माल के प्रेषण पर परिवहन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार चालान या अन्तरण–बीजक या परिवहन–मीमों जारी करने में असफल रहता है; या

(xxviii) कोई मिथ्या बिक्री बीजक,ऐसे बिक्री बीजक मे दर्शाये गये माल के विक्रय या क्रय किये बिना जारी करता है या प्राप्त करता है; या

(xxix)कोई झूठा या गलत घोषणा–पत्र या प्रमाणपत्र जारी करता है या देता है जिसके कारण इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों या जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके; या

(xxx)किसी घोषणा का विहित प्रपत्र, या प्रमाणपत्र उपयोग करता है जो उसने या उसके कर्ता या अभिकर्ता द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये नियमो के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त नहीं किये हैं; या

(xxxi)किसी घोषणा के विहित प्रपत्र या प्रमाणपत्र को किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन विधि पूर्ण प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु अन्तरण करता है; या

(xxxii)राजस्व को हानि पहुचाने के आशय से किसी ऐसे घोषणा के विहित प्रपत्र या प्रमाणपत्र को प्राप्त करता है या रखता है जिसको कर्त्ता या अभिकर्त्ता द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन प्राप्त नहीं किया गया है; या

(xxxiii)किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके किसी कार्य को करने से या उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकता है या उसमें बाधा डालता है या किसी अधिकारी को गाली देता है या धमकाता है; या

(xxxiv)किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्त्तव्यों का पालन करने से रोकने की दृष्टि से अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को भड़काता है या आमन्त्रित करता है या किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने से रोकने की दृष्टि से किसी अवैधानिक सभा जमाव में भाग लेता है या किसी अधिकारी को गाली देता है या धमकी देता है; या

(xxxv)पंजीयन के लिये प्रार्थना–पत्र पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में मिथ्या सत्यापन या घोषणा करता है; या

(xxxvi)इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके कार्य करता है,

तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसी जाँच के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यौहारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में–

(क) खण्ड (i) में निर्दिष्ट दशा में, प्रथम तीन महीने में व्यतिक्रम के लिये प्रत्येक महीने या उसके भाग के निमित्त दो सौ रूपया, और प्रथम तीन महीने के पश्चात प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिये जिसमें व्यतिक्रम किया जाता रहे, पाँच सौ रूपया;

(ख) खण्ड (vii) या खण्ड (viii)में निर्दिष्ट दशा में देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत यदि कर दस हजार रूपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत यदि कर दस हजार रूपये से अधिक हो;

(ग) खण्ड (x) में निर्दिष्ट दशा में, ऐसी धनराशि जो अधिक वसूल की गई धनराशि से कम न हो, किन्तु अधिक वसूल की गई धनराशि के तीन गुने से अधिक न हो;

(घ) खण्ड (ii), खण्ड (iv), खण्ड (xiii), खण्ड (xv), खण्ड (xvi), खण्ड (xviii), खण्ड (xxviii) और खण्ड (xxxvi)में निर्दिष्ट दशा में पाँच हजार रूपये से अनधिक धनराशि;

(ङ)खण्ड;(iii),खण्ड;vi),खण्ड;ix), खण्ड;xiv), खण्ड;xvii), खण्ड(xx),खण्ड (xxiv), खण्ड(xxvi), खण्ड(xxxiii)और खण्ड(xxxv) में निर्दिष्ट दशा मे दस हजार रूपये से अनधिक धनराशि;

(च) खण्ड (xi) और खण्ड (xii) में निर्दिष्ट दशा में पाँच हजार रूपये या दावाकृत धनराशि के तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो;

(छ) खण्ड (xix), खण्ड (xxi), खण्ड(xxii), खण्ड(xxiii), खण्ड (xxix) और खण्ड (xxx) में निर्दिष्ट दशा में अन्तर्ग्रस्त माल के कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो;

(ज) खण्ड (xxv) और खण्ड (xxvii) में निर्दिष्ट दशा नें प्रथम व्यतिक्रम के लिये एक सौ रूपये या अन्तर्ग्रस्त कर के दो गुनी धनराशि, जो भी अधिक हो, और द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती व्यतिक्रम के लिये दो सौ रूपये या अन्तर्ग्रस्त कर के दो गुनी धनराशि, जो भी अधिक हो;

(झ) खण्ड (xxxi) और खण्ड (xxxii) में निर्दिष्ट दशा में माल के आवर्त को कराधेय मानते हुये इस पर कर की धनराशि के तीन गुना के बराबर धनराशि या उसमें दर्शित माल की कीमत का चालीस

प्रतिशत, जो भी अधिक हो, और यदि घोषणापत्र का प्रपत्र या प्रमाण-पत्र खाली पाया जाता है तो दस हजार रूपये से अनधिक,

(ञ)खण्ड (v) में निर्दिष्ट दशा में दस हजार रूपये या अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि, जो भी अधिक हो, से अनधिक धनराशि;

(ट)खण्ड (xxiv)मे निर्दिष्ट दशा मे पच्चीस हजार रूपये से अनधिक धनराशि; का भुगतान करने का दायी होगा।

स्पष्टीकरणः इस धारा के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारक प्राधिकारी के अन्तर्गत जॉच चौकी पर तैनात वाणिज्य कर अधिकारी श्रेणी-दो से अनिम्न पद का अधिकारी, या धारा 42 या धारा43 या दोनो, जैसी भी दशा हो, के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है।

(2)उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्रति व्यौहारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर तामील की जायेगी और अर्थदण्ड के रूप में आरोपित धनराशि ऐसे व्यौहारी या व्यक्ति द्वारा तामीली के तीस दिन के भीतर विहित रीति से जमा की जायेगी और ऐसा न करने पर उसे उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा, मानों वह मालगुजारी का कोई बकाया हो।

(3)उपधारा (1) के अधीन उस समय तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा, जब तक व्यौहारी या अन्य सम्बद्ध व्यक्ति की सुनवाई न कर ली जाय अथवा उसको सुनवाई के लिये युक्तियुक्त अवसर न दिया जाये।

(4)इस धारा के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों के साथ मृत व्यक्ति के निष्पादक, प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि पर भी लागू होंगे ।

अध्याय IX
ब्यौहारियों द्वारा लेखा रखा जाना

59: लेखों का रख रखाव :

(1)प्रत्येक ब्यौहारी या व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत है या पंजीयन के लिये दायी है, या इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिये दायी है, जिसमें इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत आच्छादित कोई ब्यौहारी भी सम्मिलित है, ऐसा सच्चा और सही लेखा रखेगा जिसमें ऐसे माल की कीमत दिखायी गयी हो, जो उसने क्रय, विनिर्मित, या विक्रय या सम्भरण किया हो, और ऐसे अभिलेख रखेगा जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के अधीन विहित किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि यह उपधारा ऐसे ब्यौहारियों पर लागू नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी नहीं हैं।

(2)कोई विनिर्माता जो इस अधिनियम के अधीन कर का दायी है, उपधारा (1)में निर्दिष्ट लेखों के अतिरिक्त, कच्चे माल और प्राप्त उत्पादन के सम्बन्ध में भी स्टाक वहियों रखेगा:

(3)कमिश्नर किसी ब्यौहारी को या ब्यौहारियों के किसी वर्ग को निर्देश दे सकता है कि वे, ऐसी शर्तों या निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जैसी इस निमित्त विहित की जायें, सामान्यता ऐसे लेखे और अभिलेख, जिसमें माल के क्रय, विक्रय और परिदान के अभिलेख भी सम्मलित है, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से रखेगें जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय।

(4)प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्यौहारी कारबार के दौरान रखे गये सभी लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज अपने कारबार स्थल पर रखेगा।

(5)जहॉं किसी ब्यौहारी जैसा कि उपधारा (1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट है, ने अपने कारबार के मुख्य स्थान के अन्यथा राज्य में शाखा कार्यालय स्थापित किये हो, तो ऐसी प्रत्येक शाखा से सम्बन्धित सुसंगत लेखे, रजिस्टर एवं दस्तावेज ऐसी शाखा पर रखेगा।

(6)ऐसा ब्यौहारी जो बहियों या लेखे किसी कम्प्यूटर में रखता है, वह ऐसी बहियों या लेखों या दस्तावेजों की फ्लापी तैयार करेगा और अपने लेखों के भाग स्वरूप रखेगा। वह ऐसे समस्त बही, लेखों और दस्तावेजों का दिन प्रतिदिन का प्रिन्ट आउट भी रखेगा।

(7)ऐसा ब्यौहारी जो धारा 6 के अधीन इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है, वह कर अवधि के अनुरूप इनपुट टैक्स के लाभ की संगणना के सम्बन्ध में रजिस्टर रखेगा।

(8)जहॉं कोई ब्यौहारी विनिर्मित माल को निम्न में से एक से अधिक तरीके से क्रय करता है या प्राप्त करता है या व्ययन करता है–

(क)कराधेय माल का राज्य के अन्दर विक्रय करता है; या

(ख)कराधेय माल का अन्य ब्योहारियों को राज्य के अन्दर विक्रय हेतु प्रेषण करता है; या

(ग)कराधेय माल का अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय करता है; या

(घ)माल की भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय करता है;या कराधेय माल को राज्य के बाहर विक्रय के अन्यथा प्रेषण करता है,

(ङ)कराधेय माल का प्रेषण विक्रय के अन्यथा राज्य के बाहर करता है तो वह माल का विक्रय या प्रेषण और साथ ही क्रय और प्राप्ति का ऐसे प्रयोजनों के लिये, जहाँ तक सम्भव हो, अलग अलग लेखा रखेगा।

(9)कर के लिये दायी प्रत्येक ब्यौहारी राज्य के अन्दर से क्रय और राज्य के बाहर से आयातित माल की उनके क्रय कीमत सहित, सूची निम्नानुसार तैयार करेगा–

(क)उस तारीख जिसमें ब्यौहारी कर भुगतान का दायी बन जाता है, में प्रारम्भिक स्टाक में धारित माल;

(ख)प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अन्तिम तारीख को अन्तिम स्टाक में धारित माल;

(ग)ऐसे कर निर्धारण वर्ष जिसमें ब्यौहारी धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन पंजीयन के निरस्तीकरण के लिये आवेदन करता है, के प्रथम दिवस में प्रारम्भिक स्टाक में धारित माल;

(घ)कारबार बन्द कर दिये जाने के समय स्टाक में धारित माल:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ब्यौहारी किसी माल का विनिर्माण करता है और स्टाक में कोई विनिर्मित या अर्ध–विनिर्मित माल रखता है तो वह माल की सूची भी बनायेगा और विनिर्मित या अर्ध–विनिर्मित माल के घटक के रूप में उपयोग किये गये माल की अनुमानित/क्रय कीमत और ऐसे माल के विनिर्माण में ईंधन या उपभोज्य स्टोर या स्नेहकों या पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग किये गये माल की अनुमानित क्रय कीमत अभिलिखित करेगा।

(10)जहाँ कोई पंजीकृत ब्यौहारी या कर भुगतान के लिये दायी कोई ब्यौहारी किसी कराधेय माल को किसी अन्य ब्यौहारी को विक्रय के फलस्वरूप या अन्यथा प्रेषित करता है, तो–

(क)ऐसा ब्यौहारी क्रेता या प्रेषिती व्यक्ति को विहित रीति से मूल रूप में विहित विशिष्टियों सहित एक चालान या अन्तरण–बीजक जारी करेगा और इसे माल की यात्रा के दौरान माल के साथ रखेगा और उसकी द्वितीय प्रति ब्यौहारी द्वारा अपने लेखों के भाग के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी;

(ख)प्रेषिती को परिदान हेतु माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति अन्तरण–बीजक या चालान में सुसंगत कालम में विशिष्टियाँ भरेगा और ऐसे दस्तावेज प्रेषिती को माल के साथ परिदान करेगा;

(ग)माल का प्रेषिती ब्यौहारी ऐसे किसी दस्तावेज का किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण नहीं करेगा और उनको धारा 61 के अधीन विहित अवधि तक सुरक्षित रखेगा।

(11)जहाँ कोई ब्यौहारी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये नियमों या जारी की गई

अधिसूचनाओं के अधीन विहित कोई प्रमाणपत्र या कोई घोषणा का प्रपत्र प्राप्त करता है, तो–

(क)वह उनका विहित रीति में उपयोग करेगा और ऐसे प्रयुक्त या अप्रयुक्त प्रमाणपत्र या घोषणा के प्रपत्रों का विहित रीति से लेखा रखेगा;

(ख)ऐसे प्रयुक्त या अप्रयुक्त प्रमाणपत्र या घोषणा–पत्र के प्रपत्रों का किसी विधिपूर्ण प्रयोजन के अन्यथा वह किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण नहीं करेगा और न कोई अन्य व्यक्ति इनको प्राप्त करेगा;

(ग)कोई ब्यौहारी जो किसी विहित प्रपत्र, जिसमें उसकी द्वितीय प्रतिलिपि भी सम्मलित है, और अन्य सम्बद्ध दस्तावेज प्राप्त करता है, वह उनको धारा 61 के अधीन विहित अवधि तक सुरक्षित रखेगा।

60:बिक्री बीजक:

(1)प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी जो कराधेय माल का विकय, किसी अन्य ब्यौहारी, चाहे पंजीकृत हो या नहीं, को करता है, तो विक्रय के समय ऐसी विशिष्टियों जैसा कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है, से युक्त बिकी बीजक केता का उपलब्ध करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा। माल के विक्रय पर प्रभारित कर की धनराशि अलग–अलग दर्शायी जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अधीन कोई बीजक जारी किया जाता है तो वह एक बिक्री बीजक समझा जायेगा यदि इसमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट हों।

(2)उपधारा (1) के अधीन जारी बिकी बीजक की मूलप्रति और उसकी प्रतियों में निम्न विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी–

(क)पंजीकृत विक्रेता ब्यौहारी का नाम, पता और पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या और तारीख जब से प्रभावी है;

(ख)पंजीकृत केता ब्यौहारी का नाम, पता और प्रभावी तारीख सहित पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या;

(ग)क्रमिक संख्या और तारीख जब बिकी बीजक जारी किया गया है;

(घ)विक्रय किये गये माल का वर्णन, मात्रा, परिमाण और कीमत और उस पर प्रभारित कर की धनराशि अलग–अलग दर्शाते हुये;

(ङ)विकेता ब्यौहारी या उसके प्रबन्धक ,अभिकर्ता या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत सेवक के हस्ताक्षर;

(3)प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी ऐसे प्रत्येक माल के विक्रय जिस पर कर प्रभारित किया जाता है, के सम्बन्ध में केता को एक बिकी बीजक जारी करेगा और वह करमुक्त माल की ऐसी कीमत जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये, से अधिक धनराशि के विक्रय के सम्बन्ध में केता को एक बिकी बीजक जारी करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी मामले जिसमें केता किसी विक्रय के सम्बन्ध में बिकी बीजक की माँग करता है, ब्यौहारी केता को, विक्रय की धनराशि का विचार किये बिना, एक बिकी बीजक जारी करेगा।

(4)प्रत्येक बिक्री बीजक, जारी किये जाने से पूर्व, ब्यौहारी या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा।

(5)बिक्री बीजक तीन प्रतियों में जारी किया जायेगा।. मूल प्रति क्रेता को जारी की जायेगी और प्रथम प्रति माल का परिदान प्राप्त करने वाले ब्यौहारी या, जैसी भी दशा हो, किसी अन्य व्यक्ति को जारी की जायेगी और दूसरी प्रति विक्रेता ब्यौहारी द्वारा सुरक्षित रखी जायेगी।

(6)प्रत्येक विक्रय के लिये एक से अधिक बिक्री बीजक जारी नहीं किया जायेगा।

(7)किसी भी व्यक्ति को बिक्री बीजक किसी भी परिस्थिति, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों से भिन्न हो, में उपलब्ध नहीं कराया जायेगा,लेकिन "डुप्लीकेट" चिन्हित प्रतिलिपि विहित रीति से जारी की जा सकती है यदि मूल बीजक पाने वाला व्यक्ति इस कारण कि मूल प्रति खो गई है, ऐसी प्रार्थना करता है।

(8)बिक्री बीजक का विवरण ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाय, अभिलिखित किया जायेगा।

61: अवधि जब तक लेखे रखे जायेंगे:

(1)प्रत्येक ब्यौहारी अपने कारबार के दौरान रखे गये सभी लेखे जिनमें उत्पादन, स्टाक, क्रय, परिदान या विक्रय से सम्बन्धित बिक्री बीजक, जमा पत्र, नाम पत्र और वाउचर भी सम्मिलित है, कर निर्धारण वर्ष जिससे वे सम्बन्धित हों, की समाप्ति के पश्चात 6 वर्ष की अवधि के लिये या ऐसे कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कर निर्धारण या पुनःकर निर्धारण या अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के पूरे होने तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, सुरक्षित रखेगा।

(2)प्रत्येक ब्यौहारी जो अभिलेख इलैक्ट्रोनिक तरीके से रखता है, उनको इलैक्ट्रोनिक तरीके से पढ़े जाने योग्य रूपविधान में उपधारा(1) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये सुरक्षित रखेगा।

62: लेखों की सम्परीक्षा:

(1)जब किसी विशेष वर्ष में किसी ब्यौहारी का सकल आवर्त 40 लाख रूपये या कोई अन्य धनराशि जो कमिश्नर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, से अधिक हो जाता है तो ऐसा ब्यौहारी उस वर्ष से सम्बन्धित अपने लेखों की सम्परीक्षा अनुवर्ती वर्ष में 31 अक्टूबर से पूर्व किसी लेखाकार से करायेगा और ऐसे सम्परीक्षण की ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित और ऐसी बिशिष्टियों जो विहित की जायें, को उल्लिखित करते हुये, रिपोर्ट प्राप्त करेंगे।

(2)ऐसे ब्यौहारी द्वारा ऐसी कालावधि जिसके दौरान उपधारा (1) के अनुसार सम्परीक्षा पूरी करने की अपेक्षा की गई है, की समाप्ति के बाद दो माह के भीतर ऐसी रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजन हेतु ''लेखाकार'' से चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट् अधिनियम 1949 में परिभाषित किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट और लागत और संकर्म लेखा अधिनियम, 1959 में परिभाषित लागत अकाउन्टेन्ट अभिप्रेत है और इसमें कोई व्यक्ति जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबन्धों के आधार पर उस अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनी के सम्परीक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने का हकदार है, भी सम्मिलित है।

अध्याय X
विविध

63: मिथ्या प्रमाणपत्र आदि जारी करने पर दायित्वः

इस अधिनियम में अन्यत्र दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, और धारा 58 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन विहित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाणपत्र या घोषणापत्र किसी अन्य व्यक्ति को जारी करे, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ या उसके द्वारा किये गये क्रय या विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर आरोपणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है, तो वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाणपत्र या घोषणा पत्र जारी न किया गया होता:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने से पूर्व सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरणः यदि प्रमाणपत्र या घोषणापत्र जारी करने वाला व्यक्ति उसमें अपना यह अभिप्राय प्रकट करे कि वह अपने द्वारा क्रय किये माल का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिये करेगा जिससे कोई कर देय न होगा या रियायती दर पर देय होगा, किन्तु उसका उपयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये करे, तो प्रमाण पत्र या घोषणापत्र को इस धारा के प्रयोजन के लिये गलत समझा जायेगा।

64: अधिकारिता के प्रति आपत्ति :

(1)किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा किसी कर निर्धारक प्राधिकारी की क्षेत्रीय या धन सम्बन्धी अधिकारिता के प्रति कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी, जब तक कि ऐसी आपत्ति यथासम्भव शीघ्र अवसर पर कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष न की गई हो और जब तक कि अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अधिकरण की राय में उससे वास्तव में न्याय न हो पाया हो।

(2)यदि कर निर्धारक प्राधिकारी की केवल क्षेत्रीय या धन सम्बधी अधिकारिता के अभाव के कारण अथवा किसी प्रकार के किसी अन्य कारण से, जिससे सार पर प्रभाव न पड़ता हो,कोई कर निर्धारण अपास्त या अपखण्डित कर दिया गया हो, तो निर्धारिती द्वारा स्वीकृत दायित्व की सीमा तक पहले से ही दिया गया कर इस प्रकार करनिर्धारण के अपास्त या अपखण्डित किये जाने के फलस्वरूप उसे वापस किये जाने योग्य नहीं होगा।

65: कर दायित्व अवधारित करने में कुछ अवधारणाएं:

(1)जहाँ कारबार से सम्बन्धित कोई माल--

(क)किसी व्यौहारी से सम्बन्धित होना पता लगता है और किसी भवन या स्थान पर पाया जाता है लेकिन व्यौहारी ने अपनी लेखापुस्तकों में उसे दर्ज नहीं किया है; या

(ख)किसी व्यौहारी से सम्बन्धित होना पता लगता है और किसी वाहन, चाहे उस व्यौहारी का हो या न हो, में पाया जाता है, और ऐसे माल के साथ इस

अधिनियम की किसी उपबन्ध के अधीन विहित कोई दस्तावेज नहीं हो; या

(ग)कोई व्यक्ति, जो कि कारबार के अन्यथा किसी वृत्ति को करने का दावा करता है, की अभिरक्षा में पाया जाता है, यह साबित करने में विफल होता है कि ऐसा माल किसी दूसरे व्यक्ति या व्यौहारी का है,

तो यह समझा जायेगा कि ऐसा माल ऐसे व्यौहारी या व्यक्ति द्वारा उसकी विक्री पर या, यदि यह पाया जाता है कि माल विनिर्माण में प्रयोग के लिये है तो ऐसे माल के प्रयोग से विनिर्मित माल के विक्रय पर, कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से राज्य के बाहर से आयात किया गया है या राज्य के भीतर से क्रय किया गया है।

(2)जहाँ किसी जाँच चौकी या राज्य के भीतर किसी स्थान पर यह पाया जाता है कि कारबार के प्रयोजन से कोई करायेय माल धारा 48 के अधीन विहित किसी घोषणा के प्रपत्र के बिना आयात किया जा रहा है, तो जब तक समुचित और पर्याप्त साक्ष्य देने के बाद अन्यथा साबित न हो, यह समझा जायेगा कि–

(क)ऐसे माल का आयात इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से किया जा रहा है; और

(ख)ऐसे माल का आयात इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल के विक्रय पर कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से किया जा रहा है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि माल किसी माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिये है तो यह समझा जायेगा कि माल का आयात ऐसे माल के प्रयोग से विनिर्मित माल के विक्रय पर कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

(3)जहाँ कोई बही, लेखे या दस्तावेज किसी स्थान या भवन या वाहन में पाये जाते हैं, तो जब तक कि उस स्थान या भवन या वाहन का प्रभारी व्यक्ति समुचित और पर्याप्त साक्ष्य देने के बाद यह साबित न कर दे कि वे किसी अन्य व्यक्ति या व्यौहारी की है, ऐसा व्यक्ति माल के क्रय और विक्रय के कारबार से सम्बन्धित ऐसे सम्व्यवहारों के सम्बन्ध में जो कि ऐसे लेखे, बही या दस्तावेज में पाये जायें, व्यौहारी समझा जायेगा।

(4)जहाँ किसी व्यौहारी से सम्बन्धित किसी माल का विक्रय और या क्रय के संव्यवहार किसी दूसरे व्यौहारी के बही, लेखे या दस्तावेज में पाये जाते हैं और यदि ऐसे संव्यवहार पूर्ववर्ती व्यौहारी द्वारा कारबार के सामान्य क्रम में रखे गये बही, लेखे या दस्तावेज में दर्ज नहीं पाये जाते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे संव्यवहार ऐसे पूर्ववर्ती व्यौहारी से सम्बन्धित है और ऐसे माल के विक्रय पर या यदि ऐसे बही, लेखे या दस्तावेज में अभिलिखित माल विनिर्माण में प्रयोग के लिये है तो ऐसे माल का प्रयोग करके विनिर्मित किये जाने वाले माल के विक्रय पर, कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से आयात किया गया है या राज्य के भीतर क्रय किया गया है।

(5)जहाँ राज्य के भीतर किसी माल के क्रय या विक्रय के सम्बन्ध में धारा 59 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट चालान या ट्रान्सपोर्ट बीजक जारी करना या प्राप्त करना या पारगमन के दौरान माल के साथ ले जाया जाना अपेक्षित है और यदि ऐसे उपबन्धों का पालन नहीं किया गया है या माल पूरे का पूरा या अंशतः ऐसे दस्तावेजों से आच्छादित नहीं है, तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का विक्रय या, जैसे भी स्थिति

हो, क्रय ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर अथवा यदि माल विनिर्माण में प्रयोग के लिये है तो ऐसे माल के प्रयोग से विनिर्मित किये जाने वाले माल के विक्रय पर कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से किया गया।

(6)जहाँ कोई व्यौहारी बिक्री बीजक में दर्शाये गये माल का क्रय किये बिना कोई बिक्री बीजक किसी पंजीकृत व्यौहारी से प्राप्त करता है तो यह समझा जायेगा कि व्यौहारी, जिसने ऐसे दस्तावेज प्राप्त किये है, ने दस्तावेज में दर्शाये गये माल का क्रय दूसरे व्यक्ति से, ऐसे माल के क्रय पर उन परिस्थितियों में जिनमें ऐसे माल का विक्रय करने वाले व्यौहारी पर कर अवधारित नहीं किया जा सकता, कर के भुगतान से बचने के उद्देश्य से किया गया है और क्रय करने वाले ऐसे व्यौहारी के ऐसे क्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर देय होगा।

(7)यदि कर निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई "स्कीम" ऐसे प्रवृत की गयी है या कार्यान्वित की जा चुकी है कि किसी व्यक्ति ने स्कीम के सम्बन्ध में–

(क)किसी व्यक्ति के कर भुगतान करने के दायित्व में कमी; या

(ख)किसी व्यक्ति के इनपुट टैक्स लाभ या वापसी की हकदारी में वृद्धि;या

(ग) कर भुगतान करने के दायित्व का कोई अन्य परिवर्जन या स्थगन,

के परिणाम स्वरूप कर लाभ प्राप्त कर लिया है,

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियो जिन्होंने स्कीम कार्यान्वित की थी या प्रवृत की थी, ने ऐसे व्यक्ति को कर का लाभ प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एकमात्र और प्रधान उद्देश्य से ऐसा किया था और करनिर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति जिसने लाभ प्राप्त किया है, पर कर दायित्व अवधारित कर सकता है, मानों की स्कीम न तो प्रवृत की गयी और न कार्यान्वित की गयी थी।

स्पष्टीकरण: "स्कीम" में कोई करारनामा, व्यवस्था, वचन या वचनबद्धता (चाहे अभिव्यक्त की गयी हो या विवक्षित हो और चाहे लागू करने योग्य हो या न हो या विधिक कार्यवाही द्वारा लागू करने का आशय हो) या कोई योजना, सुझाव, कार्यवाही या संचालन की विधि सम्मिलित है।

66: साबित करने का भार :

(1)किसी कर निर्धारण कार्यवाही में जब कोई तथ्य विशेषतः करदाता के ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा, और विशेष रूप से, ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, जो मामले को इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी भी अपवाद, छूट या मुक्ति के अन्तर्गत लाती हो, या कि वह धारा 6 के अन्तर्गत इनपुट टैक्स के लाभ का पात्र है उसी पर होगा और करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसी परिस्थितियों के अभाव की अवधारणा करेगा।

(2)यदि कोई व्यौहारी यह दावा करता है कि वह विक्रय या क्रय के किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में कर के भुगतान का दायी नहीं है, तो उन तथ्यों और परिस्थितियों जिनके आधार पर वह ऐसी देयता से छूट का दावा करता है, के अस्तित्व को साबित करने का भार उसी पर होगा।

67: अपील में अतिरिक्त साक्ष्यः

निर्धारिती अपील सुनने वाले प्राधिकारी या अधिकरण के समक्ष मौखिक या दस्तावेज के रूप में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार न होगा, सिवाय उस दशा के जब पेश किया जाने वाला साक्ष्य ऐसा साक्ष्य हो जिसे करनिर्धारक प्राधिकारी ने गलती से ग्रहण करने से इन्कार किया हो अथवा जो सम्यक तत्परता बरतने के बावजूद भी उसकी जानकारी में नहीं था अथवा उसके द्वारा करनिर्धारक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था और प्रत्येक ऐसे मामले में अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख पर लिये जाने पर करनिर्धारक प्राधिकारी को चुनौती देने या खण्डन करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

68: हानि–रक्षाः

कोई नालिश, अभियोग अथवा कोई कानूनी कार्यवाही किसी सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध किसी ऐसे काम के सम्बन्ध में नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन अथवा तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भाव से किया गया हो अथवा किये जाने के लिये आशयित हो।

69: कतिपय कार्यवाहियों पर रोकः

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी कर निर्धारण या दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी और इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के सिवाय ऐसे किसी कर निर्धारण या आदेश के विरूद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना पत्र नहीं दिया जायेगा।

70: कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय होगीः

(1)इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कोई दिया गया बयान या दाखिल की गई विवरणी या प्रस्तुत किये गये लेखे या दस्तावेज या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही के दौरान दिया गया कोई साक्ष्य या शपथ पत्र या बयान, अथवा किसी मांग की उगाही से सम्बन्धित किसी कार्यवाही हेतु, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिये तैयार किये गये अभिलेख में जो विवरण होगा वह गोपनीय माना जायेगा।

(2)उपधारा (1) में जो कुछ कहा गया है वह उन बातों के प्रकट करने में बाधक नहीं होगा, यदि –

(क)इस अधिनियम अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किसी अपराध का अनुसंधान करना हो, अथवा उसके लिये अभियोग चलाना हो; या

(ख)कोई व्यक्ति इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों को कार्यान्वित करने में लगा है, और यह आवश्यक है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजनों के लिये उसके समक्ष इन बातों को प्रकट किया जाय; या

(ग)इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी मांग की उगाही के लिये प्रचलित वैधानिक कार्यवाही में आवयशक हो; या

(घ)इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही से उत्पन्न किसी विषय के किसी ऐसे दीवानी के मुकदमें में हो, जिसमें सरकार एक पक्ष के रूप में हो; या

(ङ)भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 के अधीन प्राप्त अधिकारों का लोकसेवक द्वारा ऐसे लेख पत्र का अवरोध करने के लिये जिसपर अपर्याप्त कीमत का स्टाम्प लगा हो, वैधानिक प्रयोग किया जाय; या

(च)केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाये जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर की उगाही के लिये उसके किसी अधिकारी को उनका प्रकट किया जाना आवश्यक हो; या

(छ)केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को किसी सरकारी सेवा के विरूद्ध कोई जांच करने के प्रयोजनार्थ हो; या

(ज)लोक लेखों की लेखा–परीक्षा के प्रयोजनार्थ हो; या

(झ)इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अन्य विधिपूर्ण प्रयोजन हेतु हो।

(3)इस धारा में उल्लिखित कुछ भी ब्यौहारी के किसी वर्ग अथवा संव्यवहारों के किसी वर्ग से सम्बन्धित किसी सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगा, यदि कमिश्नर की राय में ऐसी सूचना को प्रकाशित करना लोकहित में वांछनीय है।

(4)इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुये भी, यदि राज्य सरकार की राय है कि किन्हीं ब्यौहारियों या अन्य व्यक्तियों के नाम और ऐसे ब्यौहारियों या व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से सम्बन्धित विशिष्टियों में से कोई विशिष्टि प्रकाशित या उद्घाटित करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, तो वह ऐसे नाम और विशिष्टि ऐसी रीति से जैसा कि वह ठीक समझे प्रकाशित या उद्घाटित कर सकती है अथवा प्रकाशित या उद्घाटित करा सकती है।

(5)इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से सम्बन्धित किसी कर का आरोपण, या अर्थदण्ड का अधिरोपण या ब्याज का आरोपण या किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि का इस धारा के अधीन प्रकाशन या उद्घाटन नहीं किया जायेगा जब तक कि समुचित अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये बिना अपील प्रस्तुत करने का समय समाप्त न हो गया हो या यदि अपील प्रस्तुत की गई है तो उसका निस्तारण न हो गया हो।

स्पष्टीकरण: यदि सरकार की राय में मामले की परिस्थितियों से औचित्य प्रकट होता है, तो फर्म, कम्पनी या व्यक्तियों के अन्य संगम के मामले में फर्म के भागीदारों, कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सचिवों, कोषाधिकारियों या प्रबन्धकों या संगम के सदस्यों के नाम, जैसी भी स्थिति हो, भी प्रकाशित या उद्घाटित किये जा सकते है।

71 नियम बनाने की शक्तियॉं :

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2)विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध हो सकेगा–

(क) ऐसे सभी मामले जिन्हें विहित करना इस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित या अनुमन्य हो;

(ख)माल विक्रय करने अथवा क्रय करने के काम में लगे हुये व्यक्तियों को पंजीयन देने और इससे सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु इससे सम्बन्धित शर्तें और पंजीयन की फीस के विषय में;

(ग)इस अधिनियम के अनुसार कर निर्धारण के बिषय में आवर्त धन को अवधारितकरने की विधि के लिये;

(घ)विवरणी और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये और व्यक्तियों के शपथ पर बयान लेने के और उनकी उपस्थिति को वाध्य करने के विषय में;

(ङ)इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति, कर्त्तव्यों और शक्तियों के बिषय में;

(च)इस अधिनियन के अन्तर्गत अनुकरणीय प्रक्रिया को और कार्यवाही से सम्बन्धित प्रयोग में लाये जाने वाले प्रारूपों को सामान्यतः नियमित करने के विषय में;

(छ)धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन जमा की गई धनराशियों की वापसी, ऐसी वापसियों के लिये रीति और वह अवधि जिसके भीतर वह की जा सकती है;

(ज)धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन मुहर लगाने की रीति, और वह रीति और वह व्यक्ति जिसके द्वारा उसे हटाया जायेगा और उस उपधारा में निर्दिष्टमुहर बन्द सम्पत्ति और अन्य माल और दस्तावेजों की अभिरक्षा के लिये;

(झ)धारा 43 के अधीन अभिगृहीत माल की अभिरक्षा; और

(ञ)ऐसे बिषय जिनको विहित करना है अथवा जिनको विहित किया जा सकता है।

(3)इस धारा के द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि नियमों के प्रभावी होने से कम से कम चार सप्ताह पूर्व उनका प्रकाशन हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उसे तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह ऐसे पूर्व प्रकाशन के बिना कोई नियम बना सकती है।

(4)इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और इस प्रकार प्रकाशित हो जाने पर वे तुरन्त प्रभावी होंगे मानो कि वे इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं।

(5)इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के तुरन्त बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, जो कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त चले, रखा जायेगा और जब तक कि कोई बाद की तारीख विहित न की जाये, गजट में प्रकाशित होने के तारीख से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, जो राज्य विधान सभा उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हो, प्रभावी होगा, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उस नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

72: पूर्वगामी प्रभाव से अधिसूचनाऐं जारी करने की शक्ति :

यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय की लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार अधिसूचना जारी कर सकती है जिससे कि वह ऐसी तारीख से प्रभावी हो सके जो ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से छः माह पूर्व की न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन भूतलक्षी प्रभाव से कोई ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी जिससे व्यौहारी के कर दायित्व में वृद्धि होने की सम्भावना हो।

73: राजस्व को कपट वंचित करने के लिये किये गये अन्तरण का शून्य होना

जहाँ इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों की विचार–अवधि में कर अथवा अन्य देयों का दायी कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व में किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रभार उत्पन्न करता है अथवा उसे अन्तरित करता है और ऐसा इस इरादे से करता है कि ऐसा कर अथवा अन्य देय कपट वंचित हो जाय तो ऐसा प्रभार अथवा अन्तरण उक्त कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने वाले किसी कर या अन्य देयों के सम्बन्ध में दावे के प्रति शून्य होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात सद्भावी और प्रतिफलदाता अन्तरिती के अधिकारों को कम नहीं करेगी।

74: कतिपय मामलों में फीस:

(1)उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये इस अधिनियम के अधीन दाखिल या प्रस्तुत अपील के ज्ञापन अथवा अन्य प्रार्थना पत्रों पर देय फीस निम्न प्रकार होगी–

(क) धारा 51 के अधीन अपील के ज्ञापन पर	विवादग्रस्त कर, फीस या अर्थदण्ड की धनराशि का 2 प्रतिशत किन्तु कम से कम एक सौ रूपया और अधिक से अधिक एक हजार रूपया:
(ख)धारा 53 के अधीन अपील के ज्ञापन पर	विवादग्रस्त कर,फीस या अर्थदण्ड की धनराशि का साढ़े सात प्रतिशत किन्तु कमसे कम पांच सौ रूपया और अधिक से अधिक दो हजार रूपया;
(ग) धारा 57 के अधीन प्रार्थनापत्र	एक सौ रूपया
(घ)किसी अन्य आवेदनपर –	
(i)जब वह कमिश्नर या पुनरीक्षण अधिकारी या अधिकरण को सम्बोधित हो	बीस रूपया
(ii)जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो	दस रूपया

(2)इस धारा में और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में विनिर्दिष्ट फीस विहित रीति से देय होगी और उसको जमा करने का सबूत, यथास्थिति, ज्ञापन या आवेदनमें संलग्न किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ देय फीस की धनराशि पचास रूपये से अधिक न हो, वहाँ उसका भुगतान न्यायालय फीस स्टाम्प में किया जा सकता है।

(3)निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई फीस देय न होगी–

(क)कमिश्नर या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र या अपील का ज्ञापन;

(ख)ऐसा प्रार्थना–पत्र जिसमें केवल सूचना मांगी गयी हो और जिसमें किसी विनिर्दिष्ट अनुतोष की प्रार्थना न की गई हो; और

(ग)धारा 57 के अधीन आवेदन–पत्र, जिसमें केवल लागू होने वाली कर की दर या बिन्दु जिस पर कर देय हो, के सम्बन्ध में निर्णय की मांग की गई हो।

75: किस्तें मंजूर करने का अधिकार:

(1)करनिर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार प्रतिभूति देने की शर्तों को सम्मिलित करते हुये ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जैसी अधिरोपित किये जाने के लिये उपयुक्त समझी जायें, के अधीन–

(क)राज्य सरकार ऐसे किसी व्यौहारी या अन्य व्यक्ति को जिस पर कर, अर्थदण्ड या अन्य देय की धनराशि बकाया हो चौबीस से अनधिक उतनी मासिक किस्तों में जितनी वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी धनराशि का भुगतान करने की अनुमति दे सकती है; और

(ख)कमिश्नर उसी तरह, ऐसे किसी व्यौहारी या अन्य व्यक्ति को जिस पर कर, अर्थदण्ड या अन्य देय की धनराशि, जिसका कुल योग एक लाख रूपये से अधिक न हो, बकाया हो, बारह से अनधिक उतनी मासिक किस्तों में जितनी वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, ऐसी धनराशि जमा करने की अनुमति दे सकता है।

(2)जहाँ ऐसा व्यौहारी या अन्य व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के तीस दिन के भीतर बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिये सम्बन्धित करनिर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति देने में असफल रहता है या ऐसे आदेश में अधिरोपित शर्तों या निर्बन्धनों का पालन करने में असफल रहता है, वहाँ देय धनराशि तुरन्त वसूल की जा सकेगी।

76: कर भुगतान के लिये अधिस्थगन:

(1)इस अधिनियम में किसी बात के रहते हुये भी, जहाँ राज्य सरकार की राय है कि किसी माल का उत्पादन बढ़ाने के लिये या राज्य में सामान्य रूप से या किसी जनपद या जनपद के किसी भाग में विशेष रूप से किसी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिये ऐसा करना आवश्यक है तो वह प्रार्थना–पत्र पर या अन्यथा किसी विशेष मामले में या सामान्य रूप से अधिसूचना जारी करके घोषित कर सकती है कि ऐसे व्यौहारियों ,जो नई इकाईयाँ चला रहे हैं, जिनके उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख इस अधिनियम

के लागू होने की तारीख से पूर्व किसी तारीख को पड़ती है और ऐसे व्यौहारियों, जो ऐसी उत्पादन करने वाली इकाइयों के स्वामी हैं जिन्होंने इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व विस्तारीकरण, विविधिकरण या आधुनिकीकरण या बैकवर्ड इन्टीग्रेशन किया है और यदि ऐसे व्यौहारियों के पास उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4-क के उपबन्धों, बनाये गये नियमों या उनके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं के अधीन जारी पात्रता प्रमाण पत्र है, को, इस धारा में दी गई शर्तों के अधीन और ऐसी अन्य शर्तों जैसी कि विहित की जायें अथवा जैसी कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के अधीन माल की विक्रय पर करमुक्ति, चाहे पूर्णतः या अंशतः या घटी दर पर, कर के बदले स्वीकृत कर के भुगतान के लिये अधिस्थगन स्वीकृत किया जायेगा।

(2)ऐसे व्यौहारियों, जिन्हें इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व स्वीकृत कर के भुगतान के लिये अधिस्थगन की सुविधा स्वीकार की गई है, को ऐसी सुविधा जारी रहेगी और इस अधिनियम के अधीन स्वीकार की गई समझी जायेगी और उस सीमा तक उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के उपबन्ध इस अधिनियम के भाग समझे जायेंगे। इस धारा के अधीन स्वीकृत सुविधा ऐसी शर्तों, जैसी कि इस धारा में दी गई है या जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के अधीन होगी।

(3)इस अधिनियम के लागू होने के समय पर उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002 के अधीन स्वीकृत कर के भुगतान के लिये अधिस्थगन के लिये आदेश जारी करने के लिये कमिश्नर व्यापार कर के समक्ष अवशेष कोई प्रार्थना पत्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कमिश्नर के समक्ष अवशेष समझा जायेगा और उसे उस अधिनियम जैसा कि वह, उस तारीख को, जब कि आवेदन कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, प्रभावी था, के उपबन्धों के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

(4)इस अधिनियम के उपबन्धों के विपरीत और विशेष रूप से उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4-क अथवा धारा 8 की उपधारा (2-क), उनके अधीन बनाये गये नियम या जारी अधिसूचनाओं के विपरीत किसी बात के रहते हुये भी-

(क)इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व की किसी तारीख पर पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकार करने के लिये उस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस अधिनियन के अधीन विहित प्राधिकारी के समक्ष अवशेष समझा जायेगा;

(ख)व्यौहारी जो कि ऐसी नई इकाईयों के स्वामी है जिनकी उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले पड़ती है और व्यौहारी जो ऐसी इकाईयों के स्वामी हैं जिन्होंने इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व विस्तारीकरण या विविधिकरण या आधुनिकीकरण या बैकवर्ड इन्टीग्रेशन किया है, वे उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,

1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002 की धारा 4–क के उपबन्धों के अधीन उस अधिनियम के अधीन विहित समय के भीतर इस अधिनियम के अधीन विहित्त प्राधिकारी के समक्ष पात्रता प्रमाणपत्र की स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है।

(5)उपधारा (4) के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र विहित प्राधिकारी द्वारा उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002 के उपबन्धों, उनके अधीन बनाये गये नियमों और जारी अधिसूचनाओं, जैसा कि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को प्रभावी है, के अनुसार निस्तारित किये जायेंगे, और ब्यौहारी, यदि पात्र पाया जाता है, को पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकार किया जायेगा और ऐसा ब्यौहारी उपधारा (6) में उपबन्धित सीमा और अवधि के लिये स्वीकृत कर के भुगतान के अधिस्थगन के लिये हकदार होगा।

(6)इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये ब्यौहारी जिनके पास या तो इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2002 के उपबन्धों के अधीन स्वीकृत पात्रता प्रमाण पत्र है या जिनको उपधारा (5) के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया जाय, निम्न शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुये, निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश की धारा 4क और उसके अधीन बनाये गये नियम या उनके अधीन जारी की गयी सुसंगत अधिसूचनाओं के उपबन्धों के अनुसार कर से रियायत या, जैसी भी दशा हो, कर से मुक्ति के बदले अधिस्थगन की सुविधा के लिये हकदार होंगे:

(क) ब्यौहारी जिन्होंने कर से मुक्ति के बदले कर के भुगतान के लिये अधिस्थगन का विकल्प दिया था, अधिस्थगन के आदेश में उल्लिखित अधिकतम अवधि में से उस तारीख को बची शेष अवधि के लिये पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित कर से मुक्ति की कुल धनराशि का एक सौ प्रतिशत और पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित स्थिर पूँजी विनियोजन की धनराशि के पचास प्रतिशत में से ऐसी कुल धनराशि जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व की अवधि के दौरान कर के भुगतान के लिये अधिस्थगन की सुविधा का उपभोग कर लिया गया है, को कम करके निकली शेष धनराशि की सीमा तक अधिस्थगन की सुविधा के हकदार होंगे;

(ख) ब्यौहारी जो कि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व किसी अवधि के लिये करमुक्ति का उपभोग कर रहे थे,या तो

(i)ऐसा करना पात्रता प्रमाणपत्र में उल्लिखित अधिकतम अवधि में से उस तारीख को बची शेष अवधि के लिये और शेष बची धनराशि (पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित कर से मुक्ति की धनराशि में से इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व उपभोग की गयी कर से मुक्ति की कुल धनराशि को घटाते हुये) की सीमा तक जारी रख सकते है; या

(ii) विहित रीति से कर से मुक्ति के बदले कर के भुगतान के लिये अधिस्थगन चुन सकते है और ऐसी इकाई अधिस्थगन के आदेश में उल्लिखित अधिकतम अवधि में से उस तारीख को बची शेष अवधि के लिये पात्रता प्रमाण पत्र में

उल्लिखित कर से मुक्ति की कुल धनराशि का एक सौ प्रतिशत और पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित स्थिर पूँजी विनियोजन की धनराशि के पचास प्रतिशत में से ऐसी कुल धनराशि जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व की अवधि के दौरान कर की छूट की धनराशि की सुविधा का उपभोग कर लिया गया है, को कम करके निकली शेष धनराशि की सीमा तक अधिस्थगन की सुविधा के हकदार होंगे

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यौहारी इस अधिनियम के प्रारम्भ के 30 दिन के भीतर उपरोक्त 2 विकल्प में से किसी एक को नहीं चुनता है तो यह समझा जायेगा कि व्यौहारी उपरोक्त उपबन्ध(i) के अनुसार जारी रहने का इच्छुक है।

(ग) कोई कर योग्य व्यौहारी किसी पात्रता प्रमाणपत्र रखने वाले ऐसे व्यौहारी जो पूर्णता अथवा आशंता करमुक्त हो, से माल खरीदता है तो वह विक्रेता व्यौहारी कर के बीजक में प्रभारित कर की धनराशि और पात्रता प्रमाणपत्र के अनुसार कर से मुक्ति की धनराशि के जोड के बराबर इनपुट टैक्स के लाभ का हकदार होगा, और विक्रेता व्यौहारी, इस प्रयोजन हेतु बीजक में निम्नलिखित प्रोफार्मा में प्रमाणपत्र अंकित करेगा--

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि व्यौहारी पात्रता प्रमाणपत्र संख्या—————— दिनांक————के अनुसार———: की दर से कर में छूट का हकदार है और इस बिक्री बीजक में कर से छूट की धनराशि रू0———है।

(7)इस धारा के अधीन अधिस्थगन के अन्तर्गत स्वीकृत कर के भुगतान के लिये, प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये कर की धनराशि, जिसका माल की विक्रयपर देय स्वीकृत कर के रूप में भुगतान के लिये व्यापारी दायी होता यदि कर मुक्ति स्वीकार न की गई होती, में से पात्रता प्रमाण पत्रों की शर्तो के अनुसार कर निर्धारण वर्ष के लिये देय स्वीकृत कर की कोई धनराशि कम करके सात वर्ष की अवधि के लिये अधिस्थगित की जायेगी । सात वर्ष की ऐसी अवधि की गणना कर निर्धारण वर्ष जिससे कर की ऐसी धनराशि सम्बन्धित है, के ठीक बाद पडने वाले कर निर्धारण वर्ष की पहली मई से की जायेगी। प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष जिसके लिये अधिस्थगन स्वीकार किया जाता है के लिये कर की धनराशि व्यौहारी द्वारा अधिस्थगन अवधि की समाप्ति के एक माह के भीतर एक मुश्त की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की उपधारा (14) के उपबन्धों के अधीन जब अधिस्थगन समाप्त हो जाता है तो देय सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान इसके देय होने के तीन माह के भीतर एक मुश्त किया जायेगा।

(8)अधिस्थगन केवल उन्हीं विनिर्माताओं को स्वीकार किया जायेगा जिनके पास पात्रता प्रमाण पत्र है और जो विहित प्राधिकारी से अधिस्थगन का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं।

(9)अधिस्थगन पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित माल के विक्रय पर कर के सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा और माल के क्रय, यदि कोई हो, पर देय कर के सम्बन्ध में और माल के विक्रय जिस पर पात्रता प्रमाण पत्र लागू नहीं है, के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।

(10)अधिस्थगन स्वीकृत रूप से देय कर से अधिक विहित कर की धनराशि पर स्वीकार्य नहीं होगा और कर की धनराशि और उपधारा (6) में उल्लिखित अवधि के लिये सीमित होगा।

(11)अधिस्थगन केवल ऐसे विनिर्माताओं को उपलब्ध होगा जो राज्य सरकार के पक्ष में अपनी सम्पत्ति जो कर की धनराशि, जिसके लिये अधिस्थगन स्वीकार किया गया है, को आच्छादित करने के लिये पर्याप्त हो, पर प्रथम प्रभार सृजित करते हैं।

(12)अधिस्थगन ऐसी शर्तों के अधीन होगा जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके विहित करे।

(13)कमिश्नर लिखित आदेश द्वारा कर मुक्ति या छूट की अवधि की समाप्ति से पूर्व अथवा बाद में निम्नलिखित परिस्थितियों में पात्रता प्रमाण पत्र को संशोधित या रद्द कर सकता है–

(क)जहाँ पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि है; या

(ख)जहाँ इकाई ऐसी सुविधा की हकदार नहीं है या ऐसी सुविधा की कम अवधि के लिए अथवा किसी भिन्न तारीख से हकदार है; या

(ग)जहाँ व्यौहारी ने किसी भी रीति से पात्रता प्रमाण पत्र का दुरूपयोग किया है; या

(घ)जहाँ व्यौहारी ने पात्रता प्रमाण पत्र की किन्हीं शर्तों के विपरीत कार्य किया है; या

(ङ)जहाँ व्यौहारी ने या तो इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन स्वयं के द्वारा देय कर या अर्थदण्ड की किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया है; या

(च)जहाँ व्यौहारी इस अधिनियम अथवा केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम,1956 के अधीन कर के अपवंचन में लिप्त है, या

(छ)जहाँ व्यौहारी ने कारबार बन्द कर दिया है,

और ऐसे किसी भी मामले में अधिस्थगन की सुविधा आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से वापस ले ली जायेगी और यह तारीख आदेश की तारीख से पूर्व भी हो सकती है। तथापि, दुरुपयोग या शर्त के उल्लंघन के मामलों में पात्रता प्रमाण पत्र रद किया जाना ऐसे दुरुपयोग या उल्लंघन की तारीख से पूर्व प्रभावी नहीं होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश व्यौहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(14)अधिस्थगन समाप्त हो जायेगा और सम्पूर्ण धनराशि –

(क)उस तारीख को जब व्यौहारी कारबार बन्द कर दे; या

(ख)उस तारीख को जब व्यौहारी उन शर्तों जिनके अधीन पात्रता प्रमाणपत्र स्वीकार किया गया है, में से किसी शर्त का उल्लंघन करता है; या

(ग)उस तारीख को जब उपधारा (13) के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र के रद्द किये जाने का आदेश व्यौहारी के ऊपर तामील किया जाता है,

देय हो जायेगी और धनराशि का भुगतान उसके देय होने के तीन माह के भीतर एक मुश्त किया जायेगा।

(15)यदि कोई व्यौहारी इस धारा की उपधारा (7) या उपधारा (14) के उपबन्धों के अधीन देय धनराशि का भुगतान उनमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर करने में विफल रहता है तो वह धारा 58 के अधीन उसकी देयता के रहते हुये, व्यतिक्रम की अवधि के लिये 15 प्रतिशत वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान के लिये दायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड व्यौहारी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आरोपित नहीं किया जायेगा।

(16)यदि ऐसे विनिर्माता, जो इस धारा के अधीन कर की छूट या कर की दर में कमी के लिये पात्र था, का धारा 3 की उपधारा (7) के खण्ड(ड) के अन्तर्गत कारबार बन्द हो जाय, और यदि विक्रय, लाइसेन्स, संविदा, पट्टा, प्रबन्ध अभिकरण द्वारा या अन्य किसी रीति से उसका उत्तराधिकारी कोई अन्य विनिर्माता होता है, तो ऐसा उत्तराधिकारी विनिर्माता उपधारा (13) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसे उत्तराधिकार के 60 दिन के भीतर, पूर्ववर्ती विनिर्माता को दी गयी या दी जा सकने वाली सुविधा की असमाप्त अवधि के लिये इस धारा के अधीन सुविधा हेतु पात्रता प्रमाणपत्र स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी को आवेदन कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त अधिकारी स्वविवेक से और अभिलिखित किये जाने वाले यथोचित और पर्याप्त कारणों से इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की तारीख से 6 मास के भीतर दिये गये आवेदन पत्र को ग्रहण कर सकता है;

प्रतिबन्ध यह और है कि कर की देयता के प्रयोजन के लिये ऐसा विनिर्माता और उत्तराधिकारी विनिर्माता धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन अन्तरणकर्ता और अन्तरिती माना जायेगा;

प्रतिबन्ध यह भी है कि असमाप्त अवधि की संगणना करने में ऐसी अवधि को, जिसके दौरान किसी न्यायालय या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण से सम्बन्धित अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के कारण उत्तराधिकारी विनिर्माता का उत्पादन बन्द रहता है, निकाल दिया जायेगा।

(17)राज्य सरकार, यदि उसकी राय है कि यह अब आगे लोकहित में नहीं है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन कर के भुगतान के लिये अधिस्थगन की सुविधा वापस ले सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि यह सुविधा भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं ली जायेगी ।

स्पष्टीकरण :"नई इकाई" और "इकाई जिसमें विस्तारीकरण, विविधिकरण, आधुनिकीकरण या बैकवर्ड इन्टीग्रेशन किया हो" और "पात्रता प्रमाण पत्र" पदों का वही अर्थ होगा जैसा कि उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4–क के अधीन उनका है।

77: रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के लिये सुविधा :

(1)धारा 34 और धारा 75 में दी गई किसी बात के होते हुये भी, किन्तु ऐसी शर्तों के रहते हुये जिन्हें अधिरोपित किया जाना उचित समझा जाय, राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी औद्योगिक इकाई द्वारा विद्यमान या भावी देयों

के भुगतान को आस्थगित करने या ऐसे देयों का भुगतान उतनी किस्तों में, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय, करने की अनुज्ञा दे सकती है, यदि ऐसी औद्योगिक इकाई को रूग्ण इकाइयों के पुनरूद्धार के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकृत निकाय द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार रूग्ण इकाई घोषित किया जाय और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, द्वारा नियुक्त किसी अनुमोदित अभिकरण द्वारा पुनरूद्धार के लिये अनुमोदित किया जाय।

(2) धारा 31 में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी रूग्ण इकाई के विरूद्ध पारित एक पक्षीय कर निर्धारण या अर्थदण्ड के किसी आदेश को अपास्त कर सकती है और विधि के अनुसार मामले का फिर से निस्तारण करने का निर्देश दे सकती है।

78: आंकड़े संग्रह करने की शक्ति :

(1) इस अधिनियम के बेहतर प्रशासन के प्रयोजन हेतु यदि कमिश्नर समझता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह परिपत्र जारी करके और/या समाचार पत्र में प्रकाशित करवा करके या राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विचारणीय किसी मामले से सम्बन्धित आंकड़े संग्रह करने के लिये निर्देशित कर सकता है।

(2)ऐसे निर्देश दिये जाने पर कमिश्नर या उनके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई व्यक्ति सभी ब्यौहारियों या ब्यौहारियों के वर्ग या किसी विशेष ब्यौहारी को किसी भी मामले, जिसके सम्बन्ध में आंकड़ों का संग्रह किया जाना है, से सम्बन्धित ऐसी सूचना या विवरणी या विवरण जैसा कि उसमें उल्लेख हो, देने के लिये आदेशित कर सकता है।

(3)ब्यौहारी या ब्यौहारी समूह दिये गये समय के भीतर ऐसी सूचना देने के लिये दायी होगें।

79: कठिनाइयों का निवारण करने की शक्तिः

(1) जहाँ इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यांवित करने में कोई कठिनाई उठती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे आदेश जो इस अधिनियम से असंगत न हो, कर सकती है जो कठिनाईयों के निवारण करने के लिये आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा(1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किये जायेंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात यथा शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुकमिक सत्रों में, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त चलें, रखा जायेगा और जब तक कि कोई बाद की तारीख विहित न की जाये, गजट में प्रकाशित होने की तारीख से, ऐसे उपान्तरणो या वातिलीकरणों के अधीन रहते हुए, जो राज्य विधान सभा उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हो, प्रभावी होगा, किन्तु इस प्रकार का कोई उपान्तरण या वातिलीकरण सम्बद्ध आदेश के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, सिवाय इस बात के कि कर या अर्थदण्ड का

आरोपण, निर्धारण, लगाया जाना अथवा वसूल किया जाना उक्त उपान्तरण या वातिलीकरण के अधीन होगा।

अध्याय XI

संक्रमणकालीन उपबन्ध, निरसन और व्यावृत्ति

80: संक्रमण कालीन उपबन्धः

विशेष रूप से और इस अधिनियम की धारा 81 के अधीन निरसन और व्यावृत्ति के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन संक्रमणकालीन उपबंधों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(1) उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002(जिसे आगे निरसित अधिनियम कहा गया है) या, जैसी भी स्थिति हो, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005(जिसे आगे निरसित अध्यादेश कहा गया है) के अधीन कमिश्नर, ऐडीशनल कमिश्नर, ऐडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, ऐडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2,ज्वाइंट कमिश्नर , डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर, या व्यापार कर अधिकारी ग्रेड–2 के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, या कमिश्नर की सहायता के लिये नियुक्त कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से ठीक पूर्व अपने पद पर बना हुआ था, ऐसी तारीख को और ऐसी तारीख से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा और इस रूप में अपने पद पर उस समय तक बना रहेगा जब तक कि वह वाणिज्य कर विभाग में ऐसे पद पर है और ऐसा अधिकारी इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और जारी अधिसूचनाओं के अधीन निहित अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा;

(2) निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से ठीक पूर्व अपने पद पर बना हुआ था, ऐसी तारीख को और ऐसी तारीख से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा और इस रूप में अपने पद पर उस समय तक बना रहेगा जब तक कि वह अपील अधिकरण में ऐसे पद पर है और ऐसा अधिकारी इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और जारी अधिसूचनाओं के अधीन निहित अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा;

(3) निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश या उसके अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम, विनियम, जारी सूचनाए या आदेश या निर्देश अथवा कमिश्नर द्वारा जारी आदेश या निर्देश जो इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे ऐसी तारीख को या उसके बाद जहॉं तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाये नियमों के असंगत नहीं हैं, प्रभावी बने रहेगें जब तक कि वे निरस्त या संशोधित न किये जाये;

(4) निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व कमिश्नर द्वारा किसी भी पद नाम से उनकी सहायता के लिये नियुक्त किसी व्यक्ति को किसी अधिकार का प्रत्यायोजन का कोई आदेश इस अधिनियम के लागू होने के बाद ऐसी तारीख को और उसके बाद प्रभावी बना रहेगा;

(5)इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबंधों के अन्तर्गत ऐसी तारीख को या उसके बाद किसी माल के विक्रय या क्रय पर कर के भुगतान की देयता समाप्त हो जायेगी;

(6) इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के पूर्व निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन किसी विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में उनके अधीन निर्धारित कोई कर या आरोपित कोई अर्थदण्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत देय होगा और वसूल किया जायेगा। इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के पूर्व की अवधि के लिये देय ब्याज की धनराशि का भुगतान और वसूली निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा और ऐसी तारीख को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसका भुगतान किया जायेगा और वसूल किया जायेगा;

(7) यदि किसी विवरणी की अवधि अंशतः इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है तो ऐसी तारीख से पूर्व की अवधि और इस तारीख से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिये अलग–अलग विवरणी दाखिल की जायेगी।

(8) कोई व्यौहारी जिसके लेखे, बहियाँ या दस्तावेज निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन अभिग्रहीत किये गये हैं, तो वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को या उसके बाद रखे बने रहेंगे;

(9) निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन घोषणा पत्रों या प्रमाणपत्रों के सभी प्रपत्र जो इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख को प्रभावी बने हुयें थे, और जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं, ऐसी तारीख से प्रभावी बने रहेंगे और व्यौहारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उस प्रयोजन जिसके लिये वे ऐसी तारीख से पूर्व प्रयोग किये जो रहे थे, प्रयोग किये जा सकते हैं जब तक कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रपत्रों या प्रमाण पत्रों के प्रयोग को बन्द करने का निर्देश न दे;

(10) निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विहित घोषणा पत्र या प्रमाण पत्रों के कोई प्रपत्र जो कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, और किसी व्यौहारी या अन्य व्यक्ति के पास बिना प्रयोग किये रखे हैं, करनिर्धारक प्राधिकारी, जिससे वे प्राप्त किये गये थे, को, यदि पहले ही निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वापस न कर दिया गया हो, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से साठ दिन के भीतर वापस किये जायेंगे;

(11)इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख पर राज्य के भीतर माल का परिवहन करने हेतु घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र के प्रपत्र के लिये कोई अवशेष आवेदन इस अधिनियम के अधीन दिया गया समझा जायेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निस्तारित किया जायेगा;

(12) इस अधिनियम के उपबंधों के लागू होने की तारीख को निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबंधों के अधीन अवशेष निम्नलिखित कार्यवाहियाँ या वे कार्यवाहियाँ जो कि निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबंधों के अधीन किसी कार्यवाही के फलस्वरूप उत्पन्न हों, निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम में विहित समय के भीतर निस्तारित की जायेंगी–

(क)पंजीयन या मान्यता प्रमाण पत्र या पात्रता प्रमाणपत्र की स्वीकृति के लिये कोई प्रार्थना पत्र,

(ख)कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई मामला,

(ग)अपील, पुनरीक्षण रिफरेन्स या पुनर्विचार का कोई मामला,

(घ)कोई मामला जिसमें किसी अधिकारी या प्राधिकारी को किसी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा नया आदेश करने का निर्देश दिया गया है,

(ङ)कमिश्नर के समक्ष निरसित अधिनियम की धारा 4–ए की उपधारा(3) या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के सुसंगत उपबन्धों के अधीन अवशेष कोई मामला,

(च)किसी आदेश में अभिलेख पर भूल सुधार का कोई मामला,

(छ)अपराधों के विरूद्ध अर्थदण्ड या अभियोजन का कोई मामला,

(ज)अभिग्रहण का कोई मामला,

(झ)एकपक्षीय रूप से किये गये किसी कर निर्धारण आदेश को अपास्त करने का कोई प्रार्थना पत्र,

(ञ)कोई अन्य मामला,

(ट)कोई अन्य प्रार्थना पत्र;

(13)इस धारा की उपधारा (14) या उपधारा (15) के उपबन्धों के अध्यधीन निरसित अधिनियम या उनके अधीन बनाये गये नियमों या जारी अधिसूचनाओं के किन्हीं उपबंधों के अधीन स्वीकृत कर के भुगतान से मुक्ति या कर के भुगतान में कोई भी रियायत या कर की दर में कोई रियायत या घटोत्तरी या किसी माल के किसी विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में कोई कटौती या प्रतिपूर्ति इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को या उसके बाद किसी माल के क्रय या विक्रय के सम्बन्ध में ग्राह्य नहीं होगी, जबतक कि राज्य सरकार द्वारा निरसित अध्यादेश के सुसंगत उपबन्धों के अधीन इस सुविधा को जारी रखना अनुमन्य न कर दिया हो और ऐसी स्थिति में यह सुविधा जारी रहेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा निरसित अथवा संशोधित न कर दी गयी हो;

(14)यदि इस अधिनियन के लागू होने की तारीख से पूर्व निरसित अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2–क) या निरसित अध्यादेश के सुसंगत उपबन्धों के अधीन किसी औद्यौगिक इकाई को अधिस्थगन स्वीकार किया गया है या इस अधिनियम की धारा 76 के उपबंधों के अन्तर्गत अधिस्थगन स्वीकार किया जाये और जो उक्त अधिनियम या अध्यादेश के अधीन ऐसी तारीख को इस तरह पात्र बना रहता है यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता, तो इस अधिनियम की धारा 76 के उपबन्धों के अनुसार और ऐसी शर्तों एवं निर्बन्धनों के अधीन जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, कमिश्नर द्वारा

इस अधिनियम के अधीन देयकर के भुगतान के लिये अवशेष अवधि के लिये अधिस्थगन अनुमन्य किया जा सकता है;

(15)निरसित अधिनियम की धारा 4—क के उपबन्धों के अधीन किसी औद्योगिक इकाई को स्वीकृत कर के भुगतान से छूट या कोई रियायत या किसी माल के विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में कोई रियायत या घटोत्तरी,या निरसित अध्यादेश की सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमनय की गयी ऐसी सुविधा, अवशेष अवधि के लिए, निरसित अध्यादेश की धारा 76 के उपबन्धों के अनुसार और ऐसी शर्तों एवं निर्बन्धनों के अधीन जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, जारी रहेगी;

(16)यदि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पूर्व निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अन्तर्गत किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति द्वारा देय किसी धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में कोई वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है तो वह इस अधिनियम के लागू होने पर उस प्रकम, जिस पर वह अवशेष थी, से जारी रहेगी;

(17)इस अधिनियन के लागू होने की तारीख से पूर्व किसी ब्यौहारी द्वारा किये गये व्यतिक्रम या किये गये अपराधों के सम्बन्ध में अर्थदण्ड या अभियोजन की कार्यवाहियाँ निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन उपबंधों के अनुसार की जायेंगी और इस अधिनियम के लागू हो जाने की तारीख के बाद किये गये व्यतिक्रम या किये गये अपराधों के सम्बन्ध में अर्थदण्ड या अभियोजन की कार्यवाहियाँ इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जायेगी। यदि व्यतिक्रम जारी रहने वाली प्रकृति का है और ऐसी तारीख को या उसके बाद जारी रहता है, तो अर्थदण्ड या अभियोजन की कार्यवाहियाँ इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जायेंगी;

(18)यदि निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबंधों के अधीन ब्यौहारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर या अर्थदण्ड या फीस की जमा की गई या उससे वसूल की गई कोई धनराशि देय कर या अर्थदण्ड या फीस की धनराशि से अधिक पायी जाती है, तो वह पहले ऐसे ब्यौहारी के विरूद्ध निरसित अधिनियम के अधीन या निरसित अध्यादेश के अधीन या इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 के अधीन शेष रही बकाया की किसी धनराशि के प्रति समायोजित की जायेगी और शेष धनराशि, यदि कोई हो, ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वापस की जायेगी। ब्याज, यदि देय है, तो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दिया जायेगा;

(19)कोई ब्यौहारी जो निरसित अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी था किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पंजीयन प्राप्त करने के लिये दायी नहीं रह गया हो और यदि वह स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत रहने का इच्छुक नहीं है, तो वह, यदि उसने निरसित अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन पहले ही ऐसा न कर दिया हो, निरसित अधिनियम के अधीन स्वीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र, घोषणपत्रों और प्रमाणपत्रों के प्रपत्रों, यदि उसके पास बिना प्रयोग किये अवशेष रहते हैं, के सहित, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख के एक माह की अवधि के भीतर अभ्यर्पण करेगा;

1

(20)यदि निरसित अधिनियम की धारा 7–घ के उपबंधों के अधीन कर के भुगतान के बदले एक मुश्त भुगतान की योजना के अन्तर्गत किसी अवधि का कोई भाग इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को या उसके बाद समाप्त होता है, तो वह वित्तीय वर्ष जिसमें अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख पड़ती है, के समाप्त होने तक वैध समझी जायेगी जब तक राज्य सरकार इसके अन्यथा कोई आदेश न करे;

(21) निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबंधों के अधीन दी गयी कोई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति निरसित अधिनियम, निरसित अध्यादेश और इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु वैध समझी जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात कर निर्धारक प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी ब्यौहारी से प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति मांगने से नहीं रोकेगी;

(22)प्रत्येक ब्यौहारी जो निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन पंजीकृत हुआ है और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पंजीयन के लिये दायी बना रहता है और पंजीयन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को वैध है, उसे इस अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी समझा जायेगा;

(23)प्रत्येक ब्यौहारी जो निरसित अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी था और इस अधिनियम के अन्तर्गत आवर्त की सीमाओं के मद्देनजर पंजीयन के लिये दायी नहीं है, और उसने पहले ही निरसित अध्यादेश के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन हेतु आवेदन न कर दिया हो और/या उसको स्वीकृत न कर दिया गया हो, किन्तु वह पंजीयन रखे रहने का इच्छुक है और इस प्रयोजन हेतु आवेदन करता है, तो उसे इस अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक पंजीयन स्वीकृत किया जा सकता है और वह इस अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत ब्यौहारी समझा जायेगा;

(24)प्रत्येक ब्यौहारी जिसको निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र स्वीकार किया गया है और वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को वैध है, इस अधिनियम के अधीन एक मान्यता प्राप्त ब्यौहारी समझा जायेगा।

(25)निरसित अधिनियम के लागू होने की तारीख पर बचे स्टाक जिस पर उसके क्रय के स्तर पर कर लग चुका है, के सम्बन्ध में ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों, जैसी कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विहित की जायें, के अधीन इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा।

81: निरसन और व्यावृत्ति:

(1) उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948)अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 तथा उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निरसन उस निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के पूर्व कार्यान्वयन अथवा उसके अधीन पहले से ही अर्जित, प्रोद्भूत और उपगत किसी अधिकार, हक, उत्तरदायित्व या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा और उसके रहते हुये उस निरसित अधिनियम या जैसी भी स्थिति हो निरसित

अध्यादेश के सुसंगत उपबन्धों के अधीन द्वारा प्रदत्त अथवा उसके अधीन किसी अधिकार का प्रयोग करते हुये की गई कोई बात या कोई कार्यवाही जिसमें कोई नियुक्ति, अधिसूचना, नोटिस, आदेश, नियम, प्रपत्र, विनियम, प्रमाणपत्र, लाईसेन्स या परमिट भी सम्मिलित है, अध्यादेश अथवा पूर्व अधिनियम के निरसित होते हुये भी उस अवधि जिसमें वे प्रभावी थे, के दौरान वैध रहेगी और सदा वैध समझी जायेगी।

(2)निरसन –

(क)किसी बात जो निरसन प्रभावशील होने के समय प्रवृत्त या विद्यमान नहीं थी, को पुनर्जीवित नहीं करेगा,

(ख)निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश का पूर्व कार्यान्वयन अथवा उसके अधीन की गई अथवा होने दी गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा,

(ग)निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, उत्तरदायित्व या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा,

(घ)निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन किये गये किसी अपराध या अतिक्रमण के सम्बन्ध में उपगत या अधिरोपित किसी अर्थदण्ड समपहरण या दण्ड को प्रभावित नहीं करेगा,

(ङ)निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन संस्थित, जारी रखी गई या प्रवृत्त कोई अन्वेषण, जाँच, कर निर्धारण कार्यवाही, कोई अन्य विधिक कार्यवाही या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा,

और ऐसा अर्थदण्ड, समपहरण या दण्ड जो ऊपर कहा गया है, अथवा निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन संस्थित, जारी रखी गई या प्रवृत्त कोई कार्यवाही या उपचार, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन संस्थित, जारी रखी गई या प्रवृत्त समझी जायेगी।

(3)निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन बनाये गये सभी नियमों, और/ या उन नियमों के अधीन जारी की गई और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को प्रभावी अधिसूचनाएं, प्रभावी बनी रहेंगी जब तक कि ऐसे नियम या अधिसूचनाएं इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गई अधिसूचनाओं के उपबन्धों के अधीन अभिव्यक्त शब्दों में या उसमें निहित अर्थ के अनुसार अधिक्रान्त न कर दी गई हो।

(4)किसी नियम, अधिसूचना, विनियम या प्रपत्र में निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश की किसी धारा का कोई सन्दर्भ इस अधिनियम की तत्स्थानी सुसंगत धारा का सन्दर्भ समझा जायेगा जब तक कि ऐसे नियम, अधिसूचना, विनियम या प्रपत्र में संशोधन न कर दिये जायें।

(5) इस अधिनियम में उपबन्धित परिसीमा भविष्यलक्षी रूप से लागू होगी और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व घटित समस्त घटनाओं और उत्पन्न हुये समस्त विवाद निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश में उपबन्धित परिसीमा और उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होगें।

(6)अधिनियम के निरसन के होते हुये भी –

(क)इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व की अवधि के लिये कोई अभियोग या कार्यवाही जो निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन पहले ही शुरू कर दी गई थी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वैध रूप से जारी रखी जायेगी;

(ख)इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व की अवधि के लिये किसी व्यक्ति द्वारा निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन देय कोई कर, फीस, अर्थदण्ड, ब्याज या अन्य धनराशि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विहित रीति से भुगतान की जायेगी और वसूल की जायेगी मानों कि यह अधिनियम उस अवधि में प्रवृत्त था।

(7)कर, ब्याज, अर्थदण्ड, फीस और अन्य धनराशि की समस्त बकाया जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर देय थी, चाहे प्रारम्भ होने से पहले निर्धारित या आरोपित किया गया था अथवा प्रारम्भ होने के बाद निर्धारित या आरोपित किया गया हो, वसूल की जा सकती है मानों कि ऐसा कर, अर्थदण्ड, ब्याज, फीस और अन्य धनराशि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्धारित या आरोपित की गई हो और इस अधिनियम में उपबन्धित वसूली के सभी तरीके जिसमें ब्याज, अर्थदण्ड का आरोपण या अभियोजन भी सम्मिलित है, इस प्रकार की बकाया पर लागू होंगे मानो कि ऐसी धनराशियाँ इस अधिनियम के अधीन निर्धारित, आरोपित और मांगी गई थीं।

(8)उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुये भी निरसित अधिनियम या, जैसी भी स्थिति हो, निरसित अध्यादेश के अधीन किसी प्राधिकारी को प्रस्तुत और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर लम्बित कोई प्रार्थना पत्र, अपील, पुनरीक्षण और अन्य कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ के बाद उस अधिकारी या प्राधिकारी को अन्तरित और उनके द्वारा निस्तारित की जायेगी जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रार्थनापत्र, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता रखते होंगे, मानो कि यह अधिनियम उस समय प्रवृत्त था जब कि ऐसा प्रार्थनापत्र, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की गई थी।

अनुसूची–I

(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) का खण्ड(क) देखिये)

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय अथवा क्रयपर इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर देय नहीं होगा।

क्र0सं0	माल का वर्णन
(1)	(2)
1.	मनुष्य या पशु या ट्रेक्टर द्वारा चालित कृषि उपकरण और पशुओं द्वारा चालित गाड़ी
2.	विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले उपकरण एवं सहायक सामान
3.	सभी प्रकार के जूते व चप्पल जिनका विक्रय मूल्य रू0 300/–से कम है
4.	मत्स्य आहार, कुक्कुट आहार, पशु आहार और पशु चारा जिसमें हरा चारा,चूनी, भूसी, छिलका, चौकर, जवी, ग्वार, तेल रहित राइस पोलिश, तेल रहित राइस ब्रान,तेल रहित राईस हस्क और तेल रहित पैडी हस्क या धान का बाहरी छिलका तथा मत्सय, कुक्कुट एवं पशु आहर अनुपूर्ति, सांद्रित चारा तथा ऐडिटिव (योज्यक), व्हीट ब्रान तथा तेल रहित केक सम्मिलित हैं लेकिन इसमें खली, राइस पालिश, राईस ब्रान, राईस हस्क सम्मिलित नहीं है
5	बॉस, बॉस की चटाई और बॉस से बनाई गयी टोकरी
6	बहुमूल्य धातु से बनी चूड़ियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की चूड़ियॉ और कुमकुम, बिन्दी, आलता और सिन्दूर
7	मधुमक्खी का कृत्रिम घर और शहद
8.	पान के पत्ते
9	बायोमास ब्रिकिटस
10	पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं जर्नल जिसमें नक्शे, चार्ट तथा ग्लोब भी सम्मिलित हैं
11	सभी प्रकार की डबलरोटी, पीज़ा डबलरोटी को छोड़कर और बन्द एवं रस्क
12	झाडू की सींक, सरकंडा का बना मूढ़ा, फूल बहारी झाडू
13	चाक बत्ती
14	चरखा, अम्बर चरखा, हथकरघा
15	चिवड़ा, लइया(मुरमुरा), लावा(खील), पोहा, सत्तु और सूखे, भुने व तले हुए चने
16	प्रमाणित जैविक अनाज व दालें
17	मोटे अनाज जिसमें धान, चावल एवं गेहूँ सम्मिलित नही है लेकिन कुट्टू, रामदाना,सिंघाड़ा (चाहे ताजा, सूखा या उबला हुआ), कुट्टू आटा और

क्र0सं0	माल का वर्णन
(1)	(2)
	सिंघाड़ा आटा सम्मिलित है
18	कन्डोम एवं गर्भनिरोधक
19	लच्छी में सूती एवं रेशमी यार्न
20	ड्रिप सिंचाई प्रणाली यंत्र तथा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली यंत्र और उनके पुर्जे
21	कुम्हार द्वारा निर्मित मिट्टी के बर्तन और अन्य सभी सामान
22	विद्युत ऊर्जा
23	मछली पकडने के जाल तथा उसका कपड़ा और मछली के बीज, झींगे के बीज
24	ताजे फल और सब्जियाँ जिसमें लहसुन एवं अदरक, फलों का ताजा रस और फलों के शेक जैसे मैंगो शेक सम्मिलित हैं
25	ताजा दूध,पास्चराईज्ड दूध, बटर मिल्क, सप्रेटा दूध, दही और लस्सी
26	ताजे पौधे, पौध एवं ताजे फूल
27	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) के माध्यम से विक्रय किया गया अनाज और अन्य सामान जिसमें मिट्टी का तेल सम्मिलित नही है
28	गुड़ जिसमें गुड़ शक्कर, जैगरी पाउडर, गुड लौटा, गुड़ रस्कट और पामीरा गुड और खाद्य किस्म की गुड़ राव
29	हथकरघे पर निर्मित सभी प्रकार के कपड़े चाहे सादे, छपे हुये, रंगे हुये या कढ़े हुये हों, जिसके अन्तर्गत हथकरघे से बनी धोती, साड़ी, बेड–शीट, बेड–कवर्स, चद्दरें, मेज पोश, तकिये के गिलाफ, रूमाल, स्कार्फ, नेपकिन्स, झाड़न, शाल, लोई, लिहाफ,झोला, संजाफ और झालरदार तौलिये, ओढ़नी और डुग्गा और हथकरघे पर निर्मित ऊनी कम्बल और नमदे सम्मिलित है और गांधी टोपी
30	बूटी, छाल, सूखे पौधे, सूखी जड़ें जिन्हे सामान्यतः जड़ी बूटी के नाम से जाना जाता है और सूखे फल, और सुगंधित पौधे व घास जिसमें आर्गेनिक साल्वेंट ऑयल की हर्ब्स भी सम्मिलित हैं
31	(1)मानव रक्त, रक्त प्लाज़्मा, रक्त लाल सेल और प्लैटेलैट्स (2)रक्त बैंक में रक्त संग्रह, रक्त निकालने की प्रक्रिया और रक्त प्रसारकरण जिसमें रक्त घटक निर्माण सम्मिलित है, के लिये प्रयोग किये जाने वाले उपस्कर और उपभोज्य सामान
32	सुगन्धित बत्तियाँ जिनको सामान्यतः अगरबत्ती, धूप बत्ती या धूप कत्ती के नाम से जाना जाता है, और हवन सामग्री जिसमें समब्रेनी व लोबान भी

क्र0सं0	माल का वर्णन
(1)	(2)
	सम्मिलित है।
33	देसी हस्त निर्मित वाद्य यन्त्र
34	मिट्टी के तेल का लैम्प/लालटेन, पैट्रोमैक्स, कॉच की चिमनी
35	खादी के वस्त्र/सामान और इस प्रकार की अन्य निर्मित वस्तुऐ जो सरकार द्वारा विज्ञापित की जायें
36	सिखों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कृपाण तथा गोरखों की खुखरी
37	पत्तल एवं दोने, दाबे या स्टिच किये गए
38	मांस, मछली, झींगा और अन्य जलीय उत्पाद जो क्योर्ड या हिमशीतित या प्रसंस्कृत या डिब्बाबन्द न हो, और अण्डे, पोल्ट्री और पशुधन
39	राष्ट्रीय ध्वज
40	निवाड़, बान एवं बान रस्सी
41	राजकीय कोषागार द्वारा विक्रीत नान–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर; सरकार द्वारा विक्रीत पोस्टल सामग्री जैसे लिफाफे, पोस्टकार्ड इत्यादि; भरतीय रिजर्व बैंक को बेचे जाने वाले रुपये और खुले अथवा बुक फार्म में चेक
42	जैविक खाद,जैव खाद और जैव सूक्ष्म बलवर्द्धक तथा वनस्पति उपज प्रवर्धक तथा नियंत्रक, शाकनाशी, कृंतकनाशी, कीटनाशी, अपतृणनाशी तथा नाशकजीव मार
43	पापड़, कचरी, सिवैयां, मंगोड़ी, बड़ी और सोयाबीन बड़ी(जिसमें वायुरोधी पैकिट में विक्रीत सोयाबीन बड़ियॉ शमिल नहीं हैं)
44	निम्न लिखित रसायनिक उर्वरकों का पौटाश एवं फॉस्फेटिक कम्पोनेन्ट– (1) डी0ए0पी0(18:46:0), (2)एम0ओ0पी0, (3)एस0एस0पी0 (4)एन0पी0के0(12:32:6 / 20:20:0 / 15:5:15 / 23:23:0 / 14:35:4 / 20:20:10 / 15 :15:7.5 / 10:10:10 / 12:6:0 / 16:09:0
45	धार्मिक संस्थानों द्वारा बिक्री किया गया प्रसाद
46	राखी
47	कच्ची ऊन
48	धार्मिक तस्वीरें जो कलेण्डर या प्रचार सामग्री की तरह प्रयुक्त न हों और मिट्टी की बनी मूर्तियॉ
49	पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण और उनके पुर्जे
50	पवित्र धागा जिसे सामान्यतः यज्ञोपवीत कहते हैं, और रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की

क्र0सं0	माल का वर्णन
(1)	(2)
	माला एवं तुलसी कंठी माला
51	नमक(ब्रांडिड अथवा अन्यथा)
52	सभी प्रकार के बीज, तिलहनी को छोड़कर
53	वीर्य जिसमें पशु का हिमशीतित वीर्य सम्मिलित है
54	रेशम के कीड़े जो काकून प्रजनित करते हों एवं कच्ची रेशम
55	स्लेट(जिसमें लेखनपट सम्मिलित नहीं हैं), स्लेट पेन्सिल और तख्ती
56	चीनी जिस पर अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957के अधीन अतिरिक्तउत्पाद–शुल्क उद्ग्रहणीय हो
57	कपड़ा जिस पर अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957के अधीन अतिरिक्तउत्पाद–शुल्क उद्ग्रहणीय हो लेकिन इसमें बिछावन की चादर, तकिये के गिलाफ और इस प्रकार की अन्य निर्मित वस्तुयें और आयातित कपड़ा सम्मिलित नही है
58	तम्बाखू जिस पर अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957के अधीन अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क उद्ग्रहणीय हो और इसमें बीड़ी, सिगरेट एवं सिगार सम्मिलित है लेकिन गुटका और आयातित तम्बाखू सम्मिलित नहीं है
59	अप्रसंस्कृत हरी चाय की पत्तियों
60	पानी जो (1) एयरेटेड, मिनरल, डिस्टिल्ड, मेडिसिनल, आयोनिक, बैटरी, डिमिनरलाइज्ड पानी, और (2) सील बन्द पात्र में बेचे जाने वाले पानी, से भिन्न हो

अनुसूची–II(क)

(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) का खण्ड (ख) के उप खण्ड (i) देखिये)

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर एक प्रतिशत की दर से कर देय होगा।

क्र0सं0	माल का वर्णन
(1)	(2)
1.	सोना, चाँदी, प्लैटिनम एवं अन्य मूल्यवान धातुएँ
2.	सोने, चाँदी, प्लैटिनम एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं से बनी वस्तुएँ जिसमें सोने, चाँदी, प्लैटिनम एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषण सम्मिलित हैं
3.	बहुमूल्य और कम मूल्य वाले रत्न

अनुसूची–II (ख)

(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) का उपखण्ड (i) देखिये)

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर चार प्रतिशत की दर से कर देय होगा।

क्र०सं०	माल का वर्णन
(1)	(2)
1	अम्ल(एसिड)
2	कृषि यंत्र जो मनुष्य अथवा पशु अथवा ट्रेक्टर द्वारा चालित न हों
3	सभी प्रकार के संचार उपकरण जैसे प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज(पी०बी०एक्स०) और इलेक्ट्रोनिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज (ई०पी०ए०बी०एक्स०) तारलेखित्र, वायरलैस यंत्र और उनके पुर्जे
4	सभी अमूर्त वस्तुएं जैसे कॉपीराइट, पेटेन्ट एवं रेप्लाईसेन्स इत्यादि
5	सभी धातुओं की कास्टिंग
6	सभी प्रसंस्कृत, व परिशोधित सब्जियॉ, शाकाहारी मशरूम तथा फल जिसमें फलों के जैम, जैली, स्क्वैश, पेस्ट, फलों के पेय, फलों का रस और अचार चाहे बन्द डिब्बों में हो अथवा अन्यथा) भी सम्मिलित हैं
7	लच्छी में सूती एवं रेशमी धागे के अतिरिक्त सभी प्रकार के धागे जिसमें पॉलिस्टर फाईबर यार्न तथा स्टैपल फाईबर यार्न सम्मिलित है, और सिलाई धागा
8	अल्यूमिनियम, लोहा व इस्पात, प्लास्टिक तथा बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर अन्य सामग्री से बने सभी प्रकार के बर्तन(जिसमें प्रैशर कुकर/पैन भी सम्मिलित हैं), बाल्टियां एवं कन्टैनर्स, और इनैमिल के बर्तन
9	पैकिंग का सामान जिसमें (क) कागज, पेपर बोर्ड, कोरोगेटिड शीट्स, प्लास्टिक से बने बक्से, डिब्बे, कार्टन, जैरी कैन, थैले (ख) पुर्न–चक्रित कागज से बने मोल्डिड ट्रे (ग) जूट एवं सन से बनाये गये टाट व बोरे, (घ) लेमिनेटिड जूट के बोरे भी सम्मिलित है
10	अल्यूमिनियम, इसके मिश्रण तथा उत्पाद (कर्षण को छोड़कर)
11	अल्यूमिनियम कन्डक्टर जो स्टील से री–इन्फोर्सड (ए.सी.एस.आर.)हों
12	आर्कनोट का पाउडर और सुपाड़ी

क्र0सं0	माल का वर्णन
(1)	(2)
13	आटा, मैदा, सूजी, बेसन, दलिया
14	गन्ने की खोई
15	बेसिक क्रोमियम सल्फेट, सोडियम बाई–क्रोमेट,
16	बियरिंग
17	बिछावन की चादर, तकिये के गिलाफ और इस प्रकार की अन्य निर्मित वस्तुऐं
18	सभी तरह की और सभी वर्णन की बैल्टिंग
19	साईकिल, तिपहिया साईकिल, साईकिल रिक्शा और उनके पुर्जे, टायर, ट्यूब
20	बिटुमिन (कोलतार)
21	बोन मील
23	मोमबत्ती
24	रेंड़ी का तेल (कास्टर–ऑयल)
25	कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटैश, सोडा ऐश
26	सैन्ट्रीफ्यूगल एवं मोनोब्लाक सबमर्सिबल पंप और उनके पुर्जे
27	लकड़ी का कोयला
28	रासायनिक खाद, सूक्ष्म बलवर्द्धक तथा वनस्पति उपज प्रवर्धक तथा नियंत्रक, शाकनाशी, कृंतकनाशी, कीटनाशी, अपतृणनाशी तथा नाशकजीव मार
29	मृतिका(क्ले) जिसमें अग्निसह मृतिका, महीन चीनी मिट्टी तथा गोला मृतिका भी सम्मिलित है
30	नारियल फाईबर
31	खोल में नारियल तथा नारियल की अलग की गई गिरी और हरा नारियल
32	कॉफी की फली एवं बीज, कोको फली, चाय की हरी पत्ती एवं चिकनेरी
33	क्वायर एवं क्वायर उत्पाद जिसमें क्वायर के गद्दे सम्मिलित नहीं हैं
34	कंघे
35	कम्प्यूटर स्टेशनरी
36	भोजन पकाया हुआ

क्र0सं0	माल का वर्णन
(1)	(2)
37	कॉटेज़ चीज़ और पनीर
38	रुई एवं रुई छीजन
39	क्रूसिबल्स
40	कागज तथा प्लास्टिक के बने प्याले, ग्लास और प्लेटें
41	केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम,1956 की धारा14 में मोटे अनाज को छोड़कर यथाविनिर्दिष्ट घोषित माल
42	ड्रग्स, औषधियाँ और फार्मास्यूटिकल्स निर्मिति(एलोपैथिक, आर्युवैदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी) जिसमें टीके की दवा, सिरिंज व पट्टियाँ, औषधिक मल्हम जो ड्रग लायसेंस के अधीन उत्पादित हों, और आई0पी0श्रेणी का हल्का लिक्विड पैराफीन
43	रंगने के द्रव्य (डाइज़), ऐसिड डाइज, बेसिक डाइज
44	खाद्य तेल
45	कढ़ाई व ज़री का सामान अर्थात (i) इमि (ii) ज़री (ii) कस्ब (iv)साइमा (v) डबका (vi) चुंमकी (vii) गोटा (viii) सितारा (ix) नक्सी (x) कोरा (xi) कॉंच के दाने (xii) ग्लज़ल (xiii) कढ़ाई की मशीन (xiv) कढ़ाई की सुइयॉं
46	अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ पुस्तिका और प्रयोगशाला नोट बुक
47	बच्चों को दूध पिलाने की बोतल और चूचुक
48	लौह एवं अलौह धातुएं और मिश्रित धातुएं तथा अधातु जैसे अल्यूमिनियम, ताँबा, जिंक और उनके बहिर्वेधन
49	सभी प्रकार के रेशे एवं रेशे की छीजन
50	जलौनी लकड़ी
51	ग्लूकोज–डी
53	हैण्ड पम्प, पुर्जे और फिटिंग
53	हींग(ऐसफोडिटा)
54	होज़ पाइप और उनके फिटिंग
55	होज़री गुड्स
56	अनाज के हस्क और ब्रान

क्र0सं0	माल का वर्णन
(1)	(2)
57	हस्क जिसमें मूंगफली का हस्क सम्मिलित है
58	बर्फ
59	नकली आभूषण
60	औद्योगिक केबिल (उच्च वोलटेज केबिल, एक्स.एल.पी.ई.केबिल,जैलि–फील्ड केबिल, प्रकाशिक फाईबर केबिल)
61	विद्युतरोधक
62	सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसा कि नीचे वर्णित है– (i) वर्ड प्रोसेसिंग मशीन्स,इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर्स (ii) माइक्रोफोन्स, मल्टीमीडिया स्पीकर्स, हैड फोन्स आदि (iii) टेलीफोन उत्तरण मशीन्स (iv)प्रीपेयर्ड अनरिकोर्डेड मीडिया फौर साउण्ड रिकोडिंग (v) प्रीपेयर्ड रिकोर्डेड मीडिया फौर साउण्ड रिकोर्डिंग (vi) आइ टी सोफ्टवेयर या कोई मीडिया (vii) संचारण उपकरण, रेडियो या टी0वी0 ब्राडकास्टिंग के उपकरण को छोड़कर (viii) रेडियो कम्यूनिकेशन रिसीवर्स, रेडियो पेजर्स (ix) ऐरियल्स, एन्टीनाज और पुर्जे (x) एल0सी0डी0 पैनल्स, एल0ई0डी0 पैनल्स और पुर्जे (xi) वैद्युत संधारित्र, स्थाई परिवर्ती और पुर्जे (xii) इलैक्ट्रोनिक कैल्कुलेटर्स (xiii) वैद्युत प्रतिरोधक (xiv) प्रिंटेड सर्किट्स (xv) स्वीचेज, संबंधक, रैलेज (पाँच एम्पीयर) तक (xvi) पिक्चर ट्यूबस से भिन्न डाटा/ग्राफिक सम्प्रदर्शित ट्यूब्स और पुर्जे (xvii)डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और इसी तरह के सेमी–कंडक्टर युक्ति (xviii) इलैट्रोनिक इन्टीग्रेटिड सर्किटस और माइक्रो ऐसेम्बलीज (xix) संकेत जनित्र और पुर्जे (xx) प्रकाशिक फाईबर केबिल्स (xxi) प्रकाशिक फाइबर और प्रकाशिक फाईबर बण्डल्स, केबिल्स (xxii)द्रव क्रिस्टल युक्ति, सपाट प्रपट्टी संप्रदर्शित युक्ति और पुर्जे (xxiii)अभिकलित्र सिस्टम्स और परिधीयतन्त्र, इलैक्ट्रोनिक डायरीज (xxiv) कैथोड रे ऑसिलोस्कोप्स, स्पैक्ट्रम एनेलाइजर्स, सिगनल एनेलाइजर्स (xxv)एच0एस0एन0 84.69, 84.70, एवं 84.71 के पुर्जे एवं सहायक सामान (xxvi)डी0सी0 माइक्रोमोटर्स, स्टैपर मोटर्स 37.5 वाट्स के (xxvii))एच0एस0एन0 85.01 के पुर्जे

क्र0सं0	माल का वर्णन
(1)	(2)
	(xxviii) अविच्छिन्न ऊर्जा आपूर्ति (xxix) स्थाई चुम्बक और वस्तुऐं (xxx)लाईन टेलीफोनी या लाईन टेलिग्राफी के लिए विद्युत उपकरण (xxxi) सैल–फोन (xxxii)डी0पी0डी0 और सी0डी0
63	कथा
64	खाण्डसारी
65	खोया / खोआ
66	बुनाई की ऊन
67	लिग्नाइट
68	चूना, चूना पत्थर, क्लिंकर और डोलोमाइट और पुताई का अन्य सामान जो इस अनुसूची या किसी अन्य अनुसूची में अन्यत्र उल्लिखित नहीं है
69	लाइनर अल्काईल बेन्जीन, एल0ए0बी0 सल्फोनिक एसिड, अल्फा औलिफीन सल्फोनेट
70	लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलोज जिसको सामान्यतः एल0पी0सी0 के नाम से जाना जाता है और लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ अर्बन वेस्ट
71	खुले बिस्कुट
72	मक्का का स्टार्च, मक्का का ग्लुटिन और मक्का का अंकुर व तेल
73	चिकित्सा सम्बन्धी उपस्कर / युक्तियाँ और इम्प्लांट
74	मिश्रित पी0वी0सी0 स्टेबलाईजर
75	मछुवारों द्वारा मछली पकड़ने के लिये प्रयोग की जाने वाली अयांत्रिक नावें
76	नट, बोल्ट, पेंच, कीलें और फास्टनर
77	खली
78	तिलहन
79	अयस्क धातुएं एवं खनिज जिसमें गोण खनिज सम्मिलित नहीं है
80	कागज जिसमें अखबारी कागज सम्मिलित है और पेपरबोर्ड
81	पैराफीन वैक्स

क्र0सं0	माल का वर्णन
(1)	(2)
82	सभी प्रकार के पाईप जिनमें जी0आई0 पाईप, सी0आई0 पाईप, डक्टाईल पाईप और पी0वी0सी0 पाईप सम्मिलित है, और उनकी फिटिंग
83	पिज़ा डबलरोटी
84	प्लास्टिक कणिका (ग्रेन्यूल), प्लास्टिक चूर्ण और मास्टर बैचेज
85	पौरिज
86	मुद्रित सामग्री जिसमें डायरी, कैलेन्डर आदि सम्मिलित हैं
87	मुद्रण स्याही, जिसमें टोनर और कार्टरिज सम्मिलित नहीं हैं
88	प्रसंस्कृत मॉस, कुक्कुट, मछली, झींगा और जलीय उत्पाद
89	बांस, लकड़ी एवं कागज़ का लुगदी
90	रेल के वैगन, इंजन,डिब्बे और उनके पुर्जे
91	सिले सिलाए वस्त्र
92	तापसह एकाश्म
93	चावल, गेहूँ, दालें तथा धान
94	चावल की चोकर, चावल की भूसी और चावल की पोलिश जिसमें चावल की तेल रहित चोकर, चावल की तेल रहित भूसी और चावल की तेल रहित पोलिश सम्मिलित नहीं है
95	नदी का बालू और रोड़ी(ग्रिट) जिसमें(क) बोल्डर्स और स्टोन क्रेशर द्वारा विर्निमित ग्रिड और बालू सम्मिलित नही है
96	लीसा
97	रबड़, कच्चा रबड़, रबड़ के पौधे का दूध (लैटेक्स) तथा सूखा पसलीदार
98	सवाई घास तथा रस्सी
99	माचिस
100	सिलाई मशीन, इसके पूर्जे तथा सहायक सामान
101	पानी के जहाज एवं अन्य जलयान
102	रेशमी कपड़ा जिसमें हैण्डलूम रेशम सम्मिलित नहीं है, जबतक अतिरिक्त एक्साइज डयूटी से आच्छादित न हो
103	मंथित दूध का चूर्ण और यू0एच0टी0 दूध

क्र0सं0	माल का वर्णन
(1)	(2)
104	विलायक तेल जिसमें कार्बनिक विलायक तेल सम्मिलित नहीं है
105	चश्में तथा उसके पूर्जे, और संघटक और संस्पर्श लैन्स व लैन्स निर्मलित्र
106	सभी प्रकार के और सभी रुपों में मसाले जिसमें जीरा, सौंफ, हल्दी और सूखी मिर्च, और सूखे मेवे सम्मिलित है
107	खेलकूद का सामान जिसमें वस्त्र और जूते सम्मिलित नहीं हैं
108	घोषित माल के अधीन न आने वाली स्टेनलैस स्टील शीट्स
109	स्टार्च
110	मिठाई, रेवड़ी, गजक एवं शक्कर के उत्पाद जैसे कुलिया, बताशे, खिलौन, इलाइची दाना आदि और नमकीन जो पैक न किये गये हों
111	इमली और उसका चूर्ण
112	चाय
113	ताड़ी, नीरा और अर्क
114	औजार
115	खिलौने जिसमें इलैक्ट्रोनिक खिलौने सम्मिलित नहीं हैं
116	ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, पावर टिलर्स, ट्राली और उनके संघटक और पुर्जे
117	ट्रान्समिशन टावर्स
118	छाता जिसके अन्तर्गत उद्यान छाता नहीं हैं
119	इस्तेमाल किये गये मोटर वाहन
120	वनस्पति (हाइड्रोकृत वनस्पति तेल)
121	वनस्पति तेल जिसके अन्तर्गत गिंगली और ब्रान आयल सम्मिलित हैं
122	गीला खजूर और नारियल
123	लकडी के केट
124	ऊनी लोई, पट्टू, गब्बा, शाल और कम्बल
125	लेखन स्याही

क्र०सं०	माल का वर्णन
(1)	(2)
126	लेखन उपकरण, ज्यामितीय डिब्बे, रंग के डिब्बे, रंग की पैंसिल, पेंसिल की तीक्ष्णक और वैज्ञानिक, गणितीय, सर्वे, यांत्रिक रेखाचित्र और जैव उपकरण और यंत्र
127	जिप फास्टनर, जिप रोल और उसके संघटक भाग

अनुसूची–II(ग)

(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) का खण्ड (ख) उपखण्ड (i) देखिये)

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर स्तम्भ–3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर से कर देय होगा।

क्र0सं0	माल का वर्णन	कर की दर प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
1.	लॉटरी टिकिट	32.5%
2.	शीरा	20%

अनुसूची-III

(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) का खण्ड (ख) उपखण्ड (ii) देखिये)

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल पर अनुसूची के स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट विक्रय के बिन्दु पर उसके स्तम्भ–4 के सामने विनिर्दिष्ट दर पर कर देय होगा।
"नि0" से उत्तरांचल में विनिर्माता द्वारा विक्रय अभिप्रेत है।
"आ0" से उत्तरांचल में आयातकर्ता द्वारा विक्रय अभिप्रेत है।

क्र0सं0	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(क)सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब जिसमें मिथाइल अल्कोहल और संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रयकराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित अल्कोहल सम्मिलित है, किन्तु देशी शराब सम्मिलित नही है (ख) देशी शराब	नि0 या आ0	32.5प्रतिशत करमुक्त -
2.	मोटर स्प्रिट जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रयकराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित है	नि0 या आ0	25प्रतिशत
3.	डीजल ऑयल जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रयकराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित है	नि0 या आ0	21प्रतिशत
4.	एविएशन टरबाईन फयूल	नि0 या आ0	20प्रतिशत
5.	प्राकृतिक गैस	नि0 या आ0	20प्रतिशत
6.	मिट्टी का तेल	नि0 या आ0	12.5प्रतिशत
7.	पैट्रोल मिश्रित बायो फयूल या डीजल मिश्रित बायो फ्यूल जिसमें बायोफ्यूल की मात्रा 5 प्रतिशत से कम न हो	नि0 या आ0	12.5प्रतिशत

अनुसूची–IV

(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) को देखिये)

इस अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यौहारियों/व्यक्तियों को या के द्वारा किसी माल का विक्रय स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुये, पूरे या आंशिक कर, जैसा कि स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट किया गया है, से मुक्त रहेगा।

क्रम सं0	व्यौहारियों/व्यक्तियों का विवरण	कर मुक्ति		शर्तें, यदि कोई हो
		कर मुक्ति का प्रकार	कर मुक्ति की सीमा	
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	(4)
1	कैन्टीन स्टोर्स विभाग/ मिलेट्री कैन्टीन को नीचे दिये गये अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल की बिक्री या उनके द्वारा क्रय और बिक्री – अनुसूची (1) आयुध जिसके अन्तर्गत राइफल, रिवाल्वर,पिस्तौल और उनके भाग और सहायक सामान और उसके लिये गोला बारुद भी है किन्तु इसके अन्तर्गत खुखरी,भाला,छुरा और तलवार और बारह बोर की शाट गन के लिये गोला बारुद नहीं है। (2) बिजली के सभी सामान यंत्र,उपकरण,साधित्र और ऐसी सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग विद्युत शक्ति के बिना नहीं हो सकता, जिसके अन्तर्गत बिजली के मृत्तिका पात्र और पोर्सीलेन,विद्युत शक्ति के जनन, वितरण और पारेषण के लिये अपेक्षित बिजली की सज्जा, संयंत्र और उनके सहायक सामान, विद्युत चालित मोटर और उसके पुर्जो और समस्त अन्य सहायक सामान और संघटक भाग हैं, चाहें उसे पूर्णतः या पुर्जो में बेचा जाता हो किन्तु जिसके अन्तर्गत पंखा, बिजली के बल्ब,प्रतिदीप्त ट्यूब(जिसके अन्तर्गत इनके स्टार्टर चोक,फिक्सचर, फिटिंग्स और सहायक सामान भी है) टार्च, टार्च के बल्ब,टार्च सेल, ड्राई सेल, बैटरीज, इस्त्री, टोस्टर,	को बिक्री या उनके द्वारा क्रय और बिक्री	करमुक्त	शर्त यह है कि कमांडिंग आफिसर से अनिम्न पद के किसी अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाय कि माल भारतीय सशस्त्र बल/अन्य रक्षा अधिष्ठान के सदस्यों /भूतपूर्व सैनिको को बेचे जाने के लिये है

	केतली, मिक्सी कम ग्राइन्डर और ओवन नहीं है। (3) भांग, गांजा, अफीम और चरस (4) बाइनाक्यूलर्स, टेलिस्कोप और ओपरा ग्लास और उनका संघटक भाग, पुर्जा सहायक सामान (5) सूती कालीन और पाइलदरियों को छोड़कर सभी प्रकार के कालीनों जिसके अन्तर्गत नमदा भी है (6) मोटर गाड़ियों की चैसी और मोटर गाड़ियों के चैसी पर बनाये गये या उन पर चढ़ाने के लिये तात्पर्यित बाडी या टैंकर या मोटर कारवां (7) सिनेमाटोग्राफी–सज्जा जिसके अन्तर्गत कैमरा प्रोजेक्टर और ध्वनिआलेखन और पुनरुत्पादन संबंधी सामान, लैंस, फिल्म और फिल्म स्ट्रिप और उनके साथ प्रयुक्त किये जाने के लिये अपेक्षित सिनेमा कार्बन,सिनेमा स्लाइड, या फिल्म, संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान भी हैं (8) धातु की तिजोरी, रोकड़पेटी (कैश बॉक्स), और आलमारियां(1,200 रू0 से अनधिक मूल्य की आलमारियों को छोड़कर) सभी प्रकार की धातु के फर्नीचर चाहे उन्हें सज्जित या असज्जित रुप से बेचा जाय, धातु के फर्नीचर के भाग, फाइबर ग्लास,प्रबलित (री–इन्फोर्स्ड) प्लास्टिक या मूलतः किसी भी प्रकार के प्लास्टिक से बना फर्नीचर, गद्दीदार (अप–होल्डर्स) फर्नीचर और फर्नीचर जिसके बनाने में लैमीनेटेड शीट का प्रयोग किया जाता है। (9) फोम रबड़, प्लास्टिक या फोम या अन्य सिन्थेटिक फोम या फाइबर फोम या रबड़युक्त क्वायर से बनी चादर (सीट), कुशन, तकिया,गद्दा और अन्य वस्तुऐं (10) मोटर, ट्रक,मोटर बस, मोटर साइकिल कम्बीनेसन्स, मोटर कार, जीप और अन्य मोटर गाड़ियाँ जिनके अन्तर्गत मोटर साइकिल, मोटर स्कूटर और मोटरेट्स (मोपेडस) भी शामिल है			

	(11) कार्यालय में उपयोग की मशीनें और उपकरणों जिसके अन्तर्गत, टेबुलेटिंग, केल्कुलेटिंग,डुप्लीकेटिंग,कैश रजिस्टरिंग, चैक राइटिंग, एकाउटिंग,सांख्यिकी, इन्डेक्सिंग, कार्ड पंचिंग, फ्रेकिंग और एड्रेसिंग मशीन भी है और टाइपराइटर, कम्पयूटर(जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाइयाँ और परिधीय यंत्र भी है), टेलीप्रिंटर और सहायक मशीनें और ऐसी कार्यालय मशीनों और उपकरणों के संघटक भाग, पुर्जे और सहायक सामान भी हैं (12) फोटोग्राफी, एन्लार्जर,लैंसेस, कागज, प्लेट, और कपड़ा और उसका संघटक भाग, पुर्जा व सहायक सामान (13) प्रशीतन (रेफ्रीजरेशन) शीतताप नियंत्रक संयंत्र और सभी प्रकार के प्रशीतक (रेफ्रीजरेटिंग) उपकरण और सज्जा जिसके अन्तर्गत रेफ्रीजरेटर,डीप फ्रीजर, मैकेनिकल वाटर कूलर, रुम कूलर, एयर कन्डीशनर,एयर कूलर,वाटर कूलर, वाकइन कूलर, और उनका संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान एवं पौलिस्ट्रीन फोम सहित प्रशीतन सामग्री भी है (14) मोटर गाड़ियों के टायरऔर ट्यूब, पुर्जे और सहायक सामान जिसमें मोटरसाइकिल, मोटर स्कूटर और मोटरेट्स(मोपेड) के टायरऔर ट्यूब नही है (15) (क) बेतार प्रसारण और ग्रहण उपकरण यंत्र और साधित्र जिसके अन्तर्गत ट्रांजिस्टर रेडियो और दूसरे रेडियो और उसके संघटक भाग, पुर्जा और उनके सहायक सामान जैसे ट्रांजिस्टर और बिजली के बल्ब भी है किन्तु इसके अन्तर्गत 1,200 रु0 से कम मूल्य के ट्रांजिस्टर रेडियो अन्य रेडियो और एक्युमुलेटर नहीं है (ख) ध्वनि प्रसारण उपकरण यंत्र और साधित्र जिसके अन्तर्गत टेलीफोन इन्टरकाम यंत्र और लाउडस्पीकर, श्रव्य दृश्य और इलैक्ट्रानिक, उपकरणों के साथ प्रयुक्त किये जाने वाले समस्त		

	एम्पलीफाइंग उपकरण भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक और प्रसारण साधित्र नही है, जो विशिष्ट रुप में श्रवण यंत्र के रुप में उपयोगार्थ शरीर पर धारण किये जाते और ऐसे उपकरण यंत्र और साधित्र के संघटक भाग, पुर्जे और सहायक सामान (ग) ध्वनि आलेखन करने वाले उपकरण, यंत्र और साधित्र जैसे डिक्टाफोन टेपरिकार्डर, कैसेट मशीन और उनका संघटक भाग पुर्जा और सहायक सामान , जिसके अन्तर्गत टेप-रिकार्डर और रिकार्डिंगकैसेट और रील टेप नहीं है (घ) अन्य श्रव्य दृश्य और इलैक्ट्रोनिक उपकरण यंत्र और साधित्र जिसके अन्तर्गत टेलीविजन, रिसीविंग सेट, टेलीविजन कैमरा और प्रसारण उपकरण,रिकार्ड प्लेयर और चेन्जर, चाहे बिना स्पीकर के या बिल्ट-इन-स्पीकर के सहित,टेलीफोन, ग्रामोफोन रिकार्ड रेडियो ग्रामोफान और दो या अधिक श्रव्य या दृश्य उपकरणों, जैसे रेडियो, कैसेट रिकार्ड प्लेयर, टेलीविजन और उसी तरह की वस्तुओं के समुच्चय भी है और ऐसे उपकरण यंत्र और साधित्र के संघटक भाग, पुर्जा और सहायक सामान			

अनुसूची-V

(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (2) का खण्ड (ड) देखिये)

इस अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, किसी कराधेय माल के क्रय पर उनके द्वारा दिये गये कर की वापसी का हकदार होगा।

क्र0सं0	माल का वर्णन	शर्तें, यदि कोई हों तो
(1)	(2)	(3)
1.	भारत में विदेशों के राजदूत उच्चायुक्त एवं डिप्लोमैट्स	
2.	संयुक्त राष्ट्र और उत्तरांचल में उसकी विशिष्ट एजेन्सियाँ	
3.	यूनाइटेड नेशन्स इण्टरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेन्सी फंड	
4.	अमेरिकन कम्यूनिटि इमरजेन्सी फण्ड फार चाइल्ड फेमिन रिलीफ	
5.	केयर (को-आपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेयर)	
6.	ऑक्सम (औ0एक्स0ए0एम0)	
7.	(क) भूटान सरकार, या	शर्त यह है कि व्यौहारी कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष, निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं पदीय मुहर के अधीन प्रमाणित यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि वस्तुएँ भूटान को निर्यात एवं भूटान में प्रयोग हेतु हैं और वास्तव में भूटान के क्षेत्र म प्रवेश कर गयी हैं (i) भूटान की सरकार को या महामहिम भूटान नरेश या भूटान राज परिवार के किसी सदस्य को की गयी विक्रयके सम्बन्ध में
	(ख) महामहिम भूटान नरेश, अथवा भूटान शाही परिवार के सदस्य, या	
	(ग) भारतीय सैनिक प्रशिक्षण टीम, भूटान या दन्तक परियोजना, भूटान, या	
	(घ) भूटान में भारत के प्रतिनिधि अथवा सीमा सड़क संगठन, या	
	(ड.) भूटान के निवासी किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा अपने निजी प्रयोग या भूटान में पुनर्विक्रय हेतु	

क्र०सं०	माल का वर्णन	शर्तें, यदि कोई हों तो
(1)	(2)	(3)
		की गयी विक्रयके सम्बन्ध में, भूटान सरकार के किसी आयुक्त, उपायुक्त या परगना अधिकारी द्वारा या भूटान के राज्य व्यापार निगम के निदेशक द्वारा या मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भूटान सरकार द्वारा या वित्त मंत्री, भूटान सरकार द्वारा; (ii) दन्टक परियोजना को की जाने वाली विक्रयके सम्बन्ध में, मुख्य अभियन्ता, दन्टक द्वारा या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रुप से नाम–निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा; (iii) भारतीय सैनिक प्रशिक्षण टीम को की गई विक्रयके सम्बन्ध में, आई.एम.टी.आर.ए.टी. के समादेष्टा द्वारा या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रुप से नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा; और (iv) किसी अन्य विक्रयके सम्बन्ध में वित्त मन्त्री, भूटान सरकार द्वारा या परगनाधिकारी, भूटान सरकार, फुन्टशिलिंग द्वारा, या भूटान में भारत के प्रतिनिधि के कार्यालय के किसी अधिकारी द्वारा जो उक्त प्रतिनिधि द्वारा नामित हो।

अनुक्रमणिका

उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005

धाराएं	विवरण	पृष्ट संख्या
	अध्याय–I **प्रारम्भिक**	
धारा 1	संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ	1
धारा 2	परिभाषाएं	1
	अध्याय – II **कर भार, कर आरोपण और कर की दरें**	
धारा 3	कर भार	13
धारा 4	कर की दर	18
धारा 5	देय शुद्ध कर	25
धारा 6	इनपुट टैक्स का लाभ	26
धारा 7	समाधान स्कीमें	34
धारा 8	सांपत्तिक सम्मुत्थान का दायित्व	36
धारा 9	फर्म इत्यादि के मामले में दायित्व	36
धारा 10	अप्राप्तवय और असमर्थ व्यक्तियों पर कर दायित्व	38
धारा 11	प्रतिपाल्य अधिकरण आदि पर कर दायित्व	38
धारा 12	कम्पनी के मामले में दायित्व	38
धारा 13	कतिपय अभिकर्ता जो कर्ता की ओर से किये गये विक्रय पर कर के दायी है	40
धारा 14	कारबारके अंतरण के मामले में दायित्व	41
	अध्याय– III **पंजीयन, संशोधन और निरस्तीकरण**	
धारा 15	पंजीयन	42
धारा 16	स्वैच्छिक पंजीयन	44
धारा 17	पंजीयन के लिये प्रकिया	45
धारा 18	पंजीयन का निरस्तीकरण	47
धारा 19	पंजीयन प्रमाणपत्र का संशोधन	50
धारा 20	राजस्व के हित में प्रतिभूति	51
धारा 21	पंजीयन संख्या को उद्धृत करना	53

धारा 22	ब्यौहारी द्वारा कर की वसूली	53
	अध्याय–IV	
	विवरणी, कर निर्धारण, भुगतान और वसूली	
धारा 23	सावधिक विवरणी और कर का भुगतान	56
धारा 24	अनन्तिम कर निर्धारण	58
धारा 25	पंजीकृत ब्यौहारी का कर निर्धारण वर्ष के लिये कर निर्धारण	59
धारा 26	कर के लिये दायी अपंजीकृत ब्यौहारी का कर निर्धारण	63
धारा 27	नैमित्तिक ब्यौहारी के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध	63
धारा 28	विशेष परिस्थितियों में करनिर्धारण	65
धारा 29	कर निर्धारण से छूट गये आवर्त का निर्धारण	65
धारा 30	भूल का सुधार	67
धारा 31	कर निर्धारण के किसी आदेश को अपास्त करने की शक्ति	67
धारा 32	कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण के लिये परिसीमा काल	68
धारा 33	आवर्त और कर आदि को पूर्णांकित करना	70
धारा 34	कर का भुगतान और उसकी वसूली	71
धारा 35	स्त्रोत पर कर कटौती द्वारा कर की वसूली	76
	अध्याय–V	
	वापसी और समायोजन	
धारा 36	वापसी	80
धारा 37	निर्यातकों के मामले में अनन्तिम वापसी	81
धारा 38	राजदूतावासों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और स्पेशल इकोनोमिक जोन में स्थापित इकाईयों को की गई विक्रयपर कर की वापसी	81
धारा 39	कतिपय मामलों में वापसी को रोकने की शक्ति	82
धारा 40	ब्यौहारी द्वारा कर के रूप में गलत वसूल की गई धनराशि का वितरण	82
धारा 41	ब्याज	83
	अध्याय–VI	
	लेखों का निरीक्षण, तलाशी एवं अभिग्रहण और जाँच चौकियों की स्थापना	
धारा 42	लेखों को दिखाने की आज्ञा देने की शक्ति और प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार	84
धारा 43	माल को अभिग्रहण करने की शक्ति	87
धरा 44	अवमूल्यन की दशा में माल को अभिगृहीत करने की शक्ति	89
धारा 45	सूचना प्राप्त करने और साक्षियों को बुलाने की शक्ति	89
धारा 46	पुलिस आदि से सहायता लेने की शक्ति	90

धारा 47	जॉच चौकियों और नाके की स्थापना	90
धारा 48	घोषणा–पत्र द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात करना	90
धारा 49	रेल, नदी, वायुमार्ग या डाक द्वारा राज्य के भीतर माल का आयात	92
धारा 50	राज्य से होकर सड़क से माल का प्रेषण और माल के पारगमन के लिये प्राधिकार का जारी किया जाना	93
	अध्याय–VII अपील और पुनरीक्षण	
धारा 51	प्रथम अपील	94
धारा 52	कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण	97
धारा 53	अपील अधिकरण के समक्ष अपील	97
धारा 54	अपील अधिकरण का गठन	101
धारा 55	उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण	102
धारा 56	आदेश जिनके विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण दाखिल नहीं किया जायेगा	103
धारा 57	विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण	103
	अध्याय–VIII अपराध और अर्थदण्ड	
धारा 58	अपराध एवं अर्थदण्ड	105
	अध्याय–IX व्योहारियों द्वारा लेखा रखा जाना	
धारा 59	लेखों का रख रखाव	110
धारा 60	बिक्री बीजक	112
धारा 61	अवधि जब तक लेखे रखे जायेगें	113
धारा 62	लेखों की सम्परीक्षा	113
	अध्याय–X विविध	
धारा 63	मिथ्या प्रमाणपत्र आदि जारी करने पर दायित्व	114
धारा 64	अधिकारिता के प्रति आपत्ति	114
धारा 65	कर दायित्व विहित करने मे कुछ अवधारणाऐं	114
धारा 66	साबित करने का भार	116
धारा 67	अपील में अतिरिक्त साक्ष्य	117
धारा 68	हानि–रक्षा	117
धारा 69	कतिपय कार्यवाहियों पर रोक	117
धारा 70	कुछ ऐसी सूचना जो गोपनीय होगी	117

धारा 71	नियम बनाने की शक्तियाँ	118
धारा 72	पूर्वगामी प्रभाव से अधिसूचनाऐं जारी करने का अधिकार	120
धारा 73	राजस्व को कपट वंचित करने के लिये किये गये अन्तरण का शून्य होना	120
धारा 74	कतिपय मामलों में फीस	120
धारा 75	किस्तें मंजूर करने का अधिकार	121
धारा 76	कर भुगतान के लिये अधिस्थगन	121
धारा 77	रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के लिये सुविधा	126
धारा 78	आंकड़े संग्रह करने का अधिकार	127
धारा 79	कठिनाईयों के निवारण करने का अधिकार	127

अध्याय–XI

संक्रमणकालीन उपबन्ध,निरसन और व्यावृत्तियाँ

धारा 80	संक्रमण कालीन उपबन्ध	129
धारा 81	निरसन और व्यावृत्तियाँ	133

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धित ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक की धारा 4 में कर की दर घोषित करके धारा 71 में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है, जो विधायी शक्तियों का आवश्यक और सामान्य प्रत्यायोजन है।

नारायण दत्त तिवारी
मुख्यमंत्री ।

Desktop/Tiparion/finance/VATParan